राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६८ का ६८ वां दिवस [संख्या ३०

सोमवार, दिनांक २५-३-१९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०४ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, राज. नहर, खाद्य, वित्त, देवस्थान, वन, पंचायत, अकाल सहायता व उपनिवेशन-विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

तहसील बाली, जिला पाली के ग्रामों में सैटलमेंट कार्य

८०८. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील बाली, जिला पाली के ग्राम सैणा, जीवदा तथा दुदणी की ३१५८९ बीघा १९ बिस्वा भूमि का सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो, कब हुआ?

(२) क्या यह भी सही है कि सेटलमेंट के अभाव में कथित भूमि की कोई किस्म अथवा भू-राजस्व की दर निश्चित नहीं है?

(३) ऐसी सूरत में राज्य सरकार को अब तक कितने राजस्व का घाटा हुआ तथा आगे राज्य सरकार कथित भूमि के राजस्व वसूली का क्या तरीका अपनाना चाहती है?

(४) वहां के भूमि-धारियों का, जिनका कब्जा भूमि पर लगातार चला आ रहा है, कथित भूमि पर क्या अधिकार रहेगा?

(५) अब तक जो भू-राजस्व नहीं लिया गया उसकी वसूली की जावेगी अथवा नहीं? यदि की जायगी तो किस प्रकार?

(६) क्या यह भी सही है कि कथित भूमि जागीरी भूमि है और सेटलमेंट के

(श्री दौलतराम आगरी)

अभाव में उसका आज तक पुनर्ग्रहण नहीं हुआ है ? ऐसी सूरत में राज्य सरकार कथित जागीर के पुनर्ग्रहण का क्या विचार रखती है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(१) यह सही नहीं है। नियमानुसार बन्दोबस्त हुआ एवं परचा वितरण सम्वत् २०११ में हुआ। अवधि बन्दोबस्त संवत् २०१२ से २०२० तक रखी गई थी।

(२) यह भी सही नहीं है।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(४) प्रश्न ही पैदा नही होता है।

(५) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(६) यह सही नहीं है।

श्री दौलतराम आगरी : तो क्या यह सही है कि आज दिन तक उन गांवों की बीघोड़ी वसूल की जा रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है।

श्री दौलतराम आगरी : अगर बीघोड़ी वसूल की जा रही है तो किस दर से वसूल की जा रही हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : फिर से........

श्री उपाध्यक्ष : क्या बीघोड़ी वसूल की जा रही है और अगर की जा रही है तो किस दर से ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन गांवों के सम्बन्ध में जो पैमाईश हुई है वह जमीन जवाई बान्ध के पेटे में है और वह ईर्रीगेशन विभाग को सौंप दी गई है। उसके अतिरिक्त जो जमीन कृषकों को दी गई है उसकी लगान वसूल हो रही है।

श्री दौलतराम आगरी : यह सही नहीं है कि लगान वसूल हो रहा है। बीघोड़ी वसूल नहीं हो रही है। आपको इस सम्बन्ध में पत्र दिया था, वह पहुंच गया है किन्तु आपकी ओर से कोई सुविधा नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने मेरी जानकारी के अनुसार निवेदन किया जवाई बान्ध की भूमि ईर्रीगेशन विभाग की है और बाकी की जो कृषकों की भूमि है, उनसे बीघोड़ी वसूल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसकी जांच करवाली जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उत्तर दिया जाना चाहिये। क्या लगान की वसूली हो रही है ? जो भी बतलाया गया है, कृपा

Page No. 3

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कर पूरी स्थिति को स्पष्ट कर।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि मेरी सूचना के अनुसार बीघोड़ी की वसूली हो रही है। माननीय सदस्य ने कहा नहीं हो रही है तो मैं दुबारा इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री दौलतराम अागरी : कोई संतोष–जनक उत्तर नहीं मिला। न तो वहां कोई बीघोड़ी वसूल हो रही है और न कोई इसकी रेट ही तय हुई है।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामकिशन।

राजस्थान नहर के निर्माण पर व्यय

८०९. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रारम्भ में कितनी धनराशि, व्यय कर राजस्थान नहर के निर्माण की बात तय की गई थी ?

(२) इसमें कितना लक्ष्य कितने व्यय से प्राप्त हुआ है और नहर पर होने वाले खर्च में अगर वृद्धि हुई है तो क्या व क्यों ?

(३) राजस्थान नहर का कब तक पूरा होने का अनुमान है व उसे शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) प्रारम्भ में सन् १९५७ में स्वीकृत परियोजना के अनुसार निर्माण पर ६६ ४६ करोड़ रुपये का तखमीना था।

(२) इस परियोजना पर इस साल के अन्त तक करीब ५० करोड़ रुपये का व्यय हो जायगा। इस खर्च से १३४ मील राजस्थान फीडर, ५१ मील राजस्थान मुख्य नहर का था उनसे निकलने वाले बहुत से राजवाहे पूर्ण हो गये हैं, और बाकी प्राय: सभी शाखाओं व वितरण-प्रणालियों का निर्माण प्रगति में है। मुख्य नहर पर ५१ से ७० मील तक और अनूपगढ़ शाखा का शेष कार्य इस समय मुख्य रूप से हो रहा है।

संशोधित एस्टीमेट्स के अनुसार इस योजना की अनुमानित लागत १८४.०९ करोड़ रुपये तक सम्भव है। ऐसी वृद्धि के मुख्य कारण योजना के अधिकृत क्षेत्र में वृद्धि करना व नहर को पक्का करना आदि हैं। अन्य कारणों में पोंग डेम के निर्माण का खर्च व लिफ्ट सिंचाई का शामिल किया जाना व शाखाओं की लम्बाई में वृद्धि करना भी है।

Page No. 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) अपेक्षित धनराशि के उपलब्ध होने पर इसका निर्माण कार्य १९७८ से १९७९ तक पूरा किया जा सकता है। इस विषय में सरकार प्रयत्नशील है।

श्री रामकिशन : यह जो आपने बतलाया कि व्यय बढ़ा जिन कारणों से उनमें क्या एक कारण यह नही है कि इसकी डिले होने की वजह से कास्ट बढ़ता चला गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात नही है। सही बात यह है कि राजस्थान केनाल का १९५७ में सबसे पहले सर्वे हुआ था। उस वक्त इसकी ६६ करोड़ की योजना थी और उस वक्त केवल १६.८४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करनी थी और उसमें ज्यादा हिस्सा नॉन पैरेनियल का था लेकिन इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार रावी और व्यास का पानी अधिक मिलने की सम्भावना हुई थी लेकिन पानी तभी मिल सकता था जब पौंग डेम बनाया जाय जिससे अधिक पानी और अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके लेकिन इसके हो सकने के कारण १९६३ में रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया गया जो १८४ करोड़ का हुआ है जिसमें पोंग डेम का जो राजस्थान का हिस्सा है वह भी शामिल है।

श्री केदार नाथ : स्टेट प्लान सीलिंग के ओवर एन्ड अबव कितना है? यह सारा रूपया स्टेट प्लान की सीलिंग में दिया जाता रहा है क्या?

श्री रामकिशन : यह बतलाया गया था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से अधिक धन का प्रावधान सम्भव नहीं है और इसको केन्द्रीय योजना बना दी जाय और उसके लिये आप एक बिल विधान सभा में प्रस्तुत करने वाले भी थे, उसमें क्या बाधा आ गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न सही है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात की कोशिश की या तो उसको सेन्ट्रल ऑथोरिटि बना दी जाय जिसके तहत सारी योजना केन्द्रीय सरकार के फंड से क्रियान्वित की जाय या इसका रूपया प्लान सीलिंग के बाहर दिया जाय जिससे कि हमारे यहां के फाईनेन्स पर बजन न पड़े और एक स्टेज ऐसी थी कि जिस समय करीब–करीब यह तय होने वाला था और ऑथोरिटि का निर्माण करने जा रहे है और उसका बिल विधान सभा में रखने जा रहे हैं। यह काफी समय तक बात चलती रही लेकिन ६६–६७ के अन्त में केन्द्रीय सरकार और संसद से आखिर में यह सूचना दी गई कि अभी इस मामले को डेफर रखा जाय और अब फ्यूचर प्रॉसपेक्ट इस बात के नही दिखते हैं कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सेन्ट्रल ऑथोरिटि राजस्थान कैनाल के लिये बन जायगी, और इसी प्रकार प्लान सीलिंग के बारे में भी यह लिखा कि अभी हम प्लान सीलिंग के बाहर नहीं दे सकते। स्टेट्स को प्रायोरिटीज के हिसाब से इस मामले को करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन स्थिति यह है कि जैसा आप बता रहे हैं राजस्थान की वित्तीय स्थिति ७८-७६ में पूरी होने वाली नहीं है तब राज्य सरकार इसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान या और तरीके पर विचार कर रही है जिससे इसका निर्माण समाप्ति पर लाया जा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार बहुत प्रयत्नशील है कि इसकी पहली स्टेज और दूसरी स्टेज जल्दी से जल्दी बन सके, उसके बनाने की कोशिश की जाय, और इसी आशय से अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भारत के उपप्रधान मंत्री एवं सिंचाई मंत्री और प्लानिंग कमीशन वगैरह को चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया है कि हमको ७ करोड़ ५० लाख का एडीशनल फण्ड इसी साल दिया जाये और आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो बनने जा रही है उसमें भी अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाये ताकि हम प्रथम चरण को जल्दी ही समाप्त कर सकें, और दूसरे चरण का भी काम हाथ में ले सकें, और उसको निश्चित अवधि में पूर्ण करा सकें। इसके लिए प्रयत्न जारी हैं, और जारी रहेंगे और हमारी इच्छा है कि इसको जितना जल्दी बना सकें उतना ही देश के हित में है।

श्री केदारनाथ : एडीशनल जो एलोकेशन होने जा रहा है यह प्लान सीलिंग के तहत होगा या उसके ओवर एण्ड अबव होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडीशनल फण्ड ७ करोड़ ५० लाख की मांग की है। यह उसमें से है कि जो भारत सरकार ने अपने बजट के अधीन अभी कुछ मेजर और इम्पॉर्टेन्ट इर्रीगेशन प्राजेक्ट्स के लिए २५ करोड़ रुपया अलग से रखा है उसमें हमारे हिस्से राजस्थान कैनाल के लिए यह मांग की है। अभी मैं यह नहीं कह सकता कि यह प्लान सीलिंग के अन्दर होगा या बाहर, लेकिन प्लान सीलिंग के अन्दर होगा तब भी जो भी प्लान का आकार है उसमें इस एक्स्टेन्ट तक बढ़ोत्तरी हो कर हमारा एनुअल प्लान अभी मान लें कि ४० करोड़ का होगा तो जितना रुपया मिलेगा उतनी ही शकल उस प्लान की बढ़ जायेगी।

श्री रामकिशन : जैसा आपने २५ करोड़ का बताया अभी लोकसभा में प्रश्न

(श्री रामकिशन)

का उत्तर देते हुए वित्तमंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार १६ प्लान को फाइनेन्स करने जारही है उस सूरत में हमें ७ करोड़ मिलने वाले हों ऐसी बात नहीं है तो इस स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले बजट के समय बताया था कि ५ प्लान्स को फाइनेन्स करने वाले हैं लेकिन लोकसभा में जवाब देते हुए भारत के सिचाई मंत्री ने कहा कि ऐसे १६ प्लान है तो राजस्थान नहर के लिए कोई बड़ी धनराशि नहीं मिलने वाली है तब क्या स्थिति होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हमने चिट्ठी लिखी थी उस समय मेरी खुद की डाक्टर राव जो हमारे भारत के सिचाई मंत्री हैं उन्होने स्वयं ने बताया था कि ५ मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने यह धनराशि की मांग की है और हमारे उप-प्रधान मंत्री जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर हैं उन्होंने २५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और राजस्थान कैनल के लिए सब्सटेन्शल एमाउन्ट मिलेगा ऐसी बातचीत हुई थी और उसी के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमको सब्सटेन्शल एमाउन्ट इस साल के एनुअल प्लान में राजस्थान कैनाल के लिए पहले हमने जो कुछ २ करोड़ २५ लाख रखा है उसके अलावा मिलने की सम्भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री नन्दलाल !

कोटा जिले की गेम सेंक्चुरी

८१०. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आज से करीब १० साल पूर्व कोटा जिले में दरा गेम सेंक्चुरी बनी ?

(२) क्या यह सही है कि सेंक्चुरी में लक्ष्मीपुरा, दामोदरपुरा, खरलीबावड़ी आदि गांवों की काश्त की जमीन जंगलात ने अपने कब्जे में ले ली ?

(३) क्या यह सही है कि सेंक्चुरी में आज भी पुरानी काश्त की जमीन में कुए बावड़ी मौजूद हैं ?

(४) क्या यह सही है कि यह जमीन आज भी बंजर में दर्ज है और जंगलात ने जबरन कब्जा कर रखा है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां १९५५ में बनी थी।

(२) जी नहीं।

Page No. 7

(श्री नारायणसिंह)

(३) जी हां, ऐसे कुएं व बावड़ी अधिकांश सूखे, पानी-रहित हैं तथा चालू दशा में नहीं हैं।

(४) इन वनों का सीमांकन होकर आरक्षित वन घोषित हुए थे तथा वन बन्दोबस्त होकर अन्तिम रूप से भी वन घोषित हो चुके हैं जबरन कब्जे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि दामोदरपुरा गांव गेम सैंक्चुरी के बीच में आज भी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह गांव गेम सैंक्चुरी में है लेकिन कृषि योग्य भूमि अभी इस समय भी है और उसमें कोई दखल नहीं किया गया है।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि इन गांवों में सारे लोग जितने भी वहां के रहने वाले हैं सब अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह भी सही हो सकता है।

श्री नन्दलाल : सही हो सकता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार का अपने पेट पालने के लिए कोई धंधा नहीं रह गया है। सारी जमीन जितनी थी वहां पर जंगलात ने कब्जा कर लिया है उन लोगों को न दूसरी जगह जमीन दी है, न देने का आश्वासन है। जो वहां रह रहे हैं वह केवल मवेशी पालकर रह रहे हैं और २९-२-६८ को शेर ने ६ भैंसे मार दी जिसमें लोगों को ३००० रुपये का नुकसान हुआ है यह पत्र मेरे पास आया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि ५५ में यह गेम सैंक्चुरी बनी थी और ५६ तक यहां पर सेटलमेन्ट होता रहा है। इस बीच में कोई ऐसे एतराज या दरखास्त नहीं आई कि जिसके अन्दर उनके हकों के ऊपर दखल हुआ हो। यह मैं निवेदन कर चुका हूं कि जितनी कृषि की भूमि है उस पर दखल नहीं किया गया है। बाकायदा उसको जंगलात विभाग द्वारा उसकी काश्त को बहाल रखा गया है और रहा सवाल कुए और बावड़ी और दूसरी चीजों का तो, जहां तक मेरी सूचना है अधिकांश कुए और बावड़ी सूखे हैं अथवा चालू नहीं हैं। अगर और भी कोई फेसेलिटीज के बारे में वह रिप्रेजेन्टेशन करेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु इस समय तक कोई इस प्रकार का एतराज बाबक्त सेटलमेन्ट नहीं हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : गेम सैंक्चुरी सन् ५५ में बनी और इस प्रश्न के खण्ड (२) में गांवों के

Page No. 8

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नाम लिखे हुए हैं क्या मैं जान सकता हूं कि यह गेम सैंक्चुरी एरिया के अन्दर गेम सैंक्चुरी के अन्दर स्थित हैं या बाहर स्थित हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : इन गांवों की जमीन गेम सैंक्चुरी में आई है । जो कृषि की जमीने हैं उसके ऊपर से हटाया नहीं गया है सेटलमेन्ट के अनुसार यह एन्ट्री फॉरेस्ट के अन्दर नहीं हुई है यह रेवेन्यू रेकार्ड में सिवाय चक में दर्ज हैं इसका नोटीफिकेशन होकर फारेस्ट में आ चुकी है केवल इन्द्राजात बदलने की बात है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन गांवों की जो जमीने हैं यह गेम सैंक्चुरी में आ गयी हैं तो वहां के लोग जैसा प्रश्नकर्त्ता के द्वारा बताया गया है आदिवासी लोगों का जरिया है उनका गुजारा किस तरह से होता है यह भी कुछ समझ में नहीं आता । अगर उनको दूसरी जगह स्थापित करना है तो इसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी है तो इस बारे में भी सोचे और मेरे ख्याल से यह तो उनके लिए बहुत जटिल समस्या सी उपस्थित हो गई है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : गांवों के अन्दर ट्राइब्स आदि के लोग हैं तो जिस प्रकार से रियायतें इन लोगों को दी गई हैं वह उनके ऊपर भी लागू होती हैं और उनको शिकायत इस समय तक विभाग के अन्दर ऐसी नहीं आई है कि जिससे कोई ऐसी चीज प्रतीत हो । अगर इस प्रकार की कोई चीज आयेगी तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि गेम सैंक्चुरी बनती है यह केवल जंगली जानवरों को पालने के लिए बनती है ?

श्री नारायणसिंह : क्या फरमाया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : गेम सैंचुरी जंगली जानवरों को पालने के लिए बनती है ?

राव श्री नारायणसिंह : गेम सैंचुरी किसलिए बनती हैं यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं ।

श्री नन्दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि दामोदरपुरा गांव गेम सैंचुरी के बीच में है और वहां को जितनी काश्त योग्य भूमि थी उस पर जंगलात ने कब्जा नहीं किया है इसका मतलब यह है कि वहां के लोग जो भी काश्त करते हैं और सैंचुरी के बीच में जंगली जानवरों से उस काश्त को किस तरह से बचाया जा सकता है आप स्पष्टीकरण कर दें ?

राव श्री नारायणसिंह : जो गांव हैं उनको फॉरेस्ट की बाउन्ड्री से बाहर कर

Page No. 9

(राव श्री नारायणसिंह)

दिया गया है। अब कृषि के योग्य जमीन है वह आज तक भी कृषि कर रहे हैं उसमें कोई दखल नहीं किया गया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आज के ४-५ रोज पहले यहां सदन में यह सवाल उठा था कि गेम सैंचुरी के अन्दर जो मिलिट्री के लोग थे उन्होंने दस-दस हजार रुपये खर्च करके काश्त कर लीये हैं उनको जंगलात की तरफ से हटा दिया गया है ?

राव श्री नारयणसिंह : गैरकानूनी कब्जा कर लिया गया है........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): १०-१० हजार रुपया खर्च कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न। इसकी चर्चा माननीय सदस्य, और किसी ढंग से उठाई जा सकती है। यह अलग प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय को मालूम नहीं है इसके बारे में।

प्रश्न संख्या ८११

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह मकराना।

शराब के ठेकों का नया तरीका

८१२. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शराब का गारन्टी सिस्टम समाप्त कर दिया गया है ? अगर हां, तो इसके स्थान पर कौन सा सिस्टम लागू किया गया है ?

(२) शराब के ठेके नये तरीकों के अनुसार नीलाम किये जायेंगे या पुराने ठेकेदारों को ही दिये जायेंगे ?

उप मन्त्री, आबकारी (श्री प्रद्युम्न सिंह) जी हां, गारंटी सिस्टम के स्थान पर राजस्थान आबकारी नियम, १९५६ के अध्याय ७ (ख) के प्रावधानों के अनुसार आफर एण्ड ऐक्सेप्टेन्स सिस्टम लागू किया गया है।

(२) उक्त पद्धति पर पहले पुराने ठेकेदारों को व उनके न स्वीकार करने पर नशाबन्दी क्षेत्र से विस्थापित ठेकेदारों को आफर दी जायेगी व फिर भी यदि दुकानें न उठी तो नीलाम की जायगी।

श्री विजयसिंह : कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

Page No. 10

श्री उपाध्यक्ष : फिर से सुन लें।

श्री विजयसिंह : जरा जोर से बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जरा गोर से सुनिये।

(१) जी हां। गारन्टी सिस्टम के स्थान पर राजस्थान आबकारी नियम, १९५६ के अध्याय ७ (ख) के प्रावधानों के अनुसार आफर एण्ड ऐक्सेप्टन्स सिस्टम लागू किया गया है।

(२) उक्त पद्धति पर पहले पुराने ठेकेदारों को व उनके न स्वीकार करने पर नशाबन्दी क्षेत्र से विस्थापितों ठेकेदारों को ऑफर दी जायेगी व फिर भी यदि दुकानें न उठी तो नीलाम की जायेगी।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : अगर यह आपसमें तय करने के बजाय नीलाम किये जाते तो कितना फायदा होता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी फिगर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन आफर सिस्टम लागू किया गया है, इसलिये यह प्रश्न ही नही उठता।

श्री आईदानसिंह : क्या ठेकेदार और मन्त्री महोदय की मिली भगत है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बिल्कुल गलत बात है और + है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह +शब्द एक्सपंज किया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब गारन्टी सिस्टम को बन्द कर दिया गया तो स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिये थी। आप ठेकेदारों से टेन्डर क्यों नहीं बुलवाते ? इस तरीके में तो केवल पक्षपात नजर आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस सम्बन्ध में मै निवेदन करूं कि १९६३ के अन्दर गवर्नमेंट ने गोरधन सिंह मेहता कमेटी बिठाई थी....

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : दूसरा माइक ले लीजिये।

एक माननीय सदस्य : लाउड स्पीकर ठीक नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पता नहीं क्या ठीक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी सरकार की तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है।

+अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार हटाये गये

श्री प्रद्युम्नसिंह : तन्दुरुस्ती तो सरकार की भी ठीक है और आपकी भी ठीक है भगवान की कृपा से। ऐसा है १९६३ के अन्दर गोरधन सिंह मेहता कमेटी बिठाई गई थी, उसने यह सिफारिश की थी कि आक्शन सिस्टम ठीक नहीं है। इसके अलावा टेकचंद कमेटी ने भी यह राय दी थी कि ऑक्शन सिस्टम अच्छा नहीं है। इस आधार पर यह आफर सिस्टम ही ठीक समझा गया और इसको लागू कर दिया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह सही है कि गारन्टी सिस्टम को हटा कर यह जो योजना आपने लागू की है पुराने ठेकेदारों को ही ये दुकानें देने की, इससे तो फिर से आपने जागीरी व्यवस्था चालू कर दी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह व्यवस्था केवल इसी साल के लिये लागू की गई है। इसके तहत जिन लोगों की दूकानें हैं, पहले उनको आफर किये जायेंगे। गुजरे तीन साल की औसत आमदनी के आधार पर, अगर वे ऐक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नीलाम किये जायेंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक प्रश्न पूछना है मुझे।

श्री आईदानसिंह : क्या यह गलत नीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री मनोहर सिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह सही है कि टेकचन्द कमेटी की वह सिफारिश जो आपके अनुकूल पड़ती है उसको नहीं मानते ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो हमारे अनुकूल पड़ती है उसको ही मानेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो शराब बढ़ाने की बात है वह तो आपको मन्जूर है और जो शराब बन्द करने की सिफारिश है वह आपको मन्जूर नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है........

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : क्या यह सही है कि नीलाम करने से काफी ज्यादा आय सरकार को आ सकती थी ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न कर्ता।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या इस तरह से बिना नीलाम उन्हीं दूकानदारों को ठेका देने से मोनोपली नहीं बनती ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मोनोपली का इसमें सवाल नहीं है। यह तीन साल की

Page No. 12

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

औसत आमदनी के आधार पर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है..................

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ऑफर सिस्टम पर जो दिया जायेगा वह तीन साल का एवरेज निकाल कर एक्साइज ड्यूटी को आधार बनाकर दिया जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इन तीन साल की फीस के साथ-साथ शराब की कीमत और ली जायेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी बात नहीं है। आधार एक्साइज का ही रखा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप सेक्रेटरी साहब से पूछ कर बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी बात नहीं है, आपकी समझ का फेर है। एक्साइज को तीन साल की औसत निकाल कर दिया जायेगा।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : एवरेज से अगर कोई अधिक देना चाहे, तो उसको लेना पसन्द करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सवाल यह है कि पुराने ठेकेदार..........

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : पुराने ठेकेदार को क्यों दे रहे हो, जब दूसरे आदमी ज्यादा देने को तैयार हैं तो उनको क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बात का निर्णय ले लिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक्साइज ड्यूटी को आधार बना कर दे रहे हैं, तो जिस मूल्य पर वे चाहेंगे बिक्री कर सकेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो असेसमेंट होता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री मूलचन्द डागा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गत बरस जितनी शराब दुकानदारों को सप्लाई की थी, इस साल उतनी नहीं कर पायेंगे और कम कर पायेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है, इसकी सूचना नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न की मन्शा यह है कि आपने गारन्टी सिस्टम खत्म करके ये जो ऑफर सिस्टम चालू किया है कि तीन साल के एवरेज एक्साइज ड्यूटी को आधार मान कर देंगे, उसमें मुझे यह कहना है कि इस साल आप शराब की सप्लाई गत वर्ष के मुकाबले में कम कर पायेंगे, इसलिये कम आय होगी, और शराब बेचने वाले लूट करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो भविष्य की बात है, इसके बारे के हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।
श्री मूलचन्द डागा।

श्री विजयसिंह : (मकराना) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप मंत्रीजी शराब नहीं पीते और उनको शराब के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं राजपूत होने के नाते शराब पीता हूँ और शराब के बारे में ज्यादा जानता हूं, इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय उप मंत्रीजी मुझसे लॉबी में मिल कर जानकारी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदारों ने चुनाव के पहले कांग्रेस को काफी चन्दा दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

प्रश्न संख्या ८१३

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह

चम्बल क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या

८१४ श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) चम्बल क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या कितनी भूमि पर असर कर चुकी है ? कृपया पिछले ५ साल की तहसीलवार तफसील सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या चम्बल योजना तैयार किये जाते समय इस बात को ध्यान में रक्खा गया था ? यदि हां, तो सीपेज, ड्रेनेज, नहरों के साथ साथ तैयार नहीं करने व पानी के निकास की व्यवस्था नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

Page No. 14

(श्री जुझारसिंह)

(३) वाटर लॉगिंग को कम करने के लिये अब तक क्या व्यवस्था की गई है व उस पर कितना काम हो गया है, तथा कितना खर्चा हो चुका है व इसके क्या नतीजे मालूम हुए हैं ?

(४) क्या यह सही है कि कोटा क्षेत्र में वर्षों के बगीचे व पेड़ वाटर लॉगिंग के कारण खराब हो गये हैं और पेड़ों को हटा कर धान आदि की खेती करने की जरूरत पड़ गई है ? यदि हाँ, तो ऐसी कितनी जमीन है जिसके आरचर्ड्स खराब हुए हैं ?

(५) सिंचाई विभाग ने इन बगीचों को बचाने व मुआवजा देने की क्या व्यवस्था की है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रॉब्लम के सम्बन्ध में एक प्रश्न और है। यदि इजाजत हो तो इन दोनों प्रश्नों को एक साथ ही लिया जाय तो सप्लीमेंटरीज भी साथ ही हो जायेंगी।

दूसरा ८२६ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दोनों को साथ ही पूछें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही उत्तर दे दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

चम्बल क्षेत्र में सीपेज व लॉगिंग की समस्या के निवारण के लिए दी गई धनराशि

८२६. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) चम्बल क्षेत्र में सीपेज व लॉगिंग की समस्या के निवारण के लिये क्या योजना है ?

(२) उक्त योजना की कार्यान्विति के लिए मुख्य दांई व बांई नहर पर कार्य करने के लिए फण्ड का एलोकेशन किस प्रकार किया गया था ? व उस पर वर्ष वार कितना कितना व्यय हुआ ?

(३) क्या इस संबंध में राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की खाद्य तथा कृषि संस्थान व भारत सरकार के मध्य कोई समझौता हुआ है ? अगर हां, तो उसके द्वारा इस कार्य के निमित्त कितनी राशि उपलब्ध होगी ?

(४) क्या ऐसा समझौता सन् ६० में भी हुआ था ? अगर हां, तो कुल कितनी

(श्री कृष्णकुमार गोयल

राशि इस निमित्त उपलब्ध हुई थी ? व उसका क्या प्रयोग हुआ ?

(५) नए समझौते के अनुसार दांई व बांई मुख्य नहर पर उपलब्ध राशि का उपयोग कितना-कितना, किस-किस प्रकार होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : प्रश्न संख्या ८१४ का उत्तर।

(१) जून १९६५ के सर्वेक्षण के अनुसार चम्बल क्षेत्र की लगभग ४०,००० एकड़ भूमि जलोत्सारण से ग्रसित हो चुकी है—

सन् १९६३ में २९६५० एकड़ ग्रस्त पूर्ण था

सन् १९६४ में १७८९१ „ „ „ „

सन् १९६५ में ४०५३० „ „ „ „

सन् १९६६ में ९७०० „ „ „ „

सन् १९६७ में ३००० „ „ „ „

तहसीलवार सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। इस प्रकार की समस्या का हमेशा नहर बनाने के बाद वहां जहां भी आवश्यकता होती है समाधान किया जाता है। कुछ स्थानों में जहां की मिट्टी खराब है झरन शुरू में हो जाती है। तथा मौके की स्थिति के अनुसार ही उसे रोकने का प्रयत्न किया जाता है। अब जहां यह झरन ज्यादा होती है उसके साथ-साथ नालियां बनाई जा रही हैं।

(३) जलग्रस्त को रोकने के लिये कोटा व बून्दी जिले के चम्बल सिंचित क्षेत्र में सर्व प्रथम बल्लोव, मवग्यिा कुजा, मदुन्डा तथा रायपुर चार योजनाएं तैयार की गई थीं जिनमें लगभग ५१३० एकड़ भूमि आती थी। इन योजनाओं के समाप्त होने पर ग्रस्त क्षेत्रों में सुधार हुआ है। इस सुधार को देखते हुए इधर नगर, रनातरी, काला तालाब, सीतापुरा कटकड़ और सूरसागर योजनाएं हाथ में ली गई और यह लगभग समाप्ति पर हैं। इन योजनाओं में लगभग ९००० एकड़ भूमि आने की समावना है। जिनसे काफी सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं। उपरोक्त योजनाओं के बनने से लगभग १४,००० एकड़ भूमि के सुधार होने की सम्भावना है। उपरोक्त योजनाओं पर जनवरी १९६८ तक ३७.८९ लाख रुपया खर्च हो चुका है।

(४) कुछ बाग जो कि दाई मुख्य नहर के किनारे पर एवं कुछ बांई नहर के किनारे पर हैं वहां के बाग वाटर लॉगिग से प्रभावित हुए हैं। उसका क्षेत्र लगभग ८०० एकड़ है। सीम से कुछ पेड़ नष्ट हुए हैं। कुछ लोगों ने इन पेड़ों को काट कर लगभग २० एकड़ भूमि में धान की खेती कर ली है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(५) अधिक जलग्रस्त स्थानों के बगीचों को बचाने के लिये विभाग ने प्रमाणों का निर्माण किया है। शेष के लिए योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। अतः स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वित की जायेंगी। क्षति ग्रस्त पेड़ों के मुआवजे के भुगतान के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ८२६ का उत्तर पढ़ देता हूं।

(१) चम्बल क्षेत्रों में सीपेज व वाटर लॉगिंग से प्रभावित लगभग ४० हजार एकड़ भूमि आंकी गई है। इस भूमि में सुधार हेतु चम्बल क्षेत्र के लिए एक ड्रेनेज योजना तैयार की जा रही है। जिसकी लागत लगभग ८ करोड़ ४० लाख रुपये है। यह सम्पूर्ण योजना केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इस विस्तृत योजना की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई अतः कई लघु योजनाएं अलग-अलग स्वीकृत करा कर अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज का कार्य किया गया है। क्षेत्रफल लगभग १४,००० एकड़ है।

(२) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए फण्ड्स का एलोकेशन इस प्रकार से हुआ है :

वर्ष	एलोकेशन	खर्चा
६४-६५	—	३४,०३० रु.
६५-६६	७,००,०००	१३,७६,०२३ रु.
६६-६७	३०,४३,०००	२६,५६,०५४ रु.
६७-६८	१२,००,०००	७,२०,००० रु.

फरवरी १९६८ तक।

(३) जी हां, इस समझौते के अनुसार १३,२६,३०० डालर जो लगभग ९९,७०,००० रु० के बराबर हैं, उपलब्ध होंगे।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो और आगे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आई एम सॉरी।

(४) जी नहीं, यह समझौता जनवरी १९६८ में हुआ है।

(५) इस समझौते के अनुसार उपलब्ध धन-राशि जिसका कि विवरण प्रश्न संख्या ३ के प्रत्युत्तर में दिया गया है, का उपयोग दांई व बांई मुख्य नहर पर सीपेज व वाटर लागिंग से प्रभावित भूमि के सुधार के

Page No. 17

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिए, लवण युक्त भूमि को सुधारने के लिए बीड़ के निवारणार्थ तथा लौंग शेपिंग का कार्य किया जा रहा है। इन पृथक पृथक कार्यों के लिए कोई पृथक पृथक राशि नहीं रखी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि आपने यह जो सुझाव दिया है और इसमें यह बताया गया है कि इतना एरिया अलग-अलग सालों में हैं वाटर लागिंग से इफैक्टेड हुआ तो यह किस डेप्थ का एरिया दिया है, क्योंकि वाटर लागिंग की तीन कैटेगरीज हैं, एक तो ५ फीट तक का है जिसको आप रूट जोन कहते हैं और एक ५ से १० फीट के बीच वाला है और एक उससे ऊपर वाला है, तो क्या यह जो एरिया है वह रूट जोन वाला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जीरो टू फाइव।

श्री जुझारसिंह : उसके अलावा जो दूसरा है जिसमें कि सीपेज ज्यादा हुआ है और वाटर लागिंग का ५ से १० का लेवल है तो उसका कितना क्षेत्रफल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका भी एरिया मैं बता सकता हूं।

१९६३	० से ५	२९,६५०
	० ५ से १० देट इज	
	५ से १०	१,५८,७००
१९६४	० से ५	१,७८,१९१
	० से १०	१,९६,६३४
१९६५	० से ५	४०,५३०
	० से १०	२,२५,७००
१९६६	० से ५	६,७००
	० से १०	१,८६,२००
१९६७	० से ५	३,०००
	० से १०	८८,०००

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो वाटर लागिंग का एरिया बताया है यह जून का तो बता दिया है, लेकिन यह एरिया बरसात के बाद ५ फीट का एण्ड लैस देन ५ फीट का एरिया है वह अक्तूबर के करीब फाइव टाइम्स हो जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी सर्वे हुई थी तो वह अक्तूबर की भी हुई थी तो जैसा कि मैंने बताया है ० से ५, २९ हजार और ० से १० १,९८,०००, १९६३ का है और उसी तरह से ६४, ६५ और ६६ के हैं।

श्री जुझारसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा प्रश्न यह है कि जो वाटर लॉगिंग जून के महीने में रेकार्ड किया जाता है तो वह बरसात के पहले के पीरियड का होता है उसमे वाटर लॉगिंग कम एरिया में इफेक्टेड होता है, लेकिन बरसात के बाद में बरसात की वजह से और इसकी वजह से उसका रकबा बढ़ जाता है और करीब फाइव टाइम्स बढ़ जाता है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इफेक्टेड एरिया है वह अक्तूबर में बताये हुए एरियों से फाइव या सिक्स टाइम्स ज्यादा हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ठीक बात है कि एरिया रेन्स के बाद इन्क्रीज होता है, लेकिन हर साल के एवरेज से सही स्थिति का पता लगाया जाता है। यह एक टेक्नीकल क्वेश्चन है अगर यह क्वेश्चन के रिप्लाई में एक्स्प्लेन करूं तो इसकी इतनी बड़ी रिपोर्ट है वह मेरे पास है इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो यह सारी रिपोर्ट आपको दे दूंगा। आप इसको पढ़ लें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसे कि फीगर्स मैंने आपको दिये हैं ६३, ६४, ६५, ६६ के दिये हैं तो एरिया कम होता चला जाता है, लेकिन मैं उसको कम करने की दृष्टि से डिक्रीज हुआ नहीं मानता हूं, क्यों कि बरसात की कमी की वजह से एरिया डिक्रीज हो सकता है। इसलिए जो योजना हमने बनाई है वह योजना एक कम्प्रिहेन्सिव योजना है जो कि ८ करोड़ ४ लाख की है। उसको क्रियान्वित करने के बाद मेरी ऐसी मान्यता है कि यह समस्या कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट्स में हल हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री जुझार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। दूसरे प्रश्न में मैंने यह पूछा था कि चम्बल इरिगेशन स्कीम को हाथ में लेने से पहले क्यों इस एरिया की पूरी तरह से जांच नहीं करवाई गई थी? मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जांच करवाई है। स्कीम के सब इसके वेरियस आस्पेक्ट्स काम शुरू करने से पहले ही देखने चाहिए थे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि इस चम्बल सिंचाई योजना को शुरू करने से पहले ५ लाख और ७० हजार एकड़ के एरिया में ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग के लिए ८ करोड़ की स्कीम बनाई गई है और लेवलिंग और दूसरे टाइप के कामों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक अलग स्कीम है वह १२ करोड़ की है जितनी रकम यह अभी तक खर्च कर चुके हैं १८-२० करोड़ की उसके मुकाबले में अब जो खर्च होने वाला है वह उससे भी ज्यादा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि क्या इतना बड़ा काम चालू करने से पूर्व उसकी जब योजना बनाई थी तो उस वक्त वह एनविसेज नहीं किया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसका जवाब दिया है, 'वाटर लॉगिंग के सम्बन्ध में जब प्रोजेक्ट तैयार की गई थी उस वक्त क्या इस समस्या को कंसीडर नहीं किया गया था ? जी नहीं, मेरा जवाब आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल। आपको इसकी विस्तृत जानकारी है इसलिये इस प्रश्न का समाधान यहां पर होना मुझे मुश्किल लगता है।

श्री जुझारसिंह : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। इस जमीन की बनावट जिस तरह की है उस रिपोर्ट में गवर्नमेन्ट को यह बताया गया है कि इस जमीन में वाटर लॉगिंग होगा क्योंकि पानी के नीचे बैठने के चान्सेज कम हैं और अंडर ग्राउन्ड ड्रेनेज नहीं मिलती है इसलिये वाटर लॉगिंग होगा........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही नहीं है एक्च्युअल साइटेशन सुनना चाहते हैं तो ४ लाइन का है सुन लीजिये:-

"The commanded areas have generally good slopes and there are many natural drainages. It was, therefore, thought that alarming rise of spring leval leading to water logging would not occur. There, however, have been many complaints of serious rise in water table in several areas. These should be carefully examined at site and remedial measures proposed. It will perhaps be adequate if the disposal of rainfall is improved by draining off quickly collections of water in tanks and pockets with no suitable existing out lets."

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि वाटर लॉगिंग का मुख्य कारण इस क्षेत्र में काली व चिकनी मिट्टी का होना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It can be one of the reasons

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं स्पष्ट रीजन्स जानना चाहता हूं। जो इस क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है क्या उसका मुख्य कारण काली व चिकनी मिट्टी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह कारण भी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस समय केनाल बनाई गई

Page No. 20

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

थी उससे पहले इसका सर्वे किया गया था, उस समय इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में ड्रेनेज लागू नहीं होने के कारण वाटर लॉगिंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आंकड़े बताये हैं उससे घटता जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो सूची दी है और उसमें बताया है कि ६४-६५ में इतनी भूमि प्रभावित हुई, ६६ मे इतनी प्रभावित हुई। आपने बताया कि लगभग ४० हजार एकड़ भूमि प्रभावित हुई उसमें से लगभग १४ हजार एकड़ भूमि में सुधार कर पाये हैं। लेकिन जो आंकड़े आपने दिये हैं उससे लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पहले एक हजार, फिर तीन हजार............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत रूप से समझ गये हैं जो आंकड़े सूचि में दिये हैं उसमें बताया गया है कि सन् ६५ में सर्वे हुआ था और ६४ के सर्वे के अनुसार ४०,००० एकड़ माना जाता था। ·०२५ पर वह ६६ में घट कर ६,७०० रह गया और ६७ में ३००० रह गया। मेरा बताने का आशय यह था कि ४० हजार से घट कर ३००० रह गया। जून सन् ६७ में ३ हजार एकड़ भूमि इससे प्रभावित हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर स्पष्ट किया जाय। इस समय आप ३००० कह रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जून ६७ में ०२५ पर ३००० एकड़ क्षेत्र प्रभावित था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि वाटर लॉगिंग से प्रभावित एरिया लेफ्ट केनाल और राइट केनाल पर अलग-अलग, कितना-कितना है ? टोटल आपने ४०,००० बताया।

जो रामप्रसाद लड्ढा : राइट केनाल पर, लेफ्ट केनाल पर, डिस्टिव्यूटरी और माइन पर कितना-कितना है, अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।.........

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल एक प्रश्न और। मैंने प्रश्न किया उसके बारे में आप फरमाते हैं कि अलग अलग आंकड़े

Page No. 21

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नही हैं। राइट केनाल एक तरफ गई और लेफ्ट केनाल दूसरी तरफ गई है और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं। केवल पोलिटिकल रीजन्स के कारण राइट में ज्यादा इफेक्डेड हैं और लेफ्ट में कम समस्या लेकिन वह राजस्व मंत्रीजी के क्षेत्र में आता है वहां पर लाखों रुपये फेमिन के माध्यम से चुनाव के समय खर्च कर दिये। चुनाव जीतने के खयाल से जहां पर कम समस्या थी वहां पर हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि यही आधार बनाते तो कोटा की सभी सीटें हम ही जीतते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जीतना न जीतना अलग चीज है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री जी ने संकेत किया कि यहां ब्लेक कॉटन सॉइल है इसलिये वाटर लॉगिंग है और वाटर लॉगिंग कई रूप से निकला है। वाटर लॉगिंग से प्रभावित क्षेत्र धीरे धीरे, शनै: शनै: कम होता जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने किस प्रयोग के द्वारा वाटर लॉगिंग को कम किया? केनाल को कांक्रीट सीमेन्टिंग किया या और किसी तरीके से किया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह परमानेन्ट योजना है या १० वर्ष बाद वाटर लॉगिंग की प्राब्लम रीअकर होगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समस्या को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए कई तरह के काम हुए हैं। ड्रेनेज की और दूसरी कांप्रिहेन्सिव योजना है जिससे वाटर प्रॉपर्ली चेनेलाइज हो जाय जिससे वाटर लॉगिंग न हो इसके लिये ८ करोड़ ४ लाख की योजना बनाकर केन्द्र को भेजी है। ४७ लाख के करीब रुपये हम इस पर खर्च कर चुके हैं। चार साल से कई गांवों में यह योजना चल रही है, वाटर के ड्रेनेज के लिये नालियां बना रहे हैं और हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं ताकि यह प्रॉब्लम नहीं रहे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा कि आरोप लगाया गया उसमें कुछ राजनीतिक कारणों से लेफ्ट केनाल क्षेत्र मे कम काम किया या राइट केनाल क्षेत्र में कम काम किया, क्या मैं जान सकता हूं कि एक साइड में अधिक काम किया और दूसरी साइड में कम किया या बिल्कुल ही नहीं किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समस्या का सवाल है। समस्या सीरियस होने का और एरिया के प्रभावित होने का सवाल है। लेफ्ट केनाल एरिया सीरियसली इफेक्टेड है इसलिये इस पर अधिक काम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया। राइट केनाल क्षेत्र कम प्रभावित है तो उस पर कम काम किया। ८ करोड़ की योजना है उसमें से अभी ४०.४५ लाख रुपये ही खर्च कर पाये हैं इससे जितना हो सकता था उतना काम किया।....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या सन् ६२-६३ में मंत्री जी ने यह कहा था कि यहां पर वाटर लॉगिंग होता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज बहुत समय ले लिया एक ही प्रश्न ने १५ मिनिट ले लिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरा प्रश्न है सं० ८२६ उसके खंड (२) में मैंने पूछा है : उक्त योजना की कार्यान्विति के लिये मुख्य दांई व बांई नहर पर कार्य करने के लिये फंड का एलोकेशन किस प्रकार किया गया था ? व उस पर वर्ष वार कितना व्यय हुआ ? मैंने जानकारी भी यही चाही थी कि राइट केनाल, मेन केनाल और लेफ्ट केनाल पर फंड का एलोकेशन किस प्रकार किया था। मेरा पूछने का परपज भी यही था और आप कहते हैं कि मेरे पास आंकड़े नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आंकड़े का सवाल नहीं है, मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

मनोरंजन कर से मुक्त फिल्म

८१५. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) और श्री गंगासहाय (कठुमर सु.) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) किन-किन फिल्मों को सन् १९६६-६७ और १९६७-६८ में मनोरंजन कर से मुक्त किया गया और किन-किन आधारों पर ?

(२) उक्त फिल्मों में से ता. १ जनवरी सन् १९६८ से कौन-कौन सी फिल्मों से कर मुक्ति के आदेश किस किस तारीख के ऑर्डर्स से वापिस ले लिये गये हैं और किस कारण से ?

उपमंत्री, कर (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) वित्त विभाग द्वारा सन् १९६६-६७ और १९६७-६८ में निम्नलिखित फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया :

Page No. 23

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

१. स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री पर बनाई गई चार डॉक्युमेन्टरी फिल्में :—

(१) 'शान्ति की खोज में" (२) "ताशकन्द में हुई विजय व घटना" (३) "शान्ति के सिपाही को उपहार" और (४) "शान्ति के पुजारी को श्रद्धांजलियां"। इन्हें इस कारण से कर मुक्त किया गया कि इनमें स्वर्गीय शास्त्री जी के जीवन के कुछ पहलुओं का चित्रण है।

२. फिल्म "झूले लाल" (सिंधी) इस फिल्म को इस कारण से कर मुक्त किया गया कि इसमें भारत के महान संत अमर उडेरीलाल के उपदेशों को पूर्णतया सिंधी भाषा में चित्रित किया गया है।

३. फिल्म "नेताजी सुभाषचन्द्र बोस" (हिन्दी)। इसको इस कारण से कर मुक्त किया गया कि इसमें भारत के महान नेता का जीवन चरित्र बताया गया है।

४. फिल्म "नई उमर की नई फसल" (हिंदी)। को विद्यार्थी वर्ग के मार्ग दर्शन की दृष्टि से कर मुक्त किया गया।

५. फिल्म "विद्यार्थी" (हिन्दी) को भी विद्यार्थी वर्ग के मार्ग दर्शन की दृष्टि से कर मुक्त किया गया।

६. फिल्म "आम्रपाली" (हिंदी)। इस चित्र के विषय की विशेषता को देखते हुए कर मुक्त किया गया।

७. फिल्म 'संत तुकाराम" (हिन्दी)। इसको इस कारण से कर मुक्त किया गया कि इसमें भारत में महान संत तुकाराम की जीवन चरित्र और उनके उपदेश बताये गये हैं।

८. फिल्म "आखरी खत" हिन्दी। इसमें कार्य करने वाले बाल कलाकार के अभिनय की विशेषता के कारण इसको कर मुक्त किया गया।

९. फिल्म "उपकार" (हिन्दी)। इसको इस कारण से कर मुक्त किया गया कि इसमें आज के समाज की कुछ प्रमुख समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया हैं।

(२) उपरोक्त फिल्मों में से क्रम संख्या २, ५, ६, ७, ८ और ९ की कर मुक्ति को दिनांक १२-१२-६७ और २०-१२-६७ की अधिसूचनाओं द्वारा मनोरंजन कर से होने वाली आमदनी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक १-१-६८ से निरस्त किया गया।

श्री गंगासहाय : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि कर-मुक्ति के कारण राज्य सरकार को राजस्व में कितना नुकसान हुआ है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वसूली नहीं की है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि कर मुक्ति से कितना नुकसान हुआ है।

श्री गंगासहाय : क्या पहले से अनुमान लगाया था कि कितना घाटा होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है।

श्री लादूराम सुलातनिया (फागी) : आप बैठे बैठे क्या करते हैं रोजाना ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपका मुंह देखता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इतने मंत्री बनाने के पहले क्या यह अनुमान लगाया गया था कि कितना घाटा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

झुन्झुनूं-उदयपुरबाटी सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

८१६. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं से उदयपुरबाटी को जाने वाली पक्की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है और उसमें जिन जिन काश्तकारों की काश्त की जमीन सड़क में ली गई है उसका लगान अभी तक नहीं काटा गया है ? क्या काश्तकारों से सड़क में आने वाली जमीन का लगान वसूल किया जा रहा है ?

(२) इस सड़क में यह जमीन कितने अर्से से ली गई है ? और अभी तक इस सम्बन्ध में लगान कम करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णतया जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अतः इसे स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित। अगला प्रश्न।

श्री शिवनाथसिंह : इसको स्थगित कर दें उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन जिन लोगों की जमीन दस साल पहले इसमें आ गई है उन किसानों से आज भी लगान लिया जा रहा है। आप इसको भले ही स्थगित कर दें लेकिन ऐसा आदेश निकाल दें कि जिन लोगों की जमीन सड़क में आ गई है उनसे लगान लेना बन्द कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

झुंझुनूं, नवलगढ़ एवं चिड़ावा के गोदामों से अनाज के ट्रान्सपोर्टेशन के लिए आमंत्रित टेन्डर

Page No. 25

८१७. श्री सांवरमल बासोतिया : (नवलगढ़) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १५-३-६७ को झुंझुनूं, नवलगढ़ एवं चिड़ावा के गोदामों के अनाज के ट्रान्सपोर्टेशन के ठेके के टेण्डर निमंत्रित किये गये थे और कुल चार टेंण्डर इसके लिए प्राप्त हुए ?

(२) क्या यह सही है कि इन चारों टेंण्डरों में मुकन्दगढ़ :के श्री श्याम सुन्दर सुरेलिया का टेंण्डर सबसे नीची रेट का था ? और उसे यह कह कर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह टेंण्डर प्रोपर फार्म में नहीं है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि श्री श्याम सुन्दर के अतिरिक्त तीनों टेंण्डर एक आदमी द्वारा अलग-अलग नामों से भरकर पेश किये गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि सीताराम पातुसरी वाले का टेंण्डर समय निकल जाने के बाद प्राप्त हुआ था और वह फिर भी स्वीकार किया गया और श्री सीताराम पातुसरी वाले से पुनः उनके टेन्डर के रेट कम करवाये गये ?

(५) क्या श्री श्यामसुन्दर ने इन सब तथ्यों की जानकारी शिकायत के रुप में सरकार को दी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया ?

(६) क्या श्री श्यामसुन्दर जिस व्यक्ति का टेंण्डर स्वीकार किया गया उससे भी १० प्रतिशत कम रेट पर काम करने को तैयार थे ?

(७) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विचार किया है ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) यह सही है कि दिनांक १५-३-६७ को टेण्डर ट्रान्सपोर्टेशन हेतु मगाये गये थे परन्तु यह सही नहीं है कि कुल चार ही टेण्डर प्राप्त हुये, और भी प्राप्त हुये थे।

(२) यह सही नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) सभी टेन्डर समय निकल जाने के बाद प्राप्त हुये थे। श्री सीताराम पातुसरिया का टेन्डर स्वीकार योग्य समझने के बाद कुछ मदों में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रेट होने के कारण कम कराई गई।

(५) जी हां। जांच की जा रही है। जिलाधीश ने फार्म नियमित न होने से अस्वीकार करना बताया है।

(६) जी हां।

(श्री परसराम मदेरणा)

(७) ठेके की स्वीकृति हो जाने पर टण्डर की दरों में कमती बढ़ती करना नियम विरुद्ध समझा गया। अतएव दुबारा टेण्डर मांगे गये।

श्री सांवरमल बासोतिया : कुल-टेण्डर कितने थे, सूची के अनुसार उनके नाम बताये जा सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : टेन्डर तीन जगह से आये झुंझुनूं, चिड़ावा और मुकन्दगढ़, ट्रान्सपोर्टेशन करने के लिए टेन्डर मांगे गये थे उसमें अलग अलग स्थानों से अलग-अलग संख्या में आये, एक जगह से चार, दूसरी जगह से चार और तीसरी जगह से तीन आये, कुल मिलाकर ग्यारह टेण्डर आये।

श्री सांवरमल बासोतिया : जो कॉन्ट्रेक्टर पातुसरी के रहने वाले हैं उनके टेण्डर आये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा, सीताराम पातुसरिया का एक झुंझुनूं के लिए आया, पातुसरिया श्रम सेवा समिति का चिड़ावा के लिए आया, नवलगढ़ के लिए पातुसरिया श्रम-सेवा समिति का आया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री गंगा सहाय।

पुण्य फण्ड की धनराशि

८१८. श्री गंगासहाय : (कठूमर मु) क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले के कुछ मन्दिरों एवं निराश्रित विधवाओं को देवस्थान विभाग अलवर के पुण्य फण्ड से गत कुछ वर्षों से उनके वेतनों का, उनको भुगतान नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से कितने मन्दिरों और महिलाओं को उनका वेतन नहीं मिला है, और वेतन न मिलने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस फण्ड की कुछ राशि को किसी मिल्स को ब्याज पर दिया गया था ? यदि हां, तो किस मिल को और कितनी राशि इस फण्ड की ब्याज पर दी गई है ? अब उस राशि की क्या स्थिति है ?

(३) क्या सरकार ने भूतपूर्व अलवर एवं मत्स्य राज द्वारा उक्त वेतनों के लिये दिये जाने के पूर्व आदेश रद्द कर दिए हैं ? यदि नहीं किये गए हैं तो उनके वेतनों का भुगतान नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

देवस्थान मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, देवस्थान विभाग अलवर द्वारा पुण्य फण्ड से मन्दिरों एवं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विधवाओंको सहायता दी जाती थी यह सहायता की रकम २१-३-६० से देना बाकी है। मन्दिरों की संख्या १० हैं और विधवाओं व व्यक्तियों की संख्या २० है संस्थाओं की संख्या ३ है। चूंकि पुण्य फण्ड अलवर में जो रकम जमा थी वह कर्ज पर दे दी गई थी इसलिये चुकारा नहीं किया जा सका है।

(२) जी हां, स्वदेशी काटन मिल्स उदयपुर को राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग से मन्दिरों के फण्ड की जमा रकम में से ३० लाख रुपये कर्ज पर दिया गया था। उसी में इस फण्ड की रकम करीब ६७८४ थी। ब्याज के साथ करीब १४०००) की वापसी प्राप्त हो गई है।

(३) जी हां, यह वेतन नहीं है सहायता है। पुण्य फण्ड अलवर को समाप्त करने के आदेश जनवरी १९६४ में लिये गये हैं। इसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि जिस व्यक्ति अथवा मन्दिर की जितनी रकम देय है वह फण्ड में प्राप्त रकम के आधार पर हिस्सेवार बांट कर फण्ड को समाप्त कर दिया जावे। कारणों पर प्रकाश प्रश्न के आइटम नं० १ के उत्तर में डाला जा चुका है।

श्री गंगासहाय : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि अभी इन लोगों को सन् ६० से भुगतान नहीं किया गया है, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं और चुकारे की कार्यवाही जारी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

मांडलगढ़ में भूमि का एलॉटमेंट

८१९. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने मांडलगढ के कुछ लोगों को बाला बाला जमीन एलाट की है? यदि एलाट की है तो किस किस व्यक्ति को, क्यों एलाट की और कितनी कितनी एलाट की ? कृपा करके सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि बारानी भूमि को एलाट करने का अधिकार एलाटमेंट कमेटी को है और कमान्ड एरिया का एस० डी० एम० को ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सबकी अवहेलना करके राजस्व मन्त्री ने अपने अधिकार का उपयोग किन कारणों से किया ?

Page No. 28

उपमन्त्री, राजस्व (श्री मंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। आदेश संख्या १६५८/पी० ए० आर० एम०/६७ दिनांक २७-६-६७ के द्वारा श्री सुगनचन्द जैन व श्री राधाकिशन को मौजा बेरूखेड़ा में (कमांड एरिया) में प्रत्येक को १५ बीघा भूमि एलाट की गई है।

(२) जी हां। लेकिन इससे राज्य सरकार के अख्तियार आवंटन के जाते नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी यह मानते हैं कि कार्यकर्ता पुजारी है और दीन, हीन, साधनहीन, भूमिहीन भगवान हैं, भगवान को भोग लगाये बिना जमीन कैसे ली गई— इसका उत्तर दीजिये। वहां ऐसी स्थिति है कि इतने वर्षों में एलाटमेंट हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बडी कहीं हुई है तो वह मांडलगढ़ में हुई है। थोड़ी बहुत जमीन मिलने की आशा थी, लेकिन मन्त्री महोदय ने बाला बाला कर दिया, ऐसी जगह जो हजार डेढ़ हजार कार्यकर्ताओं को एलोट की जानी है, वह भूमिहीन भूमिहीन हो रह जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवंटन के सम्बन्ध में पूर्णतया जानकारी नहीं है। यह आवंटन हुआ है, यह भूमिहीनों को हुआ है, नियमानुसार हुआ है, और अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुआ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक तो उप प्रधान हैं पंचायत समिति के, वह हाथ से खेती नहीं करते हैं। वह चरागाह की जमीन को बदल कर लाये तो वहां लोगों ने महसूस किया कि हमारा उपकार कर रहे हैं। लेकिन हुआ यह कि उन्होंने वह जमीन अपने नाम पर ले ली तब जाकर गांव के लोग बहुत निराश हुए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही नहीं हैं। रूल्स के अनुसार आवंटन किया गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यदि ऐसा होगा तो भूमिहीन को भूमि कैसे मिलेगी ?

श्री दौलतराम आगरी : वह भूमि आवंटित की गई तो आवंटन करने से पहले इत्तला क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या सुनाई नहीं दिया।

श्री श्रवणलाल : (हिंडौन) एलॉटमेंट कमेटी..........

श्री मनोहरसिंह मेहता : एलॉटमेंट कमेटी को नहीं पूछा, एस. डी. ओ. को नहीं पूछा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन कोटा के कमाण्ड में है, कमाण्ड की जमीन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के लिये या तो अधिकार एस. डी. ओ. को है, और दूसरे रूल्स में गवर्नमेंट को अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करते हुए जमीन एलॉट की गई और इसके अंदर एलाटमेंट कमेटी की एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि माइनर और मीडियम इर्रीगेशन के क्षेत्र में जो एलॉटमेंट करने के नियम बने हुए हैं उनमें यह प्रावधान नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो कमेटी नहीं कर सकती, आप मेरी बात सुन लीजिये........

श्री राम प्रसाद लड्ढा : पैसा लिया जायगा। प्रति बीघा का पैसा लिया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पैसा उनसे ले लीजिये, जो भूमिहीन हैं उनसे पैसा ले लीजिये और उनको दीजिये, उनके बच्चे भुट्टों के लिये तरस रहे है और आप उनको देते है जिनकी औरतें कभी खेत पर आती नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको भी दी जाती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह उनको कैसे मिल सकती है? यह गाव के पास जो जमीन थी वह तो उनको दे दी तो उनको कैसे मिल सकती है?

श्रीदुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। एलॉटमेंट रूल्स के तहत कमेटी एलॉट कर सकती है, गवर्नमेंट को रीवीजनल पॉवर्स हैं। गवर्नमेंट रीविजनल पॉवर्स में डाइरेक्ट एलॉटमेंट करना शुरू कर देगी तो एलॉटमेंट कमेटी बेकार हो जायगी। यह गांव की भूमि का एलाटमेंट किया है, वह एलाटमेंट कमेटी के बिना क्यों हुआ है? आप रिवीजनल पॉवर्स को ऐसे काम में क्यों लेते हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनके लिए क्या हुआ? जो भूमिहीन लोग है उनका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मंत्री महोदय ने आदेश दिया............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आदेश नहीं दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह आपके अधिकार में है, कमाण्ड एरिया में आप दे सकते हैं तो दूसरे मंत्री ने कैसे दी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आदेश नहीं दिया, जो जानकारी थी वह मैंने बताई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कमाण्ड एरिया में आप दे सकते हैं तो दूसरे ने कैसे दे दी ? वह जमीन कैसे दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति थी वह सदन के सामने आ गई।

अगला प्रश्न

(१२ मध्यान्ह)

राजस्थान नहर योजना में परिवर्तन

८२० श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर):

[श्री आइदानसिंह : (भीनमाल) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार राजस्थान नहर योजना में कुछ परिवर्तन करने जा रही है ? अगर हां, तो परिवर्तन क्या-क्या होंगे ? और परिवर्तन करने से पहले सरकार ने क्या विशेषज्ञों से कोई रिपोर्ट मांगी है ? अगर नहीं, तो मूल योजनामें परिवर्तन क्यों करना पड़ रहा है ?

(२) क्या सरकार भविष्य में राजस्थान नहर परियोजना पर लिफ्टस्कीम से नागौर पानी ले जाने की व्यवस्था कर रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञों की रिपोर्ट मांगी है ? यदि हां, तो इस योजना के बारे में उनकी क्या रिपोर्ट है ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। प्रस्तावित परिवर्तन के अन्तर्गत राजस्थान नहर से उसके सिंचाई कमाण्डेड क्षेत्र में सिंचन क्षमता (इर्रीगेशन इन्टेन्सिटी) को ७८ प्रतिशत बढ़ा कर ११० प्रतिशत कर दी जावेगी। इसकी शाखाओं व वितरिकाओं को भी पक्का किया जाने का प्रावधान है, जिसका प्रावधान मूल योजना में नहीं था। लिफ्ट नहर नं १ के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जावेगा। यह निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल।

राजस्व विभाग में स्थानान्तरित घास के बीड़

८२१ श्री कल्याण मल मीणा : (जहाजपुर सु०) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें—

Page No. 31

(श्री कल्याणमल मीणा)

(१) क्या राजस्व विभाग द्वारा १०० एकड़ से कम के घास बीड़ वन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये ?

(२) यदि हां तो इस प्रकार के आदेश के बाद कितने बीड़ राजस्व विभाग में स्थानान्तरित किये गये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या जहाजपुर तहसील के १०० एकड़ से कम के वन बीड़ शक्करगढ़, खेरूना, पीपलून्द, ईकून्दा भी राजस्व विभाग को स्थानान्तरित किये गये हैं ?

(४) यदि नहीं तो क्यों जबकि इस बाबत स्थानीय पंचायत समिति एवं पंचायतों ने मांग की थी ? और अब सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां। (२) सूची संलग्न है।

(३) इन बीड़ों से दुष्काल के समय आस पास के गांवों की मवेशियों की घास की आवश्यकता पूरी करते हैं इनके काश्त पर उठ जाने से स्थानीय ग्रामीणों के घास तथा चराई की कठिनाई हो जावेगी। फिर भी यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कल्याणमल : क्या यह सही है कि इन बीड़ों से चराई का कोई फायदा नहीं होता है फिर भी सरकार इनको वन विभाग से क्यों नहीं निकाल रही है ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है। घास की आवश्यकता है, यह वन विभाग ने रिपोर्ट की है और इन बीड़ों को अगर उन्हीं गांवों के तहत मे घास के बीजों की तरह रख दिया जावे या किस तरह रखा जावे इस बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री कल्याणमल : बीड़ कानून के अन्तर्गत दूसरे इस प्रकार के बीड़ों को जब वन विभाग से निकाल कर राजस्व विभाग में दिया गया है तो जहाजपुर के इन बीड़ों को निकालने में सरकार की क्या असमर्थता है ?

राव श्री नारायणसिंह : मैंने निवेदन किया कि विचाराधीन है। अगर आवश्यकता है तो निकालने पर विचार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ। बीड़ निकाले गये हैं तो भूमिहीनों में आवंटन किया जाय।

राव श्री नारायणसिंह : भूमिहीनों की लिस्ट माननीय सदस्य के पास है क्या ?

श्री कयाणमल : जी हां, पंचायत समिति द्वारा भेजी गई है।

राव श्री नारायणसिंह : अगर भूमिहीनों को देने का है तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ८२२।

श्री देवीदत्त गाड़िया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८२३।

श्री दौलतराम सारण।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुवालाल चौधरी :

ग्राम हवसपुरा की प्राथमिक शाला में अध्यापक

८२४. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि इस ग्राम में हवसपुरा पंचायत समिति दूदू के नाम से प्राथमिक शाला चलाने की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा मिली थी ? अगर हां, तो कौनसी तारीख को ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम में अध्यापक आज तक नहीं भेजा गया है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि यहां अध्यापक नहीं भेज कर कहीं अन्य ग्राम में अध्यापक को भेजा है जहां कि शिक्षा विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है ?

(४) क्या सरकार ग्राम हवसपुरा में पंचायत का मुख्यालय भी है अध्यापक भेजने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) : दिनांक २:१०:५९ से यह प्राथमिक शाला पंचायत समिति को हस्तान्तरित हुई।

(२) दिसम्बर १९६४ तक अध्यापक रहा है। उसके बाद पाठशाला में छात्र संख्या व उपस्थिति में वृद्धि न होने के कारण अध्यापक को अन्यत्र लगा दिया गया।

(३) जी हां।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(४) शाला भवन व पर्याप्त छात्र संख्या हो जाने पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या शिक्षा विभाग ने उस स्कूल को दूसरी जगह रखने की स्वीकृति पंचायत समिति को दी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : शिक्षा विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है पर छात्र संख्या, छात्रों की उपस्थिति नगण्य थी, एवं स्कूल भवन नहीं था इसलिये अध्यापक को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया।

श्री सुवालाल चौधरी : किस जगह लगाया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नरसिंहपुरा में लगाया गया है, वहां इस वक्त छात्र संख्या ४१ है और उपस्थिति ३० है।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि इस गांव की जनसंख्या ३०० से भी कम है और ग्राम हबसपुरा की जनसंख्या ७०० है, जिस वक्त हबसपुरा से स्कूल को हटाया उस वक्त वहां १०० लड़के थे और छात्रों की उपस्थिति ६० थी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल राजनैतिक आधार पर वहां से स्कूल को हटाया गया है, इसलिये हटाया गया है कि उस गांव से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आरोप असत्य है। जब स्कूल हटाया गया था तो उस समय छात्र संख्या ५ थी और छात्रों की उपस्थिति ३ थी इसलिये हटाया।

श्री सुवालाल चौधरी : मैं इसको चुनौती देता हूं, यह सही बात है कि जिस समय स्कूल को वहां से हटाया गया था उस समय वहां १०० लड़के थे और लड़कों की उपस्थिति ६० थी। इस गांव की जनसंख्या ७०० है। यहां से स्कूल हटाने का कारण यह है कि यहां से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। इसलिये हटाया है। यह पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके मार्फत आप राज चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : ज्यों ही पार्टी का नाम लिया कि आसन से प्रश्न पूछना बन्द कर दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, उसका मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, क्या वह पर्याप्त है ? कारण होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कारण बताया न कि छात्रों की संख्या कम थी छात्रों की उपस्थिति कम थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो क्या जहां स्कूल को ले जाया गया है वहां छात्रों की संख्या अधिक हो गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि ६४ में स्कूल वहां से हटाया गया था उस वक्त वहां पर छात्रों की संख्या ५ थी और उपस्थिति ३ थी। विरोधी पक्ष के नेता महोदय इसे स्वीकार करेंगे कि जहां छात्रों की संख्या ५ हो और उपस्थिति ३ हो वहां पर अध्यापक नहीं रखा जा सकता। जहां स्थानान्तरित किया गया, जब से वह स्कूल प्रारम्भ हुआ है वहां छात्र संख्या ४१ है और उपस्थिति रेगुलर ३० छात्रों की रहती है। मैंने यह भी निवेदन किया कि यदि पचायत का इस बात का लिखा हुआ आ जाय कि छात्रों की संख्या पूर्ण है और स्कूल भवन बना दिया गया है तो वहां स्कूल खोल दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके लिये माननीय सदस्य ने चुनौती दी है। जो आश्वासन दिया है उसके लिये तो आभारी हूं पर जो प्रश्नकर्ता ने चुनौती दी है, उसको भी ध्यान में रख कर उसका सामना किया जाय।

श्री रामकिशन (बैर) : यह सरकार चुनौती का सामना नहीं करती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या करेगी यह, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है।

प्रश्न संख्या ८२५

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र रायपुर में चीनी व धान का वितरण

८२७. श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले में रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में किन-किन सहकारी समितियों को शक्कर व धान के वितरण का कोटा १९६६ व १९६७ में दिया गया व किन-किन का कोटा मसूख किया गया, व किसके द्वारा ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : सूची सलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ८२८।

स्पेशल फण्ड फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन

८२८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) स्पेशल फण्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी धनराशि कब-कब से जमा है ?

(२) इस फण्ड के उपयोग हेतु बनाई गई समिति के कौन-कौन सदस्य हैं और इसका गठन कब किया गया ?

(३) समिति की कब-कब बैठकें हुई और उसमें कौन कौन सा कार्य किया है ?

(४) इस फण्ड के सम्बन्ध में बाइलॉज व नियम कब कब बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) इस फण्ड में सहायता प्राप्त करने हेतु अब तक कितनी धनराशि के लिये भूत-पूर्व सैनिकों के कितने कितने आवेदनपत्र आये हैं ? और अब तक इन पर क्या कार्य-वाही की गई है ?

उपमंत्री, भूतपूर्व सैनिक (श्री खेत-सिंह) : (१) भारत सरकार से ३०,५६, ०० रुपया मार्च, ६७ में प्राप्त हुआ। राज्य सरकार से ४,४४,६०० रु० मार्च, ६७ में प्राप्त हुआ। कुल ३५,०४, १००) रु० प्राप्त हुआ।

(२) समिति का गठन २१-२-६७ को किया गया है जिनके निम्न सदस्य हैं :

१. राज्यपाल राजस्थान	चैयरमैन
२. जी. ओ. सी. इन. सी. राजस्थान सेक्टर सदर्न कमाण्ड, पूना	वाइस चैयरमैन
३. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव	मेम्बर
४. ले० जनरल कु० बहादुरसिंह	,,
५. कर्नल हरनाथसिंह	,,
६. श्री हेतुदान उज्ज्वल	,,
७. एक सदस्य अब बनाया जावेगा.	
८. ले० जनरल उमरावसिंह, सचिव राजस्थान सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल, जयपुर	मेम्बर सेक्रेटरी

(३) अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(४) नियमों का प्रारूप राजस्थान सैनिक नाविक एवं वैमानिक मंडल द्वारा

(श्री खेतसिंह)

५-९-६७ को तैयार कर लिया गया है।

समिति की बैठक में इस पर विचार होने के बाद सरकार द्वारा इनका परीक्षण किया जाकर नियम अथवा बाईलॉज पारित किये जायेंगे।

(५) १० प्रार्थना-पत्र। २,३२,०००) रु० की धनराशि प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में बैठक क्यों नहीं हुई ?

श्री खेतसिंह : जैसा निवेदन किया कि एक सदस्य, लेफ्टिनेन्ट जनरल कवर बहादुर सिंह लेफ्टिनेन्ट गवर्नर हिमाचल प्रदेश हो गये। इसलिये उनका स्थान रिक्त हो गया। इसकी पूर्ति के लिये सी. एन. सी. सी. से खतो-किताबत की जा रही है। अभी तक नॉमीनेट किया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : समिति गठित करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई थी, नियम बनाये गये थे, कोरम भी उसमें निर्धारित किया गया था, इस बात को भी स्वीकार किया था कि एक सदस्य न हो तो भी बैठक न हो सके-ऐसा नहीं है फिर बैठक बुलाने में क्या कठिनाई थी ?

श्री खेतसिंह : आप ठीक कहते हैं, कोरम होने पर मीटिंग बुलाई जा सकती थी। अब बहुत जल्दी ही बुला ली जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि अभीतक बैठक बुलाई क्यों नहीं ? एक्स-सोल्जर्स के लिये इधर तो आप यह करते हैं, उधर ३४ लाख जमा हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने रुपया दे दिया और एक साल से कमेटी की आप मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। कोई लॉज और रूल्स इसके नहीं बना पाये अभी तक। इससे ज्यादा क्या स्थिति खराब होगी, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री खेतसिंह : यह तो निवेदन कर दिया है कि प्रारूप तैयार है। समिति की बैठक का सवाल है केवल सी. एन. सी. के प्रतिनिधि न हों तो यह अच्छा नहीं रहेगा। यह भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है। हम भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी तरफ से मेम्बर नॉमीनेट कर दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि जब तक उनके प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक कानूनन कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकेगी ?

श्री खेतसिंह : यह जल्दी से बुलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपके सामने दिक्कत क्या आ रही है? आप स्वीकार करिये कि आपकी गलती हो गई। मीटिंग नहीं बुलाई। लेफ्टिनेन्ट जनरल कंवर बहादुर सिंहजी का तो एक बहाना है केवल मात्र। बिना उनकी उपस्थिति के भी मीटिंग हो सकती थी। काफी खेद की बात है। ५-९-६७ को प्रारूप बन गया। बाद में तो मीटिंग बुला सकते थे। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? राज्यपाल महोदय को चेयरमैन बनाकर सोकर बस्ते खामोशी में डालकर रहना चाहती है? फौजी कागज लिये, दरख्वास्तें लिये घूमते रहते हैं। सभी को जवाब यह मिलता है नियम नहीं बने हैं। कब तक आपके ये नियम बन जावेंगे?

श्री खेतसिंह : जल्दी से जल्दी, मैंने कहा।

श्री भैरोंसिंह : इस जल्दी की परिभाषा आप अपने हिसाब से बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : तीन महीने के अन्दर मेम्बर भी मुकर्रर कर दिया जावेगा, मीटिंग भी बुला ली जावेगी और एप्लीकेशन जो पेण्डिग में पड़ी हैं उन पर विचार कर लिया जावेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या इस में नॉन ऑफिशियल नहीं होगा, ऑफिशियल ही होगा?

श्री खेतसिंह : इसमें नॉन ऑफिशियल है न। हेतुदानजी रिटायर्ड हैं। एक सदस्य की जगह खाली है। इसके लिए आप भी प्रयास करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरे पास जवाब है कि ऑफिशियल होंगे। नॉन ऑफिशियल नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बेडा (जिला पाली) के जंगल के कूप की नाजायज कटाई।

८२९. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बेडा (जिला पाली) के जंगल के कूप की नाजायज कटाई हुई है और उसकी जांच होकर सम्बन्धित ठेकेदार को एक लाख ८० हजार रुपये बतौर मुआवजे के सरकार में भरने हेतु सरकार द्वारा नोटिस दिया गया है?

(२) क्या इस मामले का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सादड़ी स्थित रेन्जर से सम्बन्ध है? यदि नहीं है, तो ठेकेदार ने

(श्री फूलचन्द बाफना)

इतनी ज्यादा नाजायज कटाई की तब तक रेन्जर को पता कैसे नहीं लग पाया ?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : (१) जी हां।

(२) मुआमले की नियमित जांच हो जाने पर ही सही स्थिति मालूम होगी। प्रारम्भिक जांच से रेन्जर स्टाफ की लापरवाही तथा कर्त्तव्य विमुखता पाई गई है।

श्री फूलचन्द बाफना : कब तक यह जांच समाप्त होगी और इसका नतीजा कब तक आने की आशा है ? कोई समय की मर्यादा की जा सकती है ?

श्री नारायणसिंह : जिनकी लापरवाही पाई गई, उनको सस्पेण्ड किया हुआ है और उनको चार्ज शीट भी दी जा रही है। ठेकेदार से भी जवाब मांगा गया है उसको नोटिस दिया गया है। उसने नोटिस का जवाब दिया है और एतराज किया है। इसके लिए स्पेशल अफसर मुकर्रर करके जांच करा कर जो निर्णय होगा दे देंगे।

प्रश्न संख्या ८३०

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

मकान किराया भत्ता

८३१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अधिकतम देय मकान किराया भत्ता ७५) मासिक है जो कि नियमानुसार एक हजार रुपये मासिक वेतन पाने वालों को अधिकतम मिल सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि ५३३ मासिक तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता रेशनेलाइनेशन बेसिस पर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देना स्वीकार किया गया है ?

(३) यदि हां, तो ५३३) से एक हजार मासिक तक वेतन पाने वाले कार्मचारियों को भी रेशनल बेसिस पर मकान किराया भत्ता देने में क्या आपत्ति है ?

(४) क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में निर्णय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) जिन कर्मचारियों के निजी मकान हैं, क्या सरकार उन्हें भी मकान किराया

(श्री श्रवणलाल)

भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) रेशनेलाइज्ड बेसिस पर किराया भत्ता केवल अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को ही दिया गया है अत: ५३३) से अधिक वेतन पाने वालों को उसी आधार पर किराया भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं, आवश्यकता नहीं समझते हैं।

(५) जी नहीं। वर्तमान वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिन कर्मचारियों के निजी मकान हैं उन्हें किराया भत्ता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

चन्देरिया स्टेशन, पटवार हल्का पुठोली, तहसील गंगरार में भूमि का बेचान

८३२. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि चन्देरिया स्टेशन, पटवार हल्का पुठोली, तहसील गंगरार में आराजी नम्बर १४७२ बीघा ३२ बिस्वा १० मुनि श्री जिनविजजी महाराज के नाम दर्ज है ?

(२) क्या यह भूमि आबादी हल्के में कनवर्ट की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इस भूमि पर जो मकान बनाये जा रहे हैं वे किसकी इजाजत से बन रहे हैं ? क्या मुनि श्री को इस भूमि को प्राइवेट मकान वालों को बेचने का अधिकार है ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। स्टेशन चन्देरिया पटवार हल्का पुठोली, तहसील गंगरार की आराजी नम्बर १४७२१ रकबा ३२।। बीघा भूमि मुनि श्री जिनविजयजी के नाम पर दर्ज थी।

(२) इसमें से १५।। बीघा भूमि सरकार के आदेश से आबादी में बदली गई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या ८३३।

पाठशाला भवन रटलाई के लिए एकत्रित धनराशि

८३३. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(१) क्या यह सही है कि रटलाई ग्राम (जिला झालावाड़) से पाठशाला भवन के लिए दस हजार रु० का जन सहयोग सन् ६७ में प्राप्त हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि यह रकम रटलाई ग्राम से एकत्रित की जाकर पंचायत समिति को स्कूल भवन निर्माण के लिए दी गई है ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित।

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न संख्या ८३४.

श्री उपाध्यक्ष : आपको ऑथोरिटी पत्र प्राप्त नहीं है।

श्री हीराभाई : अब वहां से हटाया जा रहा है। इसका उत्तर होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है। जो उपस्थित हैं पहले उनके लिए जावें। फिर इनको लेलेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : इसका उत्तर दे दिया जावे, इस पर पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

माही कमाण्ड एरिया की भूमि

८३४ श्री विट्ठल भाई : (पीपल खूंटे सु०) [श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में माही कमाण्ड एरिया में किसानों को जमीन की मन्जूरी नहीं दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि जिस क्षेत्र को माही कमाण्ड क्षेत्र माना गया है उसमें भूमिहीन किसान भी है ?

(३) क्या सरकार उक्त भूमिहीन किसानों को किसी भी शर्त पर जमीन देने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपनिवेशन मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : जी हाँ से तो समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री रामकिशन : हम तो बन्ध गये। कुछ कह नहीं सकते।

प्रश्न संख्या ८३५

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जिला नागौर के भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे के बाण्ड

८३६. श्री हरजीराम बुरड़क (लांडनू) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला नागौर में जिन भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे के बाण्ड उनको नहीं दिये गये थे और कलेक्टर आफिस में पड़े थे उनका वितरण करने के लिये तहसीलों में दिया गया है? यदि हां, तो कब तक कितने-कितने रुपयों के बाण्ड किन-किन तहसीलों में कितने-कितने भूतपूर्व जागीरदारों को देने के लिये भेजा गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि केवल बॉण्ड ही तहसीलों में भेजे गये हैं और उनके सम्बन्ध के रेकार्ड नहीं भेजे गये जिससे तहसीलदार उक्त बाण्डों को वितरण नहीं कर सकते? यदि हां, तो फिर बाण्ड भेजने से क्या मतलब है?

(३) क्या यह भी सही है कि बाण्डों का वितरण जब होता है तब कलेक्टर आफिस से रेकार्ड लेकर कोई बाबू आता है और तहसीलदार हेड क्वार्टर पर होता है, और दोनों में से एक भी नहीं हो तो बाण्डों का वितरण नहीं होता और इससे भूतपूर्व जागीरदार, जिनको बाण्ड लेना है, बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं? यदि हां, तो यह अव्यवस्था क्यों है?

(४) उक्त बाण्ड कब से बनकर तैयार हो गये थे और अब तक उक्त व्यक्तियों को क्यों नहीं दिये गये?

(५) अब जल्दी से जल्दी उक्त बाण्ड सम्बन्धित व्यक्तियों को मिल सकें इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। भूतपूर्व जागीरदारों की सुविधा के लिये छोटे बाण्ड्स वितरण हेतु तहसीलों (सब ट्रेजरी) में भेज दिये गये हैं। जिला नागौर की तहसीलों में जो बाण्ड्स वितरण हेतु भेजे गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) बाण्ड्स के साथ तहसीलों में सम्बन्धित रेकार्ड भेजना सम्भव नहीं था क्योंकि रजिस्टर जो जागीर पुनर्ग्रहण के समय तैयार किये गये थे वे पृथक पृथक तहसीलवाइज नहीं हैं।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(३) प्रत्येक उपखण्ड में जागीर का कार्य करने के लिये जिले में एक वरिष्ठ लिपिक नियुक्त है जो दावों के अस्थायी निश्चयन व स्थायी निश्चयन जारी करने तथा बाण्ड्स वितरण एव अन्य कार्य करने के लिये उत्तरदायी है तथा हर माह की निश्चित तारीखों एवं अवधि में पृथक पृथक तहसीलों में जाकर बाण्ड्स वितरण करने का कार्य करता है। निश्चित तिथियों की सूचना जागीरदारों को भी दे दी जाती है ताकि वे उन दिनों में आकर बाण्डस ले जावें।

बाण्ड्स वितरण व्यवस्था के बारे में जिला कार्यालय नागौर में किसी भी भूतपूर्व जागीरदार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(४) जैसे जैसे दावे फाइनल होते जाते हैं बाण्ड्स रिजर्व बैंक से मगवाये जाते हैं और ज्यों ही कोषागार में प्राप्त होते है, तहसीलों में भेज दिये जाते हैं इस प्रकार बाण्ड्स मगवाने और वितरण करने का क्रम बराबर चलता रहता है। अधिकांश बाण्ड्स उन जागीरदारों के पड़े हुये हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई अथवा वे सकूनत छोड़कर राजस्थान से बाहर चले गये हैं।

(५) राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह सुदृढ़ है और किसी प्रकार की अलग व्यवस्था करने को आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : खन्ड (२) के उत्तर में यह नहीं बताया कि तहसील में बाण्ड भेजने का क्या कारण था ?

श्री गंगाराम चौधरी : छोटे जागीरदारों की सहूलियत के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : पर तहसील में रिकार्ड भेजा नहीं कि किसके कितने बाण्ड हैं, कहां देना है, फिर भेजने से क्या मतलब निकला ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि वरिष्ठ लिपिक व्यक्ति है वह निश्चित तिथियों पर तहसील में जाता हैं और वहां अपना रेकार्ड लेकर जाता है। उसी के आधार पर बाण्ड्स पे कर दिये जाते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : न तो वह निश्चित तिथियों पर जाता है न रेकार्ड लाता है। जब आप आदमी भेज सकते हैं तो क्या एक लिस्ट बाण्ड के साथ तहसीलदार को नहीं भेज सकते ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी व्यवस्था करना मुमकिन नहीं है, न आवश्यक है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): लिस्ट भेजना कैसे मुमकिन नहीं है ? लिस्ट तहसीलदार को देने में क्या आपत्ति है आपको ?

श्री हरजीराम बुरड़क : वह सूची नहीं मिलने से पते ठिकाने की अड़चन होती है ।

श्री गंगाराम चौधरी : सूची की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

अकलेरा पंचायत द्वारा यात्री टैक्स

८३७. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पिछले कुछ वर्ष पूर्व अकलेरा पंचायत द्वारा यात्री टैक्स के नाम से यात्रियों से ५ पैसा प्रति रुपया कोई राशि इकट्ठी की गई थी ?

(२) उक्त राशि कितनी थी तथा वह पंचायत की किस रोकड़ में जमा हुई है और उसे कैसे खर्च किया गया है ? उक्त टैक्स के आय-व्यय का हिसाब सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी नहीं, केवल तीन पैसे प्रति यात्री वसूल किए गए ।

(२) कुल २६३३ रु. ६२ पैसे की आय हुई जो पंचायत की चालू रोकड़ में जमा रही । यह रकम यात्री विश्राम गृह बनाने व बस स्टैंड के मैदान की दुरुस्ती कराने में खर्च की गई । आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि कोई भी ग्राम पंचायत इस प्रकार का यात्री कर वसूल नहीं कर सकती ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं, यह सही नहीं है । ग्राम पंचायत वसूल कर सकती है ।

श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि कर को वसूल करने से पूर्व ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पास करना होता है और इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया उसके बाद कर वसूल किया और १९६२ में दुबारा एक प्रस्ताव पास किया गया उसके बाद टैक्स वसूल करना बंद किया गया ।

श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस प्रकार का कर वसूल करने से पूर्व राज्य सरकार की इजाजत लेनी चाहिए थी, वह नहीं ली गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत अधिनियम की धारा ६४(ए) (बी) के तहत उनको अधिकार हैं और उसके तहत ही कार्यवाही की गई और सही टेक्स वसूल किया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : ग्राम पंचायत इस प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती वह विकास के लिए टैक्स लगा सकती है। जो टैक्स राज्य सरकार ग्रालरेडी किसी पर लगाती है जैसे मोटरों पर, तो वही कर पंचायत नहीं लगा सकती, विकास के नाम पर भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : आजकल का यात्री कर और पुराने जमाने के जजिया कर में क्या अंतर है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत अधिनियम की धारा ६४ (ए) (बी) के तहत पंचायतों को अधिकार दिए गए है, वे यात्री कर लगा सकती हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कानूनी प्रश्न है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस रकम को रोकड़ में जमा नहीं किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत के रोकड़ के अंदर जमा की गई है, विकास के काम में खर्च की गई है, हिसाब सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल रोत।

डूंगरपुर के भूमिहीन किसानों द्वारा काश्त के लिए भूमि की मांग

८३८. श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में काश्त काबिल भूमि जंगलात मे है और ऐसी भूमि निकालने के लिए सरकार ने भी निर्णय लिया था ?

(२) वन विभाग से डूंगरपुर के भूमिहीन किसानों ने काश्त के लिए कितनी भूमि की मांग की है ?

(३) जंगलात की काश्त काबिल भूमि रेवेन्यू विभाग में ट्रान्सफर कराने के कितने मामले वहां विचाराधीन हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह): (१) जी हां, किन्तु ऐसी भूमि निकालने के लिए सरकार ने निर्णय नहीं लिया हैं।

(श्री नारायण सिंह)

(२) इसकी सूचना इस विभाग में नहीं है क्योंकि भूमि के लिए मांग पत्र विकास अधिकारी या तहसीलदार के पास जाते हैं।

(३) वन विभाग की जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के वनों के १९ स्थानों पर कुल ४०७) बीघा भूमि के रेवेन्यू में परिवर्तन करने के मामले अभी विचाराधीन हैं।

श्री रतनलाल रोत : जिला स्तर पर कमेटी का बैठक होती है जिसमें ये मामले तय होते है तो ऐसी बैठक क्यों नहीं हो रही है ?

श्री नारायणसिंह : जिला स्तर पर कमेटी की बैठक न होने की शिकायत कई जगह है और इस विषय में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। कलेक्टर्स को भी इस विषय में राय दे दी गई है कि ये बैठकें जल्दी बुलायें और राज्य सरकार चाहती है कि इस प्रकार के सब मामलात ताकि कितनी भूमि वितरित करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या नियम बनाए जाय अथवा नहीं बनाए जाय - इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और चिंताशील है और इसके लिए आदेश प्रसारित किए गए है और और भी प्रसारित किए जा रहे है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : रेवेन्यू में कितनी काबिल काश्त भूमि है वन विभाग की ?

श्री नारायणसिंह : यह तो अलग प्रश्न है।

श्री नाथूराम : आपने बताया कि ४०० बीघा से अधिक भूमि के रेवेन्यू में परिवर्तन करने के मामले अभी विचाराधीन हैं। तो किसकी गलती से जिला हेडक्वार्टर पर बैठक नहीं बुलाई गई ?

श्री नारायणसिंह : गलती यह है कि कलेक्टर उसका कन्वीनर है और कभी तो शिकायत आती है कि कन्जरवेटर नहीं पहुंचा, कभी शिकायत आती है कि कलेक्टर साहब को फुर्सत नहीं मिली। मैं इस विषय में पूर्णत: प्रयत्नशील हूं कि कमेटी जल्दी बुलाई जाय, कलेक्टर्स और कन्जरवेटर्स को हिदायत कर दी गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कमेटी क कितने सदस्य हैं और कौन कौन होते हैं और कब तक इन मामलात को निपटाने की कोशिश करेंगे ?

श्री नारायणसिंह : यह कमेटी पंचायत समिति लेवल पर भी है जिसका कन्वीनर विकास अधिकारी होता है और जिला स्तर पर कलेक्टर होता है।

(श्री नारायणसिंह)

वहां प्रधान भी होता है, तहसीलदार भी होता है ।

प्रश्न संख्या ८३९

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचंद डागा ।

स्थगित प्रश्न

१-३-६८ व ११-३-६८

पाली जिले के स्टाम्प वेन्डर्स

३९४. श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में जो स्टाम्प वेन्डर्स हैं उनको स्टाम्प किन शर्तों पर बेचने दिया जाता है और उनको जयपुर, बीकानेर व उदयपुर में राज्य सरकार जिस आधार पर रख रही है, उनको भी क्यों नहीं रखा जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उदयपुर में स्टाम्प वेन्डरों को तनख्वाह दी जाती है ? यदि दी जाती है, तो कितनी और किस आधार पर ?

(३) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिवीजन के स्टाम्प वेन्डरों को तनख्वाह नहीं देने से वे आजकल महगाई के समय में जीवन-निर्वाह करने में असमर्थ हैं ? यदि हां तो सरकार उनके साथ इस प्रकार का भिन्न व्यवहार क्यों करती है ?

उपमंत्री, कर (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) राजस्थान स्टाम्प नियम १९५५ के परिच्छेद पांच में वर्णित शर्तों के अनुसार पाली जिले में लाइसेन्स शुदा टिकट विक्रेताओं की नियुक्ति की गई है, तथा जयपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी इन्हीं शर्तों पर टिकट विक्रेताओं की नियुक्ति की गई है ।

(२) जी नहीं।

(३) जोधपुर डिविजन में तनख्वाह के आधार पर किसी भी टिकट-विक्रेता की नियुक्ति नहीं की गई है अतः भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मूलचंद डागा : क्या किन्हीं स्टाम्प वेन्डर्स को सरकार तनख्वाह नहीं देती ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : देती है । कुछ भूत-पूर्व देशी रियासतों में से, जयपुर में १० और बीकानेर में ३ चले आ रहे थे जिनको तनख्वाह मिलती थी । १९५५ के बाद कोई नया स्टाम्प वेन्डर वेतन के आधार पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नियुक्त नहीं किया गया। अब १० और ३ में से जयपुर में ३ और बीकानेर के अंदर १ आदमी तनख्वाह के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

श्री मूलचंद डागा : कुछ स्टाम्प वेन्डर्स को आप तनख्वाह देते हैं और कुछ को नहीं देते है। या तो सबको दी जाय या किसी को भी नहीं दी जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि भूतपूर्व रियासतों के समय से वे चले आ रहे थे उनको निकालना मुनासिब नहीं था। १९५५ के बाद किसी की नई नियुक्ति वेतन के आधार पर नहीं की गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपचंद छगाणी।

स्थगित प्रश्न

(५-३-६८ व १२-३-६८)

पंचायत समिति फलौदी की जीप गाड़ी की दुर्घटना।

४४०. श्री दीपचंद छगाणी (फलोदी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति फलौदी की जीप गाड़ी नं० आर. एस. एल. ४९९८ का एक्सीडेंट दिनांक १९-५-६७ को जोधपुर-फलोदी सड़क पर ३० मील के करीब एक ट्रक से हुआ था? यदि हां, तो उस वक्त जीप कौन चला रहा था व ड्राइवर कहां था और उसमें कौन कौन बैठे थे? तथा यह गाड़ी जोधपुर किस कार्य हेतु भेजी गई थी?

(२) क्या इसकी इत्तिला पुलिस व इन्श्योरेन्स कम्पनी को दी गई थी?

(३) क्या यह सच है कि इस जीप की मरम्मत के पैसे भी पंचायत समिति से ही दिए गए?

(४) क्या इस एक्सीडेंट की कोई विभागीय या पुलिस द्वारा जांच हुई थी?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) दिनांक १९-५-६७ को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अलबत्ता इस तारीख से एक महीना पहले जोधपुर से फलौदी आते हुए जीप स्लिप होकर सड़क से नीचे उतर गई। इससे जीप के मडगार्ड को सड़क के किनारे के एक खेजड़े के दरख्त की रगड़ लग गई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री दीपचन्द छंगाणी : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया वह सरासर गलत है। गाड़ी की दुर्घटना पेड़ से न होकर ट्रक से हुई और पुलिस में केस न देने के लिए विकास अधिकारी ने ४००) रु० रिश्वत दी और मेरे पास सबूत है। मैं चाहता हूं कि इसकी विभागीय जांच कराई जाय। मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि ऐसे विकास अधिकारी, जो लापरवाही करे, के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रश्न को दो बार स्थगित इसी आधार पर कराया गया कि इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद सदन में उत्तर दे सकेंगे। कलेक्टर जोधपुर द्वारा इसकी जांच की गई, उसके आधार पर यह परिणाम आया, उसके आधार पर मेरा जवाब है। माननीय सदस्य यदि यह कहते हैं कि दरअसल दुर्घटना ट्रक से हुई, विकास अधिकारी ने रिश्वत दी, जैसे आपने कहा है, मैं मानता हूं कि यह गम्भीर आरोप है, आपने जो तथ्य कह दिया है उस पर जांच कराई जायगी और यदि आरोप सिद्ध हुआ तो विभागीय एक्शन लिया जायगा।

श्री श्री दीपचन्द छंगाणी : विभागीय जांच कब शुरू करेंगे और किस अधिकारी से करवायेंगे, कह दें तो उचित होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच तो जांच प्रणाली के अनुसार कराई जायगी। कब शुरू कराई जायगी, आपने आज सूचना दी है, जल्दी करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्न

(११-३-६८)

देसूरी के तहसीलदार की मृत्यु के पश्चात् उसकी पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

५२६. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देसूरी के तहसीलदार (जिला पाली) श्री सुखराज मेहता का देहावसान ता. २६ दिसम्बर १९६३ ई० को हुआ था परन्तु उनकी पारिवारिक पेन्शन का भुगतान अभी तक भी उनकी विधवा पत्नी श्रीमती चांद कुवरी को नहीं किया गया है ?

(२) उपयुक्त पेन्शन हेतु जिलाधीश पाली और रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अजमेर को कब-कब और कुल कितने-कितने आवेदन पत्र श्रीमती चांदकुवरी (विधवा श्री सुखराज मेहता) से प्राप्त हुए ? उन आवेदन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

Page No. 49

(श्री फूलचन्द बाफना)

(३) क्या इस सम्बन्ध में जन-अभियोग निवारण विभाग को भी कोई आवेदन मिला था ? यदि हां, तो इस विभाग से इस जन-अभियोग का क्या निवारण किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री सुखराज मेहता (तहसीलदार) देसूरी का सेवा अभिलेख (सर्विस रेकार्ड) ही गायब है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या स्व. श्री मेहता की विधवा पत्नी उत्तरदायी है ? यदि स्व० मेहता की विधवा पत्नी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है, तो उन्हें यह पेन्शन अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

(५) सेवा अभियोग गायब होने के लिये क्या कोई भी दोषी नहीं है ? यदि हैं तो कौन दोषी है और इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(६) कब तक यह पेन्शन दे दी जायेगी ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जन-अभियोग निराकरण विभाग समाप्त हो चुका है, अत: इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(४) श्री मेहता की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु अब महालेखाकार ने सूचित किया है कि श्री सुखराज ने पेन्शन के लिये कोई विकल्प नहीं किया था अत: वे पेन्शन पाने के अधिकारी नहीं है। वे सी०पी०एफ० के सदस्य थे अत: अब उनके सी०पी०एफ० को राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही हैं।

(५) उत्तर ऊपर के अनुच्छेद में दिया जा चुका है कार्यवाही करने करने का प्रश्न नहीं उठता।

(६) पेन्शन तो नियमानुसार देय नहीं है किन्तु सी० पी० एफ० की राशि का भुगतान यथा सम्भव शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) : सर्विस रेकार्ड नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी - राजस्व मंडल से रेकार्ड भेजा जाना जाहिर होता है लेकिन जिलाधीश पाली के यहां पहुंचना ज़ाहिर नहीं होता है।

Page No. 50

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अगर किसी का रेकार्ड गायब हो जाय तो वह व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है, स्टेट जिम्मेदार है ऐसी हालत मे पेन्शन उसको अन्तिम तौर पर दे देनी चाहिये, आखिर वह रेकार्ड के अभाव में कितने अर्से तक सफर करता रहे इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये ?

श्री गंगाराम चौधरी : महालेखाकार से यह रिपोर्ट आ गई है कि इनका रेकार्ड अवलेबल नहीं है। इन्होंने सी० पी० एफ० अाप्ट किया था जिसका निपटारा अब कर दिया जायगा।

श्री फुलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक मामले हैं जो कि जोधपुर डिवीजन के हैं क्योंकि वहां पर पेन्शन नहीं थी परन्तु सी० पी० एफ० था। इस तरह के हजारों केस होंगे जिनके लाखों रुपया सरकार में जमा है। समय पर उनका चुकारा नहीं होने के कारण इन्टरनल आडिट पार्टी जाती है, तब ऐसे अमाउन्ट को लेप्स डिपोजिट कर देती है। कई आदमी मर गये और कई रिटायर हो गये। इस केस म भी ये सज्जन ६३में मर गये थे। आज ६८है इनकी विधवा पत्नी को स्वर्गीय का 'पैसा' तक नही मिला। नियमानुसार आप जो हर महीने उसकी पे में से रुपया काटते थे और उतना ही सरकार अपनी तरफ से मिलाकर उस पर व्याज देती थी और ए वर्ष के बाद आधे महीने की तनखा उसमें मिला देती थी इस तरह से काफी पैसा इकट्ठा इनका हुआ है। लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी को वह नहीं मिलता है तो उसके लिये क्या काम का। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे जो मामले हैं उसके लिए स्पेशल आदमी मुकर्रर करके उनका भुगतान किया जाना चाहिये। जोधपुर के कर्मचारियों के लिये पेन्शन नहीं थी। सी० पी० एफ० था इसलिये वहां के ऐसे सब मामले हैं उनके लिये स्पेशल आफिसर नियुक्त करके निपटाया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पेन्शन के लिये अतिरिक्त काम करने वालों को रेमुनरेशन दिया जाता है इसलिये पेन्शन के मामले तो जल्दी निपटा दिये जाते हैं। और इन सी० पी० एफ० के मामलों में क्लर्क के लिये अट्रेक्शन नहीं है इसलिये इन मामलो को निपटाने वाले के लिये एट्रेक्शन पैदा करना चाहिए और जिस तरह पेन्शन केसेज निपटाने वाले को रेमुनरेशन दिया जाता है उस तरह से इसके लिये भी किया जाना चाहिये। इस तरह से मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुछ सफाई होनी चाहिये कि कब तक इनको भुगतान कर दिया जायगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : आज तो राज्य सरकार की नौकरी के बजाय बनिये की नौकरी अच्छी है। उससे समय पर पैसा तो मिल जाता है। आपको पेन्शन और पी० एफ० के केसेज के मामले में कुछ न कुछ आश्वासन तो देना चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अनेक मामले ऐसे विचाराधीन हों यह बात नहीं है। श्री मुखरोज के सम्बन्ध में रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ इसलिये देरी हुई है। इसके बिना यह पता नहीं लग सकता था कि उनके पेन्शन है या सी० पी० एफ०। इसके लिये प्रयत्न काफी किये गये जैसा कि मैंने निवेदन किया वे सी० पी० एफ० आप्टी थे अत: अब उनका पेमेंन्ट जल्दी से निपटारा कर दिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आम तौर पर ये शिकायतें न आवे इसलिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी का विभाग हैं इस बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध से स्पष्टीकरण करें। यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है सर्विस रेकार्ड गुम हो जाने की हालत में उस कर्मचारी को बहुत दिन तक परेशान होना पड़ता है उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह रेकार्ड बताये। इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये अगर रेकार्ड गुम हैं तो उसको इन्टेरिम रिलीफ देदें केस चलता रहे। आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : ऐसे आदेश दिये हुए हैं कि इस प्रकार के केसेज को जल्दी से जल्दी डिसपोज आफ किया जाय। रिटायरमेन्ट के पहले यह रेकार्ड तैयार हो जाय उसके लिये हिदायतें जारी कर दी गई हैं। मेरी जानकारी में यह भी है कि इस प्रकार के बहुत से केसेज इकट्ठे हो गये थे उनको काफी को डिसपोज आफ कर दिया गया है अब केवल इने गिने हो सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी ब्रिटिश राज्य या स्टेट्स थी उनमें भी फौरन पेन्शन मिलती थी अब ऐसी क्या बात हो गई जिससे लोगों को पेन्शन तक नहीं मिलती यह बड़े खेद की बात है। आपके द्वारा मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसके लिए कम से कम कोई अवधि तो निश्चित होनी चाहिये। रेकार्ड गुम हो जाय तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडीमेड मशीनरी होनी चाहिये। यह व्यवस्था बहुत बुरी है मुख्य मन्त्री महोदय से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में जल्दी से जल्दी इस प्रकार के जो केसेज हैं उनको डिसपोज आफ करने की व्यवस्था करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे कोई आदमी रिटायर होता है उसको अपना चार्ज हैंड ओवर करना पड़ता है तो उसके साथ-साथ उसको अपना पूरा सर्विस रेकार्ड भी कम्पलीट कर लेना चाहिये। जिस प्रकार कोई ट्रांसफर पर जाता है तो उसको एल० पी० सी० पर वेतन मिलता है उसी प्रकार कोई व्यक्ति तब तक रिटायर न माना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाय जब तक कि वह अपना रेकार्ड फाइनल न करा लें। इसी तरह से ये जल्दी एक्सपीडाइट हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा रूल तो नहीं बना सकते क्योंकि रिटायरमेंट से संबन्धित कुछ फार्म्स रिटायर होने वाले व्यक्ति को भी भरने पड़ते हैं वह उसमें देरी कर सकता है तो उसके रिटायरमेंट का सवाल नहीं होगा। यह हम मानते हैं पेन्शन के केसेज जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट होने चाहिये। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये जहां तक मुझे याद है एक लिमिट तक रेकार्ड अवेलेबल नहीं है तो एफिडेविट पर उसकी पेन्शन डिसाइड करने के बारे में ए० जी० से बातचीत करके डिसीजन लिया है। फिर भी यदि कोई केस रह जाता है तो उसके बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : महीने के महीने पैसे कटते हैं उससे आसानी से मालूम हो जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनरली यह मान कर चला जाता है पेन्शन केसेज फाइनेलाइज हो जायं, जिस जगह नहीं हुये हैं ऐसे केसेज जब सामने आयें तभी गवर्नमेंट विचार कर सकती है। यह प्रिज्यूम करके चला जाता है कि रिटायरमेंट के साथ ही उनके पेन्शन के केसेज तैयार हो जाय।

श्री श्रवण लाल : दो महीने चार महीने छः महीने अवधि तो निर्धारित कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये। इसका निर्णय सदन में नहीं हो सकता।

श्री श्रवणलाल : पेन्शन के केसेज निपटाने के लिए छः महीने तक की अवधि निर्धारित कर दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ऐसी कोई मशा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के केसेज डेलीबरेटली डिले किये जांय। अगर कोई स्पेसिफिक केसेज होते है तो उसके काज में, कारण मे जाना होगा। ऐसे स्पष्ट, आदेश हैं कि रिटायरमेंट के साथ-साथ पेंशन केस तय होने चाहिये। मुझे खुशी है कि अगर किसी माननीय सदस्य को पता लगे तो वे हमें लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पेंशन न मिलने से कितनी हार्डशिप होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जुझारसिंह : जोधपुर के केसेज हैं—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों के लिए व्यवस्था है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेटेस्ट पोजीशन है वह यह है कि सर्विस बुक है उसकी एक कापी खुद जो सर्विस के अन्दर हैं, वह अपने पास रखें। इस बात के आदेश जारी हो चुके हैं। इससे सर्विस बुक खोने वाला प्रश्न नहीं रहेगा। एन्टीसिपेटरी पेंशन देने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत हनुमानपुरा के चीनी डीलर के विरुद्ध शिकायत

८११. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, हनुमानपुरा जिला झुंझुनू के चीनी के रिटेल डीलर के खिलाफ शिकायत की जांच जिलाधीश महोदय ने तहसीलदार झुंझुनू से करवा कर उसे हटा दिया था? तथा उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को डीलर नियुक्त कर दिया था?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आदेशों के बाद जिलाधीश के छुट्टी चले जाने के बाद उप खाद्य मंत्री झुंझुनू गये तथा एक कागज पर जिलाधीश महोदय के आदेशों को स्थगित करने के लिखित आदेश दिए?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां।

सूकड़ी नदी में बाढ़ से क्षति

८१३. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव गुढ़ा एंदला में कितने मकानात सूकड़ी नदी, जो उसके पास बहती है, बहा कर ले गई? जिन-जिन लोगों के मकान बहा कर ले गई, उनकी सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या राज्य सरकार ने इन लोगों को आर्थिक सहायता दी? यदि हां, तो किन किन को और कितनी कितनी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या राज्य सरकार गुढ़ा एंदला की नदी पर तटबन्धन करने का विचार रखती है?

(४) क्या यह सत्य है कि नदी से सारा का सारा गांव समय आने पर बह सकता है और इसके लिए पाली कलेक्टर व अन्य राज्य कर्मचारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है?

(श्री मूलचन्द डागा)

उत्तर

(१) गांव गुढ़ा एंदला के ९ मकानों को सूकड़ी नदी बहा कर ले गई। उनकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) गुढ़ा एंदला के सूकड़ी नदी पर तटबंधन की योजना सिंचाई भू-मापन एवं सर्वेक्षण विभाग के परीक्षाधीन है।

(४) यदि वर्षा अत्याधिक हो तो ऐसी सम्भावना हो सकती है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

ग्राम पंचायत टीटनवाड़ के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायत

८२२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की ग्राम पंचायत टीटनवाड़ के सरपंच को गत तीन साल से भूतपूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत का चार्ज नहीं सम्भलवाया है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतें सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार की और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) एस. डी. एम. नवलगढ़ के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(३) अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने सम्बन्धित शिकायत थी। जिसकी जांच उप जिला विकास अधिकारी झुंझुनूं द्वारा की जा रही है।

शिमला की खानों से अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत सरदारशहर-नोहर सड़क पर डलवाया गया पत्थर

८२३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सरदार शहर से नोहर सड़क पर शिमला की खानों से गत वर्ष अकाल सहायता कार्य में कितना पत्थर निकाला गया ? उस पर कितना खर्चा हुआ ?

(श्री देवीदत्त पाडिया)

(२) शिमला की खान से कितनी पेटी पत्थर सड़क के पास डलवाया गया ? और किस किस ठेकेदार से ठेके पर यह डलवाया और इस पत्थर को रोड साइड पर डालने में ठेकेदार को कितना रुपया चुकाया गया ?

(३) क्या इस संबंध में यह शिकायत विभाग को मिली थी कि जितना पत्थर डलवाया गया बतलाया है वह सही नहीं है और उसने बहुत कम पत्थर डला है ? क्या ए. ई. एन. सरदारशहर ने इस की जांच की थी ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ? उनकी जांच रिपार्ट सदन की मेज पर रखी जाय ।

(४) अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६६-६७ में अकाल सहायता कार्यों में शिमला की खान से २,५७,७५० घनफुट पत्थर निकाला गया था । इस पर कुल रु० ४५,१०६ व्यय हुआ ।

(२) उपरोक्त सभी पत्थर सरदार-शहर, नोहर सड़क पर डलवाया गया । इस पत्थर के डालने का ठेका श्री उम्मेदसिंह शिमला को दिया था । इस पत्थर को डलवाने का खर्चा रु० ३२,५७२ रु० हुआ ।

(३) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः ए. ई. एन. द्वारा जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम गेडोली के चाचोलिया तालाब की मोरी

८२५. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या पंचायत मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाटन, जिला बून्दी द्वारा स्वीकृत ४८५१ रु. की राशि से ग्राम गेडोली के चाचोलिया तालाब की मोरी को बनवाया गया था ?

(२) क्या यह सही है दिनांक १३-११-६७ को जिलाधीश ने असिस्टेन्ट इंजीनियर को जांच के लिये भेजा था और मोरी को तुडवा दिया गया जिससे ४८५१ रुपये का व्यय निरर्थक हो गया ?

(३) क्या यह सही है कि मोरी के निर्माण कार्य से किसानों का सिंचाई का साधन उपलब्ध हो गया था ? यदि हां, तो इसको क्यों तुड़वाया गया था ?

उत्तर

(१) ग्राम गेढोली के तालाब के लिए ४८५१) रु. स्वीकृत हुए थे किन्तु निर्माण में केवल ३११३)१० पैसे का ही अब तक भुगतान हुवा है।

(२) जी हां। सहायक अभियन्ता ने मोरी तुड़वायी किन्तु कोई राजकीय धनराशि निरर्थक नहीं गयी।

(३) जी नहीं। सिचाई का साधन उपलब्ध करने के लिए ही कुछ हिस्सा तुड़वाया गया।

जवाई बांध की मुख्य नहर

८३०. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जवाई बांध की मुख्य नहर, जवाई कमान्डेड एरिया के क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत छोटी है?

(२) अगर हां, तो इस नहर की क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

(३) अगर नहर छोटी नहीं है, तो टेल के गांवों में पानी पूरा क्यों नहीं पहुंच रहा है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) टेल के गांवों में पूरा पानी नहीं पहुंचने का कारण नहर का छोटा होना नहीं है।

उपभोक्ता भण्डार श्रीमाधोपुर द्वारा चीनी का वितरण

८३५. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)। क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उपभोक्ता भंडार श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) को श्रीमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र के लिए सन् १९६७ में कितनी कितनी चीनी किस किस माह में वितरण हेतु दी गई?

(२) क्या यह सही है कि इस उपभोक्ता भंडार की चीनी वितरण में गड़बड़ करने की शिकायत सम्बन्धित जिला अधिकारी से की गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(३) क्या जांच में चीनी वितरण में गड़बड़ की शिकायत सही पाई गई?

उत्तर

१. उपभोक्ता भंडार श्री माधोपुर को,

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

श्री माधोपुर नगरपालिका क्षेत्र के लिये सन् १९६७ में निम्न प्रकार चीनी गई:—

माह	तादाद बोरी
जनवरी, ६७	१६५
फरवरी, ६७	१६५
मार्च, ६७	१६५
अप्रेल ६७	१५०
मई, ६७	५८
जून, ६७	५६
जुलाई, ६७	५०
अगस्त, ६७	९८
सितम्बर, ६७	९५
अक्टूबर, ६७	९१
नवम्बर, ६७	५७
दिसम्बर, ६७	५१

२. जिलाधीश सीकर द्वारा तहसीलदार श्री माधोपुर को जांच करने के आदेश दिये गये।

३. जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

छबड़ा, अटरू व छीपाबड़ोद तहसीलों में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि

८३९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छबड़ा, अटरू व छीपा बड़ौद तहसीलों में बहुत सी भूमि वन विभाग के अधीन कृषि योग्य पड़ी हुई है जिसमें न तो इमारती लकड़ी ही है और न ही घना जंगल है?

(२) क्या उक्त भूमि को तहसील फोरेस्ट कमेटी छीपाबडोद, छबड़ा ने कृषि के लिए राजस्व विभाग को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है जिसके कागजात जिला फोरेस्ट कमेटी के पास हैं? यदि हां, तो उस बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

१. जी नहीं। किन्तु थोड़ी थोड़ी भूमि विभिन्न स्थानों पर कृषि योग्य अवश्य है।

२. जी हां। जिला समिति का निर्णय होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

Page No. 58

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिवगंज के तहसीलदार के विरुद्ध भूमि का गलत आवंटन करने हेतु कार्यवाही

४२५. श्री मोतीलाल परमार (रेवदर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के तहसीलदार ने गत जुलाई माह वर्ष ६७ में गलत भूमि आवंटन ग्राम बड़ा लोटीबाड़ा में किया, उसकी जांच हुई ? यदि हां, तो तहसीलदार को दोषी पाने पर क्या कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गयी ?

उत्तर

जी नहीं।

किन्तु गांव वालों ने कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जांच की गई थी। तहसीलदार को आवंटन मामले में सतर्कता बरतने निर्देश दिये गए हैं।

भरतपुर जिले में बाढ़ आने के कारणों की जांच

४२६. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले में इस वर्ष किन किन क्षेत्रों में बाढ़ आई ? इससे कितने जन एवं धन की हानि हुई है ?

(२) बाढ़ के कारणों की क्या सरकार ने जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(३) भविष्य में बाढ़ की स्थायी रूप में रोक थाम हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष भरतपुर जिले की तहसील भरतपुर के २३५ गांव, धोलपुर के १३८, कामा के १३०, रूपवास के ८९, बयाना के ६६, नगर के ५३, डीग के २०, नदबई के २४ तथा राजाखेड़ा के ३८ गांवों में बाढ़ आई, इस बाढ़ के कारण फसल खरीफ को २२०६६२ एकड़ क्षेत्र में नुकसान हुआ तथा १००३५ मकान क्षतिग्रस्त हुए। जन हानि की संख्या १६ एवं पशुगण की हानि की सं० २१० है। इसके अतिरिक्त ४५० मील सड़क को अन्दाजन ३६,५६,०००) रुपये एवं करीब सवा सौ बन्धान बाढग्रस्त होकर अन्दाजन ३३,६६,०००) का नुकसान हुआ है।

(२) बाढ़ के कारणों की राज्य सरकार की ओर से कोई जांच समिति नियुक्त होकर तो जांच कराई नहीं गई है, वैसे जिला स्तर पर जांच से विदित है कि अधिक

(श्री राजस्व मंत्री)

वर्षा होने के कारण स्थानीय नदी नालों व बन्धात में पानी एक साथ अधिक मात्रा में आ जाने व हरियाना, अलवर तथा उत्तर प्रदेश की ओर से पानी अधिक आ जाने के कारण बाढ़ आ जाती है।

(३) बाढ़ की स्थायी रूप से रोकथाम हेतु विस्तृत तखमीने बनाकर केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को भेजा जा चुका है। जिसके अन्तर्गत गम्भीरी व बाण गंगा नदियों पर मंजिनल बांध बनाना, मोती झील से एक एस्केप बनाना, भरतपुर-आगरा रोड पर पुलिया को चौड़ा करना, कामा पहाड़ी व गोवर्धन नाली को बाढ़ के पानी को ले जाने की क्षमतानुसार बनाने के कार्य पर विचार किया जा रहा है।

साइकिल व रिक्शाओं के लाइसेंस

४२७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम पंचायतों को साइकिल व रिक्शाओं के लाइसेन्स देने का अधिकार है या नहीं ?

(२) क्या यह भी बतायेंगे कि जयपुर के आस पास की पंचायतों ने अब तक कितने रिक्शों को लाइसेन्स दे रखा है ? हर पंचायत के अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) वाहनों पर कर लगाने का अधिकार है।

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

ग्राम सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की जांच

४२८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले की पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद में कितने ग्राम सेवक हैं और उनका सर्किलवार हैडक्वार्टर कहां कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या फूल बड़ौदा तहसील छीपा बड़ौद में भी ग्राम सेवक का हैडक्वार्टर है ? अगर हां, तो वहां के ग्राम सेवक के ऊपर चलाई जा रही जांच का अधिकारी कौन है तथा क्या कार्यवाही चल रही है ?

Page No. 60

उत्तर

(१) पंचायत समिति छीपा बड़ौद में १५ व पंचायत समिति छबड़ा में १५ ग्राम सेवक हैं। हैडक्वार्टर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। जांच अधिकारी श्री जे. टी. शर्मा, विकास अधिकारी हैं। जांच पूर्ण हो चुकी है। मामला स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

प्राइमरी स्कूल

४२९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पंचायत समिति छीपा बड़ौद, तहसील छीपा बड़ौद, जिला कोटा व पचायत समिति छबड़ा, जिला कोटा में कितने प्राइमरी स्कूल हैं व कौन कौन से गांवों में हैं ? इन स्कूलो में कितने मास्टर कहां कहां व लड़कों की संख्या कितनी कितनी है ?

(२) पंचायत समिति छीपा बड़ौद व छबड़ा में कितने गावों में प्राइमरी स्कूलों के लिए भवन पक्के बने हुए हैं तथा कहां कहां भवन अधूरे है ? अधूरे भवन रहने का कारण क्या है ?

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख भी किया हुआ है ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तकावी का चुकारा

४३०. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) श्री बंशीलाल शर्मा, सरपंच शार्दूलपुरा, श्री गोविन्द बाबू, सरपच काचरोदा, श्री कल्याणदत्त, सरपंच सेवा, श्री मांगीलाल शर्मा, सरपंच ढानी बोराज, श्री सूरजमल जैन, सरपंच बोराज, श्री हनुमान लाल सरपच बिचून, श्री भवरलाल, सरपंच रोंफड़ी, पचायत समिति, दूदू ने सन् १९६० से ६७ तक कितना पैसा तकावी व अनुदान का किस किस विभाग से लिया और क्या पैसा जिस कार्य के लिये लिया गया था वह कार्य हुआ है ?

(२) क्या किश्तों का पैसा समय पर चुकाया जा रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वसूली हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

श्रीमाधोपुर तहसील में आबादी भूमि की मांग

४३१. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) श्री माधोपुर तहसील में किन किन पंचायतों द्वारा बढती हुई आबादी के लिये कितनी जितनी भूमि की कब कब मांग की गई है ?

(२) उपरोक्त मांगों के अनुसार किन किन पंचायतों में कितनी कितनी भूमि आबादी में परिवर्तित की गई व किन किन की मांग पेन्डिग पड़ी है ? व इतनी देरी क्यों हो रही है ?

(दिनांक १ अप्रेल, ६८ को पुनः पूछा गया)

खाद व बीज की रकम का दुरुपयोग

४३२. श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पंचायत समिति हुरड़ा (जिला भीलवाड़ा) से ग्राम पंचायत इंरास को अब तक कुल कितनी रकम का खाद व बीज उधार दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) क्या यह सही है कि उधार पर दिया गया खाद व बीज की पूरी रकम सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा वसूल कर ली गई व रकम का दुरुपयोग किया है व अब तक रकम पंचायत समिति में जमा नहीं हुई है ?

(३) सरकार ने उपरोक्त तथ्यों के सबंध में क्या कदम उठाये हैं और अब आगे क्या उठाना चाहती है ?

उत्तर

(१) १,३२०) रु० का खाद व १५,९५०)५६ पैसे का बीज दिया गया।

(२) खाद बीज की रकम के बारे में घोटाला होने की शिकायत हुई थी। अब तक १,२०८.७४ पैसे वसूल हुए हैं।

(३) जांच हो रही है।

शराब के ठेके

४३३. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) अकलेरा एवं मनोहर थाना कस्बे में शराब के ठेके की दुकानें किस किस मोहल्ले में स्थित हैं ?

(२) क्या यह सही है कि दोनों ही ठेके की दुकानें ऐसी जगह स्थित हैं, जहां से स्कूल का फासला १००-५० गज ही है ?

(३) क्या राज्य सरकार अपनी निश्चित नीति के आधार पर इन मदिरालयों को शिक्षा संस्थाओं से दूर करने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(१) बस स्टेन्ड के पास गांव के बाहर स्थित हैं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

आबकारी विभाग में अधिकारियों के पद व उनके अधिकार

४३४. श्री विजयसिंह : (मकराना) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) आबकारी विभाग में अधिकारियों के कितने व कौन कौन से पद हैं ?

(२) कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नरों को कौन से क्षेत्रों पर अधिकार दिया है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) आबकारी आयुक्त को पूरे राज्य में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन आबकारी आयुक्त के अधिकार प्राप्त हैं। उपायुक्त के पद समाप्त कर दिये है। केवल एक उपायुक्त मुख्यालय पर है जो आबकारी आयुक्त के निदेश पर कार्य करता है। वह दूसरा उपायुक्त निरोधक दल का है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

घोषित किये गये पिछड़े हुए जिला जालोर का विकास

४३५. श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या योजना मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है ?

Page No. 63

(श्री माईदान सिंह)

(२) अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? कारणों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(३) इसके विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

(१) चौथी योजना बनाते समय १९६४ तक की भौतिक उपलब्धियों के आधार पर जिले वार आर्थिक संकेत (Economic-Indicators) संकलित किये गये थे जिनके आधार पर जालौर जिले को पिछड़ा हुआ इलाका माना गया था।

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) रु० ३१३ करोड़ की जो अस्थायी तौर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नवम्बर, १९६६ में बनाई गई थी उसमें जालौर व सवाईमाधोपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए रु० १ करोड़ का विशेष प्रावधान रखा गया था, परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने से इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब नई चौथी योजना का निर्माण करते समय अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जिलों के पिछड़ेपन की पुन: जांच की जायेगी और पाई गई कमियों को दूर करने का उचित प्रावधान किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

भादरा नहर क्षेत्र के चकों में पीने के पानी की व्यवस्था

४३६. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या कोलोनाइजेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा नहर के क्षेत्र में कुल कितने चक काटे गये थे?

(२) इन चकों में से कितने चकों में लोग आबाद हो चुके हैं? और कितने चक आबाद होने बाकी बचे हैं?

(३) इन चकों में आबाद होने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का क्या प्रबन्ध किया गया है?

(४) कितने चकों में सरकार ने पानी पीने के लिए पक्की डिगियां बनाई हैं? यदि नहीं बनाई है, तो क्यों नहीं?

(५) यदि बनाई हैं तो इन डिगियों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है?

उत्तर

(१) भाखरा नहर क्षेत्र में कुल १३०९ चक है।

(मन्त्री, कोलोनाइजेशन विभाग)

(२) भाखरा विभाग द्वारा ४३७ चक काटे गये हैं। २०८ चकों में आबादी हो चुकी है। २२९ चक आबाद होने से बाकी हैं।

(३) इन चकों में लोग नहर का पानी डिग्गियों आदि में डालकर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

(४) सरकार द्वारा इन चकों में पक्की डिग्गियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी उक्त आबाद चकों में ५७ पक्की डिग्गियां बनाई हुई हैं। जो पंचायतों आदि द्वारा निर्माण की गई हैं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कालकाजी का तालाब, सिरोही

४३७. श्री मोतीलाल परमार (रेवदर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही में कालकाजी तालाब की दीवार ऊंची उठाने का काम गत पांच वर्षों से पूरा क्यों नहीं हुआ है ?

उत्तर

(१) इसको ऊंचा करने पर महाराजा साहब सिरोही की निजी सम्पत्ति डूब में आ जाती है। जिसके लिए अवाप्ति अधिकारी (लेण्ड एक्वीजीशन आफीसर) सिरोही को लिखा जा चुका है। भूमि अवाप्ति होने पर कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

ग्राम थड़ा के भाटमें जयसमन्द की नहर से सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था

४३८. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष रबी की फसल की सिंचाई के लिए जयसमन्द तालाब की नहर से कितना और किन किन स्थानों तक पानी दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम थड़ा के भाट (तहसील सलूम्बर) में चनों की पिलाई के लिए दो सौ बीघा भूमि में पानी देने के लिए अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) उदयपुर द्वारा उक्त नहर के सम्बन्धित अधिकारी को आदेश दिये गये थे ?

(३) प्रश्न दो का उत्तर यदि हां है, तो उक्त ग्राम के भाट में कितने बीघा भूमि में सिंचाई के लिए पानी दिया गया ? यदि नहीं, तो किस कारण से पानी देना सम्भव नहीं हुआ ?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(४) क्या थड़ा ग्राम के भाट के पड़ोस में ही पंचायत समिति सलूम्बर के वर्तमान प्रधान की कोई भूमि है ? यदि हां, तो उक्त भूमि को भी इस नहर से इस वर्ष पानी दिया गया है ?

(५) प्रश्न ४ में वर्णित प्रधान, पंचायत समिति, सलूम्बर की भूमि से ग्राम थड़ा के भाट की भूमि की दूरी कितनी है ? यदि उक्त प्रधान की भूमि को सिंचाई के लिए पानी दिया गया तो ग्राम थड़ा के भाट को पानी नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

१. इस वर्ष रबी की फसल के लिए जयसमन्द तालाब से भाट व स्यामपुरा नहर द्वारा जल वितरण कमेटी की दोनों पंचायत समिति सलुम्बर व सराड़ा के निर्णय अनुसार १८०० बीघा में पानी देना तय किया गया। भाट नहर द्वारा सिंचाई के लिए निम्न गांवों को पानी दिया गया एवं स्यामपुरा नहर से लिफ्ट द्वारा निम्न गांव को पानी दिया गया:—

भाट नहर

नाम गांव	रकवा बीघा में	
खैराड़	३००	बीघा
चाटपुर	८०	"
आयरा	८०	"
बसी झुन्झावत	२००	"
बसी सामघोष	१४०	"
बड़ी मगरी	५०	"
भाट फार्म	१००	"
सेरीया	४००	"
	१३५०	"

स्यामपुरा नहर

मा तांड़	३५०	"
फाबुड़ा	१००	"
	४५०	"
कुलयोग	१८००	"

(श्री सिंचायी मन्त्री)

२. वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी के अनुसार गड़ा नाम का कोई गांव नहीं है अतः पानी नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जल वितरण कमेटी के अनुसार भाट फार्म से पानी देना तय किया गया था अतः पानी दिया गया है।

३. भाट फार्म के प्रोग्राम के अनुसार १०० बीघा में पानी दिया गया है।

४. रिकार्ड के अनुसार थड़ा ग्राम के भाट के पड़ौस में पंचायत समिति सलूम्बर के वर्तमान प्रधान की कोई भूमि नहीं है।

५. प्रश्न नहीं उठता।

तालाबों से सिंचाई

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में पंचायत समितियों को कुल कितने सिंचाई के तालाब स्थानांतरित किए गए हैं और उनके पास कुल कितने तालाब है ? उनसे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? जिलेवार अथवा समितिवार बतलाया जाय ?

(२) पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये तालाबों को छोड़ कर उनसे ऊपर सिंचाई करने वालों से लेकर ५ हजार एकड़ तक सिंचाई करने वाले विभाग के अन्तर्गत कुल कितने तालाब हैं और उनसे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? जिलेवार बतलाया जाये।

(३) ऐसे कितने तालाब हैं जो टूटे पड़े हैं ? और उनमें से ऐसे कितने हैं जो मरम्मत होने पर सिंचाई के काम आ सकते हैं ? उनसे कितनी भूमि सींची जा सकती है और उनकी मरम्मत की लागत का क्या अनुमान है ? जिलेवार बतलाया जाये। मरम्मत न करवाने के क्या कारण हैं ? कब तक मरम्मत हो सकेगी ?

(४) ऐसे कितने तालाब और बांध हैं जो कैचमेंट एरिया की कमी के कारण खाली पड़े रहते हैं और वे कौन कौन से हैं ? जिलेवार सूची दें। उनकी लागत भी बतलावें व यह भी बतलावें वे कब बनाए गये ?

(५) ऐसे कितने तालाब और बांध हैं जो भरे पड़े रहते हैं परन्तु कमांड एरिया उनके नीचे न होने के कारण उनका पानी सिंचाई के काम में नहीं आता तथा वे कौन कौन से हैं ? जिलेवार सूची दें। तथा वे कब बनाए गये थे और उनकी लागत क्या थी यह भी बताने की कृपा करें।

(श्री दौलतराम सारण)

(६) ऐसे कितने तालाब और बांध हैं जो स्कीम स्वीकृति के समय बतलाए गए रिटर्न से कम रिटर्न देते हैं तथा वे कौन कौन से हैं तथा वे रिटर्न कितना कितना कम देते है ?

उत्तर

१. ६११ तालाब। इस विभाग को जानकारी नहीं है। ६११ तालाब से लगभग २०, २०० एकड़ भूमि सिंचित होती थी जिलेवार सूचना परिशिष्ट १ पर है।

२. १७२७ तालाब हैं उनसे औसत ५,३२,३०० एकड़ भूमि सिंचित होती है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट २ पर है।

३ सिंचाई विभाग के अधीनस्थ ३६ तालाब टूटे हुए पड़े हैं। इनमें से ३५ तालाब मरम्मत करने के पश्चात सिंचाई के काम में आ सकते हैं। लगभग उनसे ८००० एकड़ भूमि सिंचित की जा सकती है और उनकी मरम्मत की लागत पर ३१.१७ लाख रुपया का अनुमान है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ३ पर उपलब्ध है। अधिकतर क्षेत्र में काश्तकार लोग कामों की मरम्मत नहीं करने देते हैं। एवं धनराशि की कमी के कारण भी मरम्मत नहीं हो सकती है। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक वर्ष में ऐसे तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

४. २० तालाब है उनकी लागत २५०१५८३ रुपये हैं जिलेवार सूची एवं विस्तृत जानकारी परिशिष्ट ४ पर उपलब्ध हैं।

५ ऐसा एक तालाब बंजारी नामक तहसील ब्यावर जिला अजमेर में है जिसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है चूंकि तालाब बहुत पुराना है और रियासत के समय का बना हुआ है।

६. विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५ पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था

४४० श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे——

(१) क्या यह सही है कि विभाग ने दो पुल वाना नदी पर हलेना और नदबई के बीच बाढ़ के पानी को रोकने के लिये बनवाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बाढ़ आने पर पानी पुलों के बाहर के क्षेत्र में फैल जाता है

(श्री नत्थीलाल)

और नदबई से हलैना जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या विभाग अब इस दिक्कत को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रहा है ?

उत्तर

१. जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

भीनमाल में टूटे हुये बांधों की मरम्मत

४४१ श्री दुर्जन सिंह (रानीवाड़ा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जिला जालोर तहसील भीनमाल में सिलासन व पाल नामक बन्ध गत वर्ष वर्षा से टूट गये हैं ? अगर हां, तो सरकार ने इन बांधों को वापिस बांधने का क्या प्रबन्ध किया ? अगर नहीं किया तो क्यों और कब तक सरकार इन बांधों को वापिस तैयार करने की योजना रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

तखमीना बना कर आवश्यक मरम्मत के कार्य को शीघ्र हाथ में लेने की कार्यवाही की जा रही है।

गंगापुर बांध की मरम्मत

४४२ श्रीमती कान्ता कथूरिया : (कोलायत) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या तहसील कोलायत में गंगापुर नाम से कोई बांध बना हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि पिछली वर्षा से वह बांध टूट गया है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत करवाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ?

(३) बांध टूटने की वजह से जिन खेतों की फसल नष्ट हो गई है व मकान डूब गये हैं उसके लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(१) तहसील कोलायत मे गंगापुरा नाम का कोई बांध नहीं है गंगा सरोवर नाम का बांध अवश्य है।

(श्री सिचायी मन्त्री)

(२) जी नहीं गंगासरोवर बांध पिछली वर्षा में नहीं टूटा।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई गयी एक्टोविटीज पर व्यय

४४३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला नागौर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन कौन सी प्रवृत्तियां (एक्टीविटीज) चलाई जा रही है और उन पर कितना कितना खर्च सालाना किया जाता है ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) विभाग द्वारा इस जिले में मकान व कुंए बनाने के लिये जो धन राशि आज तक वितरित की गई है उसका उपयोग हुआ है या नहीं और सरकार ने इस विषय में क्या नीति अपना रखी है ?

उत्तर

(१) सूची अ, ब और स सदन की मेज पर रख दी गई है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिये मकान और कुओं के लिये सहायता की धनराशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जाती है जिनके द्वारा नियमानुसार प्राथियों को अनुदान दिया जाता है : संलग्न तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश धनराशि का उपयोग हो गया है। सन् १९५५-५६ से १९६५-६६ तक नागौर जिले में मकान सहायता व कुओं के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समितियों को ५४७ मकानों के लिये ३१५७५ रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसमें से ४२१ मकान सम्पूर्ण हुये, १० मकानों की रकम वापस जमा करा दी गई। अब केवल ११७ मकान पूर्ण होने हैं। और उनके पेटे ८४००० रुपये की रकम के प्रमाण पत्र भेजने है जिनके लिये पंचायत समितियों को तकाजा किया जाता रहा है। सलग्न तालिका से स्पष्ट है कि कुओं के लिये दी गई धनराशि से अधिक ही पंचायत समितियों ने अपने मद से व्यय किया है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजन छात्रावास

४४४. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : (नोखा) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बीकानेर जिले में कहां कहां हरिजनों के छात्रावास खोले गए हैं ? क्या यह सही है कि लूणकरण तहसील में सरकार

(श्री चुन्नीलाल)

द्वारा हरिजन छात्रावास मंजूर किया गया है ? अगर हां, तो यह छात्रावास क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

(२) क्या सरकार हरिजन छात्रावास की इमारत बनाने के लिये अनुदान की धनराशि देने का प्रावधान रखने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) बीकानेर जिले में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

लूणकरणसर में अनुसूचित जाति का कोई छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

नया गांव में सांसियों के घर

४४५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नया गांव तहसील पाली में सांसियों के कितने घर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित किये गये थे और कब ?

(२) पिछली साल बाढ़ आने से कितने मकान नष्ट हो चुके हैं ? क्या सरकार वापिस उन मकानों को बनाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) वर्ष १९५६-५७ में पाली तहसील के नया गांव में सांसियों के लिये २९ मकान निर्मित किये गये थे।

(२) पिछली साल बाढ़ आने से तीन मकान नष्ट हो गये थे और एक बिल्कुल ही गिर गया तथा बाइस मकानों में सांसी परिवार रहते हैं। इन गिरे हुए मकानों को वापस बनाना बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग में बजट प्रावधान नहीं है। बाढ़ से क्षति की पूर्ति जिलाधीश सामान्य बजट से करते हैं।

बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के अनुदानित छात्रावास

४४६. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बांसवाड़े जिले में आदिवासियों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं (स्वयंसेवी-

(श्री नाथूराम राम)

अनुदानित) हैं, उनके कहां कहां छात्रावास हैं. उनके पदाधिकारी कौन कौन हैं ? उनका आन्तरिक निरीक्षण कब कब व किस किस ने किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त स्वयसेवी-अनुदानित संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में किताबें, कपड़े, भोजन व्यवस्था आदि के वितरण व खरीद के संबध मे कभी कोई जांच की गई ? यदि हां, तो किस किस छात्रावास की व उसके क्या परिणाम रहे ? यदि कोई जांच नहीं की गई तो उसके क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सत्र में अधिकांश अनुदानित छात्रावासों में छात्रों को पुस्तकें वितरण नहीं की गई ? यदि की गई तो किस किस छात्रावास में किस किस तारीख को पुस्तकें दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि इन छात्रावासो मे छात्रों को भोजन वांछित स्तर का नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या आन्तरिक निरीक्षण के समय इस तथ्य को जाच की गई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस सबध में क्या विचार रखती है ?

(५) क्या यह सही है कि इस सत्र में इन छात्रावासों के छात्रों को पूरी एवम् समय पर ड्रेस व बिस्तर नहीं दिये गये हैं ? यदि नहीं तो किन किन तिथियों पर किस किस छात्रावास में क्या क्या दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा जिला सेवक सघ, परतापुर, एव गांधी आश्रम, कुशलगढ़ नामक दो स्वयंसेवी सस्थाएँ है। इन सस्थाओं द्वारा सचालित छात्रावासों एवं पदाधिकारियो की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों का निरीक्षण करने का अधिकार इस कार्यालय को है। सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर लिया गया है। निरीक्षण के समय जो कमियें पाई जाती हैं और उनको दूर करने के लिये सस्था संचालकों को निवेदन किया है। निरीक्षकों की पालना में सस्था सचालकों ने कमियों को दूर किया है।

(३) सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि समस्त सुविधाएँ निर्धारित दरों पर दी जाती रही हैं।

(श्री समाज कल्याण मन्त्री)

(५) दिनांक ११-१२-६७ को जिला निरीक्षण एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर सब सुविधाएं देना पाया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजपत्रित अधिकारी

४४७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग के संचालक से ज्यादा योग्यता वाले अधिकारी इसी विभाग में संचालक के नीचे कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कम योग्यता वाले अधिकारी को संचालक नियुक्त क्यों किया गया ?

(२) पशु पालन विभाग में कौन कौन से राजपत्रित अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ? उनकी नियुक्ति की तिथि तथा ग्रेड की सूची सदनकी मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियमानुसार तैयार की जाती है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) जिन अधिकारियों को इस विभाग से भेड़ व ऊन विभाग में नियुक्त किया गया है उनकी सेवायें भेड़ व ऊन विभाग की रहेंगी या इस विभाग की और कितने अधिकारी कब कब इस विभाग से भेड़ व ऊन विभाग में नियुक्त किये गये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) इस विभाग में कौन कौन से राजपत्रित अधिकारी स्थायी हैं और कौन कौन अस्थायी ? पृथक पृथक सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक ४ अप्रेल, ६८ को पुनः पूछा गया)

ए. सी. सी. सीमेंट फेक्ट्री, लाखेरी

४४८. श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में ठेकेदारी प्रथा से कौन-कौन से कार्य करवाये जाते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कोल गेंग का कार्य एक ठेकेदार द्वारा करवाया जाता है ? यदि हां, तो कोलगेंग में कितने मजदूर काम करते हैं ? क्या मजदूरों को बराबर रोज काम पर लिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि कोलगेंग व सिलो-पेकिंग प्लांट का कार्य पूरे वर्ष भर

(श्री नन्दलाल बैरवा)

चलता है ? यदि हां, तो इनका काम ठेके पर क्यों करवाया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि जिस फैक्ट्री में साल भर कार्य चलता है उसमें कानूनन ठेके पर काम नहीं करवाया जा सकता है ?

(५) क्या जो कर्मचारी कोल गैंग अथवा अन्य प्लान्ट्स पर काम करते हैं उन्हें सभी सुविधायें बराबर दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधायें एक समान हैं ?

उत्तर

(१) ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में कोयले और जिप्सम के लोडिंग और अन लोडिंग का कार्य ठेकेदारी प्रथा से करवाया जाता है। यह कार्य सीमेन्ट वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कान्ट्रैक्टर द्वारा कराया जा सकता है।

(२) लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स में कोयला व जिप्सम की लदाई उतराई का कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया जाता है। ठेकेदार के पास ७२ स्थायी मजदूर काम करते हैं जिन्हें यह रोज काम पर लेता है। इसके अतिरिक्त उसके पास ६० से १६० तक अस्थायी मजदूर हैं वह अपनी आवश्यकतानुसार अर्थात् रेल्वे वेगन के पहुँचने पर काम पर लेता है।

(३) कोल और जिप्सम के लोडिंग और अन लोडिंग का काम साल भर कान्ट्रैक्टर के द्वारा कराया जाता है पेकिंग प्लान्ट, साइलों में कोई काम ठेकेदार से नहीं कराया जाता ? प्रश्न नं० १ के उत्तर में यह बताया जा चुका है कि वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार यह काम ठेके पर कराया जा सकता है जिसमें एक साल की कोई सीमा नहीं है।

(४) ऐसा कोई कानून नहीं है ?

(५) ठेकेदार के कर्मचारियों तथा फैक्ट्रीज के अन्य प्लान्ट्स के कर्मचारियों को वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार दी जाने वाली समस्त सुविधायें बराबर दी जाती हैं वेतन महंगाई, छुट्टियां, प्रोवीडेन्ट फन्ड एवं बोनस की सुविधायें दोनों तरह के कर्मचारियों को समान रूप से दी जाती है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रीज एक्ट तथा अन्य श्रम कानूनों में निर्धारित सभी सुविधायें ठेकेदार के मजदूरों को दी जाती है।

(१२.४१ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था है। श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन ने राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसों की

(श्री उपाध्यक्ष)

गतिविधियां बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा किन्तु मैं सदस्यों की जानकारी के लिए कहूंगा कि माननीय गृहमन्त्री जी सुविधानुसार कल तक इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री शिवनाथसिंह, सदस्य विधान सभा ने टैम्पों व बसों के परमिट म्युनिसिपल सीमा तक सीमित करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यातायात मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में वे कल तक वक्तव्य देने की कृपा करें।

इसके अलावा श्री दिग्विजयसिंह, सदस्य विधान सभा ने थानेदार आंवां, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा दिनांक २०-२-६८ को ग्राम बेनवा के निवासियों को तंग किये जाने और वहां पर गोलियां चलाये जाने तथा व्यक्तियों को पीटने आदि से संबंधित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री विजयसिंह रावत सदस्य विधान सभा ने पश्चिमी रेलवे चिकित्सालय, अजमेर में चौकीदार को ड्यूटी नर्स के कमरे में रात के एक बजे बन्द करने व कम्पाऊन्डर और नर्स ने मिल कर उसको पीटने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें राजस्थान में चोरियों, डकैतियों तथा हत्याओं के सम्बन्ध में पुलिस की असफलता का उल्लेख किया है। उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध पुलिस विभाग से हैं। ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं तथा इन विषयों को पुलिस की मांग पर होने वाले वादविवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाया जा सकता है। अतः इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य....

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो-तीन बार....

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, भाई।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय श्री केसरी सिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा, ने बून्दी जिले में वनों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । चूंकि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा । इसी विषय पर एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना पर २६-१-६८ को वक्तव्य दिया जा चुका है । इसलिये इस पर दुबारा अनुमति देना सम्भव नहीं है । (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज । व्यवस्था दी जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री गंगासहाय, सदस्य, विधानसभा, ने जोधपुर क्षेत्र के लगभग ४ हजार खानों के १८ मार्च से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दो है । इस सम्बन्ध में पहले भी स्थगन–प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी और उस पर उद्योग मंत्री जी द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुये वक्तव्य भी दे दिया गया है । ऐसी स्थिति में इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा । (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था दी है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । राजस्थान के एक मन्त्री जी की कार दिन दहाड़े चोरी चली जाय और उसका पता न लगे और राजस्थान की पुलिस उनको पकड़ने में असफल रहे । चारों तरफ से यह रिपोर्ट आती रहे कि आज फलां गांव में हत्या हो गई फलां गांव में चोरी हो गई । चोरी रोजाना होती रहे और पुलिस उसका पता नहीं लगा सके तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार से व्यवस्था दी है ? आपने हर प्रस्ताव की यही व्यवस्था दी है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है इससे बढ़कर अव्यवस्था और क्या हो सकती है । राजस्थान के मन्त्री की दिनदहाड़े कार चोरी चली जाय । आज आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि मन्त्री जी के रिश्तेदारों द्वारा यह कार चुराई गई है । (विरोधी पक्ष की ओर से शेम, शेम की आवाज)

पुलिस इस कार का पता नहीं लगा सके । अगर राजस्थान की सरकार असफल है तो इस मामले की जांच सेन्ट्रल सी. आई. डी. से कराई जाय । यहां की पुलिस मंत्रियों से दबी हुई है और उनकी दाब से पूरी तरह से जांच नहीं कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं शिक्षा

(श्री उपाध्यक्ष)

विभाग से सम्बन्धित हैं जो इस प्रकार हैं— श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा, ने कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जे० बी० हायर सेकन्डरी स्कूल को अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। दूसरे श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा, ने भरतपुर में पोलिटेक्निक को तोड़ने से उत्पन्न स्थिति के बारे में सूचना दी है। ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है तथा इनको शिक्षा की मांग पर होने वाले वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता हैं। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : कार को कौन लोग ले गये ? इस प्रकार की चोरियां होती रहे, कत्लें होती रहे और पुलिस चुपचाप बैठी रहे.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !! आर्डर !!!

परबतसर मे आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है, उस पर व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, शायद।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनने में आया है कि मंत्री महोदय की कार पाकिस्तान चली गई है। ... . (विरोधी पक्ष की ओर से शेम, शेम की आवाज) राजस्थान के उद्योग मंत्री की कार चली जाय और यहां का मंत्री मण्डल चुपचाप बैठा रहे.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !!

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिये मैं यह मांग करूंगा कि कृपया, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। एक व्यवस्था और देनी है अभी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। इसमें सरकारी मोटर की चोरी हो जाना, निजी मोटर का गैरेज में रहना बड़ी दुखपूर्ण स्थिति है। कुछ सहानुभूति है माननीय सदस्य की इसके बारे मे कुछ होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक व्यवस्था और दी जा रही है, उसके बाद।

श्री भरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पाईन्ट आफ आर्डर, सर। अभी एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में

Page No. 77

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था दी जा रही है और यह व्यवस्था की गई है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह व्यवस्था आपके द्वारा की गई है लेकिन रूल्स में उपाध्यक्ष ऐडजोर्नमेंट मोशन पर कोई व्यवस्था नहीं देते। इसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर व्यवस्था बाद में दे देंगे।

(घंटी)

एक माननीय सदस्य : गवर्नर साहब से ऑर्डिनेन्स निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था बाद में दी जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री नत्थीसिंह : इस बीच में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वे क्या सब अनिर्णीत मानी जावेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं दी जावे तब तक यह व्यवस्था नियमानुसार दी गई है, ऐसा माना जावेगा।

श्री नत्थीसिंह : यह कैसे ? अधिकार क्षेत्र ही जब विवादास्पद हो तब कैसे माना जावेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय भैरोंसिंहजी ने उठाया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय उपाध्यक्ष के क्या पॉवर हैं ? क्या शक्तियां हैं, जब कि वे स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करें ? जहां तक सविधान में उपाध्यक्ष की पॉवर का उल्लेख किया गया है उस पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपाध्यक्ष या तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब वह एक्ट कर सकते हैं या जब किसी भी मिटिंग में इस सदन की किसी भी बैठक में जब कि अध्यक्ष महोदय गैर हाजिर हों, तब वह उनके पद पर सुशोभित होकर कार्य कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो उनकी शक्तियां हैं, जो चेम्बर में करें या और जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर है उस तरह की कोई भी पॉवर उपाध्यक्ष को कॉन्स्टीट्यूशन के तहत नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के ऊपर व्यवस्था देने का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में आकर अपना माइण्ड एप्लाई करते है, और उस पर निर्णय लेकर यहां सदन में अपनी व्यवस्था भेजते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपको यह अधिकार है यदि माननीय अध्यक्ष महोदय गैर हाजिर हों तो उनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई हो उसका उल्लेख करके आप इस सदन को अपनी उस व्यवस्था को बता सकते हैं। पर उसको मौलिक तौर से देने का अधिकार उपाध्यक्ष को ...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी तरफ से इस निर्णय पर ही पहुंच रहे हैं कि उपाध्यक्ष को ऐसे अधिकार नहीं हैं।

मेरा निवेदन यह था कि यह संवैधानिक प्रश्न है और इस पर विचार करने के बाद में व्यवस्था दी जावेगी। इसलिये पहले ही निर्णय दे दें ऐसी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चूंकि यह ऐसा संवैधानिक प्रश्न है जिस पर निर्णय तुरन्त होना चाहिये नहीं तो बहुत सी कठिनाइयां खड़ी हो जावेंगीं।

पंजाब में तो डिप्टी स्पीकर ने दस्तखत करके भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो परिस्थितियां हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये परिस्थितियां कानून तो नहीं बदल सकतीं। क्या अधिकार होते हैं इस बारे में निश्चित तौर से इस सदन में घोषणा की जानी चाहिये। वरना यह भय है कि हम जो कार्यवाही कर रहे हैं वह वैधानिक है या अवैधानिक है, यह प्रश्न खड़ा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

जहां तक उपाध्यक्ष के किसी सिटिंग पर प्रेसाइड करने का प्रश्न है वहां तक तो यह निर्विवादित है, विवादास्पद है नहीं।

केवल प्रश्न यह है कि कई मामले जिन पर अधिकार अध्यक्ष महोदय को है, अगर अध्यक्ष महोदय अनुपस्थित हैं, या मीटिंग में नहीं है, तो उस स्थिति में, उपाध्यक्ष के उन मामलों पर क्या अधिकार हैं इस पर विचार करके, सविधान क्या कहता है, इसमें कानूनी क्या स्थिति है, इस पर निर्णय लिया जाना है, वह ले लिया जावेगा।

बाकी सिटिंग पर अध्यक्षता करने का प्रश्न है, वहां कोई विवाद नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी नहीं। वहां डिस्प्यूट नहीं है। कट मोशन्स, कटौती प्रस्तावों पर है यह बजट से ताल्लुक रखता है। इस पर व्यवस्था देने का अधिकार उपाध्यक्ष को है या नहीं। बहुत से रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत से नहीं हो रहे हैं। इस सारे प्रश्न पर विचार करना है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने कोई व्यवस्था नहीं दी है कटौती प्रस्तावों के रिजेक्ट करने के सम्बन्ध में। यह मैं निवेदन कर दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या यह उपाध्यक्ष की व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : जी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऑन ए पॉइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर....

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन का कोई पॉइन्ट तो सुना नहीं आज तक तो।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी सी. आई. डी. पुलिस से एन्क्वायरी करानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आर्डर!!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर।....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर) व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री जोशी!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संवैधानिक प्रश्न पर नोहर से आने वाले माननीय सदस्य की विद्वत्तापूर्ण सलाह अवश्य सुनी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान रूल १० की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये। रुल १० स्पष्ट है।

"Rule 1o-The Dy. Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the constitution or these rules shall, when so presiding have the same powers as the speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding."

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां पढ़ रहे हो ? क्या पढ़ रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह : पढ़ा ही है, समझा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न जितना समझते हैं उतना आसान नहीं है। आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सदन के जितने भी अधिकार हैं मेम्बरों को वे तो फरमा देते हैं। पर आज तक यह पता नहीं कि उपाध्यक्ष के क्या अधिकार हैं। न इस बारे में आज तक कोई निर्णय लिया गया। यदि पहले ही मालूम था यह तो इसके बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : यह इतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अधिकारों के बारे में सर्वोच्च स्तर पर अभी यह बात सोची जा रही है कि कौन से अधिकार अध्यक्ष के हैं और कौनसे अधिकार किन अवस्थाओं में उपाध्यक्ष के हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : मेरा कटौती व स्थगन-प्रस्ताव था। पहला जो था वह तो बूंदी में जंगलों के नाजायज काटने के बारे में है। जो जंगल सुरक्षित घोषित कर दिये गए उसका ठेका कतई नहीं हो सकता। पर फिर भी जिस तरह ब्लाक बनाकर नीलाम किया जा रहा है उस के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है। इस पर व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। नहीं तो, सुरक्षित जंगल भी बरबाद हो जावेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी है कि आम जनता में चर्चा बनी हुई है कि कार चोरी गई है वह मन्त्री महोदय के रिश्तेदारों द्वारा चुराई गई है। इसकी जांच की जानी चाहिये। हरिदेव जोशी से स्तीफा लेकर इसकी जांच कराई जावे।

श्री मदनसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। आपकी व्यवस्था के बाद में यह सदस्य को क्या अधिकार है कि इस बहस को जारी रखें।

श्री उपाध्यक्ष : इस समर्थन के लिए, धन्यवाद। जो आप कहते हैं उचित है। मैं समझता हूं जो व्यवस्थाएं दे दी गई हैं उनके बारे में दुबारा सदन में वाद-विवाद नहीं होना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था कहां दी गई? अब यह कह दिया कि आपकी व्यवस्था के बाद मुख्य मन्त्रीजी की मजाक की बात समाप्त हो गई न तो व्यवस्था दी है, न मजाक सुनाई दिया है। आज सदन में तीसरी बार रिपीट हो रहा है। हीराभाई ने मामला उठाया। इसके बाद में अब इसमें सारे सदन में ऐसा वातावरण बनता है कि यह कार किस तरह से पाकिस्तान गई है, निकाली गई या है चोरी गई है? क्या हुआ है इसमें इस तरह से अंधेरे

(श्री नत्थीसिंह)

में सदन को रखना उचित बात नहीं है। सदन सर्वोपरि है और अगर इस मामले में तथ्य नहीं है तो सदन को बताया जाना चाहिए और अगर तथ्य हैं तो भी बताया जाना चाहिए कि तथ्य क्या हैं। आपकी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके बहाने इस बात को ढक दिया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय मुख्य मंत्री जी ने मजाक किया है। मैंने लिख कर दिया है कि आम जनता की धारणा है कि अगर इस तरह से चोरी होने लगी तो जनता की जान और माल की रक्षा इस सरकार में नहीं है.......

श्री परसराम मदेरणा : क्या मजाक की है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, इसके ऊपर व्यवस्था दी गई है और यही माननीय सदस्य से निवेदन किया गया है कि इसको कटौती प्रस्ताव द्वारा गृह विभाग की मांग आये उस समय उठाया जा सकता है और माननीय मंत्री महोदय ऐसा मानकर चलते हैं कि उसके विषय में उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस मामले में मुख्य मंत्री महोदय का वक्तव्य होना चाहिए। आज जनता की आम धारणा है कि उनके जान और माल की कोई रक्षा नहीं है.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जानकारी दी जानी चाहिए कि वह कार मिल गई या अभी तक गायब है। एक मंत्री की कार चली गयी है उसका वक्तव्य सदन में आ जाना चाहिए और जबरदस्ती जिज्ञासा का प्रश्न बनाया जा रहा है कोई कहते हैं कि मिल गई है कोई कहता है नहीं मिली है। तो इस मामले में चुप्पी क्यों साधी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि कटौती प्रस्ताव द्वारा इस मामले को उठाया जाये। इसका जवाब दिया जायेगा। मंत्री महोदय से आग्रह किया जायेगा कि वह इसका जवाब दें।

श्री हीराभाई : मंत्री-मण्डल क्यों चुप रहे ? राष्ट्र की सम्पत्ति और राष्ट्र का धन चोरी जाये तो मंत्री-मण्डल चुप क्यों रहे ? उसके बारे में मौन रहने का क्या कारण है ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि आपने कहा कि कटौती प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे को उठा लें। इतना तो ध्यान मुझे भी था पर कुछ विशेष परिस्थितियां हुई हैं.......

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं गृहमंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं इनसे (श्री हरिदेव जोशी) नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : खनिज मंत्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद में उनको बुलवाइयेगा........।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है उसके बाद में क्या कहना है ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के बारे में कोई निवेदन नहीं किया जा सकता। व्यवस्था जो दी जाती है वह अन्तिम होती है।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप सबकी सुनवाई करते हैं मैंने क्या किया है ? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि बैठो तो कम से कम इतना सवाल है कि हमको भी निवेदन करने का मौका दें। आपने कहा कि कटौती प्रस्ताव के समय इस मुद्दे को रख लें, बजट में कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई रिश्वत खा ले तो उसके संबंध में बोल लें। हमने लिखा है उसने गोलियां चलाई, शराब पीकर और रिश्वत ली है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिप्टी एस० पी० मालपुरा ने जांच की है और उसने भी कहा है कि शराब पीकर गोलियां चलाई और आप उसको इतना लाइटली ले रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों का उत्तर देगें उस समय भी साथ में इसका उत्तर देगें।

श्री दिग्विजयसिंह : हम सामान्यत: मान कर चलते हैं कि कटौती प्रस्तावों के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर लेकुना होते हैं उसको पेश करते हैं लेकिन इस दरमियान में कोई घटना घट जाये तो हम कैसे सदन को बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने निवेदन किया कि जब कटौती प्रस्तावों का उत्तर देगें उस समय मंत्री जी इस संबंध में भी अपना वक्तव्य देगें कि यह क्या मसला था ? क्या बात हुई और सबके बारे में।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो आप हमारे ऊपर बड़ा.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने आज्ञा दी है जितना भी मसला पुलिस विभाग में पेश है मैं जवाब दूंगा लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ है कि कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हरिदेवजी जोशी की कार को लेकर यह बात कही बताते हैं और इनके रिश्तेदारों के ऊपर आक्षेप लगाया है। मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस तरह के आक्षेप बिलकुल निराधार हैं और इनके रिश्तेदार का चोरी से या कार से कोई संबध नहीं है। उस कार की जितनी भी जांच या तफतीश पुलिस को करनी चाहिये थी की गई है और कर रही है। पुलिस तफतीश के हालात को सदन में मेरे लिए बताना उपयुक्त नहीं होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा कह देता हूं कि जिस किसी माननीय सदस्य का इस तरह का सोचना है कि उनके किसी रिश्तेदार के लिए या और कोई बात के लिए वह बिल्कुल निराधार है और मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को चोरी के मुतल्लिक कोई सुराग हो और कोई जानकारी हो तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा कि वह मुझे इस बात की जानकारी दें।....

श्री हीराभाई : आपका क्या आधार है निराधार करने का ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : कहां ले गये और कहां क्या किया जा रहा है इसका जवाब दो तब तो हम निराधार मानेंगे। हम कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी गई वह बेच दी गई या रिश्तेदारों ने छिपा दी ? हमारा सीधा आरोप है कि जो मन्त्री हैं इन्होंने अपनी मर्जी से कहीं गुमाई है और कहीं छिपाई है।....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मालूम है ?

श्री हीराभाई : मालूम है तो आप क्यों गुम हैं ? मुर्गी का अण्डा गुम जाये तो आप उस पर तो बिजली का करेन्ट लगाते हो और गाड़ी चली जाये. तो उसके लिए पता नहीं, उसका क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। जांच करने पर पूरा पता लगेगा लेकिन यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम कटौती प्रस्ताव लायें तब एक माननीय मन्त्री जी जिनके पास १८-२० हजार की राज्य की अमानत थी जो गुम हो गई उसको यहां पर बतायेंगे कटौती प्रस्ताव के ऊपर या यह जिम्मेदारी का काम होना चाहिये कि इस सदन के बैठते ही जो एक अमानत थी गायब हो गयी सदन को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए था कि मेरे पास ऐसी चीज थी और इन हालात में गई है और उसकी इन्क्वायरी हो रही है। तीन बार सदन में मामला

(श्री रामानदन्द अग्रवाल)

आया लेकिन आज तक उसके मामले में इन्डीकेशन नहीं। अभी तक माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कहां से चोरी हुई, कैसे हुई और क्या हुआ। एक चीज की इन्क्वायरी कर ली कि आपको उसमें डाउट था कि इनके रिश्तेदारों ने नहीं की। इसका मतलब यह है कि यह मामला अभी जेर गौर था जेर तफतीश था कि इनके कोई रिश्तेदार उसमें इनवाल्ड थे और उसकी जानकारी करके इस नतीजे पर पहुंच गये कि इनके रिश्तेदार ने नहीं की है और किसी ने की है उसकी जांच कर रहे हैं। तो वह क्या उत्तर हुआ ? आपको सारे हालात बताने चाहिए कि कब चोरी हुई और जिसकी आपकी इन्क्वायरी के ऊपर असर नहीं पड़े और न मैं चाहता हूं कि आपकी इन्क्वायरी पर कोई असर पड़े लेकिन हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए उसके बजाय आप पर्दा डाल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय साधारण चोरी का मामला है इसमें इतने सगीन बताया है। एक गाड़ी चोरी चली गई उसके लिए कहा कि उसमें यहां सदन को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए था। इसमें तो सदन को कॉन्फीडेन्स में लेने वाली कोई बात है नहीं। सारा मामला समाचार पत्रों में आ चुका है। सदन में किसी ने उठाया नहीं। अगर उठाया जाता तो मैं जरूर जवाब देता और श्री रामानन्द जी ने जो आरग्यूमेन्ट दिया है कि चूंकि मैंने यह कहा कि उनके रिश्तेदार सस्पेक्टेड नहीं हैं तो चूंकि वह सस्पेक्टेड थे इसलिए जांच कराई और जांच से निर्दोष पाया गया यह अजीब फेलेशस आरग्यूमेन्ट है और तफतीश के दौरान में उनके रिश्तेदारों के ऊपर कोई बात नही आई वह इसमें है।

माननीय सदस्य को अगर जानकारी है अगर वे देदें तो मैं उनका आभार प्रदर्शित करूंगा। आप देदें जानकारी कि गलती क्या है। रहा सवाल इस बात का कि कान्फिडेन्स में नहीं लिया तो इसमें कोई बात छिपाने की नहीं है। रिपोर्ट की है, समाचार पत्रों में निकला है। इसकी अख-बारों में रिपोर्ट निकली इसलिए इसमे क्या बात है छिपाने की ?

रहा सवाल तफतीश का तो आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि तफतीश के हालात मेरे लिए यहां बताना नामुमकिन है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुस्तबा हैं, कुछ लोगों पर शक किया जाता है। जो लोग मुस्तबा हैं और जिन लोगों पर शक किया जाता है, जिनके लिए खयाल होता है तो मैं जानता हूं कि उनमें इनके कोई रिश्तेदार छोड़ कर इनकी कोई जान-पहचान का भी नहीं है। यह बराबर कह सकता हूं। यह जो रामानन्द जी बार-बार कहते हैं इस प्रकार की अगर कोई दलील किसी अदालत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में दे तो अदालत के लिए इन्साफ करना मुमकिन नहीं होगा ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह बात मेरी समझ में आती है कि एक छोटी सी बात कार की चोरी के बारे में इतना बड़ा सदन में हल्ला नहीं होना चाहिये । आपके सारे घर को ही उठा ले जाये तो हम हल्ला नहीं करें....

श्री दामोदरलाल व्यास : क्यों करेंगे आप हल्ला ?

श्री मदनसिंह : बात यह है कि इस सम्बन्ध में....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी हमदर्दी ऐसी ही है यह हम जानते हैं ।

श्री मदनसिंह : यह चर्चा है कि पाकिस्तान में वह कार पहुँच गई तो आप बता दें कि पाकिस्तान पहुँच गयी है तो फिर नहीं पूछेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उत्तर नहीं दिया कि अगर कहीं दौरे पर गये हो और कहीं सड़क पर बाहर खड़ी कर दी हो और वहां से चली गई हो तो बात दूसरी है । वह गाड़ी आपके गैराज में से, आपकी कोठी से गई है । बाहर सिपाही की गार्ड खड़ी है तो इसका अपने आप में बड़ा असर पड़ता है । आम जनता पर इस बात का असर पड़ता है कि मंत्रीजी के यहां से चीज चली जाय तो यह बहुत बुरी चीज है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मामला बिल्कुल साफ है कि कार मकान के अन्दर कम्पाउन्ड के अन्दर से गई है और वहां पर गार्ड लगी हुई नहीं थी । यह साफ है मामला अब रहा सवाल....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरी जानकारी दे दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दी हैं और क्या जानकारी चाहते है ? मैंने कहा है कि इनके क्वार्टर के कम्पाउन्ड के अन्दर से रात को गाड़ी चोरी चली गई । वहां पर गार्ड पोस्टेड नहीं थी उस वक्त ।

श्री जकनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार की चोरी के मामले से आम जनता में इस तरह का वातावरण पैदा हो रहा है और जनता में यह भावना बनती चली आ रही है कि जनता के जान-माल की पुलिस, गृहमंत्रीजी और राजस्थान के मंत्री-मंडल के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है । इसको माननीय गृह मंत्रीजी एक छोटी सी बात कहते हैं कार की चोरी की । कार एक छोटी सी चीज नहीं है

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कि कोई उसको जेब में उठाकर ले जा सके, कोई उसको बाक्स में रखकर ले जा सके। माननीय मंत्रीजी की निजी कार तो मत्रीजी के गैराज में मौजूद और सरकारी कार के वहां से चोरी हो जाने को माननीय गृह मत्रीजी छोटा-मोटा मामला बताते हैं तो फिर बड़ा मामला क्या कोई हाथी की चोरी का समझा जायगा? आपके यहां तो यह है कि एक माचिस को चुराने वाला भी चोर समझा जाता है। लेकिन मंत्री महोदय के घर से सरकारी कार का चोरी हो जाना और मंत्री महोदय की निजी कार वहीं बन्द रहे उसको नहीं छेड़ते हैं, वह इस बात को साबित करता है और इससे साफ जाहिर होता है कि इस का जन-मानस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए माननीय गृहमंत्रीजी इस बात को बहुत सीरियसली लें और इस बात में टालबाजी न करें। मौजूदा गृह मंत्रीजी राजस्थान के सरकारी कार की चोरी के सम्बन्ध में इस तरह से कहें यह कोई छोटा-मोटा प्रश्न है, यह साफ बताता है.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री नत्थीसिंह : यह बड़े ही हलकेपन से माननीय गृहमंत्रीजी ने कहा कि यह चोरी साधारण सी बात हैं। हम मानते हैं कि चोरी रोज होती हैं, हम नहीं कहते हैं कि मंत्री महोदय ने कार जान बूझकर वह की हो, लेकिन मत्री महोदय के यहां चोरी हो गई तो फिर किसी भी दिन किसी का ठिकाना नहीं है। रोज चोरियां होती हैं, लेकिन अखबारों में यह बात आई है और अखबारों में यह निकला है कि चोरी होती है उस दिन से पहले वह गाड़ी झुन्झुनू की तरफ झण्डा लगी हुई जाती हुई देखी गई है और ३ आदमी उसमें बैठे हुए थे। यह भी कहा जाता है, हम साफ करना चाहते हैं कि हमको मन्त्री महोदय से कोई ग्रज नहीं है कारकी चाबी मंत्रीजीके पास थी। वह हालत पैदा करते हैं इस बात के बारे में तो उनके साथ न्याय नहीं होता है। और आम जनता में आज किस तरह की चर्चायें और बातें हैं कि मंत्री महोदय के यहां चोरी हो गई सरकार की कार और आज तक पता नहीं लगा तो रोज चोरियां और डकैतियां होती हैं उनका क्या होगा और राजस्थान में सुरक्षा-व्यवस्था की क्या भावना रहेगी? इसको साफ करना चाहते है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रात को गई या दिन को?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय गृह मंत्रीजी यह भी सूचना दे दें कि सरकार की कहां थी?

श्री हरिदेवजोशी (विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दरअसल में बीच में पड़ना नहीं चाहता था इस लिहाज से कि

(श्री हरिदेव जोशी)

इसमें कार की चोरी का जितना वह नहीं लगता है उतना मुझे इसको एक प्रकार से पोलिटिकल इश्यू बनाने की बात दिखती है, मुझे क्षमा किया जाय। फैक्ट्स के समय न मैं यहां था और न होम मिनिस्टर साहब यहां पर थे। मेरी एबसेन्स में वह हुआ। इसलिए मैं इसको वह कर देना चाहता हूं।

कार एम० एल० एज० क्वार्टर्स बी-४ जहां मैं रहता हूं वहीं रात को जब मैं आया बाहर से लगभग १।। बजे तो उसमें रखी हुई थी। कार की चाबी मेरे घर के अन्दर हमारे पास में ही थी। उसके बाद में कोई आदमी हमारे वहां से बाहर नहीं निकला। और उन दिनों उसके बहुत पहले से ही गार्ड सिवाय चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के किसी भी मिनिस्टर के वहां नहीं रहती थी। रात को कार कैसे गई, क्या हुआ, क्या नहीं।

श्री दौलतराम सारण: पहरेदार रहता है।

श्री हरिदेव जोशी: इस समय रहता है। कार चोरी जाने के बाद से वह व्यवस्था की गई है।

उसके बाद जब सवेरे लगभग उठे तो किसी ने उस तरफ नहीं देखा। ७-७।। बजे जब मैंने बाहर जाना चाहा तो मैंने कहा कि गाड़ी लाओ तो उस समय ड्राइवर नहीं आया था। ड्राइवर आया और उसने देखा कि गाड़ी नहीं है। अकसर यह होता है कि ड्राइवर सवेरे ही कार लेकर गाड़ी की सफाई करवाने और पेट्रोल वगैरह डलवाने जाया करते हैं। ड्राइवर आया उस समय देखा कि गाड़ी नहीं थी। तुरन्त पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई। क्यों कि मेरे मकान से चोरी हुई थी तो सर्वोच्च अधिकारी ने आकर सब लोगों से पूछताछ की और जितना भी जो कुछ भी कर सकते थे मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने करने की कोशिश की है। यह फेक्चुअल नेरेशन मैं करना चाहता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसमें आपने जो बात कही वहां पर गार्ड नहीं थी, और शायद आप यह बात भूल गये कि आपके क्वार्टर के बाद चार क्वार्टर्स को छोड़कर ही पुलिस की चौकी है। बी० ४ के बाद में बी० ८ में पुलिस चौकी मौजूद है। यह भी आपको मालूम होगा कि रात्रि में एम० एल० एज० क्वार्टर्स के आसपास पुलिस की तरफ से गश्त लगाई जाती है और नियमित रूप से लगाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपके घर के बाहर गार्ड है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। बंगले के पास में पुलिस की चौकी है और फिर एम० एल० एज० क्वार्टर्स में पुलिस की तरफ से गश्त लगाई जाती है, और उस एरिया में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस वक्त दो पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे यह बात पुलिस रेकार्ड से साबित है। फिर कहा कि ड्राइवर आता है गैराज में जाकर गाडी निकालता है और साफ करता है यह सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि गाड़ी जो चोरी चली गई। आपकी भी गाड़ी थी बंगले में लेकिन आपकी गाड़ी चोरी नहीं गई। यही गाड़ी चोरी कैसे चली गई। चोर को चोरी करनी थी तो आपके घर की गाड़ी को क्यों नहीं ले गया, केवल सरकारी गाड़ी चोरी गई? जो उत्तर आपने सदन में दिया था तो आपने यह नहीं बताया कि कम्पाउन्ड में आपकी गाड़ी भी थी। सरकारी गाड़ी को चोर ले गये और घर की गाड़ी को नहीं ले गये। सरकारी गाड़ी ले जाय यह थोड़ा सा सन्देह पैदा करेगा। इस स्थिति को स्पष्ट करना होगा। आप विश्वास रखिये कि रामचन्द्र आर्य आपके चीफ मिनिस्टरशिप के रास्ते में रुकावट नहीं हैं और आपकी पार्टी के सदस्यों ने प्रोवोक किया है। वह हो सकता है और वह स्थिति अभी भी चली जा रही है उसके बारे में रूल आउट नहीं किया गया है जो अभी नत्थीसिहजी ने कहा था बाकी हम नहीं चाहते थे कि इसको एजर्नमेंट मोशन के रूप में न उठाया जाय। उस पर दूसरी डिबेट पर कह सकते थे, लेकिन यह मेटर एजिटेट जरूर करता है। लेकिन आम चर्चा है, क्योंकि समाचार पत्रों में आया है कि ऐसी कार झुनझुनूं की तरफ देखी गई है, क्योंकि समाचार आता है कि लुहारु की तरफ देखी गई है। यह अखबार के कटिंग्स मौजूद हैं। ११-११-६७ का अखबार है उसमें लिखा गया है कि झुंझुनूं की तरफ जाती हुई देखी गई है। ये पेपर के कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। लुहारु का नाम लिया है तो मेरा यह मतलब नहीं है कि नवाब साहब लुहारु का इसमें हाथ है, उनकी तरफ मेरा कतई संकेत नहीं था, और न मेरे दिमाग में यह बात थी कि लुहारु का नाम लेने से नवाब साहब लुहारु के दिमाग में यह वहम हो जयगा कि चोरी में उनका हाथ होगा। वह ४७ के पहले की बात है। जनता की ऐसी धारणा है, नत्थीसिहजी ने बात कही, उनके पुत्र के सम्बन्ध में बात कही मै विश्वास नहीं करता, लेकिन लोग कुछ कहते हैं, चर्चा सब लोगों में जरूर चल रही है एक भ्रान्ति है उसका निकाल होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि इनके ताल्लुकात बाहर के ऐसे लोगों से थे, कुछ कहते हैं कि सरकारी कागजात थे। कुछ कहते हैं इसमें रेकॉर्डिंग मशीन थी, कुछ कहते हैं आपकी कुछ वार्तालाप को रेकार्ड किया गया था। ऐसी कई तरह की बातें चल रही हैं। लोगों में ऐसा कुछ भ्रम है। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं करें। बाकी ऐरे गैरों की कार चोरी चली जाती हैं तो मिल जाती है तो इनकी कार क्यों नहीं मिली? हो सकता है यह पोलिटिकल मसला हो, आपस की राइवलरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है । कौन चीफ मिनिस्टर बनें ? अभी तो सुखाड़ियाजी जा नहीं रहे हैं अभी तो महीने दो महीने की देरी है । इन्वेस्टिगेशन कहां तक हुआ है आप सदन को बताना नहीं चाहते आप पब्लिक में क्लांउड बना रहे हैं, हरिदेव जी की कार पाकिस्तान चली गई । इस तरह का क्लाउड बनाकर कुछ करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनसंघ के माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने तो मुझे मेलाइन करने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता उन्होंने होम मिनिस्टर साहब की तरफ इशारा किया । मैं उस समय कोई वो नहीं था, इन्क्वायरी नहीं करते, मेरी गाड़ी भी उस समय मकान में थी । रहा सवाल मेरे मकान के पास चौकी है उसके बावजूद भी चोरी हुई यह भी एक तथ्य है और माननीय सदस्य को पता होगा कि चौकी के पास और चौकी के अन्दर भी चोरी हो सकती है और घटनाएं हो सकती हैं इसलिए मुझे यह नहीं कहना फेक्च्युअलीकि चौकी नहीं थी इसलिए चोरी हुई है । यह आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस समय चोरी हुई उस समय पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे, यह आपकी जानकारीमें है मेरी जानकारी में नहीं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई उसमें भी लिखा है जब कि चार बंगलों के आगे ही पुलिस चौकी है, सरकारी गाड़ी थी और २ सिपाही आपके वहां ड्यूटी पर थे ।

श्री हरिदेव जोशी : जो स्थिति मेरे सामने है वह मैंने सामने रख दी । अब मैं यह कतई नहीं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब जिसको भी समझते हैं इन्टेरोगेट नहीं करें । जिसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी हो करें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस ने आपको इन्टेरोगेट किया या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ पुलिस को करना था वह किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा आफिसर था जिसने आपको इन्टेरोगेट किया ? उपाध्यक्ष महोदय, किसी और व्यक्ति की कार चली जाती या किसी ऑफिसर के यहां चोरी हो जाती तो पुलिस सब से पहले शक जिसको सौंपी गई है उस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर करती और उसको एग्जामिन करती, इन्टेरोगेट करती। मैं समझता हूं मन्त्रीजी मिनिस्टर हैं इसलिए इस स्टेट के किसी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि वह इनको इन्टेरोगेट करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इम्पलीकेट नहीं करता कि मन्त्रीजी पर शक है लेकिन मैं रूल आउट भी नहीं करता इस तथ्य को। यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। यह भी एक चर्चा है कि एक गाड़ी पकड़ी गई है उसके नम्बर प्लेट दूसरे थे। चोरी करने वाले किसी गांव के मीणा वगैरह है जो चोरी करते हैं। आप इस तरह की एन्क्वायरी करें लेकिन यह बात अवश्य है कि जिन हालात में यह गाड़ी चोरी गई है, माननीय मन्त्रीजी के पास यह गाड़ी स्टेट की धरोहर थी, स्टेट की प्रॉपर्टी थी, पास ही में पुलिस की चौकी थी, गाड़ी बिना स्टार्ट किये नहीं जा सकती थी। हम भी वहां पास में ही रहते हैं। उस चौकी में रहने वाले सिपाही भी हैं। माननीय मन्त्री महोदय इम्पॉर्टेन्ट एविडेंस हैं। इस केस की निष्पक्ष जांच हो सके यह स्टेट पुलिस के वश की बात नहीं है। इसलिये यह इन्क्वायरी सेन्ट्रल पुलिस को देना चाहिये ताकि चोरी का पता लगाया जा सके। मन्त्रीजी के ऊपर लोगों ने अभी से छींटे उछालने शुरू कर दिये हैं गृहमन्त्रीजी से जेलिसी होगी, आपस में राइवलरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कई कारें चोरी चली जाती हैं, इस सिलसिले में जांच के दौरान कई कारें पुलिस ने बरामद भी की हैं, कई कारें चोरी जाती हैं, बरामद होती हैं, इनके कम्पाउन्ड से कार चोरी जावे और बरामद नहीं हो तो इनको और इनके रिश्तेदारों को मलालत करने की कोशिश की जाती है यह अजीब सी बात है।

श्री रामचंद्र आर्य : आम जनता की यह धारणा बनी है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि वहां पर पुलिस का पहरा था, मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि बगले में जहां गाड लगी हुई है, मकान के अन्दर से गाड़ी निकाल कर कोई बाहर ले जाता है तो कोई यह नहीं पूछता कि कहां जा रही है। मिनिस्टर के यहां से गाड़ी किसी भी समय बाहर जा सकती है, गश्तवाला उसको नहीं पूछता। यह भी कहा गया कि वहां पास में ही चौकी थी और गश्त होती थी। चौकी है और चौकी वाले का फर्ज है कि गश्त करे। यदि गश्त लगा भी रहा हो और गाड़ी चोरी चली गई तो शक की गुंजायश नहीं रहती कि चोरी करने वाला गाड़ी निकाल कर ले जा रहा है। गाड़ी कम्पान्ड में थी, चाबी मकान के अन्दर थी, पता नहीं कैसे दूसरी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाबी लगा कर ले गया या कैसे ले गया। पाकिस्तान चली गयी या कहां चली गयी पुलिस के पास इसकी खबर नहीं है। माननीय सदस्यों के पास खबर हो तो मैं आभारी हूं सूचना दें तो। इसको पोलिटिकल कलर देना, चोरी बरामद नहीं हो तो रिश्तेदारों के बारे में कहना कि रिश्तेदार शामिल होंगे या गृह मन्त्री होंगे इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की और गाड़ियां चोरी चली जायं तो उसका महत्व नहीं। चोरियां एक नहीं अनेक होती हैं, बरामद भी होती हैं। इस सिलसिले में और भी कई कारें बरामद हुई हैं। अजीब आपके आरगुमेन्ट्स हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मामूली आदमी के घरसे चोरी हो जाती तो कोई ऐसी बात नहीं थी लेकिन एक सरकार के सदस्य होने के नाते उनके ही घर से चोरी हो जाती है और उसका पता नहीं लगा सकते तो जनता के सुरक्षा की कैसे रक्षा करोगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप आराम से बैठे हैं यह क्या सुरक्षा नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी अभी तक जो जांच हुई है उससे क्या आप इस एलीगेशन को रिफ्युट कर सकते हैं कि कार पाकिस्तान नहीं गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई सूचना नहीं है पुलिस के पास पाकिस्तान जाने की।

श्री मदनसिंह :(दांता रामगढ़) क्या मन्त्रीजी मुझे ऐसे पावर्स देंगे कि मैं वहां तक इन्क्वायरी कर सकूं जहां तक मुझे शक है ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थीसिंह : एक बात रह गई है। क्या इसकी सेन्ट्रल पुलिस से जांच कराने को तैयार हैं ? इस पर आप सोचिये कि क्या इसकी सेन्टर पुलिस के द्वारा जांच कराने को तैयार हैं ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इमीजियेटली इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही की गई है, एस. पी. और आई जी. पी ने इमीजियेटली इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही की है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या माननीय हरिदेव जी को इन्टरोगेट किया है, तो इन दोनों ऑफिसर्स ने इन्टेरोगेट किया है, इनसे और दूसरे मुलाजिमों से जैसा कि तफतीश का तरीका है, उस तरह से तफतीश की है और उसमें लिहाज नहीं बरता गया है।

श्री मदनसिंह : यह तो ठीक है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : गृह मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है वह तो ठीक है, लेकिन क्या मंत्री महोदय इसकी इन्क्वायरी सेन्टर से कराने के लिए तैयार हैं ? इसकी इन्क्वायरी मत्री महोदय का केस होने के कारण यहां की पुलिस नहीं कर सकती, इसलिये क्या आप सेन्ट्रल सी. आई. डी. से करवाना चाहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री विट्ठल प्रसाद !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, एक........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विट्ठलप्रसाद !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो एक व्यवस्था दी थी, जो पाइन्ट आफ आर्डर माननीय भैरोंसिह जी ने रेज किया था उस सम्बन्ध, में उस व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि यह एक किताब है, 'लेटेस्ट प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेन्ट ।' यह १९६७ का एडीशन है, इसमें डिप्टी स्पीकर की पावर्स और फक्शन के लिए और कोई अगर प्रिसाइड करें तो उनके सम्बन्ध में लिखा हुआ है ।

"Ruling given from the Chair settles the matter and then that cannot be re-opened by any one."

अब वह एडजोर्नमेंट मोशन आपने रिजेक्ट कर दिया, वह रिओपन नहीं हो सकता । अब आप यह व्यवस्था भी करते हैं कि आपको रिजेक्ट करने की पॉवर्स नहीं हैं तो जो नहीं होना चाहिए थी वह हो गई। अब वह रीओपन नहीं हो सकता । उस सूरत में एक यह हो सकता है कि आप स्वयं डिसीजन दे दें 'However when a point raised needs more consideration and involves more precedent........such, it is open for the Chair or the Dy. speaker to leave the decision for the speaker.'

इसलिए इन एडजोर्नमेंट मोशन पर रिजेक्शन की व्यवस्था है उस व्यवस्थाको रिवाइज करके इस मैटर को, एडजोर्नमेंट मोशन की व्यवस्था है, स्पीकर की व्यवस्था तक, इस चेप्टर को ओपन कर दें तो व्यवस्था का महत्व हो सकता है नहीं तो व्यवस्था नेगेटिव होगी । इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन के द्वारा व्यवस्था देने के बाद पॉइन्ट आफ आर्डर उठाया गया था, उस पर यह व्यवस्था दी गई कि इस पर सोच विचार करके बाद में निर्णय दिया जायगा। तो जो पहले निर्णय दिया गया है वह तो जो दिया गया वह बिल्कुल ठीक है उसके बाद में क्या हो सकता है, यह बाद में विचारने की बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी सैन्ट्रल सी. आई. डी. के द्वारा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने काफी कुछ कह दिया है।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपकी व्यवस्था के द्वारा जो मेरा करौली के सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेंट मोशन था........

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था फिर आप सोच विचार करके नहीं चाहते, तो जो व्यवस्था दी जाती है उसके बाद वह व्यवस्था ठीक है और वही व्यवस्था कायम रहेगी और उसकी अपील नहीं कर सकते। इसलिये मैंने निवेदन किया, वह कानूनी मसला है, उसके अन्दर पूरे हमारे देश के अन्दर संवैधानिक पेचीदगियां आइ हुई हैं, उस हिसाब से निर्णय देने का विचार है। वैसे हम निर्णय देते हैं, वह बिल्कुल ठीक है। यह मैं निवेदन कर दूं। लेकिन उस पर विचार करने दीजिये। उस दृष्टि से मैंने व्यवस्था दी थी।

श्री श्रवणलाल : मैं जो कह रहा था वह दूसरा था। करौली जिले में कुछ घटनायें हो जाने के कारण मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर वक्तव्य देने के लिए चेम्बर की तरफ से गृह मंत्री को आदेश दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आदेश नहीं है।

श्री श्रवणलाल : वक्तव्य दिलाये जाने का था।

श्री खेतसिंह : २७ का था।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा कोई आदेश नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : २७ को तो पुलिस डिमान्ड है।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेटमेंट नहीं देना है। आपके स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए पुलिस डिमाण्ड पर अपनी बात कह देने को कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको उस दिन उत्तर मिल जायगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री विट्ठल प्रसाद !

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अकलेरा (झालावाड़) चेचट, रामगंज मण्डी, सांगोद (कोटा) क्षेत्र के निजी कुए, सरकारी दर्ज हो जाने तथा सरकार के आदेश हो जाने के पश्चात् भी उन्हें वापिस काश्तकारों के नाम दर्ज न किए जाने से सम्बन्धित चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

मुख्य मन्त्री !

श्री ओमदत्त भाटी : मेरी याचिका का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी सूचना देते हैं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति (क–५) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. २३ (२) नियु. का।६० दिनांक ५ फरवरी, १९६८ को, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (चयन आयोग सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, १९६७ जारी किये गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामकिशन : क्या चीज है ?

श्री नत्थीसिंह : संशोधन नियम हैं, किसी को देना चाहते होंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंचायत समिति और जिला परिषद् कमीशन के बारे में हैं।

श्री रामकिशन : कार्य के बारे में हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सबोंडिनेट सर्विसेज के बारे में।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या हुआ उस याचिका का ?

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्तुत कर दीजिये।

याचिका का उपस्थापन

श्री ओमदत्त भाटी : मैं जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र नं० १ में खेमा के कुए की बस्ती में पेय जल की व्यवस्था के संबंध में ८ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

Page No. 95

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव!

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-शिक्षा-विभाग में पदोन्नति

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस आपके माध्यम से दिया था, जिसको स्वीकार कर आपने मुझे इस सदन के सम्मुख मेरे प्रस्ताव को रखने की अनुमति प्रदान की, मैं इसके लिए आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"चालू शिक्षा सत्र में उपसंचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर ने थर्ड ग्रेड के अध्यापकों को सैकिंड ग्रेड में पदोन्नत किया है। पदोन्नति करते समय शिक्षा उप-संचालक महोदय ने नियमों व वरिष्ठता सूची की पूर्ण रूप से अवहेलना की है। वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति से वंचित रह गए हैं। जूनियर व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुसार शिक्षा उप-सचालक जी ने प्रमोशन दे दिये हैं। शिक्षा उप-संचालक जी की अनियमित कार्यवाही के शिकार झुंझुनूं एवं सीकर जिले के अध्यापक हुए हैं।

इन दोनों जिलों के शिक्षक संघों ने विभाग की इस कार्यवाही के खिलाफ विभाग को विरोध प्रकट किया है परन्तु विभाग ने इस विरोध का शमन करना उचित नहीं समझा।

शिक्षा उप-संचालक जी की इस कार्यवाही से झुंझुनूं एवं सीकर के शिक्षक वर्गों में असंतोष व्याप्त है। अतः मैं इस ओर माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।"

अब मैं माननीय शिक्षा मत्री का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करना मुनासिब समझूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चालू शिक्षा सत्र में जुलाई से लेकर दिसम्बर तक शिक्षा विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, जयपुर जिला के यहां से थर्ड ग्रेड के अध्यापकों का प्रमोशन सैकिंड ग्रेड के अन्दर हुआ है, उन अध्यापकों के प्रमोशन में जो सीनियर थे सर्विस के लिहाज से और क्वालिफिकेशन के लिहाज से दोनों लिहाज से जो वरिष्ठ थे, उनको पदोन्नतियां रह गई हैं और जो जूनियर थे उनको पदोन्नतियां मिल गई हैं—इस प्रकार की शिकायत शिक्षक संघ झुंझुनूं, शिक्षक सघ सीकर— दोनों ने राज्य सरकार और डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और संचालक महोदय, बीकानेर के पास भिजवाई। सीकर और झुंझुनूं, दोनों जिलों में इस प्रकार की कार्यवाही से करीब सौ अध्यापक प्रभावित हुए हैं। उनमें इस मामले को लेकर गहरा असंतोष है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्री जी की जानकारी के लिए अध्यापकों का एक तुलनात्मक विवरण पेश करता हूं। एक अध्यापक है, जिसने शिक्षा उप-विभागाध्यक्ष के पास में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस अध्यापक ने तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनके पास एक तालिका भेजी है। एक अध्यापक है उसकी नियुक्ति १९५४ में हुई। वह मिडिल पास है। इसके साथ दूसरा अध्यापक और है जिसकी नियुक्ति १९५५ के अन्दर हुई है और तीसरा अध्यापक है जिसकी नियुक्ति ५-७-५६ को हुई है। ये तीनों ही बेसिक एज्यूकेशन मिडिल पास हैं। पहला अध्यापक जो है, जिसने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसने १९५४ में मैट्रिक पास की है, दूसरे ने १९५५ में मैट्रिक पास की है और तीसरे ने मैट्रिक १९५६ में पास की है। पहला वाला अध्यापक है, उस अध्यापक ने इन्टर १९५७ में की है, दूसरे ने १९६१ में की है और तीसरे ने १९५८ में की है। और एस. टी. सी. पहले वाले अध्यापक ने १९५८ में की है, दूसरे अध्यापक ने ५९ में की है और तीसरे ने ५९ में की है। पहले अध्यापक ने बी. ए. ६२ में किया है, दूसरे ने ६२ में किया है और तीसरे ने ६५ में किया है। तीसरे अध्यापक को मिडिल ट्रेन्ड ग्रेड १९५७ में मिल गई थी, जब कि एपाइन्टमेंट के समय तीनों अध्यापक मिडिल पास थे, पहले की नियुक्ति १९५४ में हुई, दूसरे की नियुक्ति १९५५ में हुई और तीसरे की नियुक्ति ५-७-५६ में हुई थी। तो जिसकी नियुक्ति ५-७-५६ को हुई उसको तो मिडिल ट्रेन्ड ग्रेड मिल गई और दूसरे अध्यापक अनट्रेन्ड मिडिल ग्रेड में चल रहे थे। ५-७-५६ को इस अध्यापक का मिडिल ट्रेन्ड ग्रेड मिलने को सूचना मिल गई जब कि दूसरे दोनों अध्यापक, जिनका मैंने जिक्र किया है, वह अनट्रेन्ड में चल रहे थे। इसके बाद मैट्रिक की ग्रेड का १-५-६७ को सरकारी आदेश के मुताबिक दे दी गई, इस तीसरे अध्यापक को। और जिन दो अध्यापकों का जिक्र मैंने किया है, उन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन इसके बाद में दिया है और उसमें लिखा है कि वह क्वालिफिकेशन और वरिष्ठता में इनसे ज्यादा हैं। इसने मैट्रिक ५८ में पास की है और बी. ए. सब से पहले वाले अध्यापक ने ६२ में किया है और तीसरे अध्यापक ने ६५ में किया है, दूसरे ने भी ६२ में किया है और इन तीनों में से तीसरे को थर्ड ग्रेड से सैकिंड ग्रेड सब से पहले दी गई है जब कि शेष अध्यापक हैं वह सर्विस के लिहाज से और एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन के लिहाज से इन से सीनियर हैं, लेकिन इनको प्रमोशन देने से वंचित किया गया है। इसकी जानकारी करने पर बताया गया कि अब की बार अध्यापकों को प्रमोशन दिया गया है वह सीनियरटी और एज्यूकेशन के बेसिस पर दिया गया है जब कि पहले प्रमोशन देते थे वह सीनियोरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कायम होती थी, उसके हिसाब से देते थे। इस तरह झुंझुनू

(श्री रामनारायण चौधरी)

और सीकर जिले के अध्यापक इससे पहले थे इनको सैकिड ग्रेड का प्रमोशन देने में काफी बड़ी भूल हुई है और उस भूल की वजह से हमारे यहां के सीनियर, वरिष्ठता के आधार पर, सर्विस की सीनियरिटी के आधार पर, क्वालिफिकेशन को सीनियरिटी के आधार पर, अध्यापक प्रमोशन से वंचित हुए हैं, झुंझुनू और सीकर जिले के करीब सौ अध्यापक इससे वंचित रहे हैं। इस ओर मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस सारे मामले को देखें और हमारे जिले से प्रभावित होने वाले अध्यापकों की जो वाजिब शिकायत है उस शिकायत को दूर करने की कृपा करें।

समितियों के प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं देवस्थान विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, १९६५-६६ के बीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में, प्राक्कलन समिति, १९६७-६८ के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षामन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामनारायण जी ने झुंझुनू के अध्यापकों के सम्बन्ध में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैंने शिक्षा विभाग से जानकारी हासिल की है और उस जानकारी के आधार पर मैं यह वक्तव्य यहां पर दे रहा हूं—

"जयपुर अजमेर वृत्त में इस वर्ष जो द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नतियां दी गई हैं वो वरिष्ठता के आधार पर दी गई हैं। द्वितीय वेतन श्रृंखला में जो पदोन्नतियां दी गई हैं वो सभी जिलों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक तथा संस्कृत के शास्त्रियों को दी गई हैं। संस्कृत के शास्त्री बी. एड. अध्यापक के समकक्ष माने गये हैं। प्रत्येक जिले से ऐसे अध्यापकों की सूची मंगवाई गई जो तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे थे और इन सूचियों में बताई गई वरिष्ठता के अनुसार वृत्त के स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार की गई। वृत्तस्तरीय सूची के आधार पर प्रत्येक अध्यापक की वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए तथा द्वितीय वेतन श्रृंखला में उपलब्ध रिक्त स्थानों के अनुसार पदोन्नतियां दी गई हैं।

अभी तक जिन अध्यापकों को पदोन्नतियां दी गई हैं वे वो अध्यापक हैं जो १-७-६० को या उससे पूर्व ट्रेण्ड इन्टर ग्रेड में वरिष्टता नियमों के अनुसार (प्रति संलग्न है) ट्रेण्ड इन्टर ग्रेड में माने गये थे। ऐसे अध्यापक जो १।७।६० को ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड

(श्री शिवचरण माथुर)

में माने गये हैं उनमें से भी अभी बहुत से अध्यापक पदों के अभाव में पदोन्नति से वंचित रह गये हैं।

(१.४१ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, पदासीन)

"झुंझुनूं जिले में कुछ अध्यापकों को वरिष्ठता नियमों का लाभ नहीं मिल सका है। वह वे अध्यापक है जिनको विद्यालय निरीक्षक ने १।६।६१ से ट्रेन्ड इण्टर ग्रेड में पदोन्नत किया था। राज्य आज्ञा क्रमांक एफ। १। (५१) एफडी-ए। आर। ६१ दिनांक १८। १२। ६१ के अन्तर्गत ट्रेण्ड इण्टर ग्रेड तथा इसके नीचे के ग्रेड मिलाकर तृतीय वेतनश्रृंखला में समीकरण कर दिया गया था। यह राज्य आज्ञा १। ९। ६१ से लागू की गई। अत: झुंझुनूं जिले के जिन अध्यापकों को १। ६। ६१ से ट्रेण्ड इण्टर ग्रेड में पदोन्नतियां हुई थीं वे सभी निरस्त कर दी गई और इस कारण इन अध्यापकों की वरिष्ठता को अवश्य ठेस पहुंची है। इन अध्यापकों को उचित वरिष्ठता लाभ देने के लिए राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

जहां तक सीकर जिले का प्रश्न है वहां पर सन् १९६१ में १।६।६१ से पहले ट्रेंड इंटर ग्रेड इत्यादि में पदोन्नतियां कर दी गई थीं और इस कारण वहां के अध्यापकों को उचित वरिष्ठता का लाभ प्राप्त हो गया है।

शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शिक्षा उपनिदेशक से कई बार मिल चुके हैं और शिक्षा उपनिदेशक द्वारा उनको स्थिति स्पष्ट करके बताई जा चुकी हैं।

द्वितीय वेतन श्रृंखला में जो पदोन्नतियां दी गई है वह सभी अस्थायी हैं।"

श्रीमती सभानेत्री : माननीय राजस्व मन्त्री। (मुख्यमन्त्री के खड़े होने पर) स्टेटमेंट देना है राजस्व मन्त्री को।

उपमन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री गंगाराम चौधरी : (उपमन्त्री राजस्व). सभानेत्री महोदया, चूरू जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उस सम्बन्ध में आसन से यह व्यवस्था होने पर कि वक्तव्य दिया जाएगा, मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं:—

"जिलाधीश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पडिहारा में किसानों द्वारा अपने खेतों में सिंचाई हेतु निर्माण किये गये ६ कुओं एवं उनमें लगाये गये पम्पिंग सैटों को बिकवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

यद्यपि इस ग्राम के दो व्यक्ति श्री हीरालाल पुत्र बुद्धराम एवं श्री मांगीलाल पुत्र कुशलाराम जिन्होंने तकाबी ऋण की रकम जमा नहीं करवाई थी। राजस्व विभाग द्वारा उनसे इस मांग की एवज में प्रथम आसामी का एक भैंसा और एक गाड़ी कुर्क की गई, प्रार्थी की जमानत के पश्चात उसकी सम्पत्ति उसे वापिस कर दी गई लेकिन रकम अभी तक जमा नहीं हुई है। दूसरे व्यक्ति की गाड़ी एवं एक भैंसा नीलाम किये जाकर २५० रु० सिर्फ वसूल हुए जिनमें ४६.५० रु. पचायत के फाटक शुल्क के मुक्त कर १८३.५० रु. ब्याज पेटे जमा किये गये।

इस ग्राम के शेष व्यक्तियों को नोटिस जारी करने पर एवं चल सम्पत्ति की कुर्की का अधिपत्र जारी करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों ने मांग के अनुसार रकम जमा कराई। अतः कुछ भी कुर्क नहीं किया गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभानेत्री जी, इस सम्बन्ध में क्या विचार है? कई लोगों को एलॉट होती है जमीन, एलॉट होकर जमीन पर केसेज चलते हैं। चार चार केसेज चलते हैं। लेकिन जब लोग कब्जा करते है, जमीन पर तो तकाबी की कुर्की आ जाती हैं। क्या सरकार यह अच्छा नहीं मानती है कि ऐसे लोग जिनके केसेज हैं और जिन्होंने अभी आकर जब कब्जा किया है, उनको तो तकाबी की रकम के लिए कुर्की की जाती है तो उनके लिए किश्त मुकर्रर हो जाये और तकाबी की रकम किश्त में वसूल हो, इस सम्बन्ध में क्या विचार है?

श्री गंगाराम चौधरी : यह विषय से सम्बन्ध नहीं रखता है। चूरू के सम्बन्ध में जो तथ्य हैं, उनके सम्बन्ध में निवेदन किया। जैसे कुर्कियां होती हैं वह पी०डी०आर० एक्ट के तहत की जाती हैं। और कानूनी प्रावधान है कि जो भी कुर्क हो, जो माल कुर्क हो उसके सम्बन्ध में आपत्तियां तहसीलदार के पास की जाती हैं। उसकी अपील होती है और उसको रेग्युलर किया जाता है।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : सभानेत्रीजी, मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि १३ आदमियों पर पड़िहारा के अन्दर कुर्की निकाली गई और इनमें सभी आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक किश्त, दो किश्त, तीन किश्त चार किश्त, तक जमा करवाई हैं। सरकार के अन्दर और जो दूलाराम हरिजन है उसको ४॥ हजार रु० का ऋण मन्जूर किया गया। जिसमें से २॥ हजार रु० उसको दिया गया। और एक हजार रु० दो महिने पहिले अभी दिया गया है। और, एक हजार रु० उसके लोन का भी सरकार में जमा है। इसके उपरांत उस को नोटिस दिया जिसके ऊपर उसने ५०० रु० जमा करवा दिये और इसके

(श्री लामचन्द वैद)

बाद जब अभी फिर कुर्की भेजी गई तो उस गरीब ने घर गिरवी रखकर ५०० रुपया फिर जमा कराये। जमा करवाने के बाद जब वह फिर घर चला गया था तो पटवारी एक पुलिस के सिपाही को लेकर उसके घर पर गया और वहां उसके घर पर एक महमान आया हुआ था, उस महमान का ऊंट खड़ा था, उस ऊंट को खोल कर ले गया और कहा कि ५०० रुपया जमा कराओ नहीं तो ऊंट को नीलाम कर दिया जायगा। क्योंकि उस गरीब के पास और कोई साधन नहीं था कि किसी तरह से रुपये ला सके, उसके पास कोई चारा नहीं था इसलिये वह बेचारा कुछ नहीं कर सका और उसके महमान का ऊंट पचायत समिति में बन्द रहा। उस गरीब का महमान अपने गांव गया और वहां से किसी से कर्ज ले कर ५०० रुपया लाया और फिर ५०० रुपया जमा करवाया।

इसी तरह से दूसरे मांगीलाल के खिलाफ कुर्की निकाली गई और उसको कहा गया कि रुपया जमा करवाओ, उस गरीब ने इधर उधर से इकट्ठा करके कुछ रुपया जमा करवाया और उसने राजस्व मन्त्रीजी से दर्खास्त की कि मुझे थोड़ा समय दिया जाय, मुझे कुछ मोहलत दी जाय और किश्तों में मुझसे रुपया लिया जाय। पर उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसका पम्पिग सैट कुर्क कर लिया गया और निकाल कर नीलाम कर दिया गया। आप फरमा रहे हैं कि कोई पम्पिंग सैट नीलाम नहीं किया गया। यह सरासर गलत है, उस गरीब का पम्पिंग सैट नीलाम किया गया है।

और भी जितने हैं, सबने किश्तें जमा करवाई हैं लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा बरताव किया गया है, उनको तबाह और बरबाद किया गया है। किसानों के साथ छूट है कि उनके ढोर, काश्त करनेके साधन, बैल आदि नीलाम नहीं किये जा सकते, उसके भैंस आदि कुर्क नहीं किये जा सकते पर इन गरीबों के डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ रुपयों के भैंसे १५ रुपयों में नीलाम कर दिये गये। इससे बढ कर इन गरीबों पर और क्या प्रहार हो सकता है, और क्या अन्याय हो सकता है?

इतना ही नहीं, लोकल रहट के लिये किशनसिंह ने १०७ रुपया २६ पैसा और सिरे कंवर ने अपने पति के नाम से १०७ रुपया २६ पैसा लोन का लिया। उन दोनों ने ही जिस समय मुआवजे के डिक्लेरेशन फार्म दिये, दोनो की यह रकम मुआवजे में से कटवा दी, जिसके कागज मेरे पास मौजूद है, रसीदें मौजूद है। उसके बाद भी उनको नोटिस दिये गये जिस पर यह रसीद तहसीलदार को दिखलाई तो तहसीलदार

(श्री लाभचन्द वैद)

साहब ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। इस पर बेचारों ने दुबारा सारी रकम जमा करवा दी। लेकिन इसके बाद भी फिर नोटिस जाता है कि रकम जमा करवाओ, नोटिस आने पर वह रसीद लेकर जाता है और रसीद दिखाता है, उसमें से एक रसीद खो गई थी, उस ही का हवाला देकर फिर कुर्की निकाल दी। तहसीलदार को वे लिख रहे है कि दो दफा रकम जमा करवा दी, रसीद दिखला दी फिर भी एक रसीद गुम हो गई, उस रसीद को पेश नही कर सके उस पर कुर्की निकाल दी गई।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं सब तथ्य तो उपस्थित करूं, साहब।

इसके सिवाय ६ आदमियों को चार-चार सौ रुपया नालियों के लिये अनुदान दिया गया, उनमें से तीन ने पूरा काम करवा कर हिसाब पूरे का पूरा पेश कर दिया गया। फिर भी उन तीनों आदमियों पर जिन्होंने के अनुदान दिया था नोटिस आ गया कि रुपया जमा करवाओ। एक तरफ तो अनुदान दिया जाता है और उसका पूरा का पूरा हिसाब पेश कर देने के बाद भी आप नोटिस देते हैं कि रुपया जमा करवाओ, यह क्या तमाशा है?

किशनसिंह ने २५० रुपयों का कर्जा लिया था और उसे कर्जा लेने के बाद नोटिस दिया गया, जिसमें ४२९ रुपया कुल रकम लिखी थी, उन्होंने अपने लड़के के द्वारा ४२९ रुपया जमा करवा दिया। उसके बाद लिख कर देते हैं कि २५० रुपया मूल रकम और १९८ ब्याज का जमा कर लिया इसके बाद ५० रुपये की कुर्की और भेजदी। कितना अन्याय है?

इस प्रकार देखिये, ५ आदमियों में जिनमे कि रकम बकाया है उनको इस बिना पर छोड़ दिया गया, समय दिया गया कि पटवारी ने जा कर कहा कि एक तो मैं हूं, दूसरे नायब तहसीलदार साहब हैं और तीसरे गिरदावर हैं, इनकी कुछ भेंट पूजा कर दो तो तुम्हें समय दिया जायगा। इन पांचों को पचास-पचास रुपया प्रत्येक को देना पड़ा। पचास-पचास रुपया देने पर उनको समय मिल गया, उन पर कोई कुर्की नहीं निकाली। मन्त्री महोदय, इसकी जांच करवाना चाहें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं इसको प्रमाणित करके छोड़ूंगा। इनके नाम है हीरालाल, पूनमा, दौलाराम, गीलाराम और धोकलसिह। इन पांचों से ५०-५० रुपया लिया गया है।

इसके सिवाय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अदायगी का समय होता है, जिस समय किसान फसल तैयार करता है तो जितनी भी उसके घर में जमा पूंजी होती है, वह सब खेत में लगा देता है। जिस समय उसकी फसल खड़ी होती है, उसके पास सिवाय

(श्री लाभचन्द वैद)

अपनी खेती पर खर्च करने के एक पैसा नहीं बचता है। उस वक्त में उसका माल कुर्क किया जाय, उसकी खेती में बाधा पहुंचाई जाय, उसे इस तरह से परेशान करके खेती के काम से अलग रखा जाय, मैं समझता हूं इससे बढ़ कर घोर अपराध कोई और हो नहीं सकता, ऐसे समय में किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय करने वालों के खिलाफ मन्त्री महोदय को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिये क्योंकि यह अन्न उत्पादन का मामला है, इन्सान की जिंदगी और मौत का मामला है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अधिक अन्न उगाओ और फिर दूसरी तरफ अधिक अन्न उपजाने वाले किसानों पर इस प्रकार के अत्याचार करते हैं, प्रहार करते हैं। किसान को आप उसकी कृषि से अलग रखते हैं। सब भूलें माफ की जा सकती हैं पर प्रकृति कृषि की भूल को माफ नहीं करती। जो अनाज आज बोना चाहिये, उसे अगर कल बोया जाय तो इस भूल को प्रकृति माफ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में किसान पड़िहारा और जयपुर के बीच में चक्कर काटते रहें, यह उन किसानों के साथ भयकर अन्याय है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सारे किस्से के बारे में आप आश्वासन दिलायें कि इस सारे मामले की पूरी तरह से जांच की जायगी।

इसके साथ-साथ राजस्थान एग्रीकल्चर लोन्स रूल्स के रूल ६२ में आप फरमाते हैं :—

"There is no advantage in granting loans to cultivator for seeds, bullocks, or wells for which recoveries are made machanically Cultivators are obliged to raise other private loans or alternatively to sale the bullocks that they had bought in order to pay the Government loans"

श्री खेतसिंह : हिन्दी में बोलें न।

श्री लाभचन्द वैद : जो मेरे पास उपलब्ध था उसे पढ़ कर सुना दिया अगर आप इसे नहीं समझ सकते तो मैं आपको अनुवाद करके सुनाऊं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : यह सत्य है कि यह आपने पढ़ कर सुनाया, वह वे नहीं समझ सके इसलिये हिन्दी में और समझा दो।

श्री लाभचन्द वैद : इसके अलावा सभापति महोदया, काश्तकारों के लिये लार्ड लिनलिथगो फरमाते हैं :

(सचेतिका घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह जो कोटेशन्स देते हैं, उसके बजाय जो कुछ कहना है, कह दें।

श्री लाभचन्द बैद : नहीं, उन्होंने किसानों को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सच्चे मानें में देखा जाय तो इन्डिया किसान के रूप मे ही है। ऐसे किसानों पर प्रहार करना कहां तक उचित है? इन किसानों के साथ राजनैतिक भेद-भाव, राजनैतिक पक्षपात करते हैं, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। जिन लोगों को कुएं बनाने के लिए लोन दिये गये, उन लोगों ने कुएं नहीं बनवाये, लोन में लिये गये रुपयों को और और कामों में लगा दिया, कुए नहीं खुदवाये ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : मैं आ बात केणी चाहूँ हूँ के जितना नाम लिया है बे सगला का सगला हरिजन है। एक तरफ तो हरिजनां ने बधावा की बात करो हो और दूसरी तरफ बां पर इयान का अत्याचार करो हो, बां का पम्पिंग सैट नीलाम कराया जाय ई सूं बढ़ कर और कोई अन्याय की बात नहीं। तो सभानेत्री जी अठे उपमंत्री जी साब बिराज्या है, बे हरिजनां सूं जादा प्रभावित हैं, ई वास्ते मैं तो स्पष्ट शब्दों में बां सूं सुणाणी चाहूंगो के जिका आदमी हरिजनां के साथ इयानको अत्याचार करे है, इयांनकी गड़बड़ी करे है बां के साथ कड़ी सूं कड़ी कारवाई करेगा। एक तरफ तो पांच आदमियां न छोड़िया, ५०-५० रुपया लेकर और दूसरी तरफ हरिजनां पर इयानको जुलम करियो के बां का पम्पिंग सैट तक नीलाम कर दिया तो आ तो बां की साफ-साफ बदमाशी है, इण वास्ते बां ने जेल में पोंचावो। बाने जेल में पोंचावोला तो आप काश्तकार हो।

(२ म. प.)

श्री गंगाराम चौधरी : उपमंत्री, (राजस्व) सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी जो बातें कहीं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति रतनगढ़, जिसके अन्दर यह पड़िहारा गांव आता है, उसके द्वारा कुछ बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कुर्की बनाकर तहसीलदार के पास भेजी गई जिसके लिए राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत समितियों की बकाया की वसूली भी राज्य सरकार करती है। तो जो सूची पंचायत समिति, रतनगढ़ द्वारा तहसीलदार को भेजी गई उसमें लगभग १७ व्यक्ति थे, उनमे से एक नाम इनका भी था जिनके लिए माननीय सदस्य ने कहा। पंचायत समिति के जो भी ऋण थे वे वास्तव में बकाया थे या नहीं, इस सम्बन्ध मे राजस्व विभाग कुछ भी निवेदन नहीं कर सकेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जमा करा दी थी फिर भी बकाया निकाली....

श्री लाभचन्द वैद : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि कइयों ने जमा करा दी थी। मैंने यह नहीं कहा कि सभी ने जमा करा दी थी।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरलाल पुत्र बुधराम और दो और थे जिनके सम्बन्ध में मालूम किया गया था और जैसा आपने बताया कि ऊंट उठा के ले गये, ऐसी सूचना नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी १६ या १७ व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया पंचायत समिति ने बताई थी, तहसीलदार ने केवल २ व्यक्तियों का ही माल कुर्की किया। बाकी लोगों ने मांग पत्र आने पर ही बकाया राशि जमा करा दी और उनके लिए कुर्की का प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे पास बहुत से आदमियों के हलफनामे हैं जिनका माल कुर्की हुआ है। आप इसकी जानकारी करें।

मैंने जिन व्यक्तियों के नाम बताये कि उनसे पचास पचास रुपये लिए गये, उनके सम्बन्ध में आप जांच करवा लीजियेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : आपने श्री मांगीलाल के सम्बन्धमें कहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सूचना के अनुसार श्री मांगीलाल पुत्र कुशलाराम ने १४.३.५८ को लोन लिया था और अब तक उसमें से एक भी किश्त जमा नहीं करवाई और कुल रकम लगभग ५०५० रुपये थी जो उनके बकाया निकलती थी जिसका कि सर्टीफिकेट तहसीलदार को प्राप्त हुआ था कि इसकी वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।

श्री लाभचन्द वैद : इसमें से ५०० रुपये की किश्त जमा करा दी थी।

श्री गंगाराम चौधरी : उसने कुछ भी जमा नहीं कराया ऐसी मेरी सूचना है।

श्री लाभचंद वैद : आपने जो ऋण दिया बताते हैं वह कितना रुपया किस किस तारीख को दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि जो भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है वह ५०५० रुपये के लिए १४.३.५८ को लिए गए थे उसके लिए जारी हुआ था, उसमें से अभी तक कुछ भी जमा नहीं करा लिया।

श्री लाभचन्द वैद : पम्पिंग सैट के लिए ऋण दिया गया था और कुए के निर्माण के लिए ऋण दिया गया था जिसमें से ५०० रुपये जमा कराया था। उसके सम्बन्ध में ही मांग थी। तो इसकी वसूली के लिए भी समय तो देखना चाहिये। जिस समय उसकी फसल खड़ी है, जिस

(श्री लाभचंद बैद)

समय उसको कोई समय नहीं, उस समय तो उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : वसूली के सम्बन्ध में अब तक के नियमों के अनुसार वसूली किसी भी समय की जा सकती है । यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जिस वक्त उसकी देने की स्थिति हो उस वक्त ही वसूल किया जाना चाहिये । लेकिन इस केस में १९५८ से लेकर आज तक कोई भी किश्त इस आदमी ने जमा नहीं कराई ऐसी मेरी सूचना है ।

श्री लाभचंद बैद : ५०० रुपये जमा कराये हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं जानकारी कर लूंगा ।

मैं निवेदन करना चाहता था कि इस वसूली के सम्बन्ध में नियमों में भी प्रावधान है कि अगर नियमों का उल्लंघन हो तो तहसीलदार के पास आपत्ति कर दी जा सकती है, और उसके बाद अपील का भी प्रावधान है । तो अगर कोई गलती हुई तो भी नियमों में प्रावधान है कि आपत्ति की जा सकती थी ।

श्री लाभ चंद बैद : उसने की है । राजस्व मन्त्री को उसने दरख्वास्त की है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सबका नियमानुसार निबटारा हो सकता है, उसमें फिर सदन में कुछ भी कहने में मैं मजबूर हूं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता । निबटारे के बाद अपील भी हो सकती है । यह सारी कानून में व्यवस्था है ।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि और बड़े लोग जो ऋण लेते हैं और कुछ भी नहीं चुकाते हैं, मिनिस्टर्स के प्रति ऋण रह जाता है, उनके लिए आप क्या करते हैं ? और किसानों से आप इस तरह से ज्यादती करते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है कि जिस किसान की कुर्की की गई वह एक तो हरिजन है, और मुख्य मन्त्री कई बार यह दुहाई देते हैं कि कांग्रेस ने हरिजनों के लिए यह किया और वह किया । जब राज्य सरकार की १३ करोड़ रुपये लोगों की तरफ बकाया निकलती है उसको तो आपने कभी सीरियसिली लिया नहीं, और एक हरिजन है, जिसने मेहनत करके काश्त की है, अन्न बोया है, उसके प्रति अगर कुछ रुपया बकाया निकलता है तो आप पी. डी. आर. एक्ट में कार्यवाही करते हैं । तो मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार राजस्थान के अन्दर अनेक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं, अनेक ऐसे मन्त्री हैं जिनमें सर-

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कारी कर्जा बाकी है, उससे वसूली नहीं होती है उनको सरक्षण दिया जाता है, और एक हरिजन है जिसके पास खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं, जो ऋण लेकर खेती करता है, वे अगर किश्त नहीं दे सकते हैं तो तहसीलदार उन पर इस तरह से कुर्की करते हैं।

इसलिए इसकी तत्परता के साथ आप जांच कराइये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इससे अधिक भी चीजें हुई हैं। उस संबंध में मैं समझता हूं कि जब तक राजस्व विभाग से कोई ऐसा स्पेशल आफिसर नियुक्त नहीं होगा दिक्कत नहीं जायगी। हरिजनों पर केसेज चल रहे हैं, उनका निपटारा होना चाहिए और निपटारे के पश्चात् एक कुर्की आ गई है, इधर तकावी नहीं, इधर ४-४ साल तक केसेज चल रहे हैं, कुर्कियां आ रही हैं। इसलिए स्पेशल आफिसर लगाना चाहिये। जगह-जगह राजस्थान में इस तरह के कई केसेज हैं जिसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अगर आप रात दिन की दिक्कत दूर करना चाहते हैं तो आप आफिसर लगायें जहां-जहां ऐसी दिक्कतें हैं, जहां गरीबों को सताया जा रहा है उसकी जांच करके निपटारा करना परमावश्यक है।

श्री लाभचन्द बेद: जितने व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की निकाली उन्होंने कुछ न कुछ रुपया जमा कराया। लेकिन वह व्यक्ति जिन्होंने रुपया जमा नहीं कराया, कुआं भी नहीं खुदवाया आज तक उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

श्री नत्थीसिंह: वह हरिजन नहीं होगा।

श्री गंगाराम चौधरी: जैसा मैंने पहले निवेदन किया श्री मांगीलाल के विरुद्ध दो तरह की बकाया है। एक तो १९५८ से जैसा मैंने निवेदन किया २५००) मूल धन बकाया जिससे एक किश्त भी जमा नहीं हुई। और २३-५-६३ को एक हजार रुपया लिया था जिसमें से कुछ राशि अवश्य जमा हुई है।

श्री लाभचन्द बेद: आप पहले वाले ऋण में उसकी किश्त जमा करते।

श्री गंगाराम चौधरी: इस प्रकार १९५८ वाले ऋण में से कोई भी किश्त जमा नहीं हुई। इतना अवश्य था कि प्रयत्न किया गया राजस्व विभाग की तरफ से क्योंकि तकाजा सदन की ओर से रहता है कि राजस्व की बकाया वसूल नहीं होती।

श्री नत्थीसिंह: राजाओं की नहीं होती। मंत्रियों की नहीं होती, अफसरों की नहीं होती।

श्री मदनसिंह : जिनसे आज तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ है तो केवल मांगीलाल पर ही तकाजा क्यों ? उसी गांव में और भी तो हैं उनके लिए क्या किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिनकी वसूली बिल्कुल नहीं हुई उसकी कुर्की में एक भैंसा, एक गाड़ी....

श्री लाभचन्द बैद : कुर्की उनकी की गई है जिन्होंने कुछ न कुछ दिया है, जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया, कुएं का निर्माण नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया है, यह तो राजनैतिक बदले का सवाल है, और कुछ नहीं ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य नाम बता दें ।

श्री लाभचन्द बैद : आप जांच का आश्वासन दें ।

श्री गंगाराम चौधरी । मैं अवश्य जांच कराऊंगा ।

श्री मदनसिंह : आप जांच के लिए नहीं कह सकेंगे ।

श्री लाभचन्द बैद : अगर सारे मामले की जांच के लिए आप तैयार हैं तो मैं नाम भी दे दूंगा नहीं तो फिजूल में ही मैं बैर मोल लेना नहीं चाहता ।

श्री गंगाराम चौधरी : जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया निकल रही है और जमा कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और केवल हरिजन के नाते ही मांगीलाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई होगी, तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं ।

श्री लाभचन्द बैद : मैं नाम बता सकता हूं जिनका आपने एक पैसा नहीं दिया ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ।

श्री गंगाराम चौधरी : जिन्होंने नहीं कराया है और अब तक बकाया निकल रही है तो जांच करवाऊंगा और जो आपने ५०) रु० लेने की बात की ५ व्यक्तियों से उस संबंध में भी जांच करवाऊंगा ।

श्री श्रवणलाल : यह हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार होता है ।

२.१५ म प.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिनके खिलाफ लाखों रुपए १९५० व १९५८ से चल रहे हैं उनके विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया लेकिन एक हरिजन के विरुद्ध थोड़ी बहुत बकाया निकली तो कानूनी कार्यवाही करके उसके बैल और दूसरी चीजें कुर्क कर लेना उचित नहीं है ।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): परबतसर तहसील में सरपंच डाबोता ने एग्रीकल्चरल जे बिन खूहन जे वास्ते जे पैसा पंचायत समिति खां वर्ता हुआ से अजु डींह तईं न को उन खूह खोटाया आहिन आबादी कई अथस थही नको त सरकार हुनखा लौन वसूल कयो आहे छाकाण जो हु सबरण जाती जे घाटे। पर हरिजन बेचारा जहिं लौन जो हिसो वापस डिनो तहिं हूंदे बि उनजे खिलाफ पी० डी० आर० जे अन्दर कारवाई कई थी वन्जे। घहड़े नादरशाही जुल्म केतरा डिह हके दो।

श्री नत्थीसिंह (श्री चौधरी से): आपने पूरी बात समझ ली?

श्री उपाध्यक्ष: समझ ली।

श्री भगवानदास शास्त्री: (अजमेर पश्चिम) यह सिंधी भाषा है, संविधान के ८ वें शिड्यूल में सिंधी भाषा भी है। इसलिए माननीय सदस्य सिंधी में बोले हैं। आप ट्रांसलेटर बिठा दो। उन्होंने कहा कि हरिजनों के जो कुए....

श्री परसराम गंगाराम: मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात को मंत्री महोदय समझ गए। वह सिंधी जानते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी: बकाया वसूली के संबंध में अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत लोगों के खिलाफ सन् १६५० से या उसके बाद से बकाया निकल रही है, ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायगी। उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जायगा।

श्री परसराम गंगाराम: मैं नाम लेने लिए तैयार हूं।

अनुदानों की मांगे—मांग संख्या ६

श्री उपाध्यक्ष—चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांगो पर विचार।

मांग संख्या ६

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६, मुख्यशीर्षक १६ सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८७,२८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या १०

श्री बरकतुल्ला खां (न्याय मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८५,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग सख्या ११

म प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,८८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग संख्या ६

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : (१) मांग सख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(२) मांग सख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप होने वाली फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

(३) मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों के ट्रेवलिंग व टेलीफोन्स पर होने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग सख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में Specialised सर्विसेज की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(५) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में होने वाले कई अनावश्यक व्ययों एवम् कार्य-शैथिल्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(६) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के तबादले व तरक्कियों में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(७) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में पे १००) रुपया कम कर दिया जाय (मैंगोदा मण्डी को भवानी-मण्डी व राजस्थान में मिलाने में किये जाने वाले विलम्ब के फल-स्वरूप होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :

(८) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

९. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

१०. मांग संख्या, १० मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (न्यायालयों से अव्यवस्था केसेज के निबटारे में विलम्ब के बावत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

११. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२, कारागार में से१००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों की व्यवस्था एवं कैदियों के जन मानस में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)

१२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया (टूरिज्म को जैसा प्रोत्साहन देना चाहिये वैसा प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

श्री दुर्गालाल बादूदार (हवामहल, जयपुर)

१३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय। (न्यायालयों में नकल विभाग में टाइपिस्टों के न होने के कारण होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय। (कई न्यायालयों में वकीलों के बैठने इत्यादि की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में न्यायालयों के लिए उपयुक्त भवनों की व्यवस्था होने पर चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में लम्बे अर्से तक पदाधिकारियों के नियुक्त नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१७. श्री जयनारायण (लसाड़िया) मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर

Page No. 111

श्री जयनारायण (लसाडिया)

दिया जाय (डूंगरपुर जिले में आदिवासियों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एण्ड शेसन्स जज कोर्ट कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१८. श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (चतुर्थ व मध्यम श्रेणी कर्मचारियों के वेतन, उनकी वेतन श्रृंखला तथा दिये जाने वाली अन्य सरकारी पारिश्रमिक के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१९ मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति स्थानान्तरण इत्यादि में राजनैतिक दृष्टिकोण रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसीलदार दूदू द्वारा सरकार के आदेशों का उल्लघन करके भूमि का आवटन करने पर चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्री परिषद में हरिजन व किसान मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व अल्पमत में होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी धन से किये गये विकास कार्यों की प्रशासन द्वारा सही देख रेख नहीं होने से धन के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों की उच्च पद पर नियुक्तियों व पदोन्नतियों में सरकार द्वारा पक्षपात पूर्ण नीति अपनाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

२४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रि परिषद के सदस्यों मे मतैक्य नहीं होने से प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से न चल पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रि परिषद के सदस्यों की अयोग्यता के कारण कर्मचारियों में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुच गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री मुवालाल चौधरी)

२६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रजातंत्र में नौकरशाही की धांधली व मनमानी से प्रजातांत्रिक प्रणाली असफल सी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

२७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की पदोन्नति इत्यादि के सम्बन्ध में पक्षपात की नीति से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

२८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में मितव्ययता करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

२९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की अयोग्यता से न्याय सस्ता व कम खर्चीला नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

३०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में मंत्रियों के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

३१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजनैतिक पार्टी में रंगे हुये विचारों के व्यक्तियों को न्यायालय के उच्च पदों पर नियुक्त करने से जनता को सही न्याय नहीं मिल सकता, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ९

३२. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन व सचिवालय प्रशासन की कमियों में सुधार के बारे में चर्चा के लिये)।

३३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (राजाओं की विशेष सुविधाओं (Privileges) की समाप्ति न कर सकने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १०

३४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिकाओं को कार्यपा-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिकाओं से अलग करने एवम् उसकी कमियों के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

३५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १०० रु० कम कर दिया जाय (न्याय को सस्ता बनाने एवम् उसमें सुधार लाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

३६. मांग संख्या' १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्पेशल एक्ट्स जो कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हैं को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में देने के प्रश्न पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ९

३७. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार-पुरा) : मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में मन्त्रियों व शासकीय दल के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

३८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जाति के उम्मीदवारों को निर्धारित कोटे के अनुसार नौकरियों में नहीं लेने पर चर्चा के लिये) ।

३९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में रिश्वत-खोरी व ढ़िलाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११

४०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागार सलाहकार समिति का टोंक जिले में निर्माण न होने पर चर्चा के लिये) ।

४१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या ९

४२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की कमियों के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०.

४३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

२१–न्याय प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन के सुधार के बारे में चर्चा के लिये) ।

४४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

४५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रि-मण्डल के अनावश्यक विस्तार एवं अनावश्यक व्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

४६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (संसद सचिवों द्वारा अनावश्यक दौरे से होने वाली फिजूल खर्ची की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

४७. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले भारी खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये) ।

४८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों में कमी करने और नई नियुक्तियों को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

४९. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अधिक वेतन भोगी अधिकारियों को विशेष वेतन अथवा भत्ता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११

५०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में चरित्रवान व्यक्ति रखने तथा उन्हें सच्चे माने में सांस्कृतिक केन्द्र बनाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

५१. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रशासन सुधार व नियन्त्रण में सर्वथा असमर्थ रही है इस सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

(श्री दौलत सारण)

मांग संख्या १०

५२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (त्वरित व निष्पक्ष न्याय न मिलने तथा न्याय प्रशासन में अव्यवस्था होने का उत्तरदायित्व सरकार का है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

५३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ६

५४. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिलाधीश व अन्य जिला अधिकारी गण की समय पर कार्यालयों में उपस्थिति न रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

५५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में नवीन राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों में व्याप्त पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

५७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आई० पी० एस० एवं आई० ए० एस० अधिकारियों का स्थानान्तर दो वर्ष में सरकार द्वारा घोषित नियमानुसार नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुख्य मंत्री व मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि का उपयोग अति आवश्यक चीजों पर न होकर अनावश्यक चीजों पर व्यय होता है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

५९ मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा प्रशासन में भारी हस्तक्षेप के कारण प्रशासन में शिथिलता बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

६० मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा राजस्थान मोटर विभाग की टूरिस्ट कारों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

६१ मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा दौरे के नाम पर राज्यकोष के धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) कम कर दिया जाय (जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें मंत्री परिषद का सदस्य नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

६३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रीगण व संसदीय सचिवों द्वारा सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रीगण के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं में अत्यधिक धन का अपव्यय होने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

६५, मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुन्सिफ न्यायालय व लघुवाद न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

६६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बंदियों को खादी के कपड़े पहिनने व गांधी टोपी लगाने के लिए बाध्य किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

६७. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कर दिया जाय (प्रशासन में होने वाले अपव्यय एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

६९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(श्री शिवनाथ सिंह)

७०. मांग संख्या १०. मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्तियों एवं उन्हें, उनके कार्य के अनुसार वेतन न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

७१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू में नये जेल भवन बनाने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

७२. मांग संख्या ११) मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जेलों मे सुधार तथा कैदियों के साथ होने वाले अमानुषिक व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

७३. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)। मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

७४. श्री हंसराज आर्य (मादरा) मांग: संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में शैथिल्य व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

७५. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिण्डोली): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा कलेक्टर के कार्यों में हस्तक्षेप एवं जिला अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

७६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के मन्त्रियों द्वारा किये जाने वाले दौरों व दौरों के समय पार्टी प्रचार कार्य करने व राजकार्य न देखने पर चर्चा के लिये)।

७७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य मंत्रि मण्डल के मंत्रियों में सरकारी कर्ज अथवा बकाया की वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

७८. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के मन्त्रियों पर होने वाले खर्चों में कमी की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये)।

७९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा इंगलैंड में होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये)।

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

८०. श्री शंकरलाल (कपासन): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में ढिलाई है, इस पर चर्चा के लिये)।

८१. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु०): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा प्रत्यधिक दौरे करने पर जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये)।

८२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों में सुचारू रूप से कार्य न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

८३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुन्सिफों के न्यायालयों में कर्मचारियों में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ६

८४. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय व अन्य बड़ी तनख्वाहों वाले अधिकारियों को मिलने वाले वेतनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

८५. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में जिम्मेदारियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागाध्यक्षों के पद अधिक महत्वपूर्ण बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

८७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान प्रशासन में उसके सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

८८. श्री मूलचन्द डागा (पाली): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासनिक कार्यों की शिथिलता समाप्त कर उसमें गति लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

८९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल में डिस्ट्रिक्ट जज अथवा हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No. 119

(श्री मूलचन्द डागा)

६०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय में विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में निर्णय विलम्ब से होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

६१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में अव्यवस्था के कारण जनता में भारी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये) ।

६२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय में कार्य को सुचारू ढंग से न चलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

६३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम दिया जाय (सामान्य प्रशासन में शिथिलता अकर्मण्यता एव अयोग्यता के कारण जनता में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

६४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुकदमों के फैसलों में देरी होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

६५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिविल अदालतों का बटवारा सही नहीं होने संबंधी चर्चा के लिये) ।

६६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाफना रिपोर्ट को पूर्ण रूप से कार्यरूप में परिणत न करने पर चर्चा के लिये) ।

६७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लॉ कोर्ट्स में बयान अलहकार लोग लेते है, जिससे न्याय को ठेस पहुँचती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११

६८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कैदियों के राशन की मात्रा बढ़ाने पर चर्चा के लिये) ।

६९. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जेलों में जो राशन दिया जाता है वह कम और स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक न होने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री मूलचन्द डागा)

१००. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों से भेंट की प्रक्रिया में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१०१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों से मिलने में असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

१०२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में समाचार पत्रों व पुस्तकों की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

१०३. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाली नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां राजनैतिक आधार पर होने के कारण चर्चा के लिए ।

१०४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय । (मन्त्रियों को दिए जानेवाले डिस्क्रीशनरी फण्ड को बन्द करनेके सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१०५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों आदि के प्राइवेट सेक्रेटीज को नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१०६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लीगल एडवाईजर्स व न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११

१०७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला कारागृह में कैदियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए) :

मांग संख्या ६

१०८. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों में होने वाले अपव्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मांग संख्या १०

१०६ मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १००) रू० कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में फिजूल खर्ची रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११

११०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रू० कम कर दिया जाय (कैदियों द्वारा कारावास में किये जाने वाले श्रम का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, पर इस चर्चा के लिए) ।

१११. मांग संख्या ११, मुख्यशीर्षक २२-कारागार में से १००) रू० कम कर दिया जाय (कारागारों में बन्दियों के मानसिक विकारों को सुव्यवस्थित करने हेतु मानसिक चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा करवाई जाती रहे, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ६

११२.श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रू० कर दिया जाय (गतवर्ष तहसीलों के डिलिमिटेशन किए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन में ढिलाई संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

११३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (मन्त्रिमंडल को छोटा किया जाकर होने वाले अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

११४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अधिकारियों के कार्यों में अनुचित ढंग से हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर सवाई माधोपुर में वर्तमान में कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर व एस०डी०ओ० द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए खुलम खुला काम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

११६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (तहसीलदार, सवाई माधोपुर द्वारा खुले आम हर मामले में रिश्वत मांगने पर चर्चा के लिए) ।

११७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतर शिक्षा-सत्र के मध्य में करने तथा बार बार स्थानांतर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

होने तथा पुनः कैंसिल किए जाने के संबन्ध में चर्चा के लिए) ।

११८. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन मे से १००) रु० कम कर दिया जाय (लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी सेवाओ में पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११९. श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : मांग सख्या ६,मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग के बारे में चर्चा के लिये) ।

१२०. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : मांग सख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२१. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.) : मांग सख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन पर सरकार द्वारा किये जाने वाले अंधा धुन्ध खर्चे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१२२. मांग सख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में न्याय प्रशासन हाई कोर्ट के अधीन होने पर भी न्याय प्रशासकों पर सरकार का अनुचित दबाव पड़ता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११

१२३. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में उम्र कैदियों को नियमानुसार आधी सजा काटने पर भी सूरतगढ़ व अन्य फार्मो में न भेजकर सरकार ने पक्षपात व कैदियों के साथ दुर्व्यहार किया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

१२४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मांग सख्या ६,मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आई० ए० एस० अधिकारियों के अधिक तबादलों के कारण प्रशासन में आई गिरावट के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१२५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कर दिया जाय (अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली विभागीय कार्यवाहियों में अनावश्यक देरी के संबंध में चर्चा के लिये)।

१२६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (एडीशनल कलेक्टर, नागौर द्वारा दिनांक ६—१२—६३ व ७—१२-६३ को की गई जांच में तहसीलदार लाडनूं व अन्य व्यापारियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर भी अब तक कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

१२७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय आर० ए० एस० अधिकारियों के सीनियर स्केल में किये गये प्रमोशनों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में ढिलाई बरतने के संबंध में चर्चा के लिये)।

१२९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरप्लस कर्मचारियों को समय पर उचित स्थान पर नियुक्त (Post) नहीं किये जा सकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

१३०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुन्सिफ कोर्ट, डीडवाना में बार रूम नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

१३१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों से कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं में पक्षपात बरतने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

१३२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य कर्मचारियों के अनुचित तबादले करने पर चर्चा के लिये)।

१३३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी गई मांगों के संबध में चर्चा के लिये) ।

१३४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

१३५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अल्पसंख्यकों के साथ प्रशासन द्वारा समान व्यवहार न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१३६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रूंध मदारपुर, तहसील अलवर के अलॉटमेन्ट में मंत्रिमण्डलीय स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१३७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अदालतों में पेशियों इत्यादि के सम्बन्ध में मनमानी पर चर्चा के लिये) ।

१३८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१- न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की मनमानी कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

१३९. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में खर्चे की कमी किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

१४०. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१४१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११

१४२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में अव्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१४३. श्री रामनारायण (मंडावा): मांगसख्या १० मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं और शिथिलता के बारे में चर्चा के लिये) ।

१४४. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मांग सख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (सरकार की न्याय को सस्ता व सरल बनाने सम्बंधी असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग सख्या ११

१४५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार जेल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जेलों का सुधार करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

१४६. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मांग सख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (सरकार द्वारा न्याय पालिका का स्थान बदनोर में न रखकर सब-डिवीजन गुलाबपुरा में रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

१४७. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बून्दी व अन्य जिलों के न्यायालयों में कई वर्षों तक मुकदमों के फैसले नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

१४८. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट सु.) : मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में स १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में समय पर न्याय नहीं मिलने पर चर्चा के लिए) ।

१४९. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : मांग सख्या १०, मुख्य शीर्षक २१--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में मुन्सिफ कोर्ट न होने के कारण जनता की कठिनाईयों पर चर्चा के लिए) ।

१५०. श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु.): मांग सख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति कुशलगढ़ के खिलाफ फर्जी अपराध कायम कर लम्बे अर्से तक जिला न्याय प्रशासन अधिकारी द्वारा न्याय-निर्णय नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१५१. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-

(श्री अमीलाल यादव)

न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में भी राजनैतिक आधार पर कार्य किये जाते हैं एवं मामलों के निर्णय में अत्यधिक देरी होती है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

१५२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कारागार में जेलियों के उचित भोजन–व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

१५३. श्री मेघराज (चूरू) : मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (एडीशनल सेशन जजी, चूरू में पब्लिक प्रोसीक्यूटर का स्थान लम्बे अर्से से खाली रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

१५४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार' में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चूरू जिले में जेल एडवाइजरी कमेटी कायम न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१५५. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या ११. मुख्य शीर्षक २२--कारागार में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कारागारों में अधिकारियों द्वारा, भोजन आदि व्यवस्थाओं में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

१५६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जेल की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

१५७. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना) : मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कैदियों की समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१५८. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बन्दीजनों को दिये जाने वाले राशन में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जो प्रशासनिक स्थिति है, एक समय था जब सारे राजस्थान के अलग अलग रजवाड़ों में राजाओं के राज्य थे और उस समय अगर हम चाहते

(श्री रामकिशन)

तो कह सकते थे कि न्याय व्यवस्था और सामान्य प्रशासन में अगर सुधार नहीं होता तो इससे कोई विशेष तकलीफ नहीं होती क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी उसमें किसी प्रकार की क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावनायें नहीं थीं।

सबसे पहले आज जब हम राजस्थान के सामान्य प्रशासन पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इस दृष्टि से देखना होगा कि वर्तमान शासन से जनता कितनी सन्तुष्ट है ? आपके यहां कलेक्टर का पद है और अन्य प्रशासनिक पद हैं, उनसे जनता को वास्ता नहीं है उनको तो इस बात से वास्ता है आपका शासन किस प्रकार से चल रहा है ? और उसमे जनता को कितना सन्तोष है ? आज आपका प्रशासन किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है ? उस पर नजर डालते हैं तो राज्य-प्रशासन द्वारा जो जो समय समय पर घोषणायें की गई उस प्रकार के प्रशासन का निर्माण आप किसी प्रकार भी नहीं कर पाये है। उन घोषणाओं को साकार रूप देने मे आपका प्रशासन किसी प्रकार भी सहायक नहीं रहा है। हमने अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था देखी, उनका शासन अच्छा नहीं था इसलिये उसको हटाया गया लेकिन यह मान्य बात है कि उन्होंने अपने शासन काल में, कुछ अच्छी मान्यतायें स्थापित की हैं, और उन्होंने देश के लिये दिशायें दी हैं। जिन हालातों में हमें काम करना पड़ता है खास तौर से राजस्थान में आज जिस प्रकार का सामान्य प्रशासन चल रहा है उससे हम पाते हैं यह मशीनरी किसी प्रकार भी जनता को सुख-सुविधा देने के लिये उपयुक्त नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में गम्भीरता से चिन्तन करें। आज केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने प्रशासनिक सुधार के लिये अपनी जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिये समय समय पर आयोग और समितियां बिठायी हैं जिन्होंने अपने प्रतिवेदन दिये हैं। राज्य सरकार ने उन प्रतिवेदनों पर विचार किया और कुछ को स्वीकार और कुछ को अस्वीकार भी किया है। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जिन सुझावों को राज्य सरकार ने स्वीकार किये हैं या दूसरी तरह की व्यवस्थायें स्थापित की है उनसे राज्य की जनता को किसी प्रकार की अनुभूति हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जिस तरह से चल रही है उससे हम यह नहीं कह सकते कि जनता के अन्दर कुछ प्रेरणा हुई हो, कुछ जोश हुआ हो। प्रशासन जिस प्रकार से पहले चल रहा था उसी ढर्रे पर आज भी चल रहा है। जिस प्रकार राजाओं के जमाने मे प्रशासन चलता था, जिस प्रकार राजा लोग चलाना चाहये थे आज वही नक्शा प्रशासन का है, वही मशीनरी, इसलिये यह मशीनरी जनता को राहत देने में किसी प्रकार सहायक साबित नहीं हो रही है।

(श्री रामकिशन)

सबसे पहले मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है मुख्य मन्त्री इस बारे में घोषणा करें वे यह भी बताने की कृपा करें। वे शायद अपनी जिम्मेदारी से अलग हो सकते हैं यह कह कर कि शान्ति-व्यवस्था में सुधार हुआ है और प्रशासनिक ढांचे में भी राजाओं के मुकाबले सुधार हुआ है। राजाओं का राज अच्छा नहीं था उस समय की व्यवस्थायें ठीक नहीं थीं इसीलिये तो उनके राज्य को छीना गया लेकिन क्या मौजूदा व्यवस्था से भी जनता को सन्तोष मिल रहा है या नहीं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुसंख्यक जनता को कोई आराम नहीं मिल रहा है आज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आज की शासन-व्यवस्था पहले की शासन-व्यवस्था से गई बीती हैं इससे कोई नये परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं मन्त्रियों की काफी बड़ी संख्या बढ़ा ली। राज्य के मुख्य मन्त्री पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं कि राज्य में अकाल पड़ता है लोग भूखों मरते हैं लोगों को न्याय नहीं मिलता शिक्षा के बजट में कटौती कर दी गई। उनको तो केवल अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिये मंत्रियों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया मेरे इस कहने मात्र से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री ने पहले इस बात के बारे में कहा था मंत्रियों की संख्या इसलिये बढ़ायी गई कि इनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि आगे चल कर शासन भार संभाल सकें। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यह कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, कई कोर्स छः महीने के होते है कई साल भर के होते हैं कई तीन साल के होते हैं तो यह ट्रेनिंग का कोर्स आपका कितने साल का है। छः महीने की तो इनकी ट्रेनिंग हो गई अब आगे और कितनी दिलाना चाहते हैं? वे इस बारे में स्पष्ट रूप से बतावें कि उनकी ट्रेनिंग की मन्शा से क्या मतलब था? यदि आपने यह संख्या प्रशासन में सुधार के लिये बनाई है तो आपने आखिर इनको प्रशासनिक काम क्या दिया है, आखिर इनके पास कोई काम है क्या? किसी भी सचिव या अधिकारी से मिलें तो वे कहते हैं ख्वामख्वाह आप किसी मंत्री से मत कहलवाइये सब का टेलीफोन फिजूल है मुख्य मन्त्री जी यदि कह दें तो काम हो सकता है। आज आपने इनको नाम के मन्त्री और उपमन्त्री बना रखा है सारे अधिकार आपने अपने हाथ में रख रखे हैं आप कहोगे तो कोई काम होगा। यह मैं समझता हूं आपने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे है। यह सब मैं समझता हूं मंत्रियों की अपनी अयोग्यता के कारण है उनकी कमजोरी के कारण है। मैं इतना निवेदन

(श्री रामकिशन)

करना चाहता हूं आपने इस राज्य में वह स्थिति बना दी है जैसे मुगलों के दरबार में कुछ दूसरे लोग भी हुआ करते थे लेकिन ताकतवर मुगल ही होते थे। मैं मुख्यमन्त्री जी से चाहूंगा कि वे यह बतावें इतने बड़े मन्त्रिमन्डल के बनाने से जनता को क्या सुविधा मिली। अगर इससे कोई प्रशासनिक लाभ मिलता तो हम भी आपका समर्थन करते। चालीस-पचास लाख खर्च होता है तो कोई बात नहीं जनता के कष्टों में किसी प्रकार की कमी होती तो यह पचास चालीस लाख का खर्चा उनके सामने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। आज मन्त्रियों उपमंत्रियों के पास कोई काम नहीं इनके कारण एक जिलाधारी प्रथा कायम कर दी है यह एक काम इनको दे दिया है। अलवर में किसी के ट्रान्सफर करवाना हो तो जयकिशनजी कहेंगे तो होगा उसमें शोभाराम जी की नहीं चलेगी। और धौलपुर के बारे में कोई बात करवानी हो तो प्रद्युम्नसिंह जी कहेंगे तो काम हो जायगा। आज इनके पास केवल ट्रान्सफर्स, एक अधिकारी को इधर से उधर करवाना केवल यही काम रह गया है तो फिर आप ट्रेनिंग किस बात की दे रहे है? आखिर इन ३४ मंत्रियों का उपयोग आप क्या समझते हैं? आखिर आपने इतना बड़ा मन्त्रिमन्डल बनाया थोड़ा बहुत तो काम देते। आप इनको कोई काम नहीं देते हैं जब जनतन्त्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो इनको भी कुछ काम दीजिये, नहीं देते हैं तो इनके औचित्य के बारे में प्रश्न उठता है आखिर यह सब कार्यवाही क्यों हो रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मेरी समझ में आती हैं जैसे मुख्य मंत्री जी ने पहले भी कहा मैं तो अनादि काल से राज कर रहा हूं और जब तक सृष्टि का अन्त नहीं होगा तब तक करता ही रहूंगा। इस बारे में आप विरोधी दल के आदमियों से निश्चिन्त रहें वे कभी आपके इस अनादि काल के राज्य में बाधा नहीं डालेंगे हमारी तरफ से अनादि काल से प्रलय काल तक राज्य करिये आपकी वह कामना पूरी हो यही हमारी शुभ कामना है। आप जब अनादि काल तक राज्य करना चाहते हैं तो गोकुलचंदजी को आपने क्यों छोड़ दिया उनको तो कम से कम मंत्री बनाइये। नहीं तो असल में दिक्कत यह होगी कि हिन्दू शास्त्र के अनुसार कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है और वह मर जाता है तो फिर आकर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है तो फिर उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिये कि आपकी राज्य करने की अवधि बहुत लंबी है इसलिये आप जो आपके साथ हैं १०७ सदस्य हैं उन सब को बारी बारी से मन्त्री बना डालिये इनकी भी इच्छा पूर्ति हो जायगी और इनको भी दल बदलने का प्रलोभन नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसे लोगों से लोकतन्त्र को खतरा है। आप हमारी तरफ से निश्चिन्त रहिये कि हम अपने दल से इनको लाने की कोशिश करते हैं यह आप

(श्री रामकिशन)

मन से ही निकाल दीजिये। आपने तो इनको इतना शक्तिहीन बना दिया कि न इनमें चेतना है और न ज्ञान है। ये तो सुबह से शाम तक एक लिस्ट लिये घूमा करते हैं किस थानेदार का, पटवारी का कहां कहां ट्रान्सफर करवाना है इससे राजस्थान की जनता का क्या बनने वाला है ?

दूसरी बात जो आपने कही कि मैं अनादि काल तक राज करूंगा वह मेरी समझ में बात आयी। यही कारण है आपने पैंतीस मंत्री बनाये। मैं समझ गया कि आपने इससे क्या दृष्टिकोण सामने रखा है। जो मेरी समझ में बात आयी वह बहुत ठीक भी है। आप इस मुल्क में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि राज्य करे तो मेरा दल ही करे अन्य कोई राज्य नहीं कर सके। आज से बीस साल पहले जब कोई मंत्री का नाम लेता था बड़ा आतंक और सम्मान पैदा होता था उसके बारे में ज्ञान की चर्चायें होती थीं। अब आपने ऐसी भीड़ बना दी है कि जब कभी कोई मोटर में बैठा हुआ मंत्री निकलता है तो लोग कहते हैं, अरे, होगा कोई मंत्री। आपने मंत्री पद की प्रतिष्ठा गिरादी है। आप यह चाहते है कि लोकतंत्र न रहे। भीलवाड़ा में गेहूं पचास रुपये मन था अजीब स्थिति थी मिर्च १ रुपये की डेढ़ किलो बिकती थी मैंने पूछा यह क्यों तो वहां के लोग कहने लगे कि मिर्चों की पैदावार बहुत हुई इसलिये सस्ती है। इसी तरह से मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उनकी भी साख गिर गई। आपने यही कर रखा है सारी शक्ति अपने हाथ में कर रखी है। आप यह न सोचें कि आपकी सत्ता इसी तरह अनादि काल तक बनी रहेगी। आज नहीं दो साल तीन साल या चार साल बाद आपका राज्य समाप्त होने वाला है। आप कमसे कम लोकतन्त्र को तो जीवित रहने दीजिये मंत्री के पद और प्रतिष्ठा को कायम रहने दीजिये आपने जो स्थिति राजस्थान की बनाई है, जो हालत राजस्थान में पैदा की है वह आपके लिये भले ही कल्याणकारी हो लेकिन लोकतंत्र के लिये कल्याणकारी नहीं कह सकते।

दूसरी मुझे यह निवेदन करना है जो मंत्री बने है उनके लिये। लोकतन्त्र में एक दिन मिनिस्टर होकर राज्य करता है तो दूसरे दिन रास्ते पर भी आना पड़ता है। तो सुखाड़ियाजी ने आपको मिनिस्टर बनाया यह कोई आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये बनाया ऐसी बात नहीं हैं। यह इसलिये बनाया है कि जब आप मंत्री नहीं रहेंगे, जब यह मंत्री मण्डल भंग हो जायेगा, तो आप तड़पेंगे, और वह तड़पन इतनी होगी कि आप और कुछ भी काम नहीं कर पायेंगे। न आपसे कोई उद्योग हो सकेगा न कोई धंधा हो सकेगा, रात दिन यही स्वप्न देखते फिरेंगे कि हम मंत्री थे तब क्या था ? जो मंत्री बेकार होंगे उनकी यही हालत होने वाली

(श्री रामकिशन)

है। मुझे इसका ज्ञान है। मत्स्य में जब सरकार बनी तो हमारे भी पांच मिनिस्टर्स बने। मिनिस्ट्री से हटने के बाद उनमें से एक की क्या दशा हुई वह मैं आपको बताता हूँ, वे दिल्ली चले गये और मेरी पत्नी भी दिल्ली में थी। मैं जब वहां जाता तो वे यही कहते कि और कोई बात तो नहीं लेकिन मिनिस्टर के वक्त में टब में नहाना बहुत याद आता है। तो मैं इन नये मंत्रियो से निवेदन करना चाहता हूं मैं टब के लियें तो नहीं कहता, हीटर और कूलर के लिये भी नहीं कहता, लेकिन आपके मन की दशा बहुत ही निकृष्ट हो जायेगी।

आज जो मंत्री बनाये गये हैं उनमें मंत्री बनने के बाद कैसे फेर आ जाता है इसके लिये मैं आपको बताऊंगा। इन मंत्रियों में एक दो के लिये जिन की मुझे जानकारी है उनके लिये मैं कहना चाहूंगा। माननीय सुमित्राजी इस सदन की सदस्या हैं। एक महिला होने के नाते मैं उनका आदर भी करता हूं। जब वे सदस्य थीं तब वे अपने को केवल सुमित्रा या सुमित्रासिंह ही कहलाती थीं। लेकिन जब से वे मंत्री बनी हैं तो उनके घर पर तख्ती लग गई सुमित्रादेवी। अब मुझे देवियों और देवताओं से तो विरोध नहीं है, लेकिन जब कोई मेम्बर है तो सुमित्रा और मंत्री बने तो सुमित्रा देवी......

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये सूचित कर दूं कि यह देवी शब्द मैंने नहीं लगाया है।

श्री रामकिशन : तो मुझे तो बहुत हंसी आई और ताज्जुब भी हुआ कि मंत्री बनने के बाद कोई देवी बन रहा है और कोई देवता बन रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में आज न देवताओं की जरूरत है और न राक्षसों की जरुरत है, जरुरत है है इनसानों की। अगर आप इन्सान ही बन गये तो भी बहुत कुछ मिल गया।

दूसरा मैं उदाहरण दूंगा हमारे भीमसेनजी का। भीमसेनजी ने १५ साल तक आपसे ऐसी निभाई जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से निभाती है। हर साल आश्वासन मिलता था कि अबके ले लेंगे और हर साल ही रह जाते थे। अब वे मंत्री बने तो उनमें भी परिवर्तन आ गया है। पहले जब वे पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के मेम्बर थे तो कभी उनको देरी हो जाती थी तो घर पर फोन करते थे कि आज कुछ काम आ गया है इसलिये देरी से आऊंगा। लेकिन अब मंत्री बनने के बाद वे क्या फोन करते हैं, आज मुझे देरी हो जायेगी, डार्लिंग। तो अब मंत्री होने पर एक ही दिन में चौधरानी जी को डार्लिंग बना दिया। अगर बरकत साहब इस तरह की बात करते तो मेरी समझ में आ सकता था, अगर माथुर साहब इस तरह की बात करते तो भी मेरी समझ में आ सकता था, लेकिन भीमसेनजी इस

(श्री रामकिशन)

तरह से चौधरानीजी को डार्लिंग बना दें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। तो आप इस तरह गलत रास्ते पर मत चलिये।

प्रशासन के आधार पर राजस्थान क्या बनना चाहिये इसको आपने कभी नहीं देखा। आज प्रशासन का खर्चा निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जनता की खुशहाली घटती चली जा रही है। आज अगर आप राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति प्रशासनिक खर्चा देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान का प्रति व्यक्ति प्रशासनिक खर्चा बहुत अधिक है। जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय दूसरों से कम है। आज पैसा खर्च करके राजस्थान नहर को पूरा करना चाहिये था, राजस्थान के निर्माण के लिये खर्च करना चाहिये था, वहां केवल प्रशासन पर ही खर्चा बढ़ रहा है। अगर इस खर्चे से जनता का कष्ट निवारण होता तो हम खर्चे के लिये कुछ नहीं कहते। आज बिहार में जहां कई तरह के आन्दोलन चल रहे हैं, झाड़खड का आन्दोलन भी चल रहा है, दूसरी और छोटी-छोटी जातियां हैं जो आन्दोलन करती रहती हैं, इसलिये वहां का प्रशासन खर्चा ज्यादा होना चाहिये लेकिन वहां प्रति व्यक्ति खर्चा है केवल ३.६३ रुपये। यू.पी. में इतना बड़ा प्रांत है, वहां पर राजनीतिक आन्दोलन भी बहुत चलते रहते हैं, इटावा की तरफ के लोग हैं वे ज्यादा परेशान करते हैं, वहां पर डकैतियां भी होती हैं, फिर भी वहां का प्रति व्यक्ति प्रशासनिक खर्चा है ५.१० रुपये। इसके बाद मध्य प्रदेश को ले लीजिये वहां काफी बड़ा ऐसा इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, वह भी राजस्थान की तरह ही सामन्ती व्यवस्था से लोकतन्त्रीय व्यवस्था की तरफ बढ़ा है, वहां पर भी प्रति व्यक्ति प्रशासनिक व्यय ६.२३ रुपये है। इसी तरह से उड़ीसा में प्रति व्यक्ति प्रशासनिक व्यय ५.७० रुपये है, लेकिन राजस्थान में इस वर्ष का प्रति व्यक्ति प्रशासनिक व्यय है ६.३८ रुपये।

हमारे मुख्य मंत्री के लिए लोग कहते हैं कि बहुत ही योग्य है और आप की योग्यता की तारीफ करते हैं। आप हर स्थिति में मुस्कराते रहते हैं। राजस्थान में अकाल पड़ता हो तो भी आप मुस्कराते रहते हैं, राजस्थान में गोली चल रही हो तो भी आपके मुंह पर मुस्कान। तो मुस्कराना एक जगह तो गुण है, लेकिन इस तरह से गलत बात पर भी मुस्कान यह अवगुण भी बन जाता है। आज आप शासन को चला नहीं रहे हैं, आप शासन को घसीट रहे हैं। आप चले जाइये जिले में किसी भी कलेक्टर के पास। आज किसी कलेक्टर से कोई गरीब आदमी नहीं मिल सकता। उनसे मिलना इतना ही कठिन है जितना नूरजहां से मिलना कठिन था। नूरजहां से मिलना जहांगीर के लिए भी कठिन था। कोई नहीं मिल सकता। और कुछ तो उनमें से ऐसे हैं

Page No. 133

(श्री रामकिशन)

कि उनसे मिलना और न मिलना एक ही बात है। और मुख्य मन्त्री से मिलना चाहो तो आप अपने दलीय झगड़ों में ही इतना व्यस्त हैं कि किसी से मिलने के लिये समय ही नहीं। और आपके किसी मन्त्री से मिलना चाहें तो यही जवाब मिलेगा कि मन्त्री जी नहा रहे हैं या मन्त्रीजी सो रहे हैं। यह सत्ता की गर्मी आपको इतनी आ गई कि २४ घण्टे ही आपको नहाने की जरूरत पड़ती है ? या जापानी पद्धति अपना ली आपने नहाने की ? लेकिन आप एक बात तो मत करिये। आप अपनी सन्तान का तो पतन न करें, उनको तो इतना झूठ बोलना न सिखायें। टेलीफोन पर बच्चे ही जवाब देते है कि मन्त्रीजी नहा रहे है या सो रहे हैं जब कि उनसे बोलते हुए मन्त्रीजी की आवाज सुनाई पड़ती है और हम जानते है कि मन्त्रीजी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो आप कम से कम राजस्थान के बच्चों में तो इस तरह के कुसस्कार मत डालिये।

तो मैं कह रहा था कि राजस्थान का प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आज राजस्थान का प्रशासन इतना बढ़ गया है, इतना लम्बा चौड़ा बन गया है कि आप ३६७ लाख व्यय करना चाहते हैं। मन्त्री जी से मै निवेदन करना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग क्या है ? लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र संस्थान है उसमें भी आपने गड़बड़ कर दी। जो मन्त्री नहीं बन सका उसको आपने लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। मुझे उनके चरित्र में कोई शक नहीं लेकिन जो आदमी राजनीति में रह चुका है, कई लोग उनसे मिलने जाते ही रहते है। हम रोज अजमेर से गुजरते हैं तो लोगों को यही कहते हुए सुनते है कि उनसे मिलने जा रहे हैं। राज्य की सर्विसेज में जा भी आपके नजदीक था उसको आपने लोक सेवा आयोग में लगा दिया। तो राजस्थान में क्या दूसरे योग्य व्यक्ति नहीं है ?

इस वक्त तो दम्भ के कारण आप नहीं मानेंगे। पर रात्रि में जरूर विचार करेंगे कि रामकिशन ने कहा था वह सही है। तो मैं विवेक जागृत करना चाहता हूं। क्यों नहीं टेलिफोन पर सिलेक्शन सबका नहीं करा सकते ? राजस्व मण्डल आपने इस तरह बना रक्खा है जिसको कुछ देखना करना है हो नहीं। हम तो उसके बारे में एक ही बात सुनते हैं कि मन्त्रीजी की लिस्ट उनके पास पहुंच जाती है और उसके मुताबिक सुबह से शाम तक वे तहसीलदारों के ट्रांसफर करते रहते हैं। मन्त्री की बात वे मान जावेंगे। उपमन्त्री की वे मान्यता नही देंगे। आपने उनको यह कह रखा है कि मिनिस्टरों का सम्मान रक्खो तो चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड से इतना और कह दें कि ये भी उपमन्त्री हैं, थोड़ा बहुत सम्मान इनको भी दो। गिरदावरी के लिए ये

Page No. 134

(श्री रामकिशन)

अपनी ट्रांसफर की लिस्ट भिजवा दिया करें और उनके कहने से गिरदावरों के ट्रांसफर वे कर दिया करें। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्रों का तो जरूर करवा दें। उनको भी तसल्ली हो जावेगी। अन्यथा तो स्थिति क्या है? ईमानदारों की कदर नहीं है यहां।

मेरे जिलेको राजस्व मन्त्रीजी जानते हैं। चार पांच ईमानदार लोग हैं। उनके ट्रांसफर किये हैं। पूछा तो जवाब दिया ये ईमानदार हैं इसलिये गंगानगर भेजना इनका जरूरी है। क्योंकि बेईमानों को वहां रख नहीं सकते। पर जिनके पास किराये का पैसा नहीं उनको जरूर भिजवा रहे हैं गंगानगर। दलील देते हैं ये ईमानदार हैं रिश्वत नहीं लेंगे, दूसरों को भेजेंगे तो वे और भी ज्यादा खा जावेंगे। वहां रहेंगे नहीं तो दूसरी जगह कम खावेंगे। यह है इनका तरीका। मैं कहता हूं अगर कोई रिश्वत खाता है तो उसको सजा दो। दण्ड दीजिये। पर दण्ड देना हमारे वश का नहीं है। दण्ड देने लगते हैं तो कांग्रेस के चार एम. एल. एज. को वे आपके पास भिजवा देते है। अब आप भी कमजोर हो गए है।

लोग बात करते हैं राजस्थान के मुख्य मंत्री का नेतृत्व बड़ा सफल है। यू. पी. में चन्द्रभान जी पिट गये। पर सुखाड़िया जो खड़े रह गये। उनके नहीं पिटने की एक ही बात बताते हैं। वह क्या है? मुख्यमन्त्री जी समझते होंगे कि उनमें लोगों को विश्वास है, मैं कहता हूं इस भुलावे में आप न रहें। विश्वास तो उनमें बिल्कुल नहीं है। खेतसिंहजी को आप थोड़ा छेड़कर देख लें। दूसरे दिन इधर बैठने को तैयार हो जावेंगे। बृज प्रकाश गोयल तो आपके रिश्तेदार है। आप यह न समझें कि वे घर के हैं। वे भी तभीतक रहेंगे जब तक कि आप उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाये रक्खेंगे। आप में उनका विश्वास है इसलिए आपके साथ हैं यह बिलकुल गलत धारणा है आपकी। जब तक आपने लालच दे रखा है कुर्सी दे रक्खी है तभी तक हैं। वरना मैं आपको सतर्क करता हूं कि आप पर उनका विश्वास नहीं है।

श्री खेतसिंह : मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि पार्टी की तरफ से कोई बात कही गई है यह गलत है मेरे बारे में। मैं ईमान से कहता हूं कि अन्त तक मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। चाहे मिनिस्टर रहूँ या न रहूँ। मेरे नाम से जो बात कही गई है उसे आपको वापिस विथड्रा करना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय रामकिशन जी का आशय यह है कि चमत्कार को नमस्कार।

श्री नत्थीसिंह : आप तो प्रतीक स्वरूप हैं।

श्री रामकिशन : मेरे कहने से खेतसिंह जी को तकलीफ हुई। क्षमा मांगता हूं। वैसे दल बदल की प्रवृत्ति ग्राम है ग्राजकल। मैंने तो इसलिये कह दिया फिर भी कि सामने ग्रापकी ही शक्ल ग्रा गई। ग्रौर कोई होता तो मैं उसके बारे में कह देता। मैंने तो ग्रापको प्रतीक बतलाया है। ग्रापने ऐसा नहीं किया तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं। वैसे सन् ५२-५३ में ग्रापने दल बदला है।

श्री खेतसिंह : मैं इन्डिपेण्डेन्ट था।

श्री रामकिशन : फिर भी क्या हुग्रा? जनता ने ग्रापको कांग्रेस के विरोध में जिता कर भेजा था। ग्राप कांग्रेस के विरोध में जीत कर ग्राये थे फिर ग्रापका ही दोष नहीं है। यह तो सारे मुल्क में हो रहा है ग्राज।

तो मैं एक निवेदन कर रहा था। ग्रापने प्रशासन की स्थिति ग्राज यह बना रक्खी है उससे किसी को सन्तोष नहीं हो सकता।

जहां तक न्याय प्रशासन का सवाल है मैं ग्रापको एक नमूना बताऊं। भरतपुर में क्या तमाशा देखा, कलेक्टर रूंगटा का ग्रापने ट्रान्सफर कर दिया। शाम को ग्रापका ग्रार्डर पहुंच रहा है, पर दो एम. एल. ए. दौड़े उन्होंने कुछ कह दिया ग्रगले दिन वह ट्रान्सफर केन्सिल हो गया। एक कलेक्टर की बात एम. एल. ए. को लेकर ग्रावे ग्रौर कलेक्टर एम. एल. ए. के पीछे २ दौड़े यह सम्मान की बात नहीं है प्रशासन के लिये। इस तरह की दो चार बातें चर्चा होती है। मैं निवेदन करता हूं कि ग्राप एम. एल. ए. की ग्रादतें इस तरह न बिगाड़ें। लोगों ने ग्राज एक काम कर रखा है कि ग्रमुक काम हुग्रा तो कहते हैं इस एम. एल. ए. से बात करो फलां मिनिस्टर काम कर देगा उसका। यह सही तस्वीर नहीं है। प्रशासन को इस तरह मत चलाग्रो। हरेक की वाजिब बात को सुनो। ग्रगर वाकई में ठीक बात है, किसी की ठीक कठिनाई है, किसी कि वाजिब शिकायत है तो उसका निराकरण करो। पर एक-दो ग्रादमियों के कहन करने से एक बार ट्रान्सफर करदो, दूसरी बार बदल दो तो इससे हमारी प्रशासन की ग्रोर स्वय ग्रापकी प्रतिष्ठा गिरती है।

नजूल के मकानों का भरतपुर में नीलाम हुग्रा। उन जमीनों को बेच रहे हैं ग्राप जिन पर गरीब लोग बैठे है जिलाधीश से हमने निवेदन किया, चीफ सेक्रेटरी से निवेदन किया, ग्रापसे किया। सैकड़ो बरसों से लोग, गरीब लोग वहां रहते ग्राये हैं। ये इतनी ऊंची कीमत ग्रापको नही दे सकते जितनी सेठ लोग दे सकते हैं। पर ग्रापने बोली लगा दी। इसका नतीजा क्या होगा? जानते है ग्राप। ग्राप कहते हैं यह समाजवादी सरकार है। समाजवाद लाना चाहते हैं। जिनको रहने की जगह नहीं है उनको स्थान देना ग्रावश्यक है। पर ग्राप सेठों के

(श्री रामकिशन)

लिये उस जमीन को नीलाम करना चाहते थे। हमने इसका विरोध किया। आपने एक बार रोका, दूसरे मन्त्री ने रोका। पर अब चलते चलते कलेक्टर महोदय उसको नीलाम कर ही गये। मैं नहीं कहता कि सरकार को बेचने का अधिकार नहीं है। पर सरकार की नीतियां क्या हैं ? एस्टीमेटेड कॉस्ट पर उन्हीं लोगों से पैसा ले लेते जो वहां बैठे हैं, गरीब हैं, जिनके पास रहने को जगह नहीं है और जिनके प्रति आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है समाजवादी सरकार होने के नाते। पर आप नहीं मानते। तो फिर न्याय करने के क्या माने ? इतना सब होने के बावजूद आपने नीलाम कर दिया। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एस्टीमेटेड कॉस्ट पर उनको प्लॉट दीजिये।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक सामान्य प्रशासन का सवाल है इसका पतन हो जाता तो दिक्कत नहीं थी। पर बरकत साहब, न्याय प्रशासन की हालत देखें कि जजों के बारे में आज क्या हालत है। जजों की इन्टेग्रिटी की बात करूं मेरा अधिकार भी नहीं है। पर एक मामला सदन में पेश करना चाहता हूं। मामला इतना गम्भीर है न्याय मन्त्री जी, दिमाग में जरा सोच लेना, इसका असर क्या होने वाला है।

नीम के थाने में एक जज साहब हैं घनश्यामदास गुप्ता। उनकी अदालत में एक दावा पेश था। दावा इस बात का था बालूपुरा-रामपुरा की लाइम स्टोन की खान का। वहां कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य एक प्रभावशाली आदमी हैं। उनके पास भी एक हलका काफी दिनों से है। मुख्य मन्त्रीजी की उन पर विशेष कृपा है। इसलिये वे चाहते थे कि बालूपुरा-रामपुरा की जमीन ऑक्शन न हो। अगर वह ऑक्शन होता है तो उनकी मावंडा की खानों को नुकसान होने वाला था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे तो पता ही नहीं है।

श्री रामकिशन : पर अगर सुनेंगे तो पता लग जावेगा। फिर भी आपको पता था या नहीं, इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता।

एक प्लाट बालूपुरा-रामपुरा का दो साल से खाली पड़ा है। २१/२२ लाख रुपया सालाना की रायल्टी उसकी लगी है। इस तरह ४५ लाख का नुकसान सरकार को रायल्टी का हो गया। आप कहते हैं जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का ४५ लाख रॉयल्टी का बरबाद हो रहा है। यह ४५ लाख का घाटा क्यों हो रहा है ? कार्यवाही क्यों नहीं की ? अब अगर जानकारी है तो घाटा क्यों खाया ? और जानकारी नहीं है तो मुख्यमन्त्री किस प्रका

(श्री रामकिशन)

बने बैठे हैं। आपको मेमोरेण्डम पेश किये गये, आवेदन पत्र दिये गये, सीकर में गये तो लम्बी–चौड़ी लिस्ट दी गई। कहा गया कि बालूपुरा–रामपुरा का एरिया है इसके लिये मुख्यमन्त्री जी ने आपके दल के किसी आदमी को विशेष फायदा पहुँचाने के लिये खाली रख दिया। इसमें एक स्टेज आई। एक पार्टी ने स्टे के लिये दर्खास्त दी। जज ने पार्टी के पक्ष में स्टे दिया। झुंझुनूं के सेशन जज ने रिवर्ट कर दिया। एक पार्टी ने आॅफर दी १।। लाख की। उसे कहा गया कि आपकी हैसियत नहीं है इतनी। मनोहरलाल नामक आदमी की १।। लाख की हैसियत नहीं है। इसलिये कहा गया कि ७५ हजार जमा कराइये। उसने ७५ हजार जमा करा दिया हालांकि इसके लिये कोई कायदा कानून नहीं था। आॅक्शन के टाइम पर जब बोली बोली जाती तो उसकी एक चौथाई उस वक्त दी जाती है बाकी पजेशन के वक्त दिया जाता है। इस पर दूसरी पार्टी को पता लगा। मोदी परिवार को पता लगा कि यह प्लॉट तो जाने वाला है। सिविल जज की अदालत में कम पैसे की लागत पर एक दावा पेश किया गया। पर ५५ साल के होने से रिटायर होने वाले हैं। १५-५-६७ की तारीख लगा दी। २७-७-६७ को अमेन्डमेन्ट जवाब दावा पेश किया। वे कन्सीडर करेंगे। पर कहा गया आप जाने वाले हैं। आप चले जावेंगे। तब होगा कैसे यह? तब क्या किया जो डिग्री की गई ११० हजार की वह ८० हजार की डिक्री मन्जूर हो गई उसके मुकाबले में।

एक माननीय सदस्य : तारीख से पहले हो कर दिया या तारीख पर किया?

श्री रामकिशन : अब और देखिये उस सिविल जज को दस हजार की डिग्री का अधिकार दिया हुआ है। पर दस हजार के अधिकार में ८० हजार की डिक्री दी गई। तारीख २७-७-६७ थी, पर इससे पहले ही फैसला कर दिया। राज्य सरकार से एमेण्डमेन्ट का जवाब नहीं लिया। और ८० हजार की डिक्री हो जाती है। राज्य सरकार को घाटा हुआ है, हो गया।

स्थानीय लोगों ने सिविल जज की शिकायत की हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट ने मामला झुंझनूं की सैशन जज की कोर्ट में जांच के लिये भेज दिया। उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, डाक्यूमेंट को चेन्ज किया है। तारीख बदली है। इस तरह की बातें साबित हो गई। यह सारा मामला हाईकोर्ट में इन्क्वायरी होकर चला गया और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज झुंझुनूं को लिख दिया कि यह मामला बिलकुल सही है और आरोप सही हैं। आज उन मामलों को दबा कर हाईकोर्ट के जस्टिस भण्डारी बैठे हुए हैं....

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना अर्ज करना चाह रहा था कि माननीय सदस्य जो कहना चाहें कहें लेकिन अब तक यह परम्परा रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में भी हाईकोर्ट के जजेज़ के बारे में हम यहां डिसकस नहीं करते हैं और मैं समझता हूं कि यह अच्छी परम्परा होगी ।....

श्री नत्थीसिंह : अगर आपका असर जुडीशियरी के ऊपर पड़ने लगे तो क्या सदन में नहीं कहना चाहिए ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं जो चीज अर्ज कर रहा था उसको गलत समझा गया इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं और क्लियर यह करना चाहता हूं कि अगर इसके सबंध मे नोटिस होता तो मैं पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता और इस तरीके से हम जब डिसकस करेंगे तो मेरे पास पूरी इनफर्मेशन नहीं होगी और जुडीशियल मैटर्स में क्या कॉग्नीजेन्स हुआ उसके लिए मैं रेस्पॉन्सीबल भी नहीं हूं । इसलिए मेरा सजेशन यह था कि माननीय सदस्य जो अपनी बात कहना चाहते हैं वह कहें लेकिन इसके परव्यू से अगर हाईकोर्ट को निकाल दें और इसके अन्दर जो डिसकस कर रहे हैं उसके अन्दर जजेज़ का नाम नहीं लेते हुए अगर डिसकस कर लें और जुडीशियल इन्टेन्शन से नहीं करके एडमिनिस्ट्रेटिव इन्टेन्शन से करें तो अच्छा रहेगा ।

श्री रामकिशन : मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में कह रहा था कि इन्क्वायरी पेन्डिंग है और उसका फैसला नहीं हो पा रहा है और उसके बारे में वहां के लोग रिप्रेजेन्टेशन लेकर जाते हैं और वह चीफ जस्टिस से भी मिले हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सीमा का अतिक्रमण किया, सरकार को उससे नुकसान भी हुआ इसके बावजूद भी अगर आपकी सरकार कदम नहीं उठाये तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क का न्याय प्रशासन कैसे सुधरेगा ? आप तो धीरे-धीरे न्याय-प्रशासन को भी बिगाड़ते जा रहे हो । इसके बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए । जो मामला इतने दिनों से पड़ा हुआ है जिसके लिए सूचना दी जाती है उसके सबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन और करना है और गोली काण्ड के सम्बन्ध में उसके फैसले या जजमेन्ट के सबंध में नहीं लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से उसमें वकीलों को नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति इस आधार पर की है कि जनता की गवाही को और दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय जज सच्चाई के नज़दीक पहुँच जाय । सरकारी वकीलों को ३-३ हजार रुपये आप दे रहे हैं । अब आप चाहे उनको कितना भी दें लेकिन जो जनता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, जो जनता की बात को कमीशन के सामने रख रहे हैं यानी न्याय का मापदण्ड यह होना

(श्री रामकिशन)

चाहिए था कि जब आप अपने सरकारी वकीलों की नियुक्ति करते हैं तो उनके लिए भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जनता के पक्ष को कौन रखेगा मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप इस बात से नजदीक कैसे पहुँच सकेंगे और इसके सम्बन्ध में मुझे अन्तिम बात और कहनी है और वह मुख्य मंत्री जी के बारे में कहनी है। माननीय मुख्य मंत्री जी जोधपुर पधारे पिटीशन के सम्बन्ध में। उस समय जुडीशियल ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिस्सा लिया। वह हिस्सा लें इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन असली दिक्कत तब है कि जब पिटीशन उनकी विचाराधीन है और उन दिनों में चीफ जस्टिस आते हैं और हिन्दुस्तान के जस्टिस वांचू आते हैं और जस्टिस वांचू जब तारीफ करें मुख्य मन्त्री जी की जांच के समय तो मैं कहना चाहता हूं कि असर पड़ सकता है या नहीं जजों के ऊपर ? मेरा यह कहना नहीं है कि उनके ऊपर असर पड़ गया या वह जज इतने कमजोर दिल के हैं कि वह एकदम प्रभावित हो जायेंगे।................

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बड़ी बुरी बात है।

श्री रामकिशन : मैं मानवीय कमजोरी की बात कह रहा हूं। अगर मुख्य मंत्री जी की पिटीशन हाईकोर्ट में कन्सीडे्शन में नहीं होती तो निश्चित रूप से वांचू साहब तारीफ करें और मुख्य मंत्री जी से उसे सुनें मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन जिस तरह से दो-चार बार जुडीशियल ऑफिसर्स से मिले ......

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय मैं संविधान के आर्टीकल २११ की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि जजेज के कन्डक्ट के बारे में हम इस तरीके से सोचें कि कोई चीफ जस्टिस आफ इन्डिया चीफ मिनिस्टर की सिफारिश करने आये थे या चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई दो लफ्ज कह दिये तो जजेज अपने जुडिशियल फंक्शन्स को छोड़ देंगे......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप इस सम्बन्ध में नहीं कहें क्योंकि मुख्य मंत्री जी वहां गये तो पिटीशनर के रूप में नहीं गये बल्कि चीफ मिनिस्टर के रूप में गये। चीफ जस्टिस आये तो वह चीफ जस्टिस के हिसाब से आये थे तो इस बात पर ज्यादा चर्चा करना नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक को-इन्सीडेन्स है और चीफ जस्टिस तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो गए और उसके बाद में कुछ चर्चा नहीं की जाये ऐसा कोई सेक्रोसेन्ट विषय हो तो विधि मंत्रीजी आगाह कर सकते हैं।

Page No. 140

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो उनके कन्डक्ट को डिककस कर रहे हैं यह कहां तक ठीक है ?

श्री रामकिशन : उनका कन्डक्ट डिसकस नहीं हो रहा है ।

श्री नत्थीसिंह : उनके कन्डक्ट के बारे में तो एक बात भी तो नहीं कही गई । वह तो बहुत ही इन्डीपेन्डेंट जज हैं और हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा लेकिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो परम्परा कायम कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, रियायतों की घोषणा करते हैं और उनकी पिटीशन चल रही है उनको स्वयं को क्या स्वस्थ परम्परा के नाते उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए ? हम यह कह रहे हैं कि न्याय–प्रशासन स्वतत्र रहे इसके लिए जरुरी है कि मुख्य मंत्रीजी जब स्वयं एक पिटीशनर हैं हाईकोर्ट में तब वह ऐसी स्थिति को अवॉइड नहीं करना चाहिए ? हम यह कह रहे हैं कि न्याय–प्रशासन स्वतंत्र रहे इसके लिए जरुरी है कि मुख्य मंत्रीजी जब स्वयं एक पिटीशनर है हाईकोर्ट मे तब वह ऐसी स्थिति को अवॉइड करें ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह इन्क्लीनेशन प्रॉपर नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : मैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन कर दूं कि इस संबंध में मैं विवाद में पड़ना नहीं चाहता लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वह जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वह पहली बार राजस्थान में आयें उनके स्वागत में वहां कई कार्यक्रम रखे गये थे । जुडीशियल ऑफिसर्स की वहां पर कॉन्फ्रेन्स थी कि जिस कान्फ्रेन्स में मुझे इनवाइट किया गया था और कॉन्फ्रेन्स मे लोग अपनी स्पीच के अन्दर क्या पढ़ें यह मैंने कोई डिक्टेट नहीं करवाया था कि वह क्या कहें क्या नहीं । उन्होने अपनी बात कही और उसके संबंध में जो बापना कमेटी और दूसरी कमेटी की सिफारिश थी, लॉ कमीशन की सिफारिश थी उसमें से एक दो पॉइन्ट्स के ऊपर हमने अपने फैसले की बात वहां पर कही मैं समझता हूं कि आये दिन बहुत सी इस इस प्रकार की बातें जब कॉन्फ्रेन्सेज होती हैं उसमें कही जाती हैं । अब यह कॉन्फ्रेन्स जोधपुर के अन्दर हुई और जयपुर के अन्दर जाने का अवसर आये तो वहां पर पिटीशन चल रही थी यह कान्फ्रेन्स जयपुर में होती तो मैं समझता हूँ कि यहां अटेन्ड करता और वहां भी और इनवाइटेड किया जाता हूं तो वहां अटेन्ड करने की बात थी । मैं समझता हूं इन चीजों को कहना और यह हाईकोर्ट के जजेज और दूसरों के बारे में इन्टरप्रिटेशन निकालना मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य काफी जिम्मेदार हैं वह इस बात को समझकर चलें कि इन इन्टेन्शन्स की वजह से कोई भी शामिल बात करके नही चल सकते । चीफ जस्टिस आफ इन्डिया क्या कहेंगे क्या नहीं यह कोई भी अन्दाजा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करके चल सकता है ? आज चीफ मिनिस्टर आफ राजस्थान उनको डिक्टेट नहीं कर सकता कि चीफ जस्टिस आफ इन्डिया क्या कहें। तो इन सारी बातों को घुमाकर एक इलेक्शन पिटीशन चल रही है क्षमा करना उसके लिए आप एक हवा बनाना चाहते हैं उस दृष्टि से आप यहां कह रहे हैं।

(३ म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बहस क्या आप यह मानते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो बात आप कहना चाहते हैं उसके पीछे जो इन्टेन्शन है उसको हम समझ सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसमें व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका यह खयाल है कि इससे वे प्रभावित हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो उससे भी प्रभावित नहीं होंगे यह मानकर चलना चाहिए। इस बात को यहां उठाकर और इस प्रकार से उठाने का प्रश्न ही क्या था ? पहले भी चीफ जस्टिस आये हैं और दूसरे लोग आये हैं उसके सम्बन्ध में यह चला आ रहा है। मैंने जैसे कि कहा है कि आज राजस्थान का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का हो और राजस्थान को पहला मौका था कि यहां पर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट आये तो यह बात स्वाभाविक थी।

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मन्त्री गलत समझे हैं....जैसा वह समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में चर्चा न हो।

श्री रामकिशन : मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे यह निवेदन करना था कि जो वह समझ रहे हैं कि हवा बना रहे हैं वह खयाल उनका बिल्कुल गलत है। असल में बात यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी को सतर्क रहना चाहिये। मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आप से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ५ मिनट में ही।

श्री उपाध्यक्ष : समय ज्यादा हो गया है।

श्री रामकिशन: यह तो बीच बीच में माननीय मुख्य मन्त्रीजी और बरकत

(श्री रामकिन)

साहब उठ खड़े होते हैं। मेरे खुद का टाइम कुछ नहीं है। मेरे पास इसका इलाज नहीं है। वह खड़े हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर रहा था कि इसी सदन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने ऐलान किया था कि जो आई० पी० एस० ऑफिसर होंगे या दूसरे ऑफिसर होंगे उनका रिटायरमेंट ५८ के बजाय ५५ में होगा। आई० ए० एस०के बारे में नहीं कहा है। राजस्थान के दूसरे ऑफिसर्स के बारे में कहा है कि ५५ साल के बाद राजस्थान में एक्स्टेन्शन बिल्कुल बन्द कर दिया है। मै माननीय मुख्यमन्त्री जी से जवाब के समय केवल एक जानकारी चाहूंगा कि अभी जो सवाल रखा है उसके बाद में आपने रिए-म्प्लॉयड किस-किस जगह पर किन-किन को किया है। मुझे मालूम पड़ा है कि आपके प्रशासन के १२ सालों में तबियत भर के जिसने आपकी सेवा की है उसको किया है। लेकिन मुंह से एक बात और कर्म से दूसरी बात यह किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए शोभा की बात नहीं है। आज जो आई० जी० पी० रिटायर्ड हो चुके हैं उनको आपने सूरतगढ़ फार्म पर लगाया है। कोई खेती का अफसर होता या खेती का स्नातक होता तो बात दूसरी थी। आपके लिए उन्होंने गलत-वलत काम किये होंगे इसलिए उनको सूरतगढ़ फार्म पर लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मि० कौल हैं जिनको डिप्टी डाईरेक्टर कॉलोनाइजेशन रिटायर्ड कर दिया था लेकिन वहां पर रिटें चलती हैं तो उनको इन्चार्ज रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। रिट पिटीशन्स के लिए आपके पास एडवोकेट जनरल हैं और दूसरे लोग हैं लेकिन कालोनाइजेशन के डिप्टी डाईरेक्टर को इंचार्ज बना दिया उसी तनख्वाह पर और उन्हीं सुविधाओं के साथ, तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपकी इन बातों का कितना असर पड़ता है मुझे उससे कोई विवाद नहीं है, लेकिन राज्य के मुख्य मन्त्री की बातों की राज्य में कीमत होती है। अगर इस तरह से होता है तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसमें लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने यहकर दिया तो हमारी भी सिफारिश भिड़वा दें। जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसी के लिए लोग हमसे आकर कहते हैं। वे ही आकर हम से कहते हैं कि चार तो लगा दिये पांचवां लगने वाला है। जिनकी प्रशासकीय सेवाएं अच्छी रही हैं तो उनको आप रिटायर्ड कर चुके हैं। रिटायर्ड लोगों को इस तरह से करने पर करपशन को बढ़ावा मिलता है।

अब एक बात बेरी कमीशन के सम्बंध में जो मैंने निवेदन किया है माननीय न्याय मंत्रीजी उस पर विचार करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि कमीशन के जो मेम्बर हैं उनको २५ रुपया डेली एलाउंस मिलता

(श्री रामकिशन)

है और यह सारा नियमों में लिखा है कि कोई बंगला ले लें तो उसको ६ रुपये का एलाउन्स दिया जाता है। यह २५ रुपये के हिसाब से उनको कैसे दिया जा रहा है। इसमे १०-१२ हजार का घपला हो गया। इसकी आप एन्क्वायरी करवाये कि यह किसी ने उनको प्रभावित करने के लिए किया है या यह इग्नोरेन्स से हुआ है। दोनों चीजें मैं आप पर छोड़ देता हूं। इग्नोरेन्स से भी हो सकता है और प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो राज्य के लक्षण हैं या जो लोगों की धारणा है तो राजस्थान के लोग यह मानते हैं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी बहुत ही चतुर आदमी हैं। आप चतुरभी कहलवाना चाहते हैं और लोग दूसरा अर्थ निकालते हैं तो खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है। या तो आप सदन मे कह दें कि आप चतुर हैं। अगर आप चतुर हैं तो यह गलती कैसे हो, और अगर चतुर नहीं हैं तो दूसरा शब्द आप स्वीकार कर लेंगे जिस शब्द को मैं नहीं कहना चाहता हूं। यह घपला क्यों हुआ ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय-प्रशासन और सामान्य-प्रशासन राजस्थान में चौपट हो रहा है। बीसों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं मिसल लाया हूं लेकिन सदन की परम्परा का खयाल रखकर मैने उन बातों को छोड़ दिया।

अन्त में मैं सदन के पिछड़े वर्ग और आदिवासी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैंने सुना है कि मुलकराजजी अलग हो रहे हैं इस बात पर कि यह सरकार हरिजन पक्षपाती नहीं है। आपको यह भ्रम कब से हुआ कि यह सरकार हरिजन पक्षपाती है ? आदिवासी और पिछड़े वर्ग के एम. एल. एज. ज्यादा हैं इनको यह भ्रम कैसे हुआ है ? यह सरकार केवल चार आदमियों की सरकार है—सुखाड़ियाजी साहब, दामोदरजी, हरदेवजी जोशी और मथुरादासजी माथुर हैं और बाकी के तो हमारे मुकुटबिहारीलालजी है कहते भरतपुरी भाषा में कि "चपर कनाती" हैं और "चपरकनाती उसको कहते है जो बारात के संग झाड़ू और ढकोला वाले हरिजन है जिनकी कोई कीमत नहीं है। मुलकराजजी कहते हैं कि यह सरकार हरिजनों की सुनती नहीं है तो यह सरकार हरिजनों की सुन नहीं सकती है। यदि सरकार को हरिजनों की सुनाना है तो इस सरकार को बदलो। बहुमत में हरिजन और आदिवासी लोग हैं वे राज्य के मालिक बनें। हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं।

श्री रोशनलाल : यह राजस्थान में नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कोई उधर से बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग पर मेरे आठ प्रस्ताव हैं । मैं सबसे पहला जो मेरा कटौती-प्रस्ताव है उसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो शासन-प्रणाली है उसको अभी एक माननीय सदस्य ने बड़ी खूबसूरती से इस सदन के सामने चर्चा की है । मैं भी थोड़ी बहुत जो उसके बारे में जानकारी रखता हूं सदन में निवेदन करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर इस साल करीब २,६७,००,००० रु. का खर्च रखा गया है जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब १२-१३ लाख ज्यादा है, और यह उस परिस्थिति में है जब कि राज्य सरकार द्वारा ५५ साल वालों को रिटायर करके व दूसरे इकोनॉमिक मेजर्स लेकर प्रशासन में कमी की है । उस कमी के बावजूद प्रशासन का खर्चा ज्यादा बढ़ा है, और उसके साथ-साथ यह भी देखने की चीज है कि क्या इस खर्चे के बढ़ने से जिसकी बहुत सी वजह होंगी—थोड़ा मंहगाई की वजह से और जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें खर्च बढ़ सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है । प्रशासन में खर्चा बढ़े इसको फिर भी हम लोग बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ने का जस्टीफिकेशन यदि वे दे सकते हों तो इस खर्चे के बढ़ने से राज्य की एफिशियन्सी भी बढ़ी है । यह अगर यह बात होती है तो खर्चे को लोगबाग बरदाश्त कर सकते हैं यह सोचकर कि यह आवश्यक है आजकल के जमाने में और उसको दरगुजर कर सकते हैं । लेकिन खर्चा बढ़ता जाय और एफिशियेन्सी घटती जाय यह अपने आप में एक सोचने की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि विरोधी पक्ष की तरफ से जो कुछ भी बातें कही जायं उनको यह लोग सुनकर सही जवाब दें । जिस तरह का इनका जवाब होगा वह वही होगा जिसकी हम सोचे बैठे है वास्तव में इस संबंध में जो बहस सदन में होती है उसका मकसद यह है कि विरोधी पक्ष के द्वारा जो बातें कही जायं उन पर सही तरीके से मनन किया जाय और यदि मानने के लायक हों तो उसको प्रशासन माने । लेकिन आज तक की परम्परा यह रही है कि ये सुनते हैं और सुनकर जो कुछ भी चाहें कह देते हैं और अधिकांशत: जो कहते हैं वह काफी अनुचित होती हैं । लेकिन फिर भी अपोजीशन का मेम्बर होने के नाते इस शासन की जो कमियां हैं उनकी तरफ मन्त्रीमण्डल का ध्यान आपके मारफत आकर्षित करें और इनमें यदि कोई सिन्सियेरिटि है,

(श्री जुझारसिंह)

यह राज्य का यदि सुधार चाहते हैं तो हमारी बातों पर थोड़ा-बहुत ध्यान देगें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत माननीय मुख्य मंत्रीजी के खुद के शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या फील करते हैं, इस विषय पर समय-समय पर आपने क्या कहा है और कितना अमल किया है? यह किताब आज से कुछ साल पहले निकली थी 'एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स' नाम से सुखाड़ियाजी ने सदस्यों को वितरित किया है और उसमें सीनियर ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होने अपने अनुभव जो ये सविसेज के बारे में महसूस करते हैं रखते हैं उसके एक्सट्रेक्ट इस किताब में से मैं सुनाता हूँ। यह किताब २०० पेजेज की है। आपने खुद ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो महसूस किया है उसमें से एक-दो एक्सट्रेक्ट बताना चाहता हूं। उन्होंने एक जगह यह लिखा है कि आज जो "एड-मिनिस्ट्रेटिव सर्बिसेज" पब्लिक के ढांचे में नहीं ढल पाई हैं। आज भी वे उसी एरि-स्टोक्रेटिक वे की हैं। जो आज से पहले थी। लोग-बागों की मांग है, कि ये डेमोक्रेटिक सेट अप में डेमोक्रेटिकली काम करें परन्तु जिस तरह की मनोवृत्ति इनमें होनी चाहिए, वे खुद (मुख्यमंत्री) यह महसूस करते हैं कि सर्विसेज़ में नहीं है। जिस तरह की सर्विसेज में उन्नति होनी चाहिये वह नहीं हुई है। यह खुद मुख्य मंत्रीजी महसूस करते हैं इसके बावजूद भी इसमें सुधार नहीं कर पाते है। सर्विसेज का रवैया वही चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि यह बात जो आपने महसूस की है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेन्स में आपने फरमाया है, क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? आप यह बात ५ वर्ष पहले महसूस कर रहे है क्योंकि ५ वर्ष पहले यह किताब लिखी गई थी, आज क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं? ऑनेस्टली आप बतावें कि क्या आप सीरियसली फील करते हैं कि सर्विसेज़ के स्टेन्डर्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ है? आपने लिखा है:-

"I am afraid that the touring done by the officers is haphazard and inadequate".

दूसरी जगह लिखा है:

"I have a feeling that adequate inspections of the subordinate officers are not being made.

एक जगह आपने लिखा है:

"The state of affairs is deplorable. The working of Tehsils, S. D. 0s. need a good deal of toning up.

(श्री जुझारसिंह)

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के १५ वर्ष से मुख्य मत्री हैं, आप जगह–जगह जाते हैं, बहुत सी बातें देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सब चीजों को महसूस करने के बाद भी क्या आप महसूस करते हैं कि कोई इम्प्रूवमेन्ट सर्विसेज की एफिशियेन्सी में हुआ है ? इनके मैथड आफ वर्किंग में, उनके बिहेवियर में तब्दिली कर पाये हैं ? यदि नहीं कर पाये तो इस तरह की थोथी बातें करने से क्या फायदा ? बातें तो हम भी कहतें हैं आप भी कहते हैं, लेकिन आप जो महसूस करते हैं उसमें यदि सुधार नहीं कर पाये हैं तो आपको इनमें सुधार करने के लिये सीरियसली एफर्ट्स करने चाहिये। कोशिश करें, आप शायद कुछ कर सकें, आप और आपके साथी भी कोशिश करें लेकिन आपने मन्त्रिमडल का साइज बहुत बढ़ा लिया है। अभी एक माननीय सदस्य ने उनकी एफिशियेन्सी और वे किस तरह काम करते हैं, इसका जिक्र किया था। मैं एक अंग्रेज ने जो कहा था सदन में कोट करता हूं : "Some rise by sin and some by virtue fall."

आपके राज्य में यह जो क्वालिफिकेशन हो गया है "Some rise by sin and some by virtue fall" और यह यदि आपका स्टेन्डर्ड हो गया, है कि कोई आदमी इधर से उधर छोड़ कर चला जाय तो कोई उसकी योग्यता हो या नहीं हो, उसका बेकग्राउन्ड हो या नहीं हो, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव केपेबिलिटी हो या नहीं हो। और केपेबिलिटी होने की कोई गुंजायश नहीं भी हो या यदि वह उधर से छोड़ कर आया है, उसने जनता को धोखा दिया है, जिस पार्टी से चुन कर आया है उसको धोखा दिया है इसलिये आपने उसको रिवार्ड देना है Because they have sinned to cross the other side इस तरह का स्टेन्डर्ड है आपका। एक नहीं, दो नहीं बल्कि दर्जन्स इस तरह के केसेज में आपने यह किया है और आप खुद यह अन्दाज लगालें कि उसका क्या असर होगा ? इस तरह आपके एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिष्ठा रहेगी क्या ? लोग आपमें विश्वास करेंगे क्या ? आपने जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बुराईयां बतांई हैं क्या आप उनको इस तरह से दूर कर सकते हैं। हमारे हाड़ोती में एक कहावत है, "गज की भूल गधा भूण्डो लागे भैरिया"। यदि गज की भूल गधे पर डालदें तो अच्छी नही लगती है। मुख्य मन्त्री जी आपने ओवर साइज भूलें एक आदमी पर नहीं अनेकों पर डाली हैं उसका क्या असर होगा ? इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेन्डर्ड बढ़ता हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता।

आपके मंत्री हमारे क्षेत्र में जो कुछ करते हैं उसकी मिसाल मैं आपके सामने दूंगा लेकिन एक जगह और आपकी किताब

(श्री जुझारसिंह)

में से कोट करके सुनाना चाहता हूँ, आपने लिखा है :—

"I may say a word about the alleged political interference in the day-to-day administration. However, regrettable the fact may be, you will agree that to a certain extent it is the result of the actions of the officers themselves when they try to seek the help of political influences for their transfers, promotions or good postings. Such a tendency needs strong condemnation."

इसमें तो जो कुछ भी ट्रान्सफर्स किये जाते हैं, उसका ब्लेम भी आपने अफसरों पर छोड़ दिया है। आपने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कान्फ्रेंस में अपनी यह कमजोरी दूसरों के मत्थे मढ कर कह दिया कि इसमें भी हम कसूरवार नहीं है। जो कुछ होता है वह आप लोगों के कारण ही होता है। आप प्रमोशन चाहते हैं, अच्छी जगह ट्रान्सफर्स चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ-साथ घूमते हैं इसलिये आप ही कसूरवार हैं। हम तो दूध के धुले हैं। मुझे भी १३-१४ साल तक कांग्रेस में बैठनेका मौका मिलाहै और कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी से आप से भी कहा है, आप बड़े आदमी हैं अब शायद भूल गये हो, कई बार चर्चा हुई है कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स को आप बंद कर दीजिये, यह जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। आपने भी कहा था कि हां यह ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बाद यह भी कहा कि मैं इनको बंद नहीं कर सकता। यदि आप इसको बंद नहीं कर सकते तो यह बुराई आप उनके सिर पर क्यों देते हैं, अपने सिर पर क्यों नहीं लेते ? आप कहते हैं कि अफसर अच्छी जगह ट्रान्सफर चाहते हैं। कोई अफसर अच्छी जगह ट्रान्सफर करने के लिये कोशिश करे लेकिन जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उसके द्वारा अफसरों के कहने से बात मानली जाय यह जरूरी नहीं है। अभी बहुत समय नहीं हुआ होगा, १२ महीने भी नहीं हुए होंगे, हमारे जिले में उप चुनाव हुआ था। शायद आप मन्जूर करें या न करें लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जिस पर ट्रान्सफर नहीं हुआ हो। हमारे खानपुर क्षेत्र में ३ एस.एच. ओज हैं उन सब का ट्रान्सफर हुआ। जितने तहसीलदार थे उनका ट्रान्सफर हुआ। चुनाव के टाइम पर एक लिस्ट बनाई गई थी, और उस वक्त जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्होंने अभी एक पत्र लिखा था उसकी कापी मेरे पास है लेकिन आज मैं उसे सदन में नहीं ला सका हूं, उसमें लिखा था एक आदमी के बारे में कि यह आदमी चुनाव-टाइम की ट्रान्सफर

(श्री जुझारसिंह)

की लिस्ट में था लेकिन उस समय ट्रान्सफर उसका नहीं हुआ शायद गवर्नमेंट के नजर में नहीं आया होगा, लेकिन क्योंकि अब यह हमसे मिल कर चलता है इसलिये इसका ट्रान्सफर नहीं किया जाय। इस पत्र पर एक मंत्री के कहने से वह रुक गया है। एक तहसीलदार जिसको ५५ साल की आयु होने के कारण चुनाव के वक्त रिटायर कर दिया गया था लेकिन क्योंकि उससे चुनाव में काम लेना था इसलिये १ महीने तक रख लिया और चुनाव खत्म होने के बाद रिटायर कर दिया। एक आदमी को अकलेरा क्षेत्र में उसी गांव के पास लगाया है जब कि आप कहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में किसी को नहीं रखना चाहिये, लेकिन उसको तो होम तहसील में ही रख दिया है। इसी तरह से एक दूसरे तहसीलदार जो राजपूत थे और आपको उनसे डर था कि कहीं पक्षपात नहीं कर बैठें इसलिये इन्हें टेलिग्राम देकर उसका ट्रान्सफर कर दिया।

इसी तरह से कोटा में मैं यह नहीं कहता कि आप जातिवाद को पनपाते हैं, वहां पर एवरी आफिसर हू वाज ए राजपूत वाज ट्रान्सफर्ड। आप जानबूझ कर इस तरह की चीज करते हैं कि अमुक जाति के आदमी का ट्रान्सफर करदो क्योंकि वह राजपूत हैं इसलिये ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, जाति के आधार पर इनका ट्रान्सफर करना चाहिये और दूसरे को रखा जाय क्या यह आपको शोभा देता है? मैं जानता हूं आप यह जवाब देंगे कि आपके लिए सभी जाति के लोग बराबर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके मंत्री हैं उनमें जरा भी पेशेन्स नहीं है, सड़कों पर बैठ कर आपके रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तुम राजपूत हो इसलिये हमको तुम पर ट्रस्ट नहीं है। राज्य करने वालों में थोड़ी तो चतुराई होनी चाहिये लेकिन ये तो ऐसे हैं जो शेखी मार कर इस प्रकार की बातें कहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले मुख्य मंत्री जी भी सही बात कहा करते थे। कुछ अर्से से मुख्य मंत्री जी वही कहने लगे हैं जो उनके मंत्री कहते हैं थोड़े समय पहले मुख्य मंत्री जी मेरे यहां तशरीफ ले गये थे १४ जनवरी, ६७ को मेरा चुनाव होने वाला था उस समय आउट आफ वे जाकर आपने फरमाया था कि १ महीने में मैं रामगंज मंडी में नल की योजना चालू कर दूंगा। आपके यहां के जो एम. एल. ए. हैं वे तो एसेम्बली में जाकर कुछ नहीं कहते हैं। वर्ना नल कभी का लग गया होता। न तो इनका कोई पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड है और न और कुछ है। आपने जो फरमाया था कि एक महीने में नल की योजना लागू कर देंगे। आपने क्या किया? वह चुनाव बीत गया। अभी फिर करीब कुछ महीने पहले मुख्य मंत्री जी एक स्कूल का उद्घाटन करने रामगंज मंडी पधारे थे और वहां पर पब्लिक ने जब पूछा कि आप एक महीने के लिए फर्मा कर गये थे, तो आपने उनसे फर्माया, कि अपनी बात पर कायम नहीं

(श्री जुझारसिंह)

रहे। आप किसी को काम करने के लिये वायदा करें उसका यह तो स्टेन्डर्ड नहीं है? आपने पब्लिकली, दस हजार आदमियों के सामने यह कहा कि उसका कुछ इम्पेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैड होने के नाते आपकी हर बात की, हर शब्द की वेल्यू होती है। आप इधर उधर घूमते फिरते हैं, वहां आप हर जगह यह कहते फिरें कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम ओब्लाइज्ड नहीं है कि यह काम करें। आपको किसने निमंत्रण दिया था कि आप पब्लिक के सामने इस प्रकार का वायदा करें कि एक महीने में नल लगवा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हैड इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कहें यह अफसोस की बात है। मंत्रियों को तो इस तरह की बात कहने की आदत पड़ गई है, जहां इस तरह की बात कहने की आदत पड़ जाती है उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन का जो होना है वह राजस्थान में देख रहे हैं और यह बड़ा अनफार्चुनेट है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी मिसालें देता हूं, जो हमारे क्षेत्र में मंत्री लोग करते हैं। जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने इस किताब में एडमिट किया है कि इस तरह की बातें होती हैं वह नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में ऑफिसर लोग अपने मतलब से अच्छा पोस्टिंग चाहने के लिए, अच्छी जगह पर रहने के लिए पोस्टिंग करवाते हैं-ऐसा किताब में बताया है। यह बात सही है कि ऑफिसर जैसा चलना चाहें वैसा चलें, लेकिन मंत्री लोग जैसा करते हैं वह कहां तक जायज है-इसका थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण आपको करना चाहिए। पिड़ावा क्षेत्र में, जिसके लिए हमारे सोशलिस्ट सदस्य महोदय ने फर्माया कि कन्हैयालाल जी कौन हैं, उसको मैं नहीं जानता हूं। वह मंत्री हैं और उनको हम जानते हैं, वह उस क्षेत्र से ही निर्वाचित हुए हैं, इस सदन के सदस्य हैं और मंत्री भी हैं वह यद्यपि अनइम्पॉर्टेन्ट हैं कि उन्हें सब सदस्य पहचानते तक नहीं हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। वह हमारे क्षेत्र से आये हुए हैं इसलिए मैं यह नहीं कहता कि मैं उनको पहचानता नहीं। पिड़ावा में एक दुबलिया नाम का गांव है, वहां पर दो साल से एक अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा था। वहां पर लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया था और पांच एक हजार रुपये खर्च भी कर दिये थे। वह औषधालय दो साल से चल रहा था। मंत्री महोदय ने यह अनुभव किया कि मुझे यह गांव सूट नहीं करता है तो इस औषधालय को यहां से हटा कर दूसरी जगह ले गये। उपमंत्री, आयुर्वेदिक औषधालय, होने के नाते वह उस औषधालय को गादिया नाम का गांव है वहां ले गये जबकि नियमों के माफिक चार मील से कम डिस्टेन्स पर कोई औषधालय नहीं स्थापित किया जाता है। जो गांव दूसरे औषधालय

(श्री जुझारसिंह)

से चार मील से कम डिस्टेन्स पर है वहां पर ऐसा नियम है कि औषधालय नहीं खोलना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि यह पांच मील से कम है, गादिया पर औषधालय नहीं खुलना चाहिए था। इस गांव के दो तीन मील पर अस्पताल है, एक अस्पताल नहीं, दो अस्पताल है जो चार मील से कम फासले पर है। अगर कोई नई चीज वहां दे देते तो वह बात हमारी समझ में आती थी कि चलो ठीक है, एक नई चीज खुल गई, किन्तु एक औषधालय को एक गांव से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, ऐसी जगह ले जाना जो अस्पताल से चार मील से कम फासले पर है, उसके दो--दो मील पर और औषधालय हैं। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या इस तरह की टेन्डेन्सी को एन्करेज करना अच्छा समझते हैं? और क्या आप इस चीज को रोकने में इन्ट्रेस्टेड है? मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहते हैं तो आप इस विचारधारा को बन्द करें। यदि आप सोचते है कि इस तरह की बात राजनीति में प्रेक्टिकल है और इनका नोटिस नहीं लेना है, तो फिर जैसी आपकी मर्जी हो वैसे चलें। हमारा फर्ज है कि हम सारी बातों से आपको अवगत करायें और हम यह उम्मीद भी करते हैं कि आप सही ढंग से उन्हें देखेंगे और सही ढंग से उनका साल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। थोड़े दिन पहले इस असेम्बली के एक माननीय सदस्य एक पंचायत समिति की एक मीटिंग में बोल रहे थे और उन्होंने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं, जगल की समस्याओं और दूसरी समस्याओं के बारे में जिक्र किया था उसके बाद में वहां के कलेक्टर महोदय को किसी ने जाकर कह दिया कि इन्होंने बड़े जोश में आकर बातें कही हैं और वहां के कलेक्टर ने उन्हें लिखा है, राजस्थान की विधानसभा के एक माननीय सदस्य को लिखा है कि उनको इस तरह की चीज बोलनी नहीं चाहिए थी, आपको ढंग से बात करनी चाहिए थी, आपको भविष्य के लिए इस तरह की हिदायत दी जाती है कि अपने आपको 'बिहेव' करें। इस तरह की चीजें राज्य अधिकारियों द्वारा इस सदन के माननीय सदस्य को लिख कर दी जाती हैं, ये चीजें, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के सामने भी किन्हीं सदस्यों ने रखी है, लेकिन इस टेन्डेन्सी इलेक्टेड मेम्बर्स के साथ होती हैं, जिसके बारे में वह महसूस करते हैं कि यह असेम्बली में जाकर कुछ कह सकते हैं। उसके मामले में शुरूआत के अन्दर के, नये नये कलेक्टर ऐसा एटीट्यूड रखें, तो कौनसी डेमोक्रेसी आ गई है? और उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं। तो इसका मतलब यह होगा कि जो एम. एल. एज. से नीचे हैं, सरपंच, उनके साथ क्या व्यवहार होगा, जो प्रधान हैं उनके साथ क्या एटीट्यूड रखते होंगे? मेरा निवेदन है कि इस

(श्री जुझारसिंह)

तरह की चीजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों और पॉलिसीज में, जो एक्जीक्यूटिव बॉडी है, वह उनको वर्क आउट करे। जहां जहां पर सक्सेजफुल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, वहां सबसे पहले यह बात देखी गई है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपने अनुरूप बनाया। इसके लिए च्यांगकाई शेक को देखें और सन्यात सेन ने इसके लिए वोम्पांग यूनीवर्सिटी कायम की, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक डेफीनेट वे में सोचती है। चाइना को इसी उद्देश्य के लिए अपना एक सर्विस कैडर तैयार करना पड़ा, जिसका सारा का सारा ढंग काम करने का ढंग उनकी नीतियां और प्रणाली के अनुकूल है। वही की वही चीज फासिस्ट जर्मनी फासिस्ट इटली, डेमोक्रेटिक इङ्गलैंड और अमेरिका में है, इन सब को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपनी तरह से तैयार करना पड़ा। लेकिन आपके यहां पर आप डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म को ऊपर फैलाना चाहते हैं और आपके आफिसस का यह एटीच्यूड है, जिसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया कि एम. एल. ए. जोश से बोल गये तो उनसे लिखित में पूछा कि इस तरह की बात क्यों कही? उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा गया था, वह चीज वहां की प्रोसीडिंग्स में है, वहां की प्रोसीडिंग्स आपकी असम्बली में पेश होगी। उस प्रोसीडिंग में है कि इन्होंने इन्नोसेंट बात कह दी। उस पर इनको ऐसी चिट्ठी लिखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आप डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के माफिक ट्रेनिंग दे रहे हैं? आज एक बहुत बड़े राइटर ने, युगोस्लाविया के इलियास ने एक किताब लिखी है, कम्युनिस्ट युगोस्लावाकिया मे एक नई क्लास पैदा हुई है, उस किताब का नाम है, 'न्यू क्लास'। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है, हमारे कम्युनिज्म के नाम पर, हमारी नीतियों के नाम पर, और सोशियलिज्म की प्रोग्रेस के नाम पर मैं महसूस करता हूं, एक नई क्लास लेबरर्स, पीजेन्ट्स और सर्विसेज, सबको एक्सप्लॉइट करती है, वह क्लास जो वहां पर पावरफुल है यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि मैं कहूं कि राजस्थान में भी सर्टेन पर्सन्स आफ सर्विस, अनेक सर्टेन इम्पॉर्टेन्ट पर्सन्स आफ पॉलिटिक्स, सर्टेन पर्सन्स इन पब्लिक हैं जिनको लोग देखते भी हैं, जैसे कन्हैयालाल जैन हैं, राम जी काक हैं, जिनको यहां पर एक नई क्लास वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की पैदा हो गई है, जो मुख्य मन्त्री और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर चाहे जिस ऑफिस में जा सकते हैं, चाहे जिस तरह की बात कर सकते हैं, चाहे जिस आदमी पर दबाव डाल सकते हैं। इनके बारे में, जयपुर

(श्री जुझारसिंह)

में और राजस्थान में क्या रेपूटेशन है वह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन एक क्लास तैयार हो गई है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें पॉलीटीशियन क्लास के ही लोग नहीं हैं, सभी वर्गों और सब जगह के लोग उसमें सम्मिलित हैं और राजस्थान में पिछले पन्द्रह बीस वर्षों में उनकी एक परम्परा बन गई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, आपकी मार्फत कि इन सब चीजों पर आपको सीरियसली सोचना है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में क्लीनलीनेस नहीं आती है, इससे एफीसियेन्सी नहीं आती है। हो सकता है कि इससे आपका शासन चल सकता हो, दूसरा भी शासन चल जावे लेकिन जो इनएफीशियेन्सी एक बार आ जायेगी, उससे आप देखेंगे कि इस देश को बड़े २ नुकसान होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कोई आदमी करप्शन करके, इनएफीशियेन्सी करके अपने घर को बना सकते हैं, इन्डीविजुअल को बना सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है, लखपती हो सकता है लेकन कन्ट्री के केस में, कन्ट्री के स्टेन्डर्ड में, कन्ट्री को ऊंचा उठाने में इस तरह की टेन्डेन्सी हो तो बहुत अनुचित बातें होगी कन्ट्री करप्सन से, कन्ट्री फेवरिटिज्म से और इनएफीशियेन्सी से नहीं बनना है। कन्ट्री को बनाने के लिए तो दूसरे ही स्टेन्डर्ड चाहिए। आप के इन तरीकों से कोई इन्डीविजुअल बन सकता है, इन्डीविजुअल के लिए कह सकते हैं कि वह बेईमानी करके लखपति हो गया लेकिन यदि कन्ट्री में इस तरह की प्रवृत्ति पनपेगी तो उसका हमको बहुत महंगा रिटर्न देना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी बहुत करके उन आदमियों पर होगी जिन्होंने इस राज्य में बैठ कर वर्षों से इसको चलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक किताब है 'आल आनरेबल मैन, नाम की छपी है जिसका मतलब है सब जो है इज्जतदार आदमी हैं, सब आनरेबल है इस तरह की किताब लिखी हुई है। उसमें यह लिखा है कि जिन आदमियों को हम आनरेबल कहते हैं, दिखने में जो आनरेबल आदमी लगते हैं, वह आदमी पब्लिक लाइफ में किस तरह का काम करते हैं। उन आनरेबल आदमियों के करने से, उनके गलत कामों से राष्ट्र का क्या अहित होता है और किस तरह से कन्ट्रीज सफर करते हैं, उन आनरेबल आदमियों में से कुछ को मिशाल भी दी है कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो लाइजन ऑफिसर की तरह काम किये जाते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह देकर बड़ी बड़ी जगह पर बैठा दिया जाता है, और दे लुक आनरेबल, लेकिन किस तरह काम करते हैं? किसी को ठेका दिलाना, किसी को परमिट दिलाना, किसी को और क्या दिलाना? इन आनरेबल आदमियों की वजह से कन्ट्री को नुकसान होता है। इस तरह के आनरेबल मैंने राजस्थान में अनफाचुनेटली सबडिपार्टमेंट में देखनेको मिलते हैं। उनके बारेमें रिपोर्टस हैं, पी. ए. सी. की रिपोर्ट है, एस्टीमेटस् कमेटी की रिपोर्ट है और खुद मुख्य मन्त्री के कहने

(श्री जुझारसिंह)

के माफिक है, किताब में भी लिखा हुआ है, और उसके भी अलावा जो है वह हमारे सामने है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों के बारे में आपको बहुत गम्भीरता से विचार करना है और आपको एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की दिशा में कोशिश करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों के ऊपर जहा तक खर्च करने का सवाल है. जो मेरा कट मोशन है,चाहे यह खर्चा मोटर गाड़ियों का हो, भत्ते का प्रश्न हो इनके बारे में मैं बार बार रिपीट करना ठीक नहीं समझता और इस प्रकार की रोज बात होती रहती है। यह बात सही है कि राजस्थान में मन्त्रियों का पे स्केल है, वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। मन्त्रियों का पे स्केल बम्बई से भी यहां ज्यादा है, केरल में आठ सौ रुपये मन्त्री को मिलते हैं, उसके मुकाबले भी ज्यादा है, मद्रास के मुकाबले भी ज्यादा है और आंध्र के मुकाबले में भी ज्यादा हैं। बम्बई जैसी जगह से भी जहां एक्सपेंसिव लाइफ है, जहां डिस्टेन्सेज ज्यादा है, के मुकाबले में भी ज्यादा हैं। लेकिन मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता, यह ग्यारह सौ, बारह सौ, पन्द्रह सौ की मन्त्रियों के लिए बड़ी तनख्वाह नहीं होती है। क्वेश्चन यह है कि जिन आदमियों को आप मन्त्री बनाते है, वे लोग-बाग क्या इतने एफिशियेन्ट हैं कि वे उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं जो आपने उन्हें सौंपी है। जैसी मैंने मिसाल दी है मन्त्री-मण्डल को यदि आपने बढ़ा भी दिया है, तो कम से कम उससे काम लें उनके द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ने की कोशिश न करें। उनको कम से कम यह बतायें कि यदि वे कोई भला काम नहीं कर सकें तो किसी चलती हुई चीज को बिगाड़े तो नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री लोग जब दौरे पर जायेंगे तो किसी के पास, किसी ऑफिसर के पास जाकर ठहरेंगे, उसके यहां रहेंगे, खायेंगे। वह परेशान हो जायगा तो भी उसके टाइम को डिस्टर्ब करेंगे। हमारे क्षेत्र के उपमन्त्री बने हैं इनके अन्दर एक कॉम्प्लेक्स है, वे अपनी इम्पार्टेन्स बताने को चाहते है कि इनके पास कोई इम्पार्टेन्ट गवर्नमेंट ऑफिसर आकर मिले। कोटा में जब ये झालावाड़ के उप मन्त्री जाते हैं तो कलेक्टर को इत्तला करते हैं कि मेरे को मिलने आना, एस० पी० को इत्तला करते हैं कि मेरे को मिलने आना, सीनियर ऑफिसर को इत्तला करते हैं कि मेरे को मिलने आना। और जब वे जाकर कहें कि कोई काम हो तो फर्माइये, तब कहते हैं कुछ नहीं बस चाय पी जाइये, और कोई काम नहीं है। फिर जब लौट कर वहां वापिस आयेंगे तो फिर भी कहलायेंगे कि मैं वापिस आ गया हूँ मिलना....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब है ज्यादा इन्टरफियरेन्स नहीं करते हैं।

श्री जुझार सिंह : कोटा में इन्टरफियरेन्स को क्या करेंगे ? इतनी अक्ल नहीं है इन्टरफियरेंस करने की इनमें ? और उसकी मैंने आपको मिसाल दे दी है। आज नौबत यह आ गई है कि बाजार के अंदर यह आम चर्चा का विषय हो गया है कि लोग–बागों को किस लिए बुलाते हैं, और क्या करते हैं ? हो सकता है कि आपको इस बात का साफ पता न हो। यह आपके सोचने की बात है। हमें कुछ नहीं कहना है। आप इन बातों को सोच सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सही दिशा दे सकते हैं तो राजस्थान के लिए अच्छी बात है।

एक चीज और कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के दिन से भैंसोदा मंडी को राजस्थान में मिलाने का विचार चलाहुआ है। मुख्य मंत्री खुद वहां गये हुए हैं, भैंसोदा मंडी भवानी मण्डी का एक हिस्सा है, उसका एक दरवाजा भवानी मण्डी में है तो दूसरा दरवाजा भैंसोदा मण्डी है, जिसका मतलब है कि एक हिस्सा मध्य प्रदेश में है और एक हिस्सा राजस्थान में है। एक जगह के पचास-साठ आदमी भैंसोदा मंडी में व्यापार करते हैं और भवानी मंडी में भी व्यापार करते हैं और इन लोगों का दो स्टेट का सब्जेक्ट होने के कारण टैक्सेज केअंदर चोरी को रोकने के बारे में बहुत कुछ अड़चन आती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को आज से चार पांच वर्ष पहले इस सदन में मैंने उठाया था, और उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि यह मामला जल्दी सुलझ जायगा। अभी दो चार दिन पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब मिला है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश से जबाब नहीं आया है। यह छोटा सा मसला है, और इन्टर स्टेट का मसला है, इसके ऊपर आपको ध्यान देकर इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिये।

जो अभी सोशलिस्ट सदस्य महोदय ने फर्माया था उसके बारे में मैं भी इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरा भी यह अनुभव है, और मैं यह महसूस करता हूं कि जो सीनियर सर्विसेज है उनको इस बात का टेम्पटेशन देना कि रिटायरमेंट के बाद जो फेवरिट्स हैं उनको एब्जार्ब कर दिया जायगा, और उनको किसी तरह से एडजस्ट कर भी दिया जाता है। ऐसे ऐसे कैसेज हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब इन लोगों को कभी एक डिपार्टमेंट में एडजस्ट करने की, कभी दूसरे किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। फाइनेंस कार्पोरेशन से पुरोहितजी रिटायर होने वाले थे, तो किसी सीनियर ऑफिसर को उनकी जगह पर लगाने की कोशिश की गई, वहां पर एडजस्ट नहीं हुआ तो उनको पी. एस. सी. के अन्दर एडजस्ट कर दिया, गया है। इसी तरह से एक सज्जन का सूरतगढ़ फार्म पर अपाइन्टमेन्ट कर दिया गया है और इसी तरह से किसी और को किन्हीं दूसरी

(श्री जुझारसिंह)

जगहों पर लगा दिया गया है यह बुरी बात नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के दो तीन साल पहले से ही यदि सीनियर आफिसर यह महसूस करने लग जायं कि हमको और एपाइन्टमेन्ट लेने के लिए किन्हीं आदमियों को खुश करना है, तो वे निष्पक्ष नहीं रह सकते। निष्पक्ष रहने से उनको एपाइन्टमेंट नहीं मिलता। इस तरहकी मेन्टेलिटी सर्विस क्लास में, सीनियर सर्विस क्लास में आगई है और नीचे के आॅफिसरों के लिए भी मिसाल बन गई है। सर्विसेज में इस तरह की टेन्डेन्सी डेवलप हो जाने से एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी अपने आप गिरेगी। यह अच्छी चीज नहीं हो रही है। इसी तरह से हमारे यहां पोलिटिकल एपॉइन्ट मेंट होते हैं, कोई रोडवेज में होता है, तो किसी का किसी दूसरे में होता है, होटल कॉर्पोरेशन में होता है, खादी बोर्ड में होता है। इससे तमाम पब्लिक लाइफ का, गवर्नमेंट का, और जनता का नुकसान होता है। जिस इन्स्टीट्यूशन में लाखों का घाटा चल रहा है, जिससे पब्लिक एक्स चैकर का नुकसान होता है, जिससे पब्लिक को सहूलियत नहीं मिलती है, उसको चलाने के लिए किसी एफीशियेन्ट ट्रेन्ड आफिसर की जरुरत है। जिस काम में सरकार का दो करोड़, तीन करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, उस जगह पर पोलिटिकल कन्सीडरेशन से एपॉइन्टमेंट करे तो उससे राज्य के धन का दिनोंदिन नुकसान होगा और इसलिए इस तरह की टेन्डेन्सी, मैं समझता हूं, को रोक देना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन चीजों पर सीरियसली ध्यान देंगे, क्योंकि यह बातें विरोधी दल द्वारा कही हुई हैं, इसलिए इनका 'ना' में जवाब भुगतने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सीरियसली इन पर सोचेंगे। जो बातें मैंने कही हैं, उनमें से कुछ आगे की कही हुई बातों को ही दोहराया है। आप सीरियसली सोचें और यदि इन चीजों पर सीरियसलो सोचते हैं तो यह बतायें कि इनको आप इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में हैं या नहीं, इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माँग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन पर मेरा भी एक कटौती-प्रस्ताव है, इस कटौती-प्रस्ताव के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज की वित्तीय संकट की परिस्थिति में हमारे प्रशासन के खर्च में कुछ कमी की जानी चाहिये। वित्त मंत्री महोदय का भाषण सुना, दो तीन दिन से हमारी मांगें लगातार स्वीकार की जा रही हैं, सब में एक बात नजर आई है कि आज राजस्थान आर्थिक सकट में है। मगर जब प्रशासन की डिमाण्ड बजट में आती है तो इसमें हमें कहीं आर्थिक संकट नजर नहीं आता है। यह मानने के लिये मैं तैयार हूं कि

(श्री किशनलाल शर्मा)

राजस्थान में कई ऐसे हालात होंगे जिनसे आर्थिक संकट पैदा हुआ है, पर इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि हमारी सर्विसेज की लापरवाही के कारण भी हमें नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी विभाग के आंकड़े आप देखिये, बकाया हमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और यह भी मैं कहने के लिये तैयार हूं और मैं यह मानता भी हूं कि आज हम अगर यह मान कर चलें कि हमारे सारे सरकारी अधिकारी निष्क्रिय हैं, या जिम्मेदारी से काम नहीं करते तो वह असत्य है। आज राजस्थान में ऐसे भी कई अधिकारी हैं जिन्होंने गत वर्ष अकाल के समय रात और दिन काम कर के राजस्थान की सेवा की है। पर यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि कई अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को नुकसान हुआ है।

आप जानते हैं और अखबारों में भी आया था कि बीकानेर के जिलाधीश महोदय ने फूड ग्रेन्स के बारे में सरकारी आदेशों को अवहेलना करके काफी नुकसान राज्य सरकार को पहुँचाया, पर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई यह किसी के सामने आज तक नहीं आया। आज जब जन-प्रतिनिधि, पंच-सरपंच १००-१५० रुपये अपने पास रख लेते हैं तो उनके खिलाफ मुस्तैदी से कार्यवाही होती है और राज्य सरकार के अधिकारी इस प्रकार की बड़ी गड़बड़ी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यह आज के युग में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि प्रशासन में इस प्रकार के सुधार लायें कि जिनसे जनता को भी राहत मिले और हमारे खर्चे में भी कमी आये। पिछली विधान सभाओं में यह चर्चा हुई, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के मसले पर, डी. आई. जी. के पदों के सम्बन्ध में विचार हुआ, राज्य सरकार के सामने बात आई और राज्य सरकार ने उन पर विचार किया और समय-समय पर राय भी जाहिर की पर आज को स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आज हमारे यहां आर्थिक सकट है तो प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिये कोई न कोई ठास कदम उठाना चाहिये। मैं दो तीन बातों पर अपने सुझाव सदन के समक्ष रखूंगा।

राजस्थान में सर्विसेज के लिये स्पेशल पे का प्रोविजन है वह पोस्ट के अगेन्स्ट में होना चाहिये, व्यक्ति के आधार पर नहीं देना चाहिये। इस कारण भी हमारी सर्विसेज में कभी कभी असंतोष पैदा होता है।

(श्री किशनलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हो, उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाकर उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसी तरह से आज इस आर्थिक संकट के कारण हमारे राजस्थान के उत्पादन पर, सड़कों पर, सिंचाई के साधनों पर जो असर पड़ा है, उसका थोड़ा सा अनुमान हम सब को लगाना चाहिये और आज राजस्थान सरकार की जितनी गाड़ियां, जीपें डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारियों के पास हैं, उन पर भी कुछ न कुछ सीलिंग अवश्य फिक्स करनी चाहिये ताकि कुछ बचत हो सके……

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा अगर उदयपुर में लगाया जाय तो सही उपयोग होगा और बीकानेर में लग जाय तो दुरुपयोग होगा।

श्री किशनलाल शर्मा : मैंने न बीकानेर का नाम लिया है और न किसी और का लिया है। मैंने एक बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बीकानेर के कलेक्टर के कारण ऐसी कार्यवाही हुई जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ। मैं बीकानेर को भी राजस्थान का अंग मानता हूं और उदयपुर को भी राजस्थान का अंग मानता हूं, जालौर और सिरोही को भी राजस्थान का अंग मानता हूं।

मैं ऐसी बात कहने के लिये कभी तैयार नहीं हूं। ऐसे स्थानों में जो कुदरती साधन हैं, उनका उपयोग करना चाहिये, व उन क्षेत्रों के उन साधनों का उपयोग होता है तो कभी इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये कि उस क्षेत्र में यह कार्य हो रहा है। आज गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल बीकानेर डिवीजन में लाई जा सकती है, दूसरी जगह नहीं लाई जा सकती। इसी तरह चम्बल की जल सिंचाई की योजना कोटा में हो सकती है, जालौर में या बीकानेर में करने जायेंगे तो संभव प्रतीत नहीं हो सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों का तबादला एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है पर सचिवालय की सर्विसेज का तबादला सचिवालय से बाहर नहीं होता। इसमें कई बातें पैदा होती हैं। जैसे सरकार ने एक नीति बना रखी है कि साल या दो साल से ज्यादा यदि कोई एक जगह पर हो तो उसका तबादला होना चाहिये, उसे ध्यान में रखते हुए सचिवालय की तरफ भी देखें तो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनका तबादला भी दूसरी जगह कर दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके जरिये राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि

(श्री किशनलाल)

राज्य सरकार को बकाया की वसूली की तरफ ध्यान देना चाहिये इसी तरह से एम्बेजलमेंट के केसेज होते हैं और वर्षों तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। राज्य सरकार के अधिकारियों के पोस्टिंग आॅर्डर्स होते है, उनमें भी बड़ी देरी लग जाती है। एक तरफ तो छः, छः महीनें तक एक जगह एस. डी. ओ. को नहीं लगाते हैं, वहां एस. डी. ओ. की जगह खाली पड़ी रहती है और दूसरी तरफ एस. डी. ओ. अवेटिंग आॅर्डर में जयपुर में महीनों बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक जगह की जनता अधिकारी के लिए मुंह ताकती रहे और दूसरी जगह वह अधिकारी बेकार बैठा रहे, सरकार का फालतू खर्चा हो।

कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि सत्तारूढ़ दल वाले राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप किया करते हैं और आज यह धारणा भी है कि सदन में इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कुछ और तरीके के हैं और सदन में उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कुछ और तरीके के हैं।....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सही है।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं उन माननीय सदस्यों से और दलों के जिम्मेदार नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की तीन फिट की दूरी किसी आदमी को ईमानदार या बेईमान नहीं बना सकती। जो जैसा काम करेगा, वह जनता के सामने आने वाला है, छुपेगा नहीं। इधर बैठने वालों पर चार्ज लगाये जाते हैं, मैं उनकी डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पहले हमें जिम्मेदारी से सोचना चाहिये।

आज तबादलों के मामले में सरकार से काम-काज कराने के लिहाज से, कुछ चोटी के नेता होते हैं जिनको कहने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी माननीय सदस्य अपने अपने इलाके की समस्याएं ले जाते हैं और उनको ले जाना भी है। मैं स्वयं इस बात को नहीं मानता कि यह विधायक का काम नहीं है। अगर आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हास्पिटल के हरेक कमरे में देखता हूं कि हरेक सदस्य के पीछे कोई न कोई लगा होगा यह काम कराओ वह काम कराओ।

हम इस विधान सभा में किसी उसूल को लेकर आए हैं चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, हरेक की अपने दल के प्रति जिम्मेदारी है, अपने-अपने दल के उसूल हैं।

श्री श्रवणलाल : लेकिन यह स्थिति किसने पैदा की है ?

श्री किशनलाल : आप कहेंगे कि उधर बैठने वालों ने की है। लेकिन आप जब कहते हैं कि हिंडौन में एस० डी० ओ० का यह नहीं हुआ, तो इधर वाले भी कहते हैं, यह हालात है। जहां हम खर्चे में कमी करने की बात सोचते हैं और हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को अपनाया है, तो सादिक अली की रिपोर्ट के अनुसार जिला स्तर पर जो कार्य है जो जनता से सम्बन्धित कार्य हैं, उनका विकेन्द्रीकरण कर लेना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य इस राय के है कि पंचायती राज को वे पसंद नहीं करते लेकिन मैं उस राय का नहीं हूं। मैं पंचायती राज का हामी हूं, अगर हमें प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है, उसको कायम रखना है तो पंचायती राज को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें कई आफिसेज को जिला परिषदों के अधीन करना चाहिए ताकि वे वहां सुचारू रूप से काम चल सके और खर्चे में भी कमी हो।

जैसा मैंने निवेदन किया किसी विभाग के आंकड़ों को उठा कर देखें तो बकाया और गबन के कई केसेज पेंडिंग हैं। तो इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार को मुस्तैदी के साथ काम करके जिन पर जिम्मेदारी आती हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

आज हमारे राज के अधिकारियों में कर्मचारियों में भी पीड़ा होती है जब वे देखते हैं कि २४ घंटा काम करने वाला आदमी भी वही पैसा लेता है और जो पूरा समय काम नहीं करता कम करता है उसको भी वही सुविधायें मिलती हैं। तो इस बात की तरफ प्रोमोशन के समय ध्यान देना चाहिए और प्रोमोशन के साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि उस अधिकारी के बारे में जनता की क्या राय है। अगर इस बात की तरफ हम ध्यान देंगे तो आज जो शिकायतें हम सुनते हैं लापरवाही की उनमें कमी हो जायगी। इसके बाद एक बात और...

श्री जयनारायण सालोदिया : नाथद्वारा की।

श्री रामचन्द्र आर्य : विरोधी दल के सदस्यों ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सत्य है, इसकी आपको तस्दीक करनी चाहिये।

श्री किशनलाल : कौनसी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका मतलब आपको कोई बात नहीं कहनी है, हमारा समय क्यों खराब करते हैं ?

श्री किशनलाल : आज जो भी माननीय सदस्य इधर चाहे उधर बैठने

(श्री किशनलाल)

वाले हैं जब अपने इलाके में जाते हैं तो एक बात सब के सामने आती है। देहाती क्षेत्र के सदस्यों के सामने एक समस्या आती है, किसी भी गांव में जाइए, व्यापारी से बात करेंगे तो वह बताएगा कि हमारे पास १० इन्सपेक्टर्स अलग-अलग आते हैं, हम किस-किस की खातिर करें और उसके कारण परेशानियां पैदा होती है। तो इसका भी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे देहाती जनता के सामने एक ही अधिकारी जाय और सारे मामलों को निपटा जाय।

मेरे खयाल से सभी माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि सामुदायिक क्षेत्र में विकास विभाग में जो स्थिति है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज किसी भी खंड में चाहे कृषि प्रसार अधिकारी हो, चाहे सहकारिता अधिकारी हो या पशुपालन अधिकारी हो, सब अपने अपने विभागों से आते हैं, वहां उनका कोई को-आर्डीनेशन नहीं है। आज किसी ब्लाक में कोई कृषि प्रसार अधिकारी गल्ती करता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का सवाल आता है तो कृषि विभाग ही कर सकता है, विकास विभाग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए बड़गांव पंचायत समिति के क्षेत्र में प्रशासनिक असुविधायें हुई, उसके कारण किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनकी शिकायतें हुई तो विकास विभाग उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका या तो कृषि विभाग है या पशुपालन है। तो इस बारे में सामान्य प्रशासन की दृष्टि से कोई न कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व करना चाहिए जिससे हमारे विकास खंडों और पचायत समितियों की असुविधायें दूर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोरधन सोनी : (मेड़ता) उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने भी सामान्य और न्याय प्रशासन और कारागार पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले मैं न्याय-प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। हमें आजादी मिली और उसके बाद हमने कल्पना की थी कि हमें न्याय जल्दी से जल्दी मिलेगा, सस्ता मिलेगा लेकिन आज तक की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी सब आशाओं पर तुषारापात हुए। न्याय विभागके खर्चे बढ़े सब कुछहुआ लेकिन उस विभाग में क्षमता और ईमानदारी नहीं आई जिससे लोगों को सन्तोष हो सके। आज एक केस होता है वह ३-३, ४-४, ५-५ वर्षों तक न्याय विभाग में लटकते रहते हैं तो ऐसी हालत में अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है और अपराधों में वृद्धि होती है। जिसके लिए न्याय-व्यवस्था की गई है वह कारगर ढंग से देश को सुविधा नहीं दे सकती। जब तक न्याय-विभाग सस्ते ढंग से लोगों को जल्दी न्याय नहीं देता तब तक सारे देश में अव्यवस्था रहेगी, अपराधों की

(श्री गोरधन सोनी)

संख्या में वृद्धि होती रहेगी, लोगों में असंतोष रहेगा । तो आज तक स्वतन्त्रता मिलने के बाद न्याय-व्यवस्था में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई, न्याय जल्दी ही उपलब्ध नहीं होता, न्याय पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है और गरीब लोग तो न्याय की बात भी नहीं कर सकते ।

जैसा क्रम चल रहा है, हमारी विधान सभा में, कि जो पहले भी इस सदन के सदस्य रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम कहते हैं, सुझाव देते हैं, राज्य सरकार को लेकिन आम तौर पर होता क्या है कि हमारे सुझावों पर गौर नहीं किया जाता, शासन पक्ष के लोगों का भी यही अनुभव है लेकिन राज्य सरकार उनकी परवाह नहीं करती । तो जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर हम विधान सभा में आए हैं, हमारी इच्छा है कि जनता का हित कर सकें, उनको न्याय दिला सकें, विधान सभा के सदस्य सुझाव दें और राज्य सरकार विचार न करे, इससे बड़े अफसोस की बात नहीं हो सकती । तो इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस देश में न्याय व्यवस्था के बारे में लोगों की धारणा है कि न्याय मंहगा मिलता है और एक नई चीज और देश में हो गई । जब से स्वतन्त्रता आई, पहले अंग्रेजों ने राज्य किया और न्याय व्यवस्था दिलाने के लिए हमारे बीच में दलाल पैदा हो गए, उन्होंने न्याय को लम्बा कर दिया, न्याय को और भी भ्रष्ट कर दिया, दलाल कहिए या वकील के पास आप चले जाइए, आप उनसे कहें कि मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वकील यही सलाह देगा कि तुमने गलती की, तेरी कानूनी बात सही है, जाओ वापस कब्जा कर लो, तो यह सर फोड़ने का काम है । तो ९९ प्रतिशत ऐसा ही है । कोई हत्या करके वकील के पास आता है, कहता है कि मैं हत्या करके आया हूं आपको वकील करना चाहता हूं, वह वकील उसको सही सलाह नहीं देता ।

(४ म प.)

मैं आपको ठीक कहता हूं आप वकील होने के नाते शायद इस बात से ऐतराज करते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति यही है । आप पढ़े लिखे लोग हो । आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । आप अपना कर्त्तव्य समझ कर देश की न्याय व्यवस्था को सफल बनावें ताकि लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ हो सके । पहले तो ऐसा होता था कि न्याय हाथोंहाथ मिलता था । लोकतन्त्र आया यह तो आशा करनी चाहिए थी कि जो भी फैसला हो वह जल्दी से जल्दी मिले कम से कम साल भर में तो फैसला हो जाय उससे ज्यादा समय लग जाता है तो न्याय उल्टा सीधा हो जाता है । न्याय-व्यवस्था में सुधार के लिये आपको कुछ प्रयत्न करना चाहिये न्याय सस्ता और जल्दी मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ।

Page No. 162

(श्री गोरधन सोनी)

सामान्य प्रशासन की हमारे राज्य में अजीब सी हालत है, यह हालत इसलिये पैदा हो गई कि प्रशासन के काम में मंत्रियों का हस्तक्षेप होने लग गया या जो लोग पावर में हैं उनका हस्तक्षेप होने लग गया, इसलिये अधिकारी लोग यह महसूस करते हैं मंत्रियों की सिफारिश है तो आप जनता पर अत्याचार करो कोई कहने वाला नहीं। वह सोचता है कि मेरे तो ऊपर की सिफारिश है चाहे जनता कुछ भी करती रहे मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। यह ऐसी बात है जिसके कारण अधिकारियों में तानाशाही आ जाती है। इसलिये सामान्य प्रशासन में जनता को सही और सस्ता न्याय मिल सके यह आशा करना व्यर्थ है।

इस बात को कौन नहीं जानता कोई भी अधिकारी हो छोटे-मोटे मामले के लिये बिना पैसे काम नहीं निपटाते या किसी के सिफारिश से मामला निपटाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज सामान्य प्रशासन की इतनी बुरी हालत है, मैं भी डेढ़ दो लाख आदमियों से चुन कर यहां आया हूं विधान सभा के सभी सदस्य किसी न किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि है। एक अधिकारी जो एस.डी. ओ. नागौर में है, जो नगरपालिका के प्रशासक भी रह चुके हैं उनकी अनियमितताओं के बारे में, उनकी गैर जिम्मेदारी के बारे में मैंने स्वयं ने दस पन्द्रह शिकायतें मुख्यमंत्री को लिख कर भेजी थीं। उनमें से एक भी मामले की जांच नहीं हुई और न किसी प्रकार की कार्यवाही हुई। इस वक्त नागौर के कलेक्टर महोदय नहीं है इससे पहले मैंने जिलाधीश को भी चिट्ठियां लिखी। मैंने लिखा कि चीनी-वितरण में धान्धली हो रही है लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो एक दो चिट्ठियों का तो जवाब आया लेकिन जब मैं उनसे जाकर मिला तो वे कहने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब गड़बड़ियां एस० डी० ओ० साहब की बदौलत है जिन पर भूतपूर्व खाद्य मंत्री का हाथ है इसलिये मैं कुछ नही कर सकता। मैं इस चीज को साबित करने के लिये तैयार हूं। मैंने पच्चीसों चिट्ठियां लिखी कि जनता को इस अधिकारी के कारण बहुत तकलीफ है, लेकिन उन्होंने उसके बाद जवाब देना बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यदि किसी अधिकारी पर इस तरह का किसी बड़े आदमी का हाथ हो तो वह लोगों को तकलीफ ही देगा। मैं वहां की समस्या के बारे में कहूंगा हमारे यहां जो भूतपूर्व एस. डी. ओ. थे जो इस वक्त ए. डी. एम. नागौर है और जो कलेक्टर की अनुपस्थिति में कलेक्टर का भी काम देख रहे है लोगों के साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। एक आदमी का खेती का मामला था जो उनके इजलास मे एस. डी. ओ. की हैसियत से मेड़ता में चल रहा था जब उनकी जिलाधीश की हैसियत से नियुक्ति हो गई उस केस को मेड़ता से नागौर ले आये। उन्होंने उसके

(श्री गोरधन सोनी)

साथ क्या अन्याय किये यह मैं कहना नहीं चाहता इतना ही कह सकता हूं उनके द्वारा वहां पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। जिस वक्त वे एम. डी. ग्रो. रहे प्रशासक नगरपालिका की हैसियत से काम किया उन्होंने गेरेज बनवा लिया। इस बारे में जनसंघ ने पेम्फलेट भी निकाला म्युनिसिपैलिटी के ठेकेदार से ही जिनको ठेका दिया जाता है उनसे बनवा लिया। जनसंघ ने पेम्फलेट निकाला उसकी प्रति सब मन्त्रियों को भेजी गई, लेकिन ग्राज तक जांच नहीं की गई। यह है ग्रापका सामान्य प्रशासन का हाल। क्या ग्राप इसी तरह से सुशासन देना चाहते हैं? इनके खिलाफ इस तरह की हजारों बातें हैं जिस वक्त वे श्रीमान एस. डी. ग्रो. रहे ग्रपने साले को चीनी की दुकान दे दी जिसने सैकड़ों बोरी का ब्लेक किया। ऐसे-ऐसे दुकानदार जो सात ग्राठ वर्ष से दुकानदार थे मीरा कन्जूमर स्टोर, सूरजमल ग्रादि की दुकानें जो पुरानी थीं उनको न देकर इन्होंने साले को दे दिया। उन्होंने सहकारी उपभोक्ता भंडार के नाम से मेड़ता कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी के नाम से नकली परमिट दिया ग्रौर इस तरह से सहकारी समिति के नाम से घोटाले किये जिन्होंने चीनी में मिट्टी डाल कर जनता को दी, लेकिन ग्राज तक उसकी जांच नहीं है। ग्राज वह व्यक्ति जिले की जनता के साथ इतनी ज्यादती करता है कि कोई सुनने वाला नहीं। ग्रफसोस की बात तो यह है कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा रही है।

इसके ग्रलावा एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग होता है। उल्टे सीधे ढंग से बस स्टेन्ड बना उसकी जमीन नीलाम की गई जो १७५ गज जमीन साठ ग्रौर पैंसठ के हिसाब से बिकी लेकिन उसके पास एक टुकड़ा था जो पांच रूपये गज में उसी शख्श को दे दिया गया। पैंसठ ग्रौर साठ प्रतिगज के हिसाब से बिकने वाली जमीन के पास का टुकड़ा पांच ६० गज में दे देना साबित करता है? वास्तव में हम चाहते हैं कि जो प्रशासन में गलत ग्रधिकारी हैं उन ग्रधिकारियों के प्रति शिकायतें हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही करें। कोई ग्रधिकारी से कह कर गलत काम करवाता है तो उसके साथ वह खुद पांच गलत काम करेगा। ग्रपने देश हित को ध्यान में रखते हुए ग्रापको ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।

ग्रगर हम लोग सब मिल जुलकर सही स्थिति को राज्य सरकार के सामने लावें, ग्रालोचना सही करें तो शासन पक्ष को भी चाहिये कि उनको जो बात सच्ची लगे, जो सुझाव उनको उपयोगी मालूम हो उसको क्रियान्वित करें तो निश्चित रूप से प्रान्त को सच्चा प्रशासन दे सकेंगे यह बहुत ग्रच्छी बात होगी तभी हम जनहित कर सकेंगे।

(श्री गोरधन सोनी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कारागार के संबन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे यहां कारागारों की हालत अच्छी नहीं है राज्य सरकार कहती है कि हम कारागार में रहने वाले लोगों के मानस को बदलने के लिये प्रयत्न कर रहे है। लेकिन आज हो क्या रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग ही यदि अपराधी को तरजीह देते हैं तो अपराध वृत्ति रुकने वाली नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं जिस कानून और कायदों की व्यवस्था को लेकर लाखों करोड़ों रुपया व्यय करते हैं अगर उसके बिना इस बात की कोशिश की जाय कि अपराध करने वाले लोगों का मानस बदला जाय तो राज्य का इतना पतन नही होता जितना कि हम देख रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो विरोधी और शासन पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य चाहे वे कोई भी बात कहते हैं जब उनकी उपेक्षा कर दी जाती है तो फिर सदस्यों की इच्छा नहीं होती कि वे अपनी बातों को रखे। अगर किसी भी तरफ से अच्छी बात और अच्छे सुझाव दिये जाते हैं तो आप उस पर गौर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें समझा दें, सन्तुष्ट कर दें और कहें कि यह बात उचित नहीं है, शासन के हित में नहीं है, हम मानने को लाचार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस ढङ्ग की प्रवृत्ति मंत्री लोग महसूस करें तो इस राज्य में सुख और समृद्धि का वातावरण आ सकता है। वह स्वराज्य की कल्पना जो गान्धीजी किया करते थे, साकार होगी। हमारे माननीय मुख्य मत्री जी, जिनके विषय में काफी चर्चा है जो काफी सुयोग्य और काबिल गिने जाते हैं अपनी शक्ति को इस ओर लगाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा २५ मिनट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रयास तो यही करूंगा। आज काफी महत्वपूर्ण मांग विचारार्थ प्रस्तुत की गई है। सामान्य-प्रशासन, न्याय-प्रशासन और कारागार। जहां तक कारागार का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष उनके सुधार के लिये केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जेल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट और उसकी जो रिकमन्डेशन्स है उस पर सरकार तुरन्त अमल करे। उपाध्यक्षजी, इससे अधिक जेलों के सम्बन्ध में सुधार की बात कहना, यह अपने लिये भी कुछ सुविधायें मांगना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगा, क्योंकि अभी तो मौका हम लोगों का है और हम लोग जेलों में आते जाते रहते हैं और इसलिये जेलों में सुधार की बात कहना कोई अच्छी बात नहीं है और मैं तो इतना ही आश्वासन दे सकता हूं जब हमारा नम्बर आयगा तो हम पूरी रिकमन्डेशन को लागू कर देंगे ।

(सदन के माननीय सदस्यों द्वारा हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य और न्याय प्रशासन इन दो के सम्बन्ध में यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने विचार रखे । यह सामान्य प्रशासन का एक महकमा ही ऐसा है इसके सम्बन्ध में ७ दिन भी विचार-विमर्श के लिये रखा जाय तो बहुत कम होगा । राज्यपाल महोदय, मंत्री परिषद् कमिश्नर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड ग्राफ रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने सारे राज्य के सम्पूर्ण प्रशासन एक प्रकार से उसकी नीतियां रीतियां और उसके सम्बन्ध में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं वह बहुत कुछ इन विभागों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव को देखते हुये मैं थोड़ेसे में ही अपने विचार रखना चाहता हूं।

एक बात इस सदन में जो हमेशा कही गई वह बात यह है कि हमारे राजस्थान में इस प्रशासन के ऊपर खर्च बढ़ता जा रहा है । एक तरफ प्रशासन के अंदर शिथिलता आ रही है, प्रशासन के अंदर निष्क्रियता आ रही है, प्रशासन के अंदर फेवरटिज्म आ रहा है, प्रशासन के अंदर रेड-टेपिज्म बढ़ रहा है और प्रशासन के अंदर करप्शन है । यह बात मैं नहीं कहता । राजस्थान विश्वविद्यालय में पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एक सेमीनार हुई थी, उस सेमीनार में राज्य के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह जी मेहता और राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री मथुरादास जी माथुर-जिनके भाषण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये है उन्होंने साफ कहा है कि राजनीति में प्रशासन चलाने वाले लोग हस्तक्षेप करते हैं और यह प्रशासन की गिरावट का मूल कारण है । मैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य सचिव जो इस पद पर अनेक वर्षों तक रहे है, जिनको प्रशासन का पूर्ण अनुभव है, ऐसे व्यक्ति इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह कहें कि राज्य के प्रशासन के अन्दर और खास तौर से राजस्थान राज्य के प्रशासन के अन्दर उसके स्तर में गिरावट आई है उसका मूल कारण राजनैतिक नेताओं का, भाई-भतीजेवाद का, रेड-टेपिज्म का और फेवरटिज्म का बोल-बाला है और इसी कारण इन-ऐफिशियेन्सी है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं-इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कि यह मानकर चलना चाहिये कि एक तरफ प्रशा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सन में खर्च बढ़ता जा रहा है, रेड-टेपिज्म बढ़ता जा रहा है, फेवरटिज्म बढ़ता जा रहा है—ये दोनों चीजें, उपाध्यक्ष महोदय, साथ नहीं चल सकती हैं। आज राजस्थान के विकास की बातें कही जाती हैं। बजट में इस बात की घोषणा की जाती है। माननीय सदस्य जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हैं वे अपने क्षेत्र के विकास की बात रखें तो राज्य सरकार के सामने एक ही जवाब है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पिछले अनेक वर्षों में क्या सरकार ने यह अन्दाज लगाया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कितना खर्चा बढ़ता जा रहा है हमने जितने लोन लिये, जितने कर्जे लिये हैं उसके मुकाबले में कितना विकास किया है? यह नहीं सोचते हैं। लोन घर का खर्चा चलाने के लिये नहीं लिया जाता, लोन लिया जाता है विकास के लिये। वह घर कभी बह-बूदी प्राप्त नहीं कर सकता जो कर्जा लेकर खर्च चलाता है। कर्जा लिया जाता है विकास के लिए, और विकास के कामों में उस कर्जे को काम में नहीं लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले ६-७ सालों में सेन्ट्रल लोन लिया है, पब्लिक लोन लिया है उसका केपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, केपीटल फार्मेशन नहीं हुआ और रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर हुआ है। आज दुनिया से कर्जा लेकर रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर करते जांय, राजस्थान के प्रशासन के खर्चे को बढ़ाते जांय तो राजस्थान की बहबूदी कभी नहीं हो सकती है, विकास की कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए केवल इतने ही शब्दों में कि राजस्थान की सरकार ने कितने बारोईंग्स किये हैं, उसके मुकाबले में विकास के कामों पर खर्च नहीं किया। वह खर्च किया है प्रशासन के अन्दर, रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर के अन्दर, प्रशासनिक मशीनरी के अन्दर। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी गम्भीर चेतावनी है कि अगर राजस्थान का विकास करना है तो जितने पब्लिक बारोईंग्स हैं उनका एक भी पैसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर खर्च नहीं किया जाना चाहिये रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर नहीं किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अन्दर निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर बारोईंग्स की स्थिति क्या है? सन् १९६१-६२ में ३९.५७ लाख, ६२-६३ में ४९-६५ लाख ६३-६४ में ५७-४० लाख, ६४-६५ में ६३-४७ लाख, ६५-६६ में ६७.६६ लाख और ६६-६७ में १०७.१७ लाख है। कुल मिलाकर ६ सालों में राजस्थान की सरकार पर जो कर्ज बढा है वह ३६५-३८ लाख का है।

उपाध्यक्ष महोदय, ३६५.३८ लाख का कर्जा लिया। इसके मुकाबले में खर्चा किया केपिटल एक्सपेन्डीचर में और लोन्स एक्सपेन्डीचर को भी केपिटल एक्सपेन्डीचर में मान कर चलतो है यह सरकार। सब मिला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर छः साल का अलग-अलग फिगर हैं :

६१-६२ में ३२.५६ लाख

६२-६३ में २४ ४२ लाख

६३-६४ में ४७.०० लाख

६४-६५ में ५०.८० लाख

६५-६६ में ५७.८७ लाख

६६-६७ में ५८.०५ लाख

कुल मिला कर २७७.७२ करोड़ का कैपिटल एक्सपेन्डीचर है।

दोनों की घटत बढ़त देखने के बाद हमने कर्जा लिया ३६५.३८ लाख का।

कैपिटल एक्सपेंडीचर में खर्च किया २७७.७२ करोड़ का और नतीजा यह निकला कि ८७.६५ लाख रुपयों का राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर किया पिछले सालों में।

अब देखिये आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा किया। यह राज्य की स्वस्थ नीति नहीं है। यह तो दिवालिया होने का संकेत है। राजस्थान की सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि यह खर्चा बारोइंग से करते जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, मैं यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की हालत यह होती जा रही है, सुखाड़िया साहब, कि जो मेजर पोर्शन आफ टेक्सेशन से आपकी इनकम होती है वह सारी कर्जे के ब्याज में चली जाती है। ६१ से ६६ तक आप हिसाब लगावें। तो ३१.१६ करोड़ होते हैं और एडवान्सेज और लोन्स में ३६.७१ करोड़ का है। जितने टेक्सेज आप बढ़ाते जा रहे हैं उससे ज्यादा इन्ट्रेस्ट में आप पे करते जा रहे हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है। इसलिये कहता हूं आगे आने वाले वर्षों में भी आपको लोन्स और इन्ट्रेस्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं। इसका मूलधन और ब्याज हमें चुकाना पड़ता है। १०.२२ करोड़ प्रिन्सिपल के और ब्याज के १०.८० करोड़ देने पड़ेंगे। हालत यह हो रही है कि आज राजस्थान में स्टेट टेक्सेज हैं उन पर करीब-करीब पिछले एक पंचवर्षीय योजना में टोटल रेवेन्यू सारा की सारी इन्ट्रेस्ट के पेमेन्ट में जावेगी।

ज्यादा समय नहीं लूंगा इस पर। यह सब डिटेल में एप्रोप्रियेशन बिल के समय बताऊंगा कि राजस्थान के आगे आने वाले सालों में किस प्रकार से हमारे ये सारे पेमेंट होने वाले हैं। इतना ही इस समय तो कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखने का एक मात्र

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारण है प्रशासनिक खर्चे में कमी उस पर जोर देना चाहता हूं ।

आज राजस्थान में हालत यह हो रही है कि आगे आने वाले सालों में पिछला जो कर्जा लिया है उस पर ६८-६९ के साल में हमें २२ करोड़ रुपया ब्याज और मूलधन का देना पड़ेगा । ६९-७० में २८ करोड़ ६६ लाख देना पड़ेगा । ७०-७१ में ३०-३४ लाख देना पड़ेगा । इस तरह से मूलधन और ब्याज हमारा बढ़ता जा रहा है । राजस्थान ने जो कर्जा ६५-६६ तक लिया है उसको चुकाने के लिये हमें ग्यारह बारह साल लगेंगे । मय ब्याज के कर्जा हम ८० तक चुका सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की वित्तीय हालत की तस्वीर मैंने इसलिये रखी है कि जिससे सदन के माननीय सदस्यों को यह आभास हो सके कि कितने वित्तीय संकट में से होकर हम गुजर रहे हैं । ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम अपने खर्चों में कैसे कटौती करें । पर यह एक भीषण तस्वीर है । भयंकर वित्तीय स्थिति की यह तस्वीर है । राजस्थान को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर देने वाली यह तस्वीर है । पर क्या इसका जरासा भी अहसास इस सरकार को है ? इतने कर्जे में यह डूबी जा रही है, पर इसका खर्चा अनाप-शनाप बढ़ता जा रहा है ।

मुझे अफसोस है, खर्चा बढ़ने की इनको चिन्ता नहीं । कर्जे की चिन्ता नहीं । सदन में सड़कों की मांग करो, जवाब मिलेगा पैसा नहीं है । पानी की मांग करो, पैसा नहीं । बिजली की मांग करो जवाब मिलेगा पैसा नहीं । स्कूलों की मांग करो, पैसा नहीं । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण की बात करो पैसा नहीं । आगे के विकास की बात करो पैसा नहीं । पर राजस्थान सरकार फाइनेन्स की इस स्ट्रिन्जेन्सी की बैंक ग्राउन्ड में भी बैंक राशि के किनारे पर खड़ी है, क्या कभी इस पर उसने गम्भीरता से विचार किया ? अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार किया ?

यह सही है आपको सरकार बनाना जरूरी था । पर इतनी बड़ी फौज इकट्ठी करनी भी जरूरी थी क्या ? हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में क्या आप बता सकते हैं कि हर तीन एम. एल. ए. के पीछे एक मिनिस्टर हो । देश में कई प्रान्तों में कांग्रेस की और गैर कांग्रेसी सरकारें भी हैं । पर तीन एम. एल. ए. के पीछे एक मिनिस्टर किसी भी राज्य में नहीं है । इतना भारी भरकम मन्त्री मण्डल ! आपकी मिनिस्ट्री ५७ और ६२ में भी रही । पर आज की इस लड़खड़ाती वित्तीय स्थिति में ३५-३५ मिनिस्टर आप रख रहे हैं । ६२-६३ में इन पर ११ लाख रुपये का खर्चा था, आज २५ लाख

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

पर पहुँच गया है ।

६२-६३ में हमारा खर्चा होता था १०.६२ लाख और आज ६६-६७ में २१.१ लाख हो गया और ६८-६९ में २४-२५ लाख । फिर ये आंकड़े भी गलत हैं । आज तो ३५-३५ मिनिस्टर बढ़ गये हैं । इनके वेतन, भत्ते, इनके बंगले उनकी सफाई, टेलिफोन, बिजली, पानी फिर एक मोटर पर पहले इनको २५७ लिटर तेल मिलता था अब ५०० लिटर हो गया उनका खर्च । फिर पानी, बिजली की सीमायें बढ़ा लीं । फर्नीचर की सीमा बढ़ा दी । अन्य कई सुविधाएं बढ़ा लीं । दौरों पर अंकुश नहीं, जितने चाहो करो । तो, उपाध्यक्ष महोदय, बजट एस्टीमेट इन खर्चों का जो २४ लाख दिया है वह गलत है ।

राजकीय मन्त्री-मण्डल पर खर्चा अनाप शनाप बढ़ रहा है इसलिये यह गम्भीर चिंता का विषय है । यह इतना खर्चा इस गरीब राजस्थान पर ढ़ाई करोड़ की जनता पर पड़ रहा है जिसको कम करने की इनको चिन्ता नहीं । सारे देश के अन्दर राजस्थान की इकोनॉमी की पिक्चर क्या है, यह समय आने पर रखी जावेगी । आज तो इतना ही कहना है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के पिछड़े राज्यों में से है । राजस्थान में सब चीजों की कमी : इर्रिगेशन की कमी, पॉवर पर कैपिटा कम, इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी कम, रोड माइलेज पर कैपिटा कम । ऐसी स्थिति में राजस्थान किस तरह विकास करना चाहेगा । राजस्थान आज हिन्दुस्तान की इकोनॉमिक पिक्चर में कहीं नहीं ठहरता । पर राजस्थान सरकार को इसकी चिन्ता नहीं । सुखाड़िया साहब को इसकी चिन्ता नहीं । उनको चिन्ता है जो मुझे जिताएगा उसको निहाल करूंगा । उस पर खुश हैं वे । जो सरकार बनवाएं उन पर वे खर्चा करेंगे । उसको प्रोमोशन देंगे और जो मेरी सरकार चलाए किसी भी तरह चलाए उसको प्रोमोशन । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बोलने का सवाल है, जीतने का सवाल है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा । उसकी तो कोर्ट में जांच चल रही है ।

पर जहां तक सरकार बनाने का संबंध है और सरकार चलाने का सम्बन्ध है, सरकारें तो बनेंगी, जावेंगी और आवेंगी । यह लोकतन्त्र है । एकतन्त्र नहीं । यह सही है । इस पर सुखाड़ियाजी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये अगर लोकतन्त्र में इस प्रकार से शासन बनाये रखने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से सारे हिन्दुस्तान में तरीका अपनाया इसके आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार अगर हमने सरकारों के प्रशासन चलाये कि जिसने भी धमकी दी, उसे ही मन्त्री बना लिया । आज हालत तो यह है कि गाली देना हमारा काम नहीं है, हम तो जो देखते

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

हैं कह देना चाहते हैं। आज हालत तो यह बनी हुई है सुखाड़िया साहब, मैं उसकी भूमिका में नहीं जाना चाहता, पर हालत कह देना चाहता हूं कि जैसा लोग कहते है राजस्थान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट है ऐसा मानकर हम नहीं चलते। कम्पीटेन्ट और योग्य गवर्नमेन्ट है ऐसा भी मानकर नहीं चलते। कम्पीटेन्ट की हालत तो यह है कोई भी सरकार बनाने के मामले में दिखाई देना चाहिये। लोहा पारस के पास आये तो अपने में मिला ले इस नीति से मिलकर कोई भी आ जावे तो रात को कोई अपोजीशन वाले से मिल लिया और उसकी रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई तो अगले ही दिन वह मन्त्री-मण्डल में शामिल हो गया। उसकी तरक्की हो जावेगी। रात को मिल गया, अपोजीशन से बात कर ली। गवर्नमेन्ट होस्टल में अपोजीशन के आदमी से बात कर ली, सुखाड़ियाजी को रिपोर्ट करा दी। क्या बात है? कहता है मुझे यह बनाओ, नहीं तो जाता हूं अपोजीशन में। तो आपने बना दिया उसे। तो लोभ प्रलोभन और लालच के आधार पर जिसको चाहें मंत्री-मण्डल में शामिल करते जावें। इतना ही नहीं। झगड़ा जब हो तो इसका सवाल खड़ा नहीं होता। आप झुक जाते हैं। जो मन आवे वह करे। पिछली बार एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के बारे में बात आई। आपने जवाब दिया वह तो बना रहेगा आपकी हिम्मत नहीं जरा सी गड़बड़ी कहीं नहीं हो जावे। आपकी केबिनेट का कौनसा मिनिस्टर ऐसा है जिसके सम्बन्ध में चार्ज नहीं लगाया गया हो। पर उनकी आप जांच कराने को, कमीशन बैठाने को तैयार नहीं। लोकपाल तथा लोक आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार आपसे राय मांगे तो आप राय देने को तैयार नहीं। और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत आज चल रही है एक एक मन्त्री के सम्बन्ध में बातें कही जा रही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पिछली बार भी कहा, सुखाड़ियाजी एक बात में तो माहिर हैं। अपने सम्बन्ध में जब जांच का सम्बन्ध या सवाल आवे तो पब्लिक में दिखाना चाहते हैं कि जांच कराने को आप तैयार हैं। आरोप अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते। चाहे छोटी सादड़ी का सोना हो, चाहे बूंदी की जमीन का मामला हो। सादड़ी सोने के बारे में चव्हाण साहब को आपने लिख दिया कि आप जांच करा सकते हैं। बूंदी के मामले में रेवेन्यू बोर्ड को लिख दिया वह जांच करा ले। पर मैं पूछना चाहता हूं आप अपने पर तो आरोप की जांच कराने को तैयार हैं, तब फिर बाकी आपके जो मन्त्रीगण हैं उनको क्यों आप आरोपों से लिप्त रहने देना चाहते हैं। हरदेव जोशी सांसी और कन्जरों की जमीन को खा गये। सुखाड़ियाजी ने आश्वासन दिया तो इसकी जांच करके सदन को उससे अवगत करा–ऊंगा। जयपुर से पांच मील की दूरी पर सांसी कजरों की जमीन को हरिदेवजी खा गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बृजसुन्दर जी शर्मा के ऊपर चार्ज लगे, पैट्रोल पम्प के बारे में उनके ऊपर चार्जेज़ लगे, उसकी जांच नहीं कराते। अमृतलालजी यादव के ऊपर चार्ज लगें उनकी जांच नहीं कराते। यह सारे मामले रखे गये। बोर्डर रोड्स के मामले रखे गये। माथुर साहब का मामला रखा गया। गारन्टी सिस्टम का मामला रखा गया, कोई जांच नहीं। किसी की जांच नहीं कराते। श्री जसराज की जांच नहीं कराते और जब कहा गया तो जवाब दिया गया कि विरोधियों ने नाम रखा। उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं। सरकार को कहा गया मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दो, गवर्नर को रेफर कर दो लेकिन उनको हटाने को तैयार नहीं। यादव साहब के मामले रखे तो जवाब दे दिया और बाद में उन्हीं को मिड़ा दिया और उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि सारी बातें स्वीकार। २०) रुपये मकान किराये के लिए, बिजली का चार्ज किया, टेलीफोन का चार्ज किया यह भी किया और वह भी किया लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कार्यवाही कुछ नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लगता है कि सारे मामले में किया क्या जाये? सारी बातें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ रखी जायें और मुख्य मंत्री जी अपने मन में इसको जानते भी हैं कि इन्होंने गलत किया है कि बिजली और टेलीफोन को वह बेच नहीं सकते, फियेट गाड़ी ली तो गलत ली, बेची तो गलत बेची, परचेज़ की तो गलत परचेज़ की, यह सब कुछ होने के बाद भी आपको इससे ज्यादा और क्या डाकुमेन्ट्स चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कई सारी चीजें लाया पर क्या करूं यदि उन्हें रखूं भी तो उनका कुछ होना नहीं है। सुखाड़िया जी ने सरकार बनाई और मैं इतना कह सकता हूं कि उस समय के जितने अफसरान हैं उनका एक एक का नाम उठा कर देखलें चुनाव के दिनों में जिन्होंने मदद दी उनको प्रमोशन, सरकार बनाने में जिन्होंने मदद दी उनको प्रमोशन और सरकार चलाने में जो मदद करते हैं उसको प्रमोशन। इसलिये मसले रखने से क्या फायदा? सुखाड़िया जी आप क्या कार्यवाही करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी फौजदारी मुकदमे में राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं और आप सब चिन्ता व्यक्त करते हैं। यह अपराध कौन करता है? अभी माननीय श्री विजयसिंह जी ने कल परसों कहा था कि अजमेर में एक गिरोह ऐसा है कि जो लड़कियों को उड़ा ले जाता है तो सबने उसे मज़ाक में उड़ा दिया। फिर किसी ने कहा कि यह तो जोधपुर और उदयपुर के बीच में पड़ता है इसलिए लड़कियां उड़ाई जाती हैं तो यह बात मजाक में कही गई थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मैं अजमेर की बात नहीं कहता लेकिन उदयपुर जिले से लड़कियां उड़ाई जायें और किडनेप की हुई लड़कियों को पनाह और संरक्षण कौन देता है एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साधारण व्यक्ति नहीं देता यह आपके मंत्री मण्डल में बैठे हुए एक मंत्री उनको पनाह देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाम लेने से होना तो कुछ है नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन देता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं कहता। अजमेर वालों के लिए तो मजाक में बात कही गई थी, उदयपुर के रास्ते में पड़ता है वह भी मजाक की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे आपने कहा कि मिनिस्टर ने संरक्षण दिया वह क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो बता रहा हूं उदयपुर की लड़की है। आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों लेंगे ? वह तो आपकी नजरों में चढ़े हुए हैं और फिर सरकार आपको चलानी है।

कुछ माननीय सदस्य ? कौन हैं नाम तो बताओ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन चाहता है इसलिए ५ मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल जाये।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई है ही नहीं तब नाम क्या बतायें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री रघुनाथ जी विश्नोई खास आग्रह कर रहे हैं नाम का।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन कर देता हूं पुष्पादेवी नाम की कोई अध्यापिका शादी शुदा है और उसके एब्डक्शन का केस है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट उदयपुर की कोर्ट में और केस नं० २२७ आफ १९६७ है स्टेटवर्सेस गणेशलाल पुत्र भवरीलाल सोलिया ब्राह्मण आफ कांकरोली। इतना काफी है माननीय मुख्य मंत्री जी और आप मालूम कर लें। और, उपाध्यक्ष महोदय, लड़की के बयान हुए। एब्डक्शन का केस चल रहा है और जो तथ्य मेरे पास आये हैं इस लड़की का बयान हुआ। मैं केस की फैक्ट्स में जाना चाहता नहीं हूं। "अभियुक्त को पुलिस व ले पकड़ कर थाने में लाये। मुझको यह कहा गया कि थाने पर कहना कि मैं उसकी औरत हूं जिससे उसे छोड़ देंगे। पुलिस वालो ने पूछा तो मैंने बता दिया कि मैं अभियुक्त की औरत हूं। तो इसे छोड़ दिया। भीम से लावा गये, लावा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से जयपुर गये व जयपुर ३ दिन ठहरे 'सी' स्कीम में श्री अमृतलाल यादव के यहां ठहरे थे।" उपाध्यक्ष महोदय, जिरह में उससे पूछा गया कि यह श्री अमृतलाल जी यादव वहीं हैं जो मिनिस्टर हैं कोई और तो नहीं हैं। उसने कहा "अमृतलाल यादव मिनिस्टर हैं वहीं हैं। उनके यहां जयपुर में खाना खाते थे, वहीं सोते बैठते थे। जब तक मैंने नहीं कहा कि अभियुक्त मुझे औरत बनाना चाहता था।" अब, उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं के घर सोना बैठना और उठना। यह सब फैक्ट्स सामने हैं। लेकिन मैं जानता हूं, सुखाडिया साहब, आप कुछ कर नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं और क्या चाहिए। यह हारबरिंग करते हैं किडनैपिंग के केसेज में। चाहे, उपाध्यक्ष महोदय, किसी तरह का मामला हो मैंने तो यह सोचा है और मैं चाहता था मैंने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी। मैं तो सोच रहा था कि उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव किया कि मुद्गल के कन्डक्ट के बारे में जांच करने के लिए कमेटी होनी चाहिए और उसका रिज्योल्यूशन हाउस में एडॉप्ट हुआ और उसके लिए कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट आई। मैं चाहूंगा कि सारी बातों के बारे में अगर आप किसी तरह की इन्क्वायरी नहीं करना चाहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव पेश कीजिए हाउस में। मैंने एक रजोल्यूशन बनाया है उसी टर्म में जिस टर्म में कि मुद्गल के लिए बनाया गया था चाहे अमृतलाल जी यादव की गाड़ी के एलॉटमेन्ट का हो, चाहे उसे ब्लैक में बेचने का मामला हो, ५ रुपये बिजली और पानी का मामला हो, किराये का मामला हो, चाहे मेम्बर्स को धमकाने का मामला हो स्कूटर और फियेट के एलॉटमेन्ट में पैसा मांगने का सवाल हो, चाहे २ लाख रुपये के बंगले का सवाल हो और चाहे, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एबडक्शन का मामला हो, चाहे यू० आई० टी० की जमीन के हड़प करने का मामला हो, ऐसे १४ चार्जेज श्री अमृतलालजी यादव के खिलाफ है, जो मामले सदन में उठाये हैं उनके सिलसिले में इस सदन में मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यदि चाहते हैं कि आपके हाथ पाकदामन साफ हो जाये और राजस्थान की जनता समझे कि चार्जेज लगाये जाते हैं तो सुखाड़ियाजी कोई बचाव नहीं करना चाहते है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ऐसी प्रतिक्रिया निकालें कि जो भी मेम्बर चार्ज लगायें अगर आप समझते हैं कि वह झूठे हैं तो वे प्रिवलेजेज कमेटी को सौंप दिये जायें जिससे कि आगे चार्ज नहीं लेंगे। अगर सच्चे निकलते हैं तो उस मेम्बर को सदन से निकाल दिया जाये और कह दिया जाये कि तुम इस सदन में बैठने के काबिल नहीं हो। सदन का आप स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं, डीसेन्सी लाना चाहते हैं। तो इसके अलावा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई चारा नहीं है। तो जो आरोप मैंने अभी माननीय श्री अमृतलाल जी यादव के लिए लगाये हैं ऐसे १४ एलीगेशनं सम्बन्ध में मैंने मोशन की सूचना इस सदन में दे दी है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस प्रकार का प्रस्ताव अपनी तरफ से लायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मामले तो बहुत सारे हैं लेकिन सूक्ष्म में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय अगर इस प्रशासन को जब तक सख्ती से नहीं बांधेंगे तब तक यह काम चलने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कई ऐसे केसेज़ हैं जो लोकतन्त्र में आज इस प्रकार की कुछ व्यवस्थायें है, लोगों की आस्था डिग रही है।

मुझे इस बात की तो खुशी है कि मुख्य मन्त्री जी का ध्यान लेजिस्लेचर और एग्जेक्यूटिव से हट कर लोकतन्त्र का तीसरा खम्बा जुडीशियरी की ओर भी गया है।

मैं इस बात के लिए तो उनको बधाई देना चाहता हूं हालांकि देर से ही सही या कैसे भी सही उनका ध्यान जुडिशियरी की ओर गया है। मुझे याद है कि आज से कई साल पहले १९ डिस्ट्रिक्ट जज राजस्थान में थे और एक डिस्ट्रिक्ट जज की सरकार के सामने मांग आई थी तो १९ से २० करने के लिए राज्य सरकार ने करने से इन्कार कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि २० से ४० आज कर दिये हैं उनका ध्यान जुडिशियरी की तरफ गया है। जुडिशियरी का ध्यान इतना करना चाहती है कि पे कमीशन बैठा है और पे कमीशन के सामने दौलतमल जी भंडारी ने राणावत साहब के सामने बयान दिया है कि जो हमारे सिविल जजेज़ हैं उनका वेतन ९०० से १२०० कर दिया जाय, लेकिन सरकार कहती है कि ९०० से १३०० क्यों हम ९०० से १८०० कर देते हैं। यह खुशी की बात है। पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई फिर भी ९०० से १३०० के बजाय ९०० से १८०० कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज का सवाल था तो आज २० से ४० कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हम स्वागत करते हैं तो कोई एतराज नहीं। जुडिशियल आफिसर्स की कान्फ्रेंस और भी हुई हैं, जयपुर में भी हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी मन्त्री ने उनको डिनर नहीं दिया है। वहां पर २५० आदमियों को गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर को लूज करके खाना खिलाया है। यह इज्जत आज जुडिशियरी को बक्शी है। बड़ी खुशी की बात है देर से आये दुरुस्त आये इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही इसको समाप्त करूंगा। यह काफी एम्बेरेसिंग है इसको यहीं बन्द कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेपेरेशन की आपने घोषणा की है तो सेपेरेशन को लागू किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि कांग्रेस के नेताओं को रीजनल कन्सीडिरेश के ऊपर उठाया गया है। आपने राजस्थान के कांग्रेस के हर नेता को डिवीजन का नेता बना रखा है, क्षेत्र का नेता बना रखा है, जाति का नेता बना रखा है। यह राजस्थान के विकास के हित मे बाधक है। आज राजस्थान मे जयपुर का रिप्रेजेन्टेशन करते हैं दामोदरजी, जोधपुर का रिप्रेजेन्टेशन करते है बरकत साहब और जोधपुर डिवीजन को रिप्रेजेन्ट करते है मथुरादास जी माथुर। परसरामजी जाटों के नेता हैं और राव साहब मसूदा राजपूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जाट ले लिया, एक राजपूत ले लिया यह बैलेंस क्रियेट करते हैं। यह कम्युनिलजिम बढ़ाते हैं। आपकी सारी कैबिनेट का कम्युनिलजिम आधार है। रीजनल कन्सीडिरेशन्स से नेता बनाते हैं तो यह राजस्थान की जड़ें खोखली कर रहा है। आप राजस्थान में कांग्रेस नेताओं को सार्वजनिक क्षेत्र से लें। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो उस आदमी को आने दें रीजनलज्मि से ऊपर न उठायें। जितने भी मन्त्री महोदय या रीजनल सेक्ट्र के इन्चार्ज हैं। उनको चौबदार बना रखा है। नवाब साहब यहां के बारे में नहीं बोलेंगे तो माथुर साहब उदयपुर के बारे में नहीं बोलेंगे, बृजसुन्दर जी कोटा और बून्दी के बाहर नही जायेंगे, शोभारामजी अलवर से आगे नहीं बोलेंगे। राजस्थान की नौजवान लीडरशिप को आगे बढ़ाने दें। इनको आगे आने दिया जाय। इनको दबाने की कोशिश न करें। बरकत साहब माइनोरिटी के लीडर बनने की कोशिश करने लगें तो उनको दबाने के लिए नवाब साहब को ले लिया। उनको केपेबिलिटी के आधार पर लिया जाय केबिनेट में इनको इन्क्लूड करना चाहते हैं तो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में जो नौजवान लोग हैं उनको आगे आने दिया जाय। इन ३६ में से कई ऐसे हैं जो आज तक सदन में बोले नहीं हैं। एक दिन बोले हैं। जिस दिन उन्होने शपथ ली है। उनको बुलाइये। ट्रेनिग के लिए विधान सभा नहीं है। ट्रेनिग के लिए आफिसर्स ट्रेनिग स्कूल है वहां पर इनको ट्रेनिग दी जाय। ट्रेनिग आप देते नहीं हैं।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज इन सारी बातों पर गम्भीरता से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विचार करना चाहिए। राजस्थान की सरकार में केवल, आपको दुबारा घन्टी न बजाना पड़े, इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि, केबिनेट का जो कम्पोजिशन है वह बिल्कुल अविश्वास के आधार पर है। ऐसे-ऐसे मिनिस्टरों के साथ ऐसे-ऐसे डिप्टी मिनिस्टर लगाया है नवाब साहब के साथ श्रीमान मैंसवाड़ा को लगाया है जो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन नवाब साहब ऊपर हैं। उनके नीचे किसी दिन आप डिप्टी बन गये तो आपका कचूमर निकल जायगा। मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर्स, और स्टेट मिनिस्टर्स को रीजनल कन्सीडिरेशन पर, कम्युनल कन्सीडिरेशन पर किया गया है। लोगों को एप्योरमेंट, लोभ लालच और धमकी देकर उसके आधार पर यह शासन चल रहा है। लाठी, हिन्सा और बन्दूक के आधार पर यह सरकार चल रही है। मैं समझता हूं कि इसको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राजस्थान की वर्तमान सरकार लोकतन्त्र में लोगों की आस्था को डिगा रही है। लोगों में हिंसा, संघर्ष और अराजकता की स्थिति राजस्थान में पैदा कर रही है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में टूरिज्म को एक प्रकार से नेग्लेक्ट किया जा रहा है और उस पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैंने एक-कटौती प्रस्ताव रखा है। आज हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म केवल महज टूरिज्म न होकर इन्डस्ट्री बन गई है। ससार के सारे विकासशील देश भी अपना पूरा प्रयत्न यह करते हैं कि ज्यादे से ज्यादा बाहर से टूरिस्टों को बुलाया जाय। कई देश तो संसार के ऐसे हैं कि जिनकी इकोनॉमी केवल टूरिज्म पर ही निर्भर है। कई मुल्क ऐसे हैं जो कि कई मामलों में रिजिड थे लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी रिजिडनेस को तोड़ा है। रूस जैसे देश में जहां कि आइरन करटेन रहता था बाहर से टूरिज्म के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी एन्टूरिस्ट विभाग की स्थापना की गई है, और अपनी नीति को उन्होने तब्दील किया है, वहां पर उनको नीति के अनुसार विज्ञापन नहीं दिये जा सकते हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा कमाने के लिए टूरिस्टों के लिए विज्ञापन दिये जाने लगे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, स्वीडन और हालैण्ड जैसे छोटे-मोटे देशों की यह अर्थव्यवस्था है कि वे केवल उसी पर निर्भर करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल विदेशी मुद्रा ही नहीं कमाई जाय इसके साथ-साथ टूरिस्टों को आने की वजह से हरेक देश अपना अनेक प्रकार से प्रचार भी करता है। कला को प्रोत्साहन इस बात के लिए किया जा सकता है, और राज्य की

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

नीति है कि बाहर के विदेशी लोगों को उसकी जानकारी कराई जाती है। जो टूरिस्ट वहां होकर आते हैं उसके दिल और दिमाग के ऊपर एक सांस्कृतिक छाप लगाई जा सकती है।

टूरिस्टों को आने जाने का सबसे पहला लाभ यह होता है कि दोनों देशों के बीच मित्रता पैदा होती है। एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों के मुताल्लिक जानता है, कई तरह के आर्ट्स और हस्तकला-उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। जब एक टूरिस्ट दूसरे मुल्क में आता है तो प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। सारे मुल्क इस दृष्टिकोण से सोचते हैं। हमारे देश में भी इन्हीं बातों को देखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोचा गया है। मैं मानती हूं कि पिछले १० वर्षों में राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिला है लेकिन जो हमारे पास प्राकृतिक सम्पदा है उसको देखते हुए, आज हमारे पास जो प्राकृतिक क्षमता है उसको देखते हुए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बढ़ावा उसको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि यह विभाग वर्षों से मुख्य मंत्री जी के पास रहा है। अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो इस टूरिज्म में कई तरह से सुधार किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम अपने प्राकृतिक सम्पदा की तरफ ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास टूरिज्म के लिए....

श्री मूलचन्द डागा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। आज टूरिज्म कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टूरिज्म इसी में है।

श्री मदनसिंह दांता : आप माफी मांगें खड़े होकर इन्हें टोका है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब हम अपने प्राकृतिक साधनों की ओर देखते है तो मैं कहती हूं कि राजस्थान के पास क्या नहीं है ? यह पैरेडाइज आफ टूरिस्ट्स कहलाता है। राणकपुर के मन्दिर हैं, देलवाड़ा के मन्दिर हैं। वे एक एक स्थापत्य कला के नमूने हैं। हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास वन हैं। जंगलों के साथ वन्य-पशु भी हैं। सिंह और सूअर की शिकार के लिए विदेशी टूरिस्ट्स लालायित रहते हैं। हमारे पास तालाब हैं, हमारे पास झीलें हैं, आबू की नक्की झील हैं जैसा तालाब हैं, उदयपुर के फतहसागर जैसी चीज है। और भी राजस्थान में सांस्कृतिक लोक-नाटक हैं, लोकनृत्य हैं, ये इस प्रकार की चीजें हैं कि जिन्हें देखने के लिए टूरिस्ट्स उत्सुक रहते है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हमारे यहां ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें यूरोप में पहला प्राइज मिला है। हमारे पास ऐसे नृत्यकार हैं जिनको अपने कंपिटिशन के जरिये यूरोप में भारत का जादूगर कह कर सम्मानित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, टूरिस्टों को दिखाने और घुमाने के लिये एक नहीं अनेक प्रकार की चीजें हमारे यहां पर हैं लेकिन अफसोस है कि उनको पूरा उपयोग नहीं कर पाते। एक नहीं दो चार चीजों के नाम आपको बताऊंगी। हमारे यहां चित्तौड़ का किला विश्व-विख्यात किला है। बाहर से टूरिस्ट उसको देखने आते हैं लेकिन टूरिस्ट जब देख कर जाते हैं तो आप उनको पूछिये उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन सुन्दर नहीं होता क्योंकि उनके लिये वहां पर कुछ प्रबन्ध नहीं किया गया है प्यासे घूमते रहते हैं पर पीने के लिये उनको पानी नहीं मिलता है। अब कहते है कि फतहप्रकाश में एक केन्टीन का प्रबन्ध किया है। केन्टीन का प्रबन्ध तो उनके खाने पीने के लिये हो गया लेकिन उनके ठहरने के लिये स्थान चाहिये। चित्तौड़ में ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। क्या उदयपुर से चित्तौड़ तक टूरिस्ट बस का इन्तजाम नहीं कर सकते। चित्तौड़ में म्यूजियम का भी प्रबन्ध होना चाहिये क्या राज्य सरकार के पास पुराने शस्त्रागार में पुराने शस्त्र नहीं हैं जिनको म्यूजियम में रख कर दिखाया जा सके? क्या सरकार के पास पुरानी तोपें नहीं है जिनको किले के कगूरों पर चढ़ाई जा सके जिनको देख कर बाहर से आने वाले हमारे पुराने रण-कौशल के बारे में कुछ समझ सकें, सोच सकें और उनको देख कर टूरिस्ट के दिल और दिमाग पर हमारे प्राचीन गौरव की छाप पड़नी चाहिये? इस धरती पर किस प्रकार से लड़ाई होती थी, किस प्रकार से जोहर हुआ करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जयपुर के शीसोदिया राणी के महल की ओर दिलाना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि कुछ वर्ष पहले इसे कोई जानता नही था लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० का बाग इसमें पड़ा था इसको डेवलप किया, यह ठीक बात है मैं इसकी तारीफ करती हूं लेकिन जिस प्रकार से शीसोदिया राणी के महल को डेवलप करना चाहिये था उस तरह से नहीं किया है। वहां पर आज टूरिस्ट जाता है तो उसको वहां पर चाय का प्याला नहीं मिलता है। जब वहां पर पार्टीज का आयोजन करते हैं तो जीप या बस में सामान ले जाना पड़ता है। क्या इस तरह से टूरिस्ट वहां पर जा सकते हैं। इसके बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि जब कोई बाहर का व्यक्ति इसे देखने आवें तो वहां पर गाइड प्रोवाइड करना चाहिये। मैं पहले यह निवेदन कर दूं कि शीसोदिया रानी का महल हमारे इतिहास से संबधित है, जयपुर और उदयपुर के राजघराणों से

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

संबंधित है,लेकिन अफसोस है कि इसकेइतिहास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे एक रिश्तेदार इसे देखने गये थे। जब उन्होंने इसके इतिहास के बारे में पूछा तो गाइड ने उनको ऐसी बात बताई कि इस प्रकार की बात टूरिस्टों को नहीं बतानी चाहिये। उसको मैं सदन में अर्ज नहीं कर सकती। शायद चरित्र के बारेमें उनको बात बताई। इस प्रकार की बात हमारे गाइड द्वारा टूरिस्टों को कहना उचित नहीं है। हमें तो उनको ऐसी बात बतानी चाहिये जो इतिहास से सम्बन्धित हो, गौरव की चीज हो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक स्थान राजस्थान में हैं।

भरतपुर की घाना बर्ड सेंचुरी बहुत ही मशहूर हैं। इस प्रकार की पक्षियों की सेंचुरी दुनिया में कुल ७-८ हैं। इस किस्म की हिन्दुस्तान में सिर्फ दो ही हैं। लेकिन यहां पर यदि टूरिस्ट आवें तो उनके ठहरने का कोई इन्तजाम नहीं है। वन विभाग की ओर से एक मकान बना हुआ है लेकिन खाने पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है। यहां पर जब इस बारे में सवाल करते हैं तो जवाब देते हैं कि कोई वहां पर जाता है तो प्रबन्ध कर देते हैं। लेकिन जब वी. आई. पी. जाते हैं तो दौड़ कर चले जाते हैं, मिनिस्टर भी चले जाते हैं और चीफ कन्जरवेटर आँफ फोरेस्ट भी पहुंच जाते हैं। वी. आई. पीज. का प्रबन्ध खाने-पीने का भी हो सकता है लेकिन टूरिस्ट की हैसियत से कोई जावे तो कुछ नहीं हो सकता। मकान बना रखा है लेकिन उसमें और व्यवस्था नजर नहीं आती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन चीजों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना निहायत जरूरी है।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं यह नहीं कहना चाहती कि टूरिस्ट के लिये लग्जूरियस होटल्स बनाये जावें लेकिन टूरिस्ट चाहते हैं कि उनको साफ और स्वच्छ मकान मिलें। मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जापान में जाकर टूरिस्ट लग्जूरियस होटल्स में रहने के बजाय वहां पर जो छोटी-छोटी इन्स बनी हुई हैं उनमें रहना पसन्द करते हैं। वहां रहना उनके लिए सस्ता भी पड़ता है और आराम भी मिलता है। इसी तरह से हमारे यहां पर राजस्थानी कला के नमूने के छोटे छोटे मकान बनाये जावें, जिनमें राजस्थानी कला भी देखने को मिले और सुविधा भी मिले। इस तरह के मकान बनाने में विशेष खर्चा भी नहीं लगेगा और टूरिस्टोंकोसस्ताभी पड़ेगा। इसी तरहके मकानउदयपुरमें भी बनाये जांय। नेहरू पार्कमें फव्वारा लगाया गया है जो सुन्दर है लेकिन क्या हम वहां पर रोशनी और बैंड बाजे का इन्तजाम नहीं कर सकते जिस तरह से मैसोर के वृन्दावन गार्डन्स में सरकार की तरफ से प्रबन्ध किया गया है। इसी प्रकार कई प्रकार के पानी के खेल-कूद शुरू कर सकते

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हैं जिनमें भाग लेने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया जा सकता है।

इसके अलावा वन-पशुओं को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं विश्नोईयों के पवित्र स्थान मुकामा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। वहां पर काफी हिरन हैं। जिस प्रकार जापान में एक स्थान पर इतने हिरन हैं कि वे लोगों के पास आ जाते हैं और इनको देखने के लिये दूर दूर से लोग आते हैं। उसी प्रकार यदि हम मुकामा को डेवलप करें तो वह एक सुन्दर स्थान बन सकता है। वहां पर इन पशुओं के मारे जाने का भी डर नहीं है। मैं निवेदन करूं कि इसके लिये आर्थिक सहायता मुकामा की मन्दिर कमेटी देने को तैयार हैं इसको मृग-विहार के रूप में डेवलप किया जा सकता है, या डीयर पार्क में बदला जा सकता है। रेत के टीबों के बीच में सुन्दर हिरनों का जबर्दस्त आकर्षण केन्द्र होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप घड़ी की तरफ देख रहे है। मैं निवेदन करूंगी कि पिछले साल इसी विधान सभा के सत्र में एक प्रश्न उठाया गया था कि जब मुसाफिर बाहर से आते हैं तो उनको चेंक अप करते हैं वहां पर मुसाफिरों को दिक्कत होती है। मुझे याद है एक बसमें बैठ कर सारे यूरोपमें घूम लीजिये कहीं पर आपको चैक अप नहीं किया जायगा। लेकिन हमारे यहां दिल्ली से आने वाले को चैक अप किया जाता है, अहमदाबाद से आने वाले को चैक अप किया जाता है। इस प्रकार का चैक अप नहीं किया जाय और टूरिस्टों को असुविधा नहीं होने दी जाय।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय विशेष रूप से यह निवेदन करूंगी कि टूरिस्ट विभाग को बलशाली बनाना चाहिये। इस समय यह विभाग पंगु है, नाममात्र का है। न इसके पास अर्थ है न इसके पास दूसरे साधन हैं। इसको बलशाली बनाना बहुत आवश्यक है। इस विभाग को आबूकी नक्की लेक,शीशो दया महल सिलीसेढ़ आदि स्थान सौंप दिये जाय। ऐसा करन से उनका विकास किया जा सकता है और बाहर से टूरिस्ट बुलाये जा सकते हैं। अभी कोई पी. डब्लू. डी से पास है कोई किसी के पास है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घंटा के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उन विभागों के बीच में कोई कोआॅडिनेशन नहीं है। कोआर्डिनेशन नहीं होने के कारण विकास नहीं कर पाते हैं।

दूसरी बात मै यह निवेदन करना चाहती हूं कि टूरिज्म विभाग के लिए जो

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

मोटर कार्स दी गई है उनका बराबरदुरुपयोग होता हैं। ....

(५ म० प०)

जबकि एक टूरिस्ट होता है वह कार के इन्तजार में बैठा रहता है। उसे बाहर घूमने के लिए कार नहीं मिलती क्योंकि उन कारों को मिनिस्टर्स की हाजरी में जाना पड़ता है। मैं सदा से इसका विरोध करती आई हूं और आज भी मैं पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करती हूं। जो कार टूरिस्टों के उपयोग के लिए आई हैं, वह मिनिस्टरों के उपयोग के लिए कदापि नहीं दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करूंगी, हमें टूरिस्ट गाइडों की जरूरत है, लेकिन हमारे यहां टूरिस्ट गाइड ट्रेन्ड नहीं है। वह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार अप-रोक्ष रूप से टूरिस्ट के दिल और दिमाग पर अपनी संस्कृति की छाप डालें, वह नहीं जानते हैं कि अपने यहां के विकास से, जो हमारी राज्य सरकार ने विकास किया है, बाहर से आये हुए टूरिस्टों को अवगत करायें, वह नहीं जानते हैं कि इस प्रकार की बातें करनी चाहिए जिससे दो देशों के बीच में मित्रता बढ़े। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना होगा कि हमारे टूरिस्ट गाइड हमारी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, वह हमारी संस्कृति की बात टूरिस्टों को नहीं बता सकते हैं न उनको हमारे इतिहास की बात कह सकते हैं। इसलिए हमारे इन टूरिस्ट गाइडों को ट्रेन्ड किया जाय।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे राज्य को टूरिस्टों के लिए पब्लिसिटी करनी चाहिए। आज दुर्भाग्यवश हमारी स्थिति यह है कि एक पिक्चर पोस्ट कार्ड तक हमारे पास नहीं है। इससे बढ कर दयनीय बात क्या होगी कि पब्लिसिटी के नाम पर एक पिक्चर पोस्टकार्ड तक नहीं है। सिटी पैलेस वगैरह में जरूर मिलते हैं जो सिटी पैलेस से निकाले गये हैं लेकिन वह इतने थर्ड रेट हैं कि न तो उन्हें बाहर ले जाकर हमारे देश के प्रति उनसे आकर्षण पैदा हो सकता है, न उनसे हमारा फायदा हो सकता है। तो एक निश्चित धनराशि हमारे यहां पब्लि-सिटी के लिए लगानी चाहिए।

घाना सेंक्चुरी की पब्लिसिटी के लिए मैं निवेदन करूं कि घाना सेंक्चुरी वन आफ द बेस्ट सेंक्चुरीज होने के उपरान्त भी राज-स्थान के लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास में इतनी अच्छी सेंक्चुरी है। एक विदेशी टूरिस्ट आये थे, वह जिक्र कर रहे थे कि घाना सेंक्चुरी से बाहर होकर मैं निकला तो वहां इतना सा बोर्ड देखा। मैंने सोचा कि यह कोई पाल्ट्री फार्म होगा। यह नमूना है। हमारे यहां पब्लिसिटी के नाम पर कुछ नहीं है। आज का जमाना पब्लिसिटी का जमाना है। जब तक पब्लिसिटी हम विदेशों

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

में नहीं कर सकेंगे देश में नहीं कर सकेंगे तब तक अपने यहां टूरिस्टों को नहीं बुला सकेंगे। आपके सामने मैं एक नजीर दूं खासा कोठी को मुलाहिजा फरमाइये। खासा कोठी का जो ड्राइंग रूम है, उसकी ओर ध्यान दें। उसकी दीवारें क्रेक हो रही हैं। उसकी दीवारों पर जैसे क्रेक्स आ रहे हैं, ऐसी दीवारें हमारे सबके मकानों और बंगलों में नहीं होंगी। ऐसी दीवारें उसमें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वहां की साज-सज्जा की तरफ ध्यान देते हैं तो वहां के ड्राइंग रूम में मार्डन आर्ड के दो पीसेज लगे हैं। टूरिस्ट जो राजस्थान में आते हैं वह मार्डन आर्ट को देखने नहीं आते हैं, वह देखने आते हैं राजस्थान के ओरिजिनल कल्चर को। क्या आपने कोशिश की कि हम अपने यहां के आर्ट को टूरिस्ट के सामने पेश करें? मार्डन आर्ट हमारे यहां का आर्ट बिल्कुल नहीं है। राजपूत शैली, जो राजस्थान की खास चीज है, उसकी तरफ उनका आकर्षण होगा।

इसके अलावा टूरिस्ट आकर के खासा कोठी मे ठहरते हैं तो उनके सामने समस्या आती है कि हम शाम का वक्त कहां बितायें। पर शाम का वक्त बिताने के लिए आपके यहां पर प्रबन्ध क्या है? हमारे पास में लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, लोक नाट्य हैं- क्या इनको आप टूरिस्टों के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते और कला का नमूना विदेशों में पेश नहीं कर सकते? मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि लोक संस्कृति के अन्दर लोक संस्कृति के आयोजन में राजस्थान हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों से आगे है। दुर्भाग्य यह है कि हम उनकी कीमत नहीं समझते हैं न हमने उसकी वेल्यू की है, न उसकी हमने कद्र दोनों के सामने रखी है।

आज अगर टूरिज्म विभाग को बहुत बड़ा बनाया जाय तो इसके द्वारा हस्त उद्योग को भी बढ़ावा दे सकते है। हम कारीगरों की आमदनी करवा सकते हैं। हम संस्कृति की प्राचीन झाकियां उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अतीत के इतिहास को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ हमारी नीति क्या है राज्य की वह उन्हें समझा सकते हैं। हमारे राज्य में क्या क्या विकास किये है-उनकी तस्वीर बाहर के लोगों के सामने रख सकते हैं। ऐसा करने से बाहर से आने वाले लोग सही मायने में हमें समझेंगे और यह देखें कि राजस्थान राज्य ने क्या तरक्की की है। वह समझेंगे कि इस देश की किस प्रकार की संस्कृति रही है और जो कुछ छाप वह अपने दिल पर लगा कर अपने देश में जायेंगे, तो उसे वह नहीं भूल सकेंगे, बल्कि जिस मुल्क में भी वह जायेंगे वहां पर इन बातों को कहेंगे। इससे हमारा गौरव बढ़ेगा, इससे हमें आर्थिक लाभ होगा और हमें दूसरे प्रकार से भी फायदा हो जायगा। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

जी से बहुत नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि यह विभाग आपके पास है, यदि आप सीरियसली इस पर ध्यान दें तो क्या नहीं हो सकता है, साल दो साल में बहुत कुछ हो सकता है। प्रत्येक साल इस सदन के अन्दर टूरिज्म के ऊपर बहस होती है, उस समय हमे आश्वासन तो मिलते हैं कि धन आने पर हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन मुझे अफसोस है कि जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाना चाहिये, उसमें बहुत कमी नजर आ रही है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि राजस्थान की संस्कृति कला की दृष्टि से इस पर सच्चे हृदय से सोचें, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी अर्जित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।"

ऐसा रामायण का वाक्य है। मेरी समझ मे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं आता कि आज का प्रशासन, जो अपने आपको राजाओं की गिनती में मानता है....

श्री मूलचन्द डागा : वह नहीं मानता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह प्रशासन के जो नेता हैं जिन्हें महाराजा. ..

श्री मूलचन्द डागा : महाराजा भी नहीं है, राजा भी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहा जाता है, वह स्वर्ग और नरक की कल्पना कर सकते हैं या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं सदन के सामने इस प्रकार की चर्चायें नहीं करना चाहता हूं कि अमुक मन्त्री भ्रष्टाचारी है, या अमुक मन्त्री ने कोई बलात्कार का काम किया, अमुक मन्त्री ने रिश्वत को लिया है या और कोई ऐसा काम किया है, लेकिन अमूमन इस प्रकार की चर्चायें इस सदन में होती हैं और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं उन्हें बड़े ध्यान से सुनते है, और सुनने के पश्चात भी परिणाम उसका क्या है कि उन मन्त्रियों को अंगीकृत करते हैं, अपने साथ रखते हैं, उन्हे उन्नति और पदोन्नति देते हैं। मै इनके साहस की प्रशंसा करता हूं। ऐसा देखने में आया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार कारावास में घोर अपराधी जाते हैं और कारावास में उन अपराधियों को सुधारने की चेष्टा की जाती है, ठीक वैसे ही प्रतीत होता है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने भी इस प्रकार की धारणा बना रखी है कि कोई बात नहीं, व्यक्तित्व

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

यदि बुरा है तो होने दो, दुश्चरित्र व्यक्ति है

(५.०८ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

तो होने दो। मैं इन्हें अपनी छाती से लगाता हूं और इन्हें सुधारने की चेष्टा करूंगा। लेकिन मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई व्यक्ति का चरित्र कैसा है, हमें इससे सम्बन्ध नहीं है। मूलभूत सम्बन्ध हमारा और आपका इस प्रशासन से है। व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का है कि मूलभूत भावनायें जो उसके स्वभाव में जुड़ गई हैं, सम्भवतः मुख्य मन्त्रीजी उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। एक चीज जिसको आप कर सकते हैं, वह मैं सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि प्रशासन में जो दोष आ गये हैं, व्यवस्था में जो कमियां उत्पन्न हो गई हैं उनको दूर करना तो आपके अधिकार में है। यदि मन्त्री भ्रष्टाचारी है, रिश्वत खाता है. और उसका चरित्र बुरा है, तो हमें उससे सम्बन्ध नहीं है। उसका व्यक्तिगत चरित्र कुछ भी हो। लेकिन जनता का सम्बन्ध है उसके काम करने के तरीके से। वह जनता का काम कितना करता है? कितना समय जनता का काम करने के लिए देता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासन में एक अच्छा प्रशासक होने के नाते कम से कम आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं। मैं आपके सामने दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। आपने अपने मन्त्रिमण्डल का विस्तार कर लिया और उसके सम्बन्ध में जब प्रश्न इस सदन में आपसे पूछे गये तो आपने उत्तर तो सुन्दर दे दिया कि राजस्थान जैसे विस्तृत प्रांत के लिए प्रशासन में कुछ कठिनाईयां इस प्रकार की उत्पन्न हो रहीं थी कि जिनको सुधारने के लिए हमको व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आप छत्तीस मन्त्रियों की जगह पर छियालीस कर लीजिये लेकिन फिर भी प्रशासन के अन्दर सुधार कर दीजिये। लेकिन आपके जितने मन्त्री बढ़े, क्या उन्होंने उतना समय, उससे अधिक समय दिया, क्या मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने राजस्थान के सेक्रेटेरियट में बैठ कर उतना समय दिया? क्या आपने इस ओर ध्यान देने की कोशिश की कि कितने महीने में कितने दिन इस प्रकार के होते हैं जबकि आपके मन्त्रिमंडल के सदस्य दौरों पर जाने के बजाय सेक्रेटेरियट में जाकर बैठते हैं। आज आदमी अपना काम लेकर सेक्रेटेरियट में जाता है, लेकिन वहां मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं मिलते हैं। बताइये, यह प्रशासन की व्यवस्था है या दुर्व्यवस्था है— इसका निर्णय मैं आप पर ही छोड़ देता हूं क्या आप इस बात का आश्वासन सदन के सामने देने के लिए तैयार है कि कोई निश्चित अवधि-एक माह में इस प्रकार की निर्धारित कर दें कि उतने समय में मन्त्री

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मण्डल के लोग-बाग दौरा करने जाया करें और इतने समय सेक्रेटरिएट में बैठकर फाइलें देखें। उनका अवलोकन करें और निरावलोकन के कारण प्रशासन के कागज, देरी न करने के कारण रुके हुए हैं। इनका रुकने का सवाल नहीं है। माननीय सभानेत्री मन्त्रिमण्डल के लोग-बाग सेक्रेट-रिएट में नहीं मिलेंगे। सेक्रेटेरिएट में गये हुए कागज जो कि २० दिन में निकल जाने चाहिए, वह २० महीनों में भी नहीं निकलेंगे। यह आपका प्रशासन है। इससे आप क्या आशा करते हैं? यथा राजा तथा प्रजा। आप जिस तरह का उदाहरण उनके सामने रखेंगे ठीक उसी प्रकार का आपका प्रशा-सन होगा। हम चाहते है कि प्रशासन में कोई भ्रष्टाचारी है तो वह होगा। यह उसका व्यक्तिगत चरित्र है। हम अपेक्षाएं करते हैं कि जो ९ बजे से ५ बजे तक का समय निश्चित कर दिया है संभवत: आप विदेशों में भ्रमण करने के लिए गये और इधर उधर लोगों से बात करने का आपको मौका मिला और लोगों को ९ बजे से शाम के ५ बजे तक काम करते हुए देखा बीच में थोड़े समय लंच करके और बाद में निश्चया-त्मक रूप से और दृढ़ता के साथ लोगों को काम करते देखा तो आपने देखा कि अपने राज्य में भी यही परिपाटी लागू कर दें। यह अनुभव आपको हुआ। आप देखें ९ बजे से ५ बजे के समय से आपके कर्मचारी प्रसन्न नहीं हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ९ बजे से ५ बजे के समय में कोई काम पूरा नहीं करता है। ९ बजे आने के बाद लंच के टाइम के आधा घंटा पहले से ही कोई मेज आपको काम करती हुई नजर नहीं आएगी और लंच के आधा घंटा बाद तक कोई मेज काम करती हुई नजर नहीं आएगी। अरे भाई, पैसा लिया है निश्चित तो काम पूरा करना चाहिए। आप आशा करते हैं कि आप इस व्यवस्था को सुधार लेंगे लेकिन यह आपके हाथ की बात नहीं है। आपने ऐसी व्यवस्था बैठा दी है कि कोई कागज जो एक बार किसी कार्यालय में पेश हो जाता है, दस दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन की अवधि में—लेकिन आजकल सुनने को मिलता है कि मेज से दूसरी मेज तक पहुँचने तक कई हफ्ते का समय चाहिए। उसके लिए कहावत है, कविता है भारतेन्दु की "पोस्ती वा पोस्ती नौ दिन चले अढ़ाई कोस"। एक मेज से कागज दूसरी मेजत क जाने के लिए २० दिन लगते हैं तो लोग-बाग कहते हैं कि यह तो बहुत जल्दी चला गया। दो महीने में जाना चाहिए। दूसरी ओर प्रशासन के सम्बन्ध में चर्चाए सुनता हूं वह आपके सामने व्यक्त करता हूं। मूर्खो कागज एक मेज से दूसरी मेज पर कैसे जा सकता है? कागज चपटी चीज है और सरकती गोल चीज है। चपटी चीज के नीचे गोल चीज लगाओ तो सरक कर जाएगी। यह व्यवस्था है आप के प्रशासन के कारण इस प्रकार की मान्यता होगी कि बन जाए आप के प्रशासन में तो उसको सुधारना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

निश्चयात्मक ग्राप का कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिए मैं ग्रभी दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। ग्राप को सुधार करना है तो ग्राप ग्रपने घर से कीजिए। ग्राप को नियन्त्रण करना है तो ग्रपने मंत्रिमंडल से कीजिए। ग्रौर इस प्रकार की व्यवस्था कायम कीजिए कि जिसके द्वारा महीने में कोई निश्चित रूप से समय निर्धारित हो जाए। जिसमें कि ग्रापके मंत्रि-मण्डल के लोग बाग सेक्रेटेरिएट में मिला करें ग्रौर सेक्रेटेरिएट में बैठना ग्राप के हुक्म से शुरू कर देवें। तो इस बात को ग्रापको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह मेरे देखने में ग्राया है। वैसे मुझे समय कम मिलता है लेकिन कभी उधर चला जाता हूं तो देखता हूं कि ग्राप के दल के लोग ग्रपनी पार्टी के कुछ व्यक्ति इस प्रकार ग्राते हैं कि जिनके साथ मंत्री महोदय को चर्चा करनी होती है। यह मानता हूं कि उनको ग्रधिकार है। मैं नहीं कहता कि उनको मिलने का ग्रधिकार नहीं है। उनको कोई विशेष समय मिलना चाहिए। जिसमें वह उनसे बात कर सकें। लेकिन इस बात का समय तय हो जाना चाहिए कि जिसमें वह दल की बात करें ग्रपनी पार्टी की नीतियों की बात करें। ग्रपनी पार्टी की ग्रार्गेनाइजेशन की बात करें। लेकिन ग्राप के मंत्रिमण्डल के सदस्य लोग प्रशासन के बारे में कितना समय सेक्रेटेरिएट में बैठकर देते हैं। इसकी व्यवस्था करना ग्रापके हाथ में है। व्यक्तिगत चरित्र जैसा होगा उसको भले ही न सुधारें। मैं उसकी ग्रपेक्षा भी नहीं करता हूं लेकिन प्रशासनिक हैड होने के नाते जो इन्तजाम ग्राप करते हैं, उसमें इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज समय के बारे में ग्राप को बताई। इस के बारे में ग्राप पुनर्विचार करें। ग्राप देखिए जो १० से पांच बजे का समय है उसमें ग्रधिक काम निकलता है। या कि जो ६ से ५ बजे तक का समय है, उसमें ग्रधिक काम निकलता है। सरदी के दिनों में छोटे कर्मचारियों को विशेष कठिनाई उत्पन्न होती है। इस प्रकार की शिकायत प्रायः सभी कर्मचारियों ने की है। उनकी ग्रोर से मैं यह ग्रावाज ग्रापके कानों में पहुँचाना चाहता हूं। इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें ग्रौर इस पर निर्णय होने की इस पर निर्णय लेना ग्रापके ग्रधिकार की बात है। समयाभाव से, न्याय-प्रशासन के बारे में जो दो तीन बातें हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं उन चीजों को मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। जहां तक हमारे राजस्थान में घोषणा तो बहुत पहले कर दी थी कि हमारा राज्य न्याय प्रशासन में एक प्रगतिशील राज्य है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़)। ग्राप किस से कह रहे हैं, उधर कोई नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : संभवतः जुडिशियरी के मन्त्री ग्रा गये हैं।

श्री मदनसिंह : जो मन्त्री महोदय दस मिनिट नहीं सुन सकते, वह क्या कर सकते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्वभाव की बात है। बहरे कानों में ढोल बजाने की बात है। वह सुने या न सुनें।

श्रीमती सभानेत्री : आप भाषण जारी रखें।

श्री परसराम मदेरणा : हम ध्यान से सुन रहे हैं, उत्तर मिल जाएगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूं। इसका उत्तर मिले या न मिले।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

आप आपने भाषण को शुरू रखिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहुंगा कि हमारे राज्य से सबसे पहले यह घोषणा की और इस बात का दावा किया कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को पृथक कर देते हैं। लेकिन दो तीन वर्षों तक मसला चलता था और अब के इस सत्र में बड़े जोर शोर से फिर घोषणा कर दी गई है, इस वर्ष में निश्चयात्मक रूप से जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को बिल्कुल पृथक कर दिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मैं न्याय मंत्री जी आपसे दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके राज्य में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की गई है जिस प्रकार बम्बई राज्य में की गई है,। उसका सेपरेट एक्ट कायम हुआ, सेपरेट एक्ट कायम होने के बाद जुडिश्यियल आफिसर की पावर है और जो एक्जीक्यूटिव आफिसर की पावर्स है, उन दोनों के बारे में इस विधान में निरूपण किया गया और व्यवस्था की गई कि उस व्यवस्था के आधार पर वह सब कार्यवाही वहां पर होती है। आपने किस प्रकार पृथक्करण किया है। आपने कानून में दिखाया है, आई० पी० सी० के सेक्शन्स के कुछ केसेज हैं वह तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेगा बाकी आप अपनी अकल और समझदारी लगाकर देखिए कि जो पैनल आफ आफिसेज कितनी ही दूसरी स्टेट्स में काम करती है, उन सबका निर्णय केवल आपका एक्जीक्यूटिव आफीसर करेगा। कहने का आशय यह हुआ कि जुडिशियरी पर भी अंकुश है। हमारा यह प्रशासन चाहता है कि वह उसके अधीन करदे। और जो स्वछन्दता और स्वतन्त्रता जुडिशियरी की होनी चाहिए उसको आप देना नहीं चाहते हैं। क्या राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा करने को तैयार है कि राज्य में सही मायने में एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन होगा और कोई भी केस, जिसका कानून के अंदर गवाही लेकर उस मुकदमे का निर्णय किया जाना चाहिए। उसका निर्णय केवल जुडि-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

शियल मजिस्ट्रेट, आर० जे० एस० आफिसर करेगा। आर० ए० एस० आफिसर नहीं करेगा। इसके अलावा जुडिशियल आफिसर के बारे में उनकी दयनीय स्थिति के बारे में विचार कर लिया जाना चाहिए। आज के आर. ए. एस. आफिसर और आर. जे. एस. आफिसर की ग्रेड प्रदेश में एक सी रखी गई है। आपने यह नहीं देखा कि जो एमेनिटीज और फैसिलिटीज आप आर० जे० एस० को देना चाहते हैं मैं कहूंगा कि जितनी छोटी जगह का जुडिशियल आफिसर होता है उतना ही उस जुडिशियल आफिसर के पास काम ज्यादा होता है और उससे ज्यादा परेशानी उस जुडिशियल अफसर की होती है।.........

(५.१८ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुकदमें में जितने भी गवाहों के नम्बर हैं, उन सब के बयान लिख लिख वह पागल हो जाता है। उसको आप स्टेनोग्राफर नहीं देते हैं। उसके पास टाइपिस्ट तक नहीं होता है। एक दिन में बीस फैसले कर देता है तो लोगों को इन फैसलों की नकल तक नही मिलती हैं। आप की ओर से लोगों को नक्ल देने तक की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जुडिशियरी पीछे रही है। खर्च के मामले में भी। इसमें जो फीस के रूप में अन्य रूप में जो रुपया आता उस रुपये का आधा अंश भी आप जुडिशियरी के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से अनुभव है कि जो कागज लिखने के लिए मिलता है वह पीला और रद्दी कागज है। उस कागज को बयानात लिखने के लिए आप की अदालतों में भेजा जाता है। जो पन्द्रह दिन मे खराब हो जाता है। आप जुडिशियरी के फैसले की सेन्कटिटी के बारे में यह कल्पना करके चलते हैं कि उसको सरकारें तक प्रिजर्व किया जाना चाहिए लेकिन उसको मैंनटेन करने के लिए इस प्रकार का कागज सप्लाई करते हैं। आप सेक्रेटेरिएट जाकर देखें मन्त्री महोदय के आफिस में जो जो राइटिंग पेड है उसका एक कागज चार आने का पांच आने का हो सकता है। जब जुडिशियरी के साथ आप का इस प्रकार का व्यवहार है तो कैसे कल्पना की जा सकती है कि जुडिशियरी आफिसर का फैसला पक्षपात पूर्ण नहीं होगा। अरे साहब, पेट भरने के लिए हर आदमी को व्यवस्था चाहिए उनका गला घोटेंगे और परिणाम यह होगा कि जिस जुडिशियरी की मान्यताओं को हम ऊंचा मानते आ रहे हैं, उसमें भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज प्रशासन मे है, उसी प्रकार का भ्रष्टाचार जुडिशियरी में भी आ जायगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि कहा है :

बुभुक्षितः किं न करोति पापम्,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

क्षीणा : जना: निष्करुणा: भवन्ति ।

एक भूखा आदमी होगा वह जघन्य से जघन्य काम करने को तैयार हो जायगा, पाप करने को अग्रसर होगा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कठिनाइयां जूडिशियल आफिसर्स की हैं, उन पर आपको विचार करना होगा । फाइनेन्सेज का सवाल है तो आपको अन्दाज ही है कि जूडिशियरी आपको कमा कर देती है, आपको काफी आय जूडिशियरी से होती है । तो जहां तक इन व्यवस्थाओं के एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी के सेपरेशन का प्रश्न है, एक निश्चित घोषणा राज्य सरकार को करनी चाहिये, दुनियां को अन्धेरे में नहीं रखना चाहिये ।

तीसरा सवाल भी आपको सोचना होगा कि चाहे आई. पी. सी. के केसेज हों चाहे दूसरी तरह के केसेज हों, इनके चालान करने का सवाल है, मुकदमा बनता है या नहीं, इसके लिये प्रोसीक्यूशन ब्रान्च बना रखी है। इसमें क्या होता है, अब आपने थोड़ी-थोड़ी व्यवस्था चालू की है पर यहां यही शुरू से चला आ रहा है कि थानेदार की पोस्ट से प्रोसीक्यूटर बना देते है और फिर वापिस उसे थानेदार बना देते हैं । उसके दिमाग में तो वही प्रशासन की बू भरी हुई है, वह जूडिशियली कभी विचार करके नहीं देखेगा । इसलिये अगर इस व्यवस्था को सही मायने में कायम करना चाहते हैं तो राज्य सरकार को यह व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि प्रोसीक्यूशन की एक सेपरेट और इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्च हो, वह एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं होनी चाहिये, जूडिशियरी के आधार पर ही उसको रखना चाहिये ।

तो कुछ कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इन पर विचार करेगी और कोई निश्चित नीति की घोषणा करेंगे कि वास्तव में एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का सेपरेशन किया है, मन्त्रि मण्डलों के कार्य करने की व्यवस्था करदी है, कर्मचारियों के काम करने की निश्चित स्कीम बना दी है, जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो । वैसे यह व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र की बात है यह तो होता रहेगा, यह बात अलग है कि आपके जमाने में ज्यादा है, दूसरे के जमाने में कम होगा, या किसी और के जमाने में ज्यादा हो, ये चलने वाली बातें है, पर उनको रोक कर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं । मैं तो तब मानूंगा जब कि आप कह देंगे कि इतने हजार इल्जाम लगाये मेरे आदमियों के खिलाफ फिर भी इनसे प्रशासन का काम करवा ही लिया ।

कर्मचारी सही रूप में काम करें इस प्रकार की व्यवस्था करने में आपको ध्यान देना होगा, तभी राज्य का प्रशासन सुधर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण : (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१ पर एक कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के इस दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले का दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का यह दक्षिणी क्षेत्र अभावग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रियासत के जमाने में खास करके डूंगरपुर में हाई कोर्ट की व्यवस्था थी। राजस्थान का निर्माण हुआ तो सेशन्स कोर्ट की व्यवस्था को वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कायम रखा गया पर इस सेशन्स कोर्ट को भी असिस्टेन्ट सेशन कोर्ट बना दिया और बाद में धीरे धीरे इस कोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राष्ट्रपति द्वारा घोषित शिड्यूल्ड एरिया है। इस क्षेत्र के आदिवासी बहुत गरीब हैं। और उन्हें सस्ता न्याय दिलाने की बात इस जिले के लिये है वह इस कोर्ट को वहां से हटाने से उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां के लोगों को सेशन्स कमिट केसेज के लिये उदयपुर आना पड़ता है और खास कर के वर्षा के दिनों में वहां यातायात के साधनों का अभाव है और वर्षा के दिनों में वहां के लोगों को उदयपुर पहुंचने में नाना प्रकार की कठिनाइयां रहती हैं।

मैं निवेदन करूं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, खास कर डूंगरपुर में सेशस कोर्ट की कमी है, वह वहां की आबादी की दृष्टि से बहुत जरूरी है। बांसवाड़ा में एडीशनल सेशस कोर्ट अभी कायम है पर डूंगरपुर में वह भी नहीं है। डूंगरपुर की जनसंख्या को देखते हुए भी मैं आवश्यक समझता हूं कि डूंगरपुर में सेशस कोर्ट होना चाहिये। डूंगरपुर की जनसंख्या बांसवाड़ा से कहीं अधिक है। उदयपुर की खैरवाड़ा तहसील है, उसको डूंगरपुर के न्यायालय के अधिकार में दे दिया गया है, इसलिये भी डूंगरपुर की जनसंख्या बांसवाड़ा से कहीं अधिक पड़ती है। मैं यह मानता हूं कि डूंगरपुर में सेशन कोर्ट की स्थापना होना अत्यन्त आवश्यक है।

राजस्थान सरकार यदि यह समझे कि डूंगरपुर में सेशन कोर्ट स्थापित करने से राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी तो ऐसी बात भी नहीं है। मैं आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध करके बताऊंगा कि डूंगरपुर में सेशस कोर्ट की स्थापना करने से ७५०० रुपया की अधिक आमदनी होगी। यहां साल भर में करीब २० केसेज सेशस में कमिट होते हैं। और मैं यह मानूं कि प्रत्येक केस में....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री जयनारायण : जिन व्यक्तियों की गवाही ली जाती है उनमें ५ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो सरकार की तरफ से उदयपुर जाते हैं, यदि सरकार की तरफ से आये हुए आदमियों का औसतन खर्चा २० माना जाय तो ७५०० रुपया सरकार का व्यय होता है और १५ व्यक्ति गैरसरकारी होते हैं, उनको भी सेशन कोर्ट के सामने उपस्थित होना पड़ता है, २० रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा मानें तो १५ का खर्चा ६०००) रुपया पड़ता है। इसी तरह से प्रत्येक केस के अंदर पुलिस जाती है, जो चीजें ले जाई जाती हैं, उनको ले जाने के लिये पुलिस की गार्ड जाती है और सामान की भी ढुलाई करनी पड़ती है। इस व्यय को भी कम से कम माना जाय तो ३ हजार रुपया औसतन आता है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे खर्चों को जोड़ा जाय तो १६५००) रुपयों का कुल व्यय आता है।

अगर डूंगरपुर के अंदर जिला व सेशन कोर्ट स्थापित की जाय तो सरकार को जो इस समय १६,५००) व्यय हो रहा है वह अवश्य बच जायगा। इसके अलावा इस कोर्ट के कायम होने से सरकार को एडीशनल इन्कम भी होगी। सरकार के कई स्टाम्पस बिकेंगे इससे आमदनी ३२ हजार की होगी। अगर ३२,०००) और १६,-५००) की संख्या को जोड़ दिया जाय तो ५१,५००) की आमदनी होती है। इसके विपरीत अगर इस कोर्ट को स्थापित कर दिया जाय तो स्थापित होने का जो एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा पड़ेगा वह अनुमानतः ४४ हजार का आएगा। इस रकम को अगर माइनस कर दें तो ७,५००) की नेट आमदनी सरकार की होती है। इसलिए डूंगरपुर जैसे पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र के लिए जिला व सेशन कोर्ट की स्थापना अवश्य की जानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को को ध्यान में रखते हुए यह निहायत जरूरी है कि इस तरह के कोर्ट खास तौर से मजिस्ट्रेट का कोर्ट समय समय पर टूर करे और वहां के लोगों को वहीं बैठ कर तय करें तो उन लोगों को अधिक लाभ होगा और सस्ता न्याय उपलब्ध होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुवालाल ! इसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी तरफ से केवल तीन सदस्य बोले हैं।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : मेरा मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६, के संबंध में कटौती प्रस्ताव है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे क्षेत्र में एक तह-

(श्री सुवालाल)

मीलदार है जो अपने आप को मुख्यमन्त्री के नजदीक का बताता है और वह इस क्षेत्र में जब से आए हैं उस समय से लेकर आज तक उन्होंने इस प्रजातन्त्र के शासन को खतम करने के लिए और श्री सुखाड़ियाजी को बदनाम करने के लिए और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के लिए इतनी मात्रा में काश्तकारों को परेशान किया है कि गैर कानूनी तौर से फैसले किए हैं और पैसा इतना इकट्ठा किया है मुख्यमन्त्री का नाम लेकर जिसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुख्यमन्त्रीजी इसकी जांच करें तो सही मिलेगी।

पहला उदाहरण है कि पालू ग्राम के खसरा नं० १६ जिसमें ४०० बीघा रकबा था जो कि एक सोसाइटी को एलॉट हुआ था, लेकिन उस सोसाइटी को भंग करके तहसीलदार ने बहुत से भूमिदारों को जिनके पास १००-१०० बीघा जमीन है उनको दे दी। सरकार ने अभी एक सरक्यूंलर निकाला था जिसके अन्दर कहा था कि १९६३ के बाद जिनके कब्जे हैं उनकी जमीनों के नियमन करने के अधिकार तहसीलदारों को दिए गये। उस सक्यूंलर के तहत उसने ५०) बीघा प्रति किसान से लेकर उन किसानों को जमीन का नियमन कर दिया, जो कतई भूमिहीन नहीं है।

एक बंध पेटे की जमीन है ग्राम छावेड़ा में कम से कम ५ हजार बीघा जमीन है जिसके लिए टेनन्सी एक्ट में साफ लिखा है कि इस पेटे की जमीन जब तक टेनन्सी एक्ट की धारा १६ से संशोधित नहीं हो जाती उस समय तक किसी को खातेदारी नहीं दी जायेगी लेकिन मैं आपके द्वारा मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको क्यों प्रोत्साहन देते हैं ? उन्होंने आज ६० रु. प्रति बीघा के हिसाब से लेकर जो टेनन्सी एक्ट की धाराओं की मन्शा नहीं है, देदी। मैं मानता हूं कि मुख्य मन्त्री जो यह नहीं चाहते कि मेरे शासन में कोई कर्मचारी इस तरह भ्रष्टाचार फैलाए लेकिन उसको क्यों प्रोत्साहन दिया जाता है ? ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं, उनकी फाइल का निरीक्षण करके खुद जांच करेंगे।

यदि यही शासन का हाल रहा तो प्रजातन्त्र का जो २० साल का शासन करने का सुखाड़िया जो का अनुभव था लोगों को ५-६ साल तक का अच्छा शासन मिला था लेकिन मैं कह सकता हूं कि कम से कम इन ८-१० सालों में भ्रष्टाचार को इतना प्रोत्साहन मिला है कि आज गरीब किसान और मजदूर उसको अदालत में अच्छा न्याय नहीं मिल रहा है, आज दरख्वास्त देने के लिए तहसील या विभाग में व्यक्ति जाता है तो जब तक वह अपने हाथ में कुछ पैसा रिश्वत के लिए नहीं ले जाय तो उस समय तक दरख्वास्त पेश नहीं हो सकती। कर्मचारी ही रिश्वत लेते हैं ऐसी बात नहीं है। आज

(श्री सुवालाल)

शासन के जो कर्णाधार हैं, किसी मंत्री के बारे में कोई सदस्य शिकायत करता है तो चुनौती स्वीकार नही करते और उसका निराकरण नहीं करते। इसका कारण यह है कि जैसा राज तैसी प्रजा। ऊपर से जो शासन के कर्णाधार हैं उनका शासन करने का तरीका सिर्फ पेट भरने का तरीका हो गया है। जो महात्मा गाधी का उद्देश्य था, २० साल पहले जो हमारे दिमाग में अच्छा शासन देने की भावना थी, यदि मंत्री परिषद के सदस्यों और कर्मचारियों में यह भावना पैदा होती है तो आज लोगों को अच्छे शासन से लाभ मिल सकता है, लोगों को आर्थिक स्थित ठीक हो सकती है जिससे न्याय मिल सकता है।

पंचायती राज के कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : परसों कह देते मांग के समय।

श्री सुवालाल चौधरी : पंचायती राज के मारफत आप जनता को सस्ता न्याय दे रहे हैं। मेरे पास एक नोटिस है गोड़ता पंचायत में भूराराम हरजीराम नाम का काश्तकार है, गरीब आदमी है उसने अपने मौके के पास में कुछ डोल को बढ़ा दिया, कच्ची के बजाय ईंटों की डोल बना दी तो सरपंच ने डोल हटाने का ४००) का नोटिस निकाला पेनल्टी के तौर पर। दूसरा नोटिस निकाला है ७००) का और तीसरा नोटिस निकाला है ७२२) का और चौथा नोटिस निकाला है १०९९) का। पंचायत एक्ट की जो धारा २७ है उसको आप पढ़ें। पंचायतों द्वारा जो लोगों को न्याय दिया जा रहा है उसकी तरफ देखें। देहाती क्षेत्र में डोल बढ़ाने के अपराध में एक आदमी से पेनल्टी के रूप में पंचायत तीन हजार या चार हजार पेनल्टी ले खास तौर से जब उस एक्ट की धारा में कोई प्रतिबंध नहीं है कि अमुक पेनल्टी या अमुक रुपये की पेनल्टी वसूल होगी। यह है आपका न्याय। आप पंचायतों में अच्छा न्याय देना चाहते हैं।

इस प्रकार के जो नोटिसेज पंचायत के द्वारा दिये गये उसकी असल प्रति मेरे पास हैं और जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वह सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री परसराम गंगाराम बोलने खड़े हुए) आपके दल का समय समाप्त हो गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के संबंध में मैंने भी कटौती का प्रस्ताव दिया है न्याय-पालिकाओं को कार्यपालिकाओं से अलग करने एवं उचित कमियों के बारे में चर्चा के लिये।

(श्री वृद्धिचन्द)

संविधान के आर्टिकल ५० के तहत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वे जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वे सराहनीय हैं। सारे सब-डिवीजन्स के अन्दर जुडिशियरी के सेपरेशन के बारे में निर्णय ले लिये गये हैं। विशेष तौर पर जो स्पेशल एक्ट्स हैं फॉरेनर्स एक्ट, कस्टम्स एण्ड एक्साइज एक्ट, एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ एक्ट इनको अभी तक जुडिशियरी के अधिकार में नहीं दिया है जिनको देना आवश्यक है। इनको जुडिशियरी के अन्तर्गत देना इसलिये आवश्यक है कि जब तक ये एग्जीक्युटिव के अधिकार में रहते हैं पोलिटिकल और इनके जो अधिकारी होते हैं उनका दबाव पड़ता है इसलिये वे सही तरीके से इन्साफ नहीं कर सकते। न्याय नहीं दे सकते। इसलिये मेरा पहला निवेदन है कि स्पेशल एक्ट्स को वे जुडिशियरी के अन्तर्गत दिये जाय।

दूसरा एस० डी० एम० के पास केसेज है, उनका टूर्स का प्रोग्राम होता है वे पूरा समय दे नहीं सकते इसके कारण ऐसी स्थिति हो जाती है कि इस प्रकार के केसेज चार पांच साल तक चलते रहते हैं इस कारण इन्साफ जल्दी नहीं मिल सकता। यह भी स्थिति आती है बेल्स का प्रश्न होता है, एक्जीक्युटिव साइड से प्रेशर आता है इसके कारण किन्हीं किन्हीं लोगों की जमानत नहीं होती।

खास तौर से मेरा निवेदन है कि स्पेशल एक्ट्स को जुडिशियरी के अन्तर्गत दिये जावें।

दूसरी चीज एपॉइन्टमेन्ट्स हैं। बोर्डर एरियाज में जो एपॉइन्टमेन्ट्स होते हैं उनके बारे में मुझे विशेष तौर पर कहना है। तहसीलदार बी० डी० ओ० इनको खास तौर पर बोर्डर की तहसीलों में जैसे चोहटन, शिव, बाड़मेर, जैसलमेर जिले की तहसीलें हैं, गंगानगर जिले की तहसील है इनमें इन अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है उसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये। ऐसा नहीं समझना चाहिये जो निकम्मे अफसर हो जिनको कहीं पर लगाने का नहीं हो उनको ले जाकर बोर्डर एरियाज में लगा दिया जाय, यह नहीं होना चाहिये। इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा है पिछले पाक-भारत युद्ध में। ईमानदार आफिशियल न होने के कारण कुछ गांवों के लोग व कई जगहों की पूरी की पूरी आबादी चली गई तो लाखों रुपयों का सामान तहसीलदार के बेईमान होने के कारण उनके अन्तर्गत पटवारी, तहसीलदार गांव वालों के सामान को हड़प कर गये। सीमावर्ती इलाकों में ऐसी स्थिति आ हो जाती है इसलिये इस इलाके में ईमानदार तहसीलदार, बी० डी० ओ० को नियुक्त करना

Page No. 195

(श्री वृद्धिचन्द)

चाहिये और वह भी सीनियर ऑफिशियल्स को ही नियुक्त करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : बाड़मेर जिले के कौन से गांव का माल हड़प कर गये और कौन कर गये बता सकते है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : तहसीलदार का नाम बताना नहीं चाहता । अगर जोर डाला जायगा तो मैं बता भी सकता हूं ।

श्री श्रवणलाल : जब तक नाम नहीं बताते केवल यह कह देने से तहसीलदार माल हड़प कर गये कोई मायने नहीं रखता आपको नाम बताना चाहिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब मैं प्रेसीडेन्ट मेडल के बारे में बताना चाहता हूं । प्रेसीडेन्ट मेडल ऐसे ऐसे शख्सों को दिया जाता है जिनका किसी प्रकार से बहादुरी से ताल्लुक नहीं रहता । मैं समझता हूं इस बारे में डिपार्टमेन्ट से जांच होती होगी और आइ० जी० पी० रिकमन्ड करते होंगे । ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेन्ट मेडल मिला है जिन्होंने कोई बहादुरी का काम नही किया उनसे जुनियर हैडकॉन्सटेबल और थानेदार ने बहादुरी का काम किया लेकिन प्राइज मिलता है डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट को । जिनको भी यह मेडल दिया जाय इनके बारे में पूरी तरह से जांच होनी चाहिये । ऐसी स्थिति हमने पायी है कि जिनमें करेक्ट ऑफिशियल्स को प्राइज नहीं मिलता है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि ऑफिशियल्स जो ईमानदार नहीं है उनको प्रेसीडेन्ट मेडल जैसा ऊंचा मेडल, उच्च सम्मान का पदक नहीं मिलना चाहिये । अगर उनको मिल जाता है तो इससे प्रेसीडेन्ट मेडल के महत्व में कमी आती है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रकार से जिन जिन को मेडल दिये जांय उनके बारे में एक कमेटी का निर्माण हो जिसमें हाईकोर्ट का जज उसका चेयरमेन हो, उसके द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद ही प्रेसीडेन्ट मेडल दिये जाने के बारे में निर्णय किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य है उनके बारे में मैंने देखा है उनको रेवेन्यू मेटर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती । हमें रेवेन्यू बोर्ड के सामने केसेज प्लीड करने के बारे में जाना पड़ता है हम यह अनुभव करते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर ऐसे भी है जिनको एस० डी० एम० के बराबर भी नॉलेज नहीं मुन्सिफ और सेशन जज के बराबर होना तो दूर रहा। मेरा ऐसा निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड में जिनकी भी नियुक्ति की जाय हाईकोर्ट के जज के केटेगरी का भले ही न हो लेकिन सेशन्स जज के समान तो अवश्य होना चाहिये । नहीं तो क्या होता है जनता को सच्चा इन्साफ नहीं मिल पाता । इसलिये मेरा निवेदन है कि

(श्री वृद्धिचन्द)

या तो हाईकोर्ट के जजेज में से या सेशन्स जजेज में से नियुक्ति की जाय तो जनता को न्याय ठीक प्रकार से मिल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी जब मैं सदन में उपस्थित नहीं था सिविल जजी में चल रहे केस के बारे में कहा गया है उसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिस के बारे में उन्होंने जिक्र किया उस केस का स्पष्ट कर देना चाहता हूं गवर्नमेन्ट के खिलाफ एक केस था गवर्नमेन्ट का वकील हाजिर नहीं हुआ सिविल जज ने उसको इकतरफा कर दिया। गवर्नमेन्ट ने बात दायर की तो वह केस वापिस नम्बर पर आ गया। माननीय सदस्य ने ऐसी बात कही जिनको जानकारी नहीं है गलत बात कहने से कोई फायदा नहीं। वह केस चल रहा है वापिस नम्बर पर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन पर आये हुए कटौती प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। मैं यह देखता हूं कि यह प्रशासन है या अप्रशासन है? एडमिनिस्ट्रेशन है नो-एडमिनिस्ट्रेशन या मेल एडमिनिस्ट्रेशन है? मुझे तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन मानना बेवकूफी ही लगती है। आज से बीस वर्ष पहले जब राजाओं का राज था, जब स्टेट सर्विस थी एक चिट्ठी का जबाब २४ घटे में दे देते थे यदि किसी दूसरी अधिकारी के पास यह वह पत्र चला जाय तो उसमें और २४ घटे मिल जाते थे। लेकिन आज के प्रशासन का हाल यह है कि दो महीने चार महीने तक रिमाइन्डर पर रिमाइन्डर देने के बाद भी जबाब नहीं देते।

दूसरा जब एपाइन्टमेन्ट होता है प्रोमशन या ट्रान्सफर होते है हरेक चीज में मिनिस्टर का हस्तक्षेप होता है। मैं तो यह सौभाग्य मानता हूं कि मुझे विधायकपुरी में रहने को जगह मिली हुई है। अगर मैं गवर्नमेन्ट होस्टल में होता तो देखता कि कितने लोग अपने काम के लिये सिफारिश लेकर आते है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पर आरोप लगाना फिजूल है। आज तो सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है जहां भी देखो भाई-भतीजावाद के अलावा किसी को स्थान नहीं, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। कई जगह जहां भ्रष्टाचार की बात आती है। हर एक वक्त इसी की चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है। मुझे ताज्जुब होता है। ये सर्विसेज में कैसे डिमोरलाईज हो गये। ये तीन प्रकार के होते है एक तो वे जो कृपा पात्र होते है मिनिस्टरों के, जिनकी कोई

(श्री ओमदत्त माटी)

क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरे वे जो क्वालिफाइड हैं और थोड़े बहुत कृपा पात्र है तीसरे टिमिड लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार जगह जगह फैला हुआ है। हमारे विरोधी दल के नेताओं ने जब यू० पी० जैसा भ्रष्टाचार का विधेयक लाने के लिए कहा तो कह दिया गया कि यह तो पुरानी बात है। मेरा विचार है कि जहां भ्रष्टाचार की बात आये वहां लोक पाल और लोक आयुक्त की बात होनी चाहिये। आज से ही अपने को विचार करना चाहिये। हर एक आदमी में कुछ न कुछ गलती पाई जाती है। इसलिये लोक पाल और लोक आयुक्त के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी नियुक्ति करें जिससे सर्विसेज में मोरेलिटि आये।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ६ बजे विवाद समाप्त होंगे, उसके बाद उत्तर दिया जायगा। श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सहर्षता पूर्वक जो टाईम दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी मेरे दोनों-तीनों मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं उनको मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो बेरी आयोग बैठा हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जयपुर में हुये गोली कान्ड के विषय में उस पर जो खर्चा हो रहा है वह खर्चा इतना गैर वाजिब हो रहा, इतना ज्यादा खर्च है जिसका अगर हम विश्लेषण करें तो उसके लिए मुझे टाईम चाहिये लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूं वह खर्च बहुत ज्यादा है इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिये। हमने उन गोलियों से शहीद हुये लोगों को सहायता तो नाम मात्र की नहीं दी लेकिन उसकी जांच के लिये जो खर्चा बैठा है, सरकारी वकीलों को जो वेतन दिया जा रहा है, स्टाफ पर जो खर्च किया जा रहा है यह बहुत ज्यादा खर्च है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसी तरह का आयोग उड़ीसा में है, जो स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से बैठाया गया है-भूतपूर्व मन्त्री आयोग, उसी तरह का आयोग है, उसी तरह की पेशियां होती है, उसी तरह सरकारी वकील है। उस पर अब तक ५० हजार रुपया खर्च हुआ है जब कि बेरी आयोग जो गोली कान्ड की जांच कर रहा है उस पर दो ढाई लाख रुपया खर्च हो गया। मैं दोनों स्टेटस, उड़ीसा जिसमें स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से आयोग है उसमें ५० हजार रुपया खर्च हुआ है और हमारी सरकार ने जो आयोग बैठा रखा है उसमें दो ढाई लाख खर्च हो गया।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में सवाई माधोपुर की एक महत्वपूर्ण घटना माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो भवन-निर्माण का प्रश्न हैं, जो गवर्नमेंट के सामने विचाराधीन हैं उसमें हास्पिटल का जो टेन्डर मांगा गया है सरकार के द्वारा वह किसी व्यक्ति का सबसे कम गया है उसका टेन्डर मंजूर नहीं करके सवाई माधोपुर के कांग्रेसी नेताओं के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है कि इस आदमी को टेन्डर न दिया जाय। दूसरा आदमी जो कांग्रेस का समर्थक है, उसको टेन्डर दिया जाय। उस आदमी को जिसने कम टेंडर दिया है उसके प्रति यह चार्ज है कि उसने गत जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। इस तरह का हमारा जो प्रशासन है उसमें इस तरह की छोटी छोटी बातों का हस्तक्षेप करें और वह छोटे-छोटे कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह मोड़ा जाय, उसकी गति में चेंज किया जाय और उसमें करप्शन की भावना पैदा की जाय तो यह माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के विचारणीय प्रश्न है। छोटे-छोटे नेताओं द्वारा कभी इस मास्टर का ट्रांसफर यहां करो, कभी वहां करो। इस तहसीलदार का ट्रांसफर यहां करो, उसका वहां करो। इस तरह की छोटी-छोटी बातों में अगर प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे तो प्रशासन फिर सुदृढ़ तरीके से नहीं चल सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है सवाई माधोपुर का हास्पिटल जो इन्द्रगढ़ में बना है, उसके लिये ये कांग्रेस के सदस्य यह कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उसका एबव टेन्डर होते हुए भी उसको टेन्डर दिया और जिस आदमी ने कम वाला टेन्डर दिया है उसको कहते हैं कि यह कांग्रेस का समर्थक नहीं है।

एक मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे टोंक जिले में अलीगढ़ है तहसील है वहां श्री मुन्ना लाल नाम का एक व्यक्ति ६ वर्ष से उसी तहसील में रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ ४२० का एक मुकदमा चला और वह उसमें इन्वाल्व्ड है। इसके बाद कलेक्टर महोदय को यह सूचना मिली कि श्री मुन्नालाल के खिलाफ ४२० का केस है और रेवेन्यू बोर्ड ने इस प्रकार की हिदायत दी है कि फौरन इस आदमी का ट्रांसफर किया जाय और वहां से बदल दिया जाय। उस पर कलेक्टर महोदय ने उसका ट्रांसफर कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस आदमी को एक महीने रिलीव नहीं होने दिया। वहां के स्थानीय नेताओं ने और जब वह रिलीव नहीं हुआ तो मुझे कहते हुए शर्म होती है हमारे राजस्थान के राजस्व मन्त्री जी से उन लोगों ने प्रयत्न किया और अपने हाथ से कलेक्टर के आर्डर को निरस्त कर दिया।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें समझने और सोचने की छोटे छोटे ट्रांसफर में प्रशासन में बेईमानी से हस्तक्षेप करें। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जो मंत्री-मण्डल की फौज बनाई है वह भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जब ये विसर्जन होते हैं तो ऐसा लगता है कि गायों का टोलाविसर्जन हो रहा हो। जब हम टोंक जाते हैं और पूछते हैं कि कलेक्टर साहब कहां हैं तो जवाब मिलता है कि फलां मंत्री के साथ गये, कभी कहते हैं, फलां उपमंत्री के साथ गये और कभी कहते हैं कि फलां राज्यमंत्री के साथ गये। न मालूम ये कौन कौन मंत्री लोग हैं जिनके साथ ये घूमते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सारी फौज के साथ ये घूमते हैं और कहते हैं कि इसका ट्रांसफर यहां कर दे, उसका वहां कर दे। छोटे-छोटे ट्रांसफर्स में प्रशासन के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई धन्धा है ही नहीं। मेरा तो यह निवेदन है कि इस फौज पर नियंत्रण रखा जावे।

(६ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्रीजी!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग की मांग पर बहुत से कट-मोशनों पर यहां पर चर्चा की गई और जिन कुछ कट मोशनों पर माननीय सदस्य यहां पर विचार प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किये हैं उनके कट मोशनों के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्टीकरण यहां पर कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय उत्तर समाप्त होने और मांगों के पारण के समय तक बढाया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां पर इस बारे में चर्चा की गई कि राजस्थान को प्रशासन की वजह से लोग-बागों में असंतोष है। काफी कमियां हैं और प्रशासन से लोगों को परेशानियां हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी हमेशा यह नीति रही है कि प्रशासन में सुधार होने की दृष्टि से समय-समय पर विश्लेषण किया जाता रहा है, विचार किया जाता रहा है और इसमें जो कुछ सुधार सम्भव हो उसको करने को दिशा में भी कदम उठाये जावें।

कोटा जिले से आने वाले एक माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्य ने मेरे ही भाषणों के उद्धरणों से कुछ पंक्तियां यहां पर कहीं। मैं समझता हूं कि वे भी यही जाहिर करती हैं कि हममें जो खामियां हैं उसकी तरफ भी जागरुक हैं और मैं आज इस बात का दावा नहीं करता कि राजस्थान का प्रशासन इस प्रकार का प्रशासन है कि जिसके बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती और सब तरह से सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं शत प्रतिशत लोगों को सन्तोष की बातें हो रही हों। मैं समझता हूं कोई प्रशासन शायद इस बात का दावा करे तो यह गलत दावा होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमने समय-समय पर चाहे फिर हरिश्चन्द्रजी माथुर की अध्यक्षता मे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमेटी बनाकर इस पर विचार किया हो, कुछ स्टडी टीमों के जरिये विचार किया हो, प्रशासनिकल सेवाओं में किसी प्रकार से परिवर्तन हो सके इसके बारे में विचार किया हो प्रशासन के अन्दर जो शिकायतें और भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं उनके निवारण के बारे में क्या किया जा सकता है, इसका सवाल हो, तो इन सब चीजों के लिये प्रशासन को जज करना होगा इस बात से कि इसके बारे में हमारा इरादा क्या रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में जो इस बात को यहां भाषणों में भी सदस्यों ने कहा कि कुछ अफसरों को वे क्योंकि हमें फेवर करें इसलिये हम उनको प्रोमोशन्स के मामले में और दूसरे मामलों में फेवर कर सकें, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि अगर कोई गलती करने वाला भी अफसर है तो उसको प्रशासन प्रोटेक्शन देकर उसको अगर वह पार्टी के लिये या कांग्रेस के लिये काम करे तो उसको भी दर गुजर करके चलना चाहते हैं। मैं, उपाध्यक्षजी यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत कम स्टेटेस शायद ऐसी होंगी जिनमें उनके सर्विस रोल्स में प्रोमोशन के बारे में इस बात की व्यवस्था हो कि डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी में पी. एस. सी. के आदमी एसोशियेट किये जावें और उसमें कोई मिनिस्टर नहीं होता जो सिफारिश उनकी की जाती है आम तौर से अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद ९९ परसेन्ट सिफारिशों को राज्य सरकार ने बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया है चाहे फिर कैसी भी बात हो। (तालियां) तो डी. पी. सी. की व्यवस्था से एक बात जाहिर होती है कि प्रोमोशन के लिये जो सर्विस रेकार्ड होते हैं जिनके बनाने में खास तौर से अफसर ही जिम्मेदार होते हैं उन सर्विस रेकार्ड बेसिस पर प्रोमोशन के लिये निष्पक्ष एजेन्सी हो सकती है उसके बारे में हमने प्रयत्न किये हैं।

यहां तक निवेदन करूं कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की सर्विस के लिये भी सिलेक्शन ग्रेड देना है स्केल देना है तो राजस्थान सरकार भारत सरकार की कन्से-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

न्ट से मिनिस्टिरियल लेवल पर रख सकते हैं पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोमोशन के बारे में सर्विस रूल्स के जरिये इस प्रकार की व्यवस्था की है।

मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में विजिलेन्स कमीशन को मुकर्रर करने की बात आई कि जिसके सामने कोई आदमी शिकायत लेकर जा सके तो निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान सर्विस का नहीं था। राजस्थान सर्विस में जब एडवाइजर्स रहे या उसके पहले के वक्त रहे तब आई. सी. एस. अफसर थे। पर राजस्थान स्थान में चीफ सेक्रेटरी आई. ए. एस. अफसर है पर विजिलेन्स कमीशन की जगह पर एक आई. सी. एस. को ऐसे अफसर को, जिसके बारे में देश में प्रतिष्ठा थी उस पद पर कायम किया।

तो इसलिये निवेदन करना चाहता था कि प्रोमोशन के बारे में या गलत कामों के प्रोटेक्शन के बारे में इस प्रकार की स्थितियां रक्खी हैं निष्पक्ष दृष्टि से इन चीजों पर विचार किया जा सके और उन कार्यवाहियों को किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष, फिर भी कमियां हैं, प्रोसीजर की हो सकती हैं, नियमो की हो सकती हैं, विधान के अन्दर संरक्षण है इसकी वजह से हो सकती हैं। बहुत से सवाल उठ सकते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा समझा कि जो इस सम्बन्ध में इस बात को कहा जाता है कि जैसे हमारा इरादा यह हो कि कोई प्रोटेक्शन देकर इन लोगों को आगे बढावा देना चाहते हैं और स्पेशल लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो यह गलत बात है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सर्विसेज में सारी बातों के लिये इसमें चर्चा में नहीं पड़ना चाहता, पर सेक्रेटेरियट लेवल पर, कलेक्टोरेट के लेवल पर और उच्चस्तर के लेवल पर और नीचे स्तर के लेवल पर राजस्थान की सर्विसेज के बारे में दृढ़तापूर्वक कहा जाता है, ईमानदारी के लिहाज से और अच्छे स्टेण्डर्ड के लिहाज से अपना स्थान राजस्थान की सर्विस रखती है। इस बात को कह कर चल सकते हैं कि जनरली वे ठीक हैं। अगर कोई गलती करता है तो जरूर क्रिटिसाइज करिये पर जनरल सर्विस के बारे में इस प्रकार की बात कही जावे तो मैं समझता हूं कि यह कह कर नहीं चल सकते।

राजस्थान खास तौर से इतने दौर से निकला है सर्विस के मैटर में पहले फार्मर राजस्थान बना। इसका इन्टेग्रेशन पूरा हुआ ही नहीं कि बड़ा राजस्थान बना, इसके इन्टेग्रेशन का एक प्रोसेस हुआ वह पूरा हुआ नहीं कि अजमेर का इन्टेग्रेशन आया। इस सारे प्रोसेस में फिर भी हम एक स्थिरता के साथ चेन्ज को करते हुए आये। और मैं ऐसा समझता हूं कि कुल मिलाकर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राजस्थान के अन्दर जो व्यवस्थाएं की गईं, नियुक्तियों में ऐतराज हो सकते हैं मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ किया गया वह शत प्रतिशत सही है। हो सकता है इसमें दो रायें भी हो सकती हैं। आज दिन यह कह कर नहीं चल सकते कि जो वे कहते है वही सेन्ट पर्सेन्ट करेक्ट कहते हैं, पर कोशिश इस बात की की गई है कि जितनी निष्पक्ष दृष्टि से लगभग इस सम्बन्ध में सेवाएं दी जा सकें, न्याय दिया जा सके, प्रयत्न किया गया।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और क्लीयर कर दीजिये। कन्ट्रोल करने के लिये रूल्स बना रक्खे हैं आपने। आपको इस सम्बन्ध में अब तक एक्ट बना लेना चाहिये था। वह एक्ट क्यों नहीं बनाया सर्विसेज के सम्बन्ध में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह सर्विसेज एक्ट गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है। उसको भी जल्दी ले आना चाहते हैं जिससे कमी यह भी पूरी हो जावे। पर जनरली दो चार को छोड़कर रूल्स फाइनेलाइज कर दिये गये हैं और जो आपकी बात है इसके सम्बन्ध में भी जल्दी कार्यवाही की जावेगी।

क्लास फोर्थ के बारे में मिनिस्टिरियल सर्विस के बारे में भी कट मोशन्स मूव किये हैं और उनकी मांगों और परिस्थितियों के बारे में भी सवाल उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारी नीतियों में वित्तीय स्थिति काफी पेचीदगी की होते हुए भी हमने इस बात की कोशिश की है कि ६६ से पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डी० ए० के क्वान्टम को स्वीकार किया। इसके बाद जब गजेन्द्र गड़कर कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो उसे भी एक्सेप्ट किया। जहां तक इनके पे स्केल का सवाल है उसके लिये भी श्री राणावतजी की चेयरमेनशिप में एक सदस्य कमीशन मुकर्रर किया और मैं आशा करके चलता हूं कि उनकी रिपोर्ट भी इसी में ६८ तक हमें प्राप्त हो जावेगी। इस प्रकार सर्विस के बारे में हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राजस्थान की सर्विसेज हैं मिनिस्टिरियल और क्लास फोर्थ उनके लिये भी जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकें करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी प्रश्न रखा गया है कि जो सरप्लस स्टाफ डिक्लेयर किया गया है उस सरप्लस स्टाफ के बारे में क्या कार्यवाही हुई। मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल मिला कर १७७१ जिसमें से १४ गजेटेड ऑफिसर्स थे इनको सरप्लस डिक्लेयर किया गया था ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अलावा और इस तादाद में से सिवाय २ के बाकी सब लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया गया। जहां तक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट का सवाल है उसमें से कुल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिला कर ८४६ लोगों को सरप्लस डिक्लेयर किया गया जिसमें से अभी १९८ को एब्जार्ब नहीं कर पाये हैं। उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है और जल्दी ही उनको भी एब्जार्ब कर लिया जायगा। एब्जॉर्पशन में भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां तक हो सके इक्वेलेन्ट पोस्ट के ऊपर उनको एब्जॉर्ब किया जाये। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी क्वाली-फिकेशन्स उस पोस्ट के अनुसार नहीं हैं तो उसको लोअर पोस्ट के ऊपर भी एब्जॉर्ब करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात की रियायत रखी गई है कि सरप्लस जिसको वापिस एब्जॉर्ब किया है वह उन व्यक्तियों को किया गया है जो कि १-१०-६६ के पहले एम्पलॉय कर लिए गए थे, लेकिन जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का सवाल है इन लोगों के लिए यह अवधि भी १-१०-६६ की न रख कर जिस रोज़ से वह सरप्लस डिक्लेयर किये गये है, कम सर्विस थी तब भी उनको रिट्रेन्च नहीं किया जा रहा है और उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस प्रकार से इसके अन्दर यह कोशिश की गई है कि जिनको काम पर लगाया जाये उनको ले लिया जाये ....

श्री श्रवणलाल : मैं मुख्य मंत्री महोदय को २० केसेज़ ऐसे बता सकता हूं कि जिनकी १५-१५ वर्ष की सर्विस थी और उनको रिट्रेन्च किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी मंत्री जवाब देते हैं तो कृपया बीच में हस्तक्षेप न करें।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कह रहे हैं कि हमने यह किया है तो मैं उनके सामने २० आदमियों की लिस्ट पेश कर सकता हूं जिनकी १५–१५ और १२–१२ साल की सर्विस है और उनको सरप्लस करके बेरोज-गार कर रखा है।........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री श्रवणलाल : इस तरह से झूठे आश्वासन देकर.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। एक माननीय मंत्री जी जब बोल रहे हों तो उनके बीच में हस्तक्षेप किया जाय उससे बहुत से माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनसे तो मंत्री महोदय का ध्यान हट जायेगा और एक तरफ ही ध्यान चला जायेगा। इसलिए उचित यह होगा कि मंत्री महोदय जब समाप्त कर लें उत्तर को उस समय एक दो प्रश्न हों तो पूछ लें। मैं यह और निवेदन कर दूं कि भैरोंसिंह जी ने

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न पूछ लिया तो सभी माननीय सदस्य इसी समय पूछें यह जरूरी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत फैक्ट्स को तो कान्ट्रेडिक्ट किया ही जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि १५-१५ साल की सर्विस वालों को भी रिट्रेन्च कर दिया। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मुझे बतायें वह कौन लोग हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर १५ साल की सर्विस छोड़ जैसा मैंने कहा है साल भर की सर्विस वाले भी अगर होंगे तो उनको भी एब्जार्ब कर लिया जायेगा। १५ साल की बात तो छोड़ दीजिए। आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, बहस का सवाल नहीं है। आप लिस्ट दे दें उसको चैक-अप कर लिया जायेगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता था कि मांगों के अन्दर इसको भी कहा गया शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सर्विसेस के सबंध में। मैं इसके संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं सन् ५८से६७तक जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों के अन्दर वैसे १२।। प्रतिशत के हिसाब से रिजर्वेशन होता है लेकिन जहां तक क्लास फोर्थ की जो वेकेन्सीज हुई उन वेकेन्सीज के अन्दर ४२, ६० प्रतिशत आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनको क्लास फोर्थ के अन्दर भर्ती किया गया है। इसी प्रकार मिनिस्टिरियल सर्विस के अन्दर २२ पर्सेन्ट........

श्री श्रवणलाल : इसमें एक बात और बता दें।........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं गलत हूं तो आप पूरी जानकारी दे दें तब उसका चैक-अप हो सकेगा। दूसरे जहां तक सबआर्डीनेट सिविल सर्विसेस हैं उनमें १६.२२ प्रतिशत की भर्ती की गई है। सिर्फ गजेटेड के अन्दर ६.६० प्रतिशत हो पाया है और उसमें जितनी पोस्टें होनी चाहिए थीं उसमें कमी रही है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।.......

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रियों में कितने प्रतिशत है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को यह भी बता दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रतिशत काफी ऊंचा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आप रोज ही देखते हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसके अलावा राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है और जल्दी ही इसका निर्णय लेने जा रही है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी अब तक राज-सेवा के अन्दर जो प्रोमोशन के अन्दर पोस्ट हैं उनके अन्दर कोई रिजर्वेशन नहीं है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने उनके वहां पर जिनका डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट नहीं होता है और जिसकी सेलेरी एक सर्टेन लिमिट तक है उस लिमिट तक की पोस्टों के ऊपर उन लोगों को भर्ती किये जाने के बारे में नियम बनाये हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर भी हम नियम बनाना चाहते हैं कि जिन नियमों के अन्तर्गत जहां पर डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट नहीं है और मेक्सीमम फिक्स करके उस मेक्सीमम के नीचे प्रोमोशन रखेंगे जिससे उनको उस जगह पर भी अपार्चुनिटी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कमिशन्ड आफिसर्स थे और जिन कमिशन्ड आफिसर्स को अभी गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की तरफ से रिट्रेन्च किया गया है उसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे भी सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार आर० ए० एस० के अन्दर इस प्रकार के आफिसर्स के लिए २० प्रतिशत स्थान, आर० पी० एस० में ३० प्रतिशत स्थान और अन्य स्टेट सर्विसेज में २० प्रतिशत और सबोर्डीनेट सर्विस के अन्दर भी २० प्रतिशत स्थान इस प्रकार से कमिशन्ड आफिसर्स और दूसरे जो वहां से सरप्लस होकर या रिट्रेन्च होकर आयेंगे उनको इन पोस्टों के अगेन्स्ट में रिक्रूट किया जायेगा और उसके लिए रूल्स बना कर पब्लिक सर्विस कमीशन को यह कहा जा रहा है कि इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट के तौर पर करके इनको जल्दी से जल्दी भर्ती करने की व्यवस्था करे।....

श्री भैरोंसिंह : आपने आर० ए० एस० और आर० पी० एस० में कितनी पोस्ट्स क्रियेट कराई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आंकड़े ईजोली अवेलेबल नहीं हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि रिक्रूटमेन्ट हो रहे हैं यह भी माननीय सदस्यों को पता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं से आंकड़े तो लाये लेकिन आंकड़े अपनी दृष्टि से लाये और अपनी दृष्टि से आंकड़े ला करके इस सदन में कहा कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा है। बिहार का नाम गिनाया, यू० पी० का नाम गिना दिया, उड़ीसा का नाम गिना दिया लेकिन मैं सदन को पूरी तरह से जानकारी देने की दृष्टि से सभी जगह के नाम से वाकिफ करा दूं और उनका पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर क्या आता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है वह बता दूं मैं समझता हूं कि इस खर्च के बारे में स्पष्टता हो जायेगी ।....

तो उन्होंने राजस्थान के बारे में ३.६८ कहा है वह ठीक है । आंध्र ६.५८, आसाम १०.८६, बिहार ३.६३, गुजरात ७.१७, हरियाणा ७.१५, जम्मू और काश्मीर ११.७६, केरल ५.७०, मध्यप्रदेश ६.२३, मद्रास ६.८१, महाराष्ट्र ६.६५, मैसूर में ५.६२, में उड़ीसा में ५.७०, पंजाब में ८.१६, यू० पी० ५.१० और वेस्ट बंगाल में ८.३० । तो इसका मतलब यह हुआ कि पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर के बारे में राजस्थान हिन्दुस्तान में दसवें नम्बर पर है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही नम्बर रिजर्व कर दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि उसमें जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है उस भौगोलिक परिस्थिति में राजस्थान की पर-केपिटा भी दूसरी जगहों से ज्यादा आ गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर जिस अनुपात के बारे में यहां पर चर्चा की गई उस अनुपात को लक्ष्य में रख कर चला जाय तो उसको लक्ष्य में रखकर चलने से जो तस्वीर सामने आती है उस तस्वीर से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार की स्थिति बताई गई है उस प्रकार की स्थिति नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर समय के बारे में चर्चा की गई । पहले ऑफिसर्स का समय ६ बजे से ५ बजे का रखा गया था और बीच में डेढ़ घन्टे के अवकाश का समय रखा था । उसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चा की गई थी, और आज भी चर्चा उठाई गई है । कुछ कट-मोशन्स में भी इसके बारे में जिक्र किया गया । मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इसी महीने से इस तरह के आदेश जारी कर दिये हैं कि दूसरे कर्मचारियों में और किसी भी गजेटेड ऑफिसर्स में कोई समय का फर्क नहीं होगा । सभी लोगों का समय १० बजे से ५ बजे का होगा और इन्टरवेल आधा घन्टे का होगा । इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं, और जो पहले शिकायतें रहती थीं कि समय पर नहीं आते हैं वह सब बातें भी इस सम्बन्ध में नहीं रहेंगी ।

जिलाधीश के समय देने के बारे में भी व्यवस्था है कि जिलाधीश भी इसके संबंध में वक्त देख कर चलें, और उनके लिए हफ्ते में कम से कम एक रोज उनको इस तरह समय इवनिंग या आफ्टरनून में देना चाहिए कि जब कोई भी लोग उनसे आकर कह सकें । इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है । इसके अलावा और भी समय की कोई उसके लिए बात रखता है तो इसके लिए कोई रुकावट नहीं है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय उपाध्यक्षजी, टूरिज्म के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। यह ठीक बात है कि राजस्थान में टूरिज्म का काफी बड़ा स्कोप है। इसमें काफी धन की आवश्यकता है, लेकिन उसके अभाव की वजह से हम हमेशा इसके बारे में प्रयत्नशील हैं कि ए सेक्टर के अन्दर, गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो टूरिस्ट स्पोन्सर्ड सेक्टर होते हैं उसमें जितनी भी धनराशि मिल सके उसके बारे में प्रयत्न किया है। उसके जरिये कुछ लाभ उठाया भी है।

बीच में सवाल उठा था घना के संबंध में कि घना में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। बहुत से लोग-बाग टूरिस्ट वगैरह जो शिकायतें करते हैं तो उसके बाद मैंने भी वहां के बारे में जानकारी की थी, और जो जानकारी की गई है उससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वहां पर पहले के मुकाबले में टूरिस्ट भी इस बार ज्यादा आये, और एक फर्क जरूर पड़ा कि फ्लड्स की वजह से पहले जहां पर एक ही जगह पानी था उसके बजाय अब कई जगह पानी भरा हुआ है, और बर्ड्स अलग-अलग जगह डिस्ट्रिब्यूट हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर टूरिस्ट्स का नम्बर ज्यादा रहा, फारेन टूरिस्ट्स भी कुछ आये। उन्होंने उसके सम्बन्ध में यहां तक कहा है कि यह दुनिया की वन आफ दी बेस्ट सेंक्चुरीज के अन्दर है जिसको कि कई उन लोगों ने देखा है। दूसरे तरीके की कमियां और सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यह ठीक बात है कि और सुविधाएं प्राप्त हो सकें तो ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कई सवाल उठाये हैं कि पानी वहां का चला गया, मैं समझता हूं कि वैसी बात नहीं है, बल्कि वहां पर पहले के मुकाबले में नम्बर बढ़ा है। राजस्थान के अन्दर भी टूरिस्ट पहले के मुकाबले में ज्यादा आने लगे हैं, लेकिन यह ठीक बात है जैसा कि देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि इस सम्बन्ध में धन के जरिये कुछ और चीजों के जरिये जो हमारे यहां की सांस्कृतिक संभावनाएं हैं जो हमारे यहां का पोटेन्शियल है, उन सब चीजों को लक्ष्य में रखते हुए हम ज्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है। उसके बारे में अब जो योजना बनने वाली है उस योजना में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि राजस्थान में टूरिज्म के लिए भी और ज्यादा व्यवस्था की जा सके।

टूरिस्ट कार्स के लिए हम चाहते हैं कि जहां टूरिस्टों को आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा सकें। इसके बारे में एक बार प्रश्न भी आया था उस वक्त भी मैं यह जिक्र कर चुका था कि कुल मिलाकर जो इसकी चर्चा थी और मन्त्रीजी का सवाल है तो टूरिस्टों के लिए ८४ हजार माइल्स के ऊपर और दूसरे मिनिस्टर्स के लिए ३५ हजार माइल्स के करीब इनका उपयोग हुआ है। जब खाली होती है तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उपयोग करने की बात रहती है। वैसे हम यह चाहते हैं कि टूरिस्ट्स इसका ज्यादे से ज्यादा उपयोग करें।

कुछ कट-मोशन्स इस बात के लिए भी आये है कि जो मिनिस्टर्स को लोन्स एण्ड एडवान्सेज दिये गए हैं उसके बारे में जानकारी चाही गई। वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्स के लिए खास तौर से लोन्स वगैरह दिये गये थे उसमें मालूम हुआ है कि सब लोग अपनी किश्तों को जमा करते हुए चले जा रहे हैं। जो मिनिस्टर पहले थे और जो आज मिनिस्टर नहीं हैं उन लोगों में से जिनसे बकाया रकम वसूल करनी है उनमे केवल दो ही व्यक्ति, कुंभारामजी और घासीरामजी हैं। कुम्भारामजी में १८००० रु० की वसूली बाकी है और घासीरामजी में १५ हजार की बाकी है। दोनों को लिखा गया है तो या कार जमा करा दें या इसके बारे में पेमेन्ट की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि उसका रास्ता कुछ न कुछ निकल जायगा जिनकी वजह से ये चीजें भी दूर हो जायेंगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान में लोग-बाग....

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने गाड़ी जमा कराने का पहले आफर दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनसे कहा गया है लिख कर कि गाड़ी भेज दें आप गैराज में।

श्री दौलतराम सारण : कब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कभी का और गाड़ी अभी आई नहीं।

मैं, उपाध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में एफिशियन्शी लाने के बारे में मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट शुरू की गई है, और उसके अन्दर फाउन्डेशन कोर्स शुरू किया गया है, रिफ्रेशर्स कोर्स का इन्तजाम किया गया है, और सर्विसेज के लिए जो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है वह गवर्नमेंट की सर्विस में आने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने के लिहाज से हिन्दुस्तान में राजस्थान ने पहल की है जहां कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है, और अब जाकर मैसूर में और कुछ दूसरी जगहों पर इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। यह इसी लिहाज से किया गया है कि इससे विभिन्न सर्विसेज की एफिशियन्सी को ज्यादा इम्प्रूव कर सकें तो इसको इम्प्रूव करने के बारे में कोशिश की जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने ओवर-टाइम गवर्नमेंट इम्प्लाईज को देने के बारे में कट-मोशन्स प्रस्तुत किये हैं। ज्यादा टाइम तक काम करें उनको ओवर-टाइम दिया जाना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर है । उसके अलावा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर नहीं है । लेकिन फिर भी हमने कुछ मौकों पर ज्यादा समय तक अगर किसी कर्मचारी को रोका जाता है काम के लिए तो उनको एडहाक उस समय के लिए जैसा कि बजट के लिए या प्लानिंग के लिए या और किसी मौके के लिए ऐसी दिक्कत आये तो उनके लिए स्पेशल एलाटमेंट किया जाता है । इसके बारे में भी इन्तजाम किया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विधान सभा में जो रक्षक आते हैं उनको कोई ओवर-टाइम नहीं दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एप्रोप्रियेशन बिल....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्रीजी असेम्बली में जो क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स हैं जो किसी तरह रात के ११-११ बजे तक डाक पहुंचाते हैं उन लोगों को आप कुछ देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : असेम्बली का प्रश्न अलग है । इसमें नहीं किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : इस के साथ में यह भी बता दें कि यह जो स्पेशल एलाउन्स आप देते हैं लाखों रुपयों की तादाद के अन्दर में, जिन आई० ए० एस० ऑफिसर्स को आप सेक्रेटेरियेट में लगाते हैं उनको वह एलाउन्स देते हैं तो इसके पीछे क्या रहस्य है ? वह क्यों नहीं बन्द किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आल इण्डिया सर्विसेज रूल्स के अन्दर का इस बात का प्रोवीजन है कि जो आई० ए० एस० ऑफिसर कलेक्टर को तौर पर मुकर्रर किया गया है उसको कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है । लेकिन कलेक्टर्स के अलावा सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज या और किसी पोस्ट पर एपॉइन्टमेन्ट किया जाय तो हिन्दुस्तान भर में उनको एलाउन्स दिया जाता है उसी बेसिस पर राजस्थान में भी दिया जाता है । राजस्थान की व्यवस्था दूसरी या अलग नहीं है । इसी प्रकार जब कोई सुपर टाइम स्केल में चला जाता है तो यह एलाउन्स बन्द हो जाता है ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप इसका विरोध क्यों नहीं करते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आल इण्डिया रूल्स के अनुसार पेटर्न बना हुआ है ......

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको तनख्वाह काम करने के लिये दी जाती है फिर एलाउन्स किस बात का ? आप इसका विरोध करिये दूसरे करें न करें ।

श्री दौलतराम सारण : ३५ लाख पर बिन्दी लगती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को जो बहस बजट के जनरल डिस्कशन के मौके पर उठानी चाहिये थी या एप्रोप्रियेशन बिल के मौके पर चर्चा करनी चाहिये थी वह पता नहीं आज क्यों उठाना ठीक समझा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तनख्वाह चुकाने के लिये और मामूली खर्चे के लिये ८७ करोड़ करीब का कर्जा कर लिया है पिछले वर्ष में। मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में मैं पूरे डिटेल्स तो एकत्रित नहीं कर पाया हूं फिर भी जो कुछ इन्फार्मेशन है उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि प्लान के अगेन्स्ट में ४४.४ करोड़ का खर्चा हुआ। दूसरा उसमें १७ करोड़ के करीब जो लोन्स फेमिन के थे वे फेमिन के लिये खर्च हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जो नान प्लान डवलपमेन्ट केपिटल टाइप के एक्सपेन्डिचर हैं वह भी थे। यह सारा खर्चा तनख्वाह चुकाने के लिये ही किया गया है ऐसा नहीं है। जो प्लान के अगेन्स्ट में बात आती है उसमें भी किया है। हम चाहते हैं कि खर्चा रेवेन्यू साइड में नहीं किया जाय, अच्छी स्थिति यह है कि केपिटल साइड में जाय लेकिन जो वित्तीय स्थिति रही है उसमें यह कदम उठाना पड़ा है। म्युनिसिपेलिटीज और पंचायतों वगैरह को सहायता के लिये कहा गया है वह भी इसमें आता है। ये सारे आंकड़े उसमें खर्च हो गये यह मानने का प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि भूतपूर्व आई. जी. पी. को फेवर करने के लिये सूरतगढ़ फार्म में लगा दिया और जो एक मिनिस्टर थे पहले उनको पी. एस. सी. में लगा दिया। जहां तक आई० जी० पी० का सवाल है, न तो राजस्थान स्टेट ने उनको रिकमन्ड किया और न सूरतगढ़ फार्म हमारे अंडर में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सलेक्ट किया और लगाया, राजस्थान का इससे तालुक नहीं है।..........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने रिकमन्ड नहीं किया, स्टेट गवर्नमेन्ट की कोई सलाह नहीं ली, राय भी नहीं ली ?

श्री विजयसिंह रावत : क्या वे खराब थे इसलिये आपने रिकमन्ड नहीं किया ? अच्छा आदमी था तो रिकमन्ड करना चाहिये था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अच्छा आदमी हमारा एक जगह रिएम्पलोइड होता है तो हमको खुशी होनी चाहिये। हमको पूछते तो हम भी कहते कि अच्छा आदमी है। लेकिन उनका अधिकार था उन्होंने एपॉन्ट किया, हमें खुशी है। यह उनका जुरिस्डिक्शन है। आगे एक्सटेंशन देनी चाहिये या नहीं यह उनका पी. एस. सी. करता है। हमारे यहां रिएम्पलॉयमेंट नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देते हैं। यह जहां से ताल्लुक रखता है उसको समझने की बात आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिएम्पलॉयमेन्ट राजस्थान में करने का सवाल है, अभी कहा गया कि श्री कॉल को सैटलमेन्ट में रिएम्पलॉय किया। मैं जानकारी देता हूं कि उनको सैटलमेन्ट में रिएम्पलॉय नहीं किया। राजस्थान में रिएम्पलॉय किया है एक श्री भटनागर को जो एग्रीकल्चर में हाई ब्रीड के हिन्दुस्तान में माने हुए साइन्टिस्ट हैं। दूसरा रिएम्पलॉय किया है संस्कृत शिक्षा के डाइरेक्टर को जो अपने प्रकार के एक ही विद्वान् हैं सारे भारतवर्ष में, उनको किया है। इसी प्रकार एक मि. डंडिया हैं जिनकी एग्जामिनेशन्स समाप्त हों तब तक कि अवधि के लिये बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्युकेशन में अवधि बढ़ाई गई है और रीएम्पलोयमेन्ट दिया गया है। जो प्रेमशंकर जी को रिएम्पलॉय किया गया था उनकी सर्विसेज टर्मीनेट कर दी गई हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर को लेक्चरार के तौर पर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में रखा गया है। वे एक जज थे। वहां पर सर्विस पर लगा हुआ कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता था इसलिये ६ महीने या कुछ पीरियड के लिये रिएम्पलॉय किया गया है। इनके सिवाय हमने बराबर प्रयत्न किया है कि ज्यादा रिएम्पलॉयमेन्ट नहीं करें। एक मि. प्रकाशम् हैं जो प्रतापसागर में चीफ इंजीनियर हैं उनको रिएम्पलॉयमेन्ट दिया है इसलिये कि प्रताप सागर का काम पूरा हो जाय विशेष तौर से जब कि मि. चारमी चले गये...........

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिये २७ हजार रु० का चन्दा इकट्ठा करके भेजा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो वास्तविकता का आधार नहीं है, पूरा जब तक पता नहीं चले तब तक इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये। यह एक बात निश्चित है कि क्योंकि चंदा इकट्ठा किया गया या नहीं, किसने किया किसने नहीं किया जब तक वास्तविक बात का जवाब देने वाला सामने नहीं हो तब तक इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है।........

श्री कृष्णकुमार गोयल । उनके हस्ताक्षरों से लिखे हुए पत्र से ज्ञात है ।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम कैसे कह सकते हैं, उनके कहने से हुआ या नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप उसकी जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया । मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा कोटा के रहने वाले जानते हैं कि राजनीति में नहीं है । क्रिटिसाइज करना छोड़ कर असलियत की ओर जाना चाहिये ।....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने डोक्युमेन्ट्री प्रूफ दिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कांग्रेस के समर्थक हैं या नहीं सच्चाई से चलेंगे तो आप भी मानेंगे........

श्री देवीदत्त गाडिया : उन्होंने २७०००) रु० कांग्रेस अधिवेशन के लिये दिये उनके हस्ताक्षरों सहित पत्र दिया है उसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर है, अच्छा काम करता है, उसके लिये न मालूम किधर से कुछ मिल गया, उसके लिये एक्सप्लेनेशन यहां देने का नहीं है । वह रात दिन काम करता है उसको क्रिटिसाइज करके कहते हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : डाक्टर सरिन को रिएम्पलॉय किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह आनरेरी केपेसिटी में एडवाइजर हैं, it is not re-emqloyment मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयपुर के माननीय सदस्य ने हमेशा के मुताबिक यादव जी के बारे में कहा और जनरली सब के बारे में कहा । मैं समझता हूं जिसके बारे में कहा शायद वह कोर्ट में चल रहा है, मामला सब-जुडिस है इसलिये उस बारे में मैं यहां कुछ कहूं तो उचित नहीं होगा । यादव जी ने कहा था कि यह गलत बात है, उनके यहां कोई नहीं ठहरा । इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्पेसफिक इन्सटान्सेज सामने आवें और कुछ कहा जाय तो कार्यवाही करने में कमी नहीं झिझकेंगे । लेकिन जनरल बात आती है तो उस पर एक्शन लेने की बात कितनी हो सकती है, एक क्रिमिनल को भी आज के विधान में यह अधिकार है कि सच हो, या झूंठ हो जब तक प्रूव नहीं हो जाय तब तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो महरबानी करके मिनिस्टर्स को वेग आर्युग्मेन्ट्स के जरिये जलील करने का प्रयत्न न करें ।........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यादवजी के खिलाफ डोक्युमेन्टरी प्रूफ है उन्होने ५)रु० बिजली के, १०) टेलिफोन के और हाउस रेन्ट लिया........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने यह भी कहा था कि जब चार्ज लिया था तब उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देते हैं। यह जहां से ताल्लुक रखता है उसको समझने की बात आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिएम्पलॉयमेन्ट राजस्थान में करने का सवाल है, अभी कहा गया कि श्री कॉल को सेटलमेन्ट में रिएम्पलॉय किया। मैं जानकारी देता हूं कि उनको सेटलमेन्ट में रिएम्पलॉय नहीं किया। राजस्थान में रिएम्पलॉय किया है एक श्री भटनागर को जो एग्रीकल्चर में हाई ब्रीड के हिन्दुस्तान में माने हुए साइन्टिस्ट हैं। दूसरा रिएम्पलॉय किया है संस्कृत शिक्षा के डाइरेक्टर को जो अपने प्रकार के एक ही विद्वान हैं सारे भारतवर्ष में, उनको किया है। इसी प्रकार एक मि. डंडिया हैं जिनकी एग्जामिनेशन्स समाप्त हों तब तक कि अवधि के लिये बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्युकेशन में अवधि बढ़ाई गई है और रीएम्पलोयमेन्ट दिया गया है। जो प्रेमशंकर जी को रिएम्पलॉय किया गया था उनकी सर्विसेज टर्मीनेट कर दी गई हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर को लेक्चरार के तौर पर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में रखा गया है। वे एक जज थे। वहां पर सर्विस पर लगा हुआ कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता था इसलिये ६ महीने या कुछ पीरियड के लिये रिएम्पलॉय किया गया है। इनके सिवाय हमने बराबर प्रयत्न किया है कि ज्यादा रिएम्पलॉयमेन्ट नहीं करें। एक मि. प्रकाशम् हैं जो प्रतापसागर में चीफ इंजीनियर हैं उनको रिएम्पलॉयमेन्ट दिया है इसलिये कि प्रताप सागर का काम पूरा हो जाय विशेष तौर से जब कि मि. चार भी चले गये...........

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिये २७ हजार रु० का चन्दा इकट्ठा करके भेजा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो वास्तविकता का आधार नहीं है, पूरा जब तक पता नहीं चले तब तक इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये। यह एक बात निश्चित है कि क्योंकि चंदा इकट्ठा किया गया या नहीं. किसने किया किसने नहीं किया जब तक वास्तविक बात का जवाब देने वाला सामने नहीं हो तब तक इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है।........

श्री कृष्णकुमार गोयल । उनके हस्ताक्षरों से लिखे हुए पत्र से ज्ञात है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम कैसे कह सकते हैं, उनके कहने से हुआ या नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप उसकी जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा कोटा के रहने वाले जानते हैं कि राजनीति में नहीं है । क्रिटिसाइज करना छोड़ कर असलियत की ओर जाना चाहिये ।....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने डोक्युमेन्ट्री प्रूफ दिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कांग्रेस के समर्थक हैं या नहीं सच्चाई से चलेंगे तो आप भी मानेंगे........

श्री देवीदत्त गाडिया : उन्होंने २७०००) रु० कांग्रेस अधिवेशन के लिये दिये उनके हस्ताक्षरों सहित पत्र दिया है उसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर है, अच्छा काम करता है, उसके लिये न मालूम किधर से कुछ मिल गया, उसके लिये एक्सप्लेनेशन यहां देने का नहीं है । वह रात दिन काम करता है उसको क्रिटिसाइज करके कहते हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : डाक्टर सरिन को रिएम्पलॉय किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह ओनरेरी केपेसिटी में एडवाइजर हैं, it is not re-emqloyment मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयपुर के माननीय सदस्य ने हमेशा के मुताबिक यादव जी के बारे में कहा और जनरली सब के बारे में कहा । मैं समझता हूं जिसके बारे में कहा शायद वह कोर्ट में चल रहा है, मामला सब-जुडिस है इसलिये उस बारे में मैं यहां कुछ कहूं तो उचित नहीं होगा । यादव जी ने कहा था कि यह गलत बात है, उनके यहां कोई नहीं ठहरा । इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्पेसफिक इन्सटान्सेज सामने आवें और कुछ कहा जाय तो कार्यवाही करने में कभी नहीं झिझकेंगे । लेकिन जनरल बात आती है तो उस पर एक्शन लेने की बात कितनी हो सकती है, एक क्रिमिनल को भी आज के विधान में यह अधिकार है कि सच हो, या झूंठ हो जब तक प्रूव नहीं हो जाय तब तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो महरबानी करके मिनिस्टर्स को वेग आर्युमेन्ट्स के जरिये जलील करने का प्रयत्न न करें ।........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यादवजी के खिलाफ डोक्युमेन्टरी प्रूफ है उन्होने ५)रु० बिजली के, १०) टेलिफोन के और हाउस रेन्ट लिया........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने यह भी कहा था कि जब चार्ज लिया था तब उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैं पहले ही जानता था कि यादवजी के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकेंगे। यह आपकी वीकनेस है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इसलिए निवेदन किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ले नहीं सकते !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत सी बातें उठीं, उनके सम्बन्ध में संक्षेप में मैंने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उससे ज्यादा में और कुछ कहूं, मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो अपने कट मोशन्स प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वह वापिस ले लेंगे और इस मांग को एकमत से पास करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं माननीय मुख्य मन्त्री से एक बात निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : (श्री मदनसिंह दांता और श्री सूवालाल चौधरी के साथ बोलने पर) दोनों की बात का एक साथ कैसे सुनेंगे ?

श्री सुवालाल चौधरी : मैंने तो एक बात कही थी कि आपका नाम लेकर एक लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया।

श्री मदनसिंह : मुझे एन्टीकरप्शन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा है कि किसी ने मेरे नाम से रुपया लिया है—यह बात दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने कही....

श्री सुवालाल चौधरी : जी हां, मैंने कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अच्छा हां, आप मेरे को लिख हुआ दे दें तो मैं रेग्युलर इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करवा दूंगा।

श्री मदनसिंह : एन्टी करप्शन के अन्दर पिछले तीन साल के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ मैंने आरोप लगाये हैं और उनको मय फोटोग्राफ के पेश किया है, सदन के अन्दर मय फोटोग्राफ के पेश किया है, उनके बारे में क्या जो एन्टी-करप्शन के इन्क्वायरी ऑफिसर हैं उनको एन्क्वायरी करने के लिए भेजा है ? मैंने उसके सम्बन्ध में........

श्री जयनारायण सालोदिया : किस से पूछ रहे हैं ? व्यस्त हैं मुख्यमन्त्री जी। ··

श्री मदनसिंह : फिर से कहूं। एन्टी-करप्शन को भेजने के लिए जितने सबूत पेश करने चाहिए वह उन आफिसर के खिलाफ मैंने पेश किये हैं। मैं समझता हूं कि एन्टी-

(श्री मदनसिंह)

करप्शन में भेजने की आपकी मन्शा हो तो उसके और सबूत दूं। वैसे मैंने खुद ने अपना फोटोग्राफर लगा कर, जो उन आफिसर के घर से माल बरामद कराया, नाज के और जीप के सम्बन्ध में जो जांच करनी थी, उसके मय फोटो, मय घर के फोटो के पेश किया है। लेकिन उनको एक-एक साल तक दबाया गया है। उसका कारण यह है कि एन्टी करप्शन में भी उनके रिलेशन्स बैठे हैं और इस कारण जो बड़े आफिसर हैं उनके कागजात दब जाते हैं। इससे जो इन्क्वायरी कराने वाला एम. एल. ए. होता है वह पशोपेश में पटक दिया जाता है। तो जिनकी इन्क्वायरी के लिए मैंने लिखा है उन आफिसर के खिलाफ एन्क्वायरी करा सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य ने एक आध....

श्री मदनसिंह : एक आध नहीं है कई आई. ए. एस. हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मामला बताया, उसके सम्बन्ध में खुद जानते हैं, आपने उस मामले में मदद की तो हमने भी मदद की। वह चार्ज साबित हुए नहीं यह आपको पता है।

श्री मदनसिंह : आपके वाटर वर्क्स सीकर के अन्दर आफिसर हैं उसके सम्बन्ध में आप जानते हैं।

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : होम का प्रश्न आये तब बता देना।

श्री मदनसिंह : मैं बता देता हूं, उसमें एन्टी करप्शन की जरूरत नहीं है, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, ऐसे वह पकड़े गये हैं, उनके फोटो ग्राफ हैं, जीप नम्बर हैं, फिर एन्क्वायरी क्यों नहीं की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप दे दीजिये, उस पर कार्यवाही करवायेंगे।

श्री श्रवणलाल : आपने बतलाया कि ४२ पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के अन्दर लिये गये हैं, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि इसके अन्दर म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जो कर्मचारी हैं वह भी शामिल हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, यह गवर्नमेंट एम्पलाइज का पर्सेन्ट है, जयपुर म्यूनीसिपेलिटी का नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्य कर्मचारियों ने ज्ञापन गवर्नमेंट को दिया था, उस सम्बन्ध में स्पष्टतया नहीं बताया कि क्या-क्या मांग थीं और उनके बारे आपने क्या किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट के एम्प्लाइज ने रिप्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

को दिया, एक महीने भर पहले कलेक्टर्स को भी दिया। उसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि क्या उसके बारे में स्टेप्स लिये जायें, स्टेप्स लेना आवश्यक है या आवश्यक नहीं हैं। बहुत सी मांगों के बारे में तो शायद स्टेप्स न लिये जायें। लेकिन अभी एक्जामिनेशन की स्टेज पर है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूँगा कि मंत्री, उप मन्त्री, राज्य मन्त्री का जहां तक प्रश्न है, वह दौरा करें वह सही है, क्योंकि वह जनता को सुन सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं लेकिन संसदीय सचिव दौरा करते हैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का, यह कहां तक उपयुक्त है, इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया : इनके पास कोई काम भी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दौरे के लिए हमने मन्त्री, उप मन्त्री, राज्य मन्त्री और संसदीय सचिव के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी है। वह अपने विभाग के काम काज की जानकारी के लिए इधर उधर जाते होंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सीमा कितनी है, महीने में कितने दिन ?

श्री दिग्विजयसिंह : वह दौरे पर जाते हैं लेकिन उनकी कोई अधिकारी बात नहीं मानता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : संसदीय सचिव के पास कौनसा काम है ? जिस तरह जगह-जगह मांगते फिरते हैं उस तरह फिरते हैं। इनके पास कोई काम है नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : इनकी बात कलेक्टर तक नहीं मानते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मन्त्री....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मन्त्री का ध्यान माखरा क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि माखरा क्षेत्र में सैंकड़ों की तादाद में ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकारी कर्मचारियों ने जमीन के मामले में भ्रष्टाचार किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है। कृपया जो चर्चा में विषय नहीं आया है वह नहीं उठायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी आप इन्क्वायरी करायें और जिम्मेदारी के साथ में इसकी जांच करायें तो मैं साबित करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कल मांग आ रही है, उस समय प्रस्तुत करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकारी भूमि को जो नीलाम किया है उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । मैं आशा करता हूं कि इस पर आप कार्यवाही करेंगे। और इसके सबूत के रूप में यह उनका....

श्री उपाध्यक्ष : इसको अभी जेब में रख लीजिये । कल इरिगेशन की डिमांड आ रही है उस समय प्रस्तुत करें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे पूछने हैं एक दो प्रश्न ।

एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो सीमा निर्धारित की है, दौरे के लिए तो वह महीने में दस दिन है, पांच दिन है, कितने दिन निश्चित किये हैं ? कम से कम पच्चीस दिन तक तो वह टिक कर काम करें एक यह बात है ।

दूसरी बात निवेदन करता हूं कि जो विशेष प्रिवलेज मिला हुआ है, बिजली का, पानी का, तो क्या इन लोगों के बंगलों पर मोटर लगा कर इनसे पैसा ले सकते हैं जिससे थोड़े खर्चे में तो कमी हो । वहां लगा सकते हैं तो एम. एल. ए. भी सोच सकते हैं कि वह इस प्रिवलेज का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो हम भी जितना आता है उतना दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एम. एल. एज. का सबने मिल कर सोचा था कि बिजली पानी पर प्रतिबन्ध नहीं रखें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मान लीजिये, इन्होंने सोच लिया, तो आप अपनी तरफ से सोच लीजिये, मन्त्री अपनी तरफ से नहीं करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कट-मोशन के लिए समय नहीं मिला, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं.... ...

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रेमचन्द शर्मा जैसे आदमी का रिटायरमेंट होने के बाद अपॉइन्टमेंट किया गया है । वह अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकान्त जी का जो सूरजमल औषधालय........(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री : बेटे से बाप की उम्र कम बताई है । मैं कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री : बेटे से बाप ने पच्चीस वर्ष कम उम्र दिखा कर एपॉइन्टमेंट लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उनकी एक मांग थी कि उनको अनाज खरीदने के लिए कुछ एडवान्स दिया जाय। दूसरी मैडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में मांग है। मैडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में जो मौजूदा पालिसी है, जिसके अन्दर कुछ लोग तो चाहे जितना पैसा ले जाते है और कुछ को वास्तविक भी नहीं मिलता है। उनकी मांग है कि एक फिक्स्ड एमाउन्ट उन्हें मिले उन बीमारियों के अलावा जो लम्बी बीमारी होती हैं। क्या गवर्नमेंट इस बारे में विचार करेगी, मुख्य मन्त्री जी कोई घोषणा करेंगे। मैं समझता हूं कि यह उनकी स्टेंडिंग मांग है, जायज मांग है क्योंकि आज मैडिकल रिएम्बर्समेंट में गड़बड़ी हो रहा है। जो दूर के गांव में हैं एम्प्लॉइज और अनइन्फ्लूएन्शल हैं उनका रियल एक्सपेंसेज भी नहीं मिलते हैं और जो इन्फ्लूएन्शल हैं वह नाजायज तौर पर रुपया ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ बी क्लास के सिटी हो गये हैं, उनकी सिटी अलाउन्स की मांग लगातार रही है। अलवर का मैंने क्वेश्चन भी दिया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि विचाराधीन है। काफी समय हो गया है उस पर विचार करते हुए। आप गंगानगर को दे चुके हैं जब कि गंगानगर की आबादी अलवर से कम है। उस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब मतलब की बात कही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि यह बातें एक्जामिनेशन में हैं। इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मनोहरसिंह मेहता के खड़े होने पर) बार-बार प्रश्न नहीं पूछ सकते। बार-बार प्रश्न पूछेंगे तो इसका अन्त नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे एक प्रश्न पूछना है........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी प्रश्न पूछ लिये गये हैं। अब कौनसा प्रश्न रह गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न हो, लेकिन जो चर्चा में नहीं आया है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कट मोशन था, इनका रिप्लाई नहीं मिला और

(श्री देवीदत्त गांडिया)

मुझे उन पर बोलने का टाइम भी नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने सीविल जजेज की पोस्ट के लिए कहा कि जगह-जगह पर डिस्ट्रिक्ट जजेज के साथ मिलाया है, उसके बारे में मुझे पूछना है कि रिवीजन करने का, अपील करने का अधिकार पांच हजार के ऊपर........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो जब विधि मंत्री बोल चुके उसके बाद में पूछिये। मुझसे क्यों पूछते हैं।

श्री बरक्कतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री जयनारायण सालोदिया : सब को खुश होकर जेल में भेज देंगे।

श्री बरक्कतुल्ला खां : नहीं ऐसा नहीं........

श्री जयनारायण सालोदिया : तभी तो पहले से ही तालियां बजा रहे हैं।

श्री बरक्कतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे देश के अन्दर न्याय या इन्साफ की अपनी एक मुकाम और जगह थी। हिन्दुस्तान की आजादी से पहले हमेशा इस बात की चर्चा की गई थी कि हमारी अदालतें इन्साफ पसन्द हों केवल यही नहीं होना चाहिये बल्कि दुनियां को महसूस होना चाहिये कि किसी का उन पर दबाव नहीं पड़ रहा है। इसलिये यह तय किया कि जूडिसियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हों। उसी को लेकर भारत सरकार ने लॉ कमिशन एपॉइन्ट किया और राजस्थान सरकार ने राणावत कमेटी को एपाइन्ट किया। उस आधार पर हमने पहले यह एक्शन लिया कि कुछ इलाकों में जूडिसियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया और अब राज्य सरकार ने फैसला किया कि जूडिसियरी को एग्जीक्यूटिव से बिलकुल अलग कर देते हैं।

यह स्टेज पहली स्टेज है। इसको कम्प्लीट करने के बाद में जो इससे एवेल्यूएशन्स होंगे उसके बाद यह किया जायगा कि दूसरे एक्ट्स को जूडिसियल मजिस्ट्रेट के पास दें। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते कि सारा काम एक साथ ट्रान्सफर कर दें और उससे किसी तरह की दिक्कत और गड़बड़ी हो। आई० पी० सी० के सारे के सारे केसेज, सिवाय प्रिवेन्टिव सेक्शन्स, १०७, १०९, ११०, १४४ और १४५ के, जूडिसियरी को ट्रान्सफर कर देते हैं और एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई हाथ नहीं रहता।

(श्री बरकतुल्ला खां)

मैं समझता हूं, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि राजस्थान ने यह कदम पूरे हौसले के साथ और तरीके के साथ उठाया है। और इस तरीके को पूरा करने के लिये हम राजस्थान के सब लोगों का सहयोग चाहते हैं।

यह मैं जानता हूं कि जब सेपरेशन किया जाता है तो उसमें खर्चा बढ़ता है। इस सेपरेशन को करने में १४ नये कोर्ट्स खोले जायेंगे, ४ जगह एडीशनल कोर्ट्स किये जायेंगे, इसका खर्चा पड़ेगा। पर इस खर्चे के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा कि आम जनता को सहूलियत के साथ सस्ता न्याय मिल सके। उसको आप तीन ही तरह से कर सकते हैं। एक तो यह कि अदालतें दूर न हों, दूसरा यह कि कोर्ट फीस कम हो और तीसरा तरीका यह कि वकीलों की फीस कम की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, बढ़ानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो हाई कोर्ट हों।

श्री मूलचन्द डागा : वकीलों की फीस तो बढ़ानी चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो नहीं कहता कि कम करनी चाहिये, पर ये सस्ता न्याय मिलने के तरीके बताये हैं। जिन जगहों पर अदालतों की सहूलियत नहीं है वहां अदालत की सहूलियत दें।

पर यह समझना कि कोर्ट फीस को कम कर दें तो न्याय सस्ता हो जायगा तो इसके लिये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अन्दर जहां लोग लेन-देन का बिजनेस करते हैं, आपसी झगड़े हो जाते हैं, जमीन-जायदाद के और दूसरी तरह के झगड़े हो जाते हैं, आपस में इन मामलों को लेकर मन-मुटाव हो जाता है, तो ऐसी हालत में कोर्ट फीस को कम कर देने से लिटिगेशन भी बहुत बढ़ सकता है, तो जो रिलीफ आज इस तरह की व्यवस्था से देना चाहते हैं, वह तो मिलना दूर रहा, उल्टे एक अभिशाप के तौर पर सामने आ सकता है। तो यह तो मैं समझता हूं सिवाय सोवियत यूनियन के या कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज में जहां प्राइवेट वकीलों को इजाजत नहीं है, जहां हर एक के लिये सरकार की तरफ से एक वकील खड़ा कर दिया जाता है, वहां शायद मुमकिन हो सकता है पर जहां लीगल सिस्टम का इतना एलोबोरेट फॉर्मूला हमारे कान्स्टीट्यूशन के तहत गारन्टी किया हुआ हो उसमें इस तरह का रफ मेथड यूज करेंगे तो हमारे यहां जूडिशियरी की जो परम्परा आज जमी है, वह बिखर जायगी। हमारे यहां जस्टिस का फॉर्मूला एप्रोच है, उसको मेंटेन करते हुए कॉन्स्टीट्यूशन ने जो गारन्टियां दी हैं,

(श्री बरकतुल्ला खां)

उनको रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि प्रोसीक्यूशन होते वक्त जिसको सजा मिलनी चाहिये थे, वह प्रोसीक्यूशन के प्रोसीजर की खामियों की वजह से बच नहीं जाय। इसके लिये सुझाव आये तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसके लिये एक कमेटी एपॉइन्ट कर दी गई है जिसके एडवोकेट जनरल आफ राजस्थान, चेयरमैन हैं, प्रोसीक्यूशन का एक डाइरेक्टोरेट बनाने और प्रोसीक्यूशन की अलग रूपरेखा, अलग ढांचा रखा जाय, जिससे उस पर किसी दूसरी चीज का असर न हो सके, इसके बारे में वह कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वह कमेटी कब बनी है और कब तक अपना काम पूरा करके रिपोर्ट दे देगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : कमेटी बने पांच, छः महीने हो गये हैं, सही टाइम तो इस समय मुझे मालूम नहीं, और कुछ समय लगेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस कमेटी की कोई प्रोग्रेस तो नहीं हुई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह कमेटी इससे ताल्लुक का डेटा इकट्ठा कर रही है, पांच, छः महीने से काम शुरू हो गया है, आपस में डिस्कशन्स चल रहे हैं।

इसी तरीके से जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया, मैं यकीन दिलाता हूं कि राज्य सरकार का यह निर्णय कि जितने केसेज हैं, जिनमें सजा मिल सकती है, वे मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास चले जाने चाहिये, पर यह पहला स्टेज कम्प्लीट करके फिर दूसरे स्टेज पर जायेंगे।

जहां तक जूडिसियल ऑफीसर्स के ग्रेड का ताल्लुक था, उसके बारे मे जिक्र करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के मन में यह शका है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यह सेपरेशन कर रहे है, वह वेलिड है या नहीं इसके लिये मैं राणावत कमीशन की ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, राणावत कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना है पेज २३, पेराग्राफ ६७ में यह साफ तौर से माना है कि यह जरूरी नहीं है कि सेपरेशन कोई एक्ट लाकर किया जाय। वरना अलट्रावायर्स होगा, ऐसी बात नहीं है। मद्रास ने इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया है, इसलिये इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर एक्ट लाया जाय तो इतना मजबूत लाया जाय कि उसमें किसी तरह के एमेंडमेंट की जरूरत पेश न आये, वह एक कम्प्लीट, कम्प्रिहेन्सिव एक्ट ला कर किया जाय, जिसमें कि फिर संशोधन नहीं करना पड़े।

(श्री बरकतुल्ला खां)

जहां डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जजेज और सिविल एण्ड एडीशनल सेशन जजेज का ताल्लुक था, जहां और सर्विसेज में है, इसमें थ्री टायर सिस्टम माना गया है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स, सिविल जजेज, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जजेज, एडिशनल सेशन जजेज, इनके सम्बन्ध में लॉ कमिशन की रिपोर्ट की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसा मेरे लायक दोस्त जयपुर से आने वाले माननीय ने कहा था, उस रिपोर्ट के पेज २०१ पर इस बात को क्लीयर किया है ...

श्री सतीश चद्र अग्रवाल : बहुत पहले कहा था।

श्री बरकतुल्ला खां : बहुत पहले कहा था और क्लीयर कहा था कि जब डिपार्टमेंट एक है, रेस्पोन्सिबिलिटी एक है, काम एक है तो फिर तनख्वाहें दो क्यों हैं ? तनख्वाह में फरक क्यों है ? मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि भले ही इसमें देर हुई हो पर। "देर आयद दुरुस्त आयद" के मुताबिक एक सही काम को हमने किया है।

जहां तक सिविल जजेज के ग्रेड्स का सवाल है पे कमीशन में उनका केस रेफर कर दिया है। उसके सम्बन्ध में पे कमीशन की रिकमन्डेशन्स आने पर राज्य सरकार उस पर गौर करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिफरेंस हो गया सिविल जजेज और डिस्ट्रिक्ट जजेज में।

श्री बरकतुल्ला खां : लॉ कमीशन की रिकमण्डेशन आ चुकी थी इसलिये उसको मानने के अन्दर आपत्ति नहीं थी। चूंकि आर. ए. एस., आर. जे. एस. में एक तरह का सम्बन्ध रहना चाहिये। सिविल जजेज के सवाल को पे कमीशन को भेज दिया है, जैसे ही वहां से रिकमण्डेशन आयेगी वैसे ही उस पर फैसला कर लिया जायगा।

(७ म० प०)

इसी तरीके से मैं समझता हूं कि आज सदन के अन्दर जुडीश्यरी के बारे में विचार हुआ था और कुछ करप्शन के बारे में जिक्र हुआ। लोवर कैडर के अन्दर खास तौर से मिनिस्ट्रियल स्टाफ में अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसके लिए जिला विजिलेन्स कमेटी बनाई गई है जिसका चेयरमेन जिला व सेशन्स जज होता है। बारका एक नामिनी उस पर होता है और एक सीनियर जुडीश्यल आफिसर उस पर होता है, और यह कमेटी बैठ कर शिकायतों को देखती है। मैं समझता हूं कि एक बार श्री दुर्गालाल जी भी उस पर रह चुके हैं........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मीटिंग्स कितनी होती है ? इससे कोई लाभ नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो रेट्स हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ के वे तो वही हैं जैसे नकल का एक रुपया, रिहाई का आर्डर ५ रुपया और मिसल देखनी हो तो २) । उसमें तो फर्क नहीं आया ।

श्री बरकतुल्ला खां : इस बात की निरंतर कोशिश की गई....

श्री दौलतराम सारण : ये तो आपके वैध रेट्स हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : कोशिश की गई कि इस तरह का रवैया नहीं रहे, जो भी शिकायतें आए उनको थारोली एग्जामिन किया जाय और बराबर एक्शन लिया जाय, जहां तक मेरी जानकारी है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको भी नकल नहीं मिलेगी ।

श्री बरकतुल्ला खां : बात यह है कि जिन लोगों ने शिकायतें कीं, तो फिर समय आने पर उन्होंने अपने बयान बदलने की कोशिश की । मैं नहीं मानता कि करप्शन नहीं है लेकिन इस देश के अन्दर जब तक वह आदमी गिल्टी नहीं माना जाय तब तक वह इनोसेन्ट है । मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी । इसलिए यह समझना कि कुछ लोग खाते हैं तो सब खाते होंगे यह ठीक नहीं । हाईकोर्ट इस मामले में जागरुक है । हाईकोर्ट के पास जो शिकायतें जाती हैं उनकी रेग्यूलर इन्क्वायरी होती है । सरकार के पास जो शिकायतें आती हैं हाई कोर्ट के पास भेजते हैं ।

इस देश के अन्दर हमारी राजनीति के अन्दर मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे से सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं लेकिन देश के लोगों की आस्था अभी भी जुडीश्यरी के अन्दर बाकी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिगाड़ने की भरसक चेष्टा हो जरूर रही है ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं यकीन दिलाता हूं मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशियरी का इमेज कायम रहे क्योंकि जिस दिन जुडीश्यरी इमेज बिगड़ जायगा उस दिन लोगों के अंदर फ्रस्टेशन और डिसएपाइंटमेंट आएगी और एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो रिवोल्यूशन न होकर दूसरी तरफ चला जाय ।

श्री रामानंद अग्रवाल : अगर न्यायालय में वास्तविक न्याय दिलाना चाहते हैं तो इमेज भी वास्तविक रूप से अच्छा होना चाहिए लेकिन डर है कि पर्दा हटा देंगे तो इमेज खराब हो जायगा तो ऐसा इमेज रखना अच्छा नहीं है । मैं हाईकोर्ट के स्पेसीफिक केसेज देता हूं । रजिस्ट्रार वहां का १००) माहवारी लेकर सालों तक केस को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूर कर देते हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा हैं अलवर के तेज टाकीज का। मनोरंजन कर वसूल करने का आपने केस कर रखा है। मुझे मालूम है कि १०० रु० रजिस्ट्रार को दे देते हैं, पेशी नहीं पड़ती। अब हाई कोर्ट में यदि ऐसा हो तो पर्दा डालने से इमेज अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको दूर करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए वरना इतनी बड़ी जगहों पर इस तरह की बाते हो, तो न्यायालयो से लोगों का विश्वास हट जायगा।

श्री बरकतुल्लाखां : पर्दा डालने से कोई बुराई नहीं छिप सकती।

राजवी श्री रूपसिंह : जिस तरह से श्री रामानंदजी ने कहा है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैने रजिस्ट्रार का काम किया है लेकिन उच्च न्यायालय के अंदर जो पेशियां पड़ती हैं उसके लिए तरीका बना हुआ है और कोर्ट के नियम बने हुए है उसके अनुसार पेशियां पड़ती हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, फैसले किए जाते हैं·····

श्री रामानद अग्रवाल : इस स्पेसीफिक केस मे आप बता दो कब पेशियां पड़ी हैं?

राजवी श्री रूपसिंह : आप बतायें कि फलाने केस में एक पैसा लिया है तो मैं बता सकता हूं···

श्री वृद्धिचंद जैन : सिविल केसेज ७–७,८–८ साल तक चलते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : उच्च न्यायालय के अंदर केसेज रोटेशन से आते हैं, जिनके पेपर बुक्स कम्पलीट होते हैं लिए जाते है। अगर कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर पेशियों को आगे बढ़ाया गया हो तो उसके अंदर बेंच के सामने पिटीशन मूव की जा सकती हैं और उसके जरिए हाई कोर्ट का ध्यान दिलाया जा सकता है। आपका यह समझना कि छोटे से आफीसर हाईकोर्ट को पैरालाइज कर सकेंगे, मैं नहीं मानता।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप इस बात को मानते हैं कि न्याय महगा है और विलम्बकारी है? न्याय लिया जाता है दिया नहीं जाता? ये बातें ही आपके न्याय की कसौटी हैं। आप देखेगे तो न्याय का सारा पर्दाफाश हो जायगा।

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो एक बिल्कुल थ्योरिटिकल बात है जिसके अंदर विचार धारा बदल सकती है, लेकिन हमारे देश के अंदर केस रूलिंग्स है जुरिस्प्रूडेन्स जिसको कहते हैं कम्पलीट बैकग्राऊंड बना हुआ है इसलिए रफ और रेडी जस्टिस जिसे कहते हैं हमारे यहां संभव नहीं है, क्योंकि जस्टिस का कनोटेशन हमारे यहां बिल्कुल

(श्री बरकतुल्ला खां)

भिन्न है। हर चीज को साबित करना पड़ता है. एवीडेंन्स एक्ट है। वकीलों के साथ-साथ गवाहों को पेश करना पड़ता है। अगर पेशियां बदलनी पड़ती हैं तो उसमें जज अकेला नहीं होता वकीलों को भी वे तारीखें सूट करनी चाहिए, जब तक तीनों की सहूजियत न हो तब तक तारीख नहीं मिलती है। मैं मानता हूँ कि देरी होती है, हमारे यहां आज का न्याय का सिस्टम कॉस्टली है।

श्री दौलतराम सारण : इसलिए ८५ प्रतिशत जनता वह न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि वे गरीब है, साधनहीन हैं, क्षमताहीन हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं नहीं मानता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बल्क आफ वर्क है, प्रिसाईडिंग ऑफिसर्स उतने नहीं है, यह बात आपको माननी पड़ेगी। मानलीजिए एक मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट का तबादला होगा तो महीनों तक अदालत खाली पड़ी रहती है।

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान सरकार ने जब फैसला किया कि रिटायरमेंट एज ५८ से ५५ की जाय तो उसके अंदर एक साथ २२ जुडीशियल ऑफीसर्स रिटायर हो गए तो उनको आर० ए० एस० आफिसर्स से रिप्लेस करना पड़ा, आर० ए० एस० के जितने अधिकारी थे उनके कान्फीडेन्शल रोल्स उच्च न्यायालय को भेजने पड़े और हाईकोर्ट ने जिनको पसंद किया उनका सलेक्शन किया। मैं मानता हूँ कि देरी हुई लेकिन उस देरी को एवाइड नहीं कर सकते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो लॉ कमीशन की सिफारिश थी कि वन-थर्ड हाईकोर्ट के जजेज स्टेट के बाहर के हों उस बारे में सरकार क्यों नहीं जोर देती है कि १।३ जजेज बाहर के हों और राजस्थान के १।३ जजेज को बाहर भेजा जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : लॉ कमीशन की जो सिफारिश थीलॉ कमीशन की जो रिकमन्डेशन थी सब से बड़ी रिकमन्डेशन यह थी कि ला को सिम्पलीफाई किया जाय। जो जो भी अमेन्डमेन्ट्स उन्होंने सजेस्ट किये आइ० पी० सी० में उनके ऊपर राजस्थान सरकारने चर्चा करके हाई कोर्ट को भेज दिया है उस पर हाई कोर्ट अपनी राय दे उसके बाद हम आइ० पी० सी० में क्या क्या अमेन्डमेन्ट्स कर सकते हैं यह निर्णय लेंगे।

जहां तक जजेज के ट्रान्सफर का संबंध है उसके बारे में केवल राजस्थान में ही नहीं अन्य भारतवर्ष की जितनी स्टेट्स हैं उन सब को फैसला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य के कहने से कुछ होगा कुछ स्टेट्स अगर नहीं माने तो उसका अच्छा असर नहीं होगा इसलिये जब तक

(श्री बरकतुल्ला खां)

सारी स्टेट्स ग्रापस के ग्रन्दर तय नहीं कर लेती यह नहीं हो सकता ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : आपसे पूछा था राजस्थान सरकार ने ग्रमी तक उसका उत्तर नहीं भेजा है ग्रागे तो किसी न किसी को होना पड़ेगा १।३ जजेज को बाहर भेजा जाय ग्राप इससे एग्री क्यों नही होते हैं। ग्राप क्या प्रिन्सीपली इस बात से एग्री करते हैं भारत सरकार को लिखने के लिये तैयार हैं ?

श्री श्रवणलाल : क्या ग्राप जजेज के लड़के उन्हीं की कोर्टस के ग्रन्दर प्रेक्टिस करते हैं क्या ग्राप इसको उचित मानते हैं क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : किसी जज का कोई लड़का वकील है ग्रौर वह प्रेक्टिस करता है क्या यह मुमकिन है कि उसको उससे रोका जाय । या उसको लॉ करने के बाद भी प्रेक्टिस के लिए एलाउ न किया जाय । मैं समझता हूं ग्राज ही नहीं ग्राजादी से पहले यह परम्परा थी जो लड़का काबिल होता था वह हाई कोर्ट में चान्सेज लेता था ग्रपने बाप के सामने एपियर नहीं होता हाई कोर्ट में प्रेक्टिस नहीं कर सकता इसको लागू करने में सिवाय नुकसान के फायदा नहीं हो सकता ।

श्री श्रवणलाल : लड़के उनके साथ बंगले ही में रहते हैं ।

श्री मदनसिंह : यह सवाल धीरे धीरे हाई कोर्ट के जजेज पर ग्राक्षेप की तरह होता जा रहा है इसलिये इसको ग्रागे नहीं बढ़ाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : पी० पी० के एपाइन्टमेन्ट्स के बारे में ग्रौर गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स के बारे में ग्रापको क्या कहना है ?

श्री नाथूराम (बागी डोरा) : डूंगरपुर में ग्रादिवासियों के लिये ग्रलग सेशन्स जज की नियुक्ति के बारे में ग्रापका क्या कहना है क्या गवर्नमेन्ट इसके लिये व्यवस्था करेगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : डूंगरपुर में सेशन्स जज का न्यायालय हो इस बारे में ग्राज ही मांग रखी गई है इस पर सरकार गौर करेगी ग्रौर जल्दी निर्णय करेगी । जहां पी० पी० के ग्रपाइन्टमेन्ट्स का सवाल है गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स की नियुक्ति का सवाल है ।........

श्री देवेन्द्रकुमार : डूंगरपुर सेशन्स जज का कोर्ट कब तक होजायगा ?

श्री नाथूराम : इसके बारे में सच्चा ग्राश्वासन मिलना चाहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। मैंने यह कहा कि हम इस पर पूरी हमदर्दी के साथ विचार करेंगे और जल्दी ही इस पर फैसला कर देंगे। मैं समझता हूं इससे सन्तोष हो जाना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के साथ सरकार की हमेशा हमदर्दी रही है इस बारे में भी उचित निर्णय लिया जायगा।

पी० पी० और गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स की नियुक्ति के बारे में अब तक जो प्रोसीजर था डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट का एपाइन्टमेन्ट होता था हाई कोर्ट को पूछने के बाद किया जाता था। हाई कोर्ट किसी के नाम को पसन्द नहीं करता तो उसको नहीं करते।

इसी तरह से पी० पी० के बारे में यह था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जजेज से बात करके वे जो एक पेनल भेजते थे उसमें से गवर्नमेन्ट एक आदमी को सिलेक्ट कर लेती थी। इसके बारे में पहले भी मैंने आश्वासन दिया था कि रूल्स के अन्दर यह प्रावधान कर देंगे एपाइन्टमेन्ट किया जाय तो हाईकोर्ट को पूछा जाय और पी० पी० के लिये डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जजेज और क्लेक्टर्स से पूछा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्लस क्वालिफिकेशन्स।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं आज जनता इस बात की इच्छुक रही है वह चाहती है उसको न्याय सस्ता मिले और जल्दी मिले। फैसले तुरन्त हों अदालत का डिसपोजल विवेक हो इसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मूलचन्द डागा : प्राइवेट कम्पलेन्ट्स जो दी जाती है उसमें अवसर देखते हैं अहलकार और रीडर बयान ले लेते हैं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अलग बैठा रहता है इससे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाते हैं। इसको आप किस प्रकार रोकना चाहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट के क्लियर इन्स्ट्रक्शन हैं कि किसी मजिस्ट्रेट के हाथ में तकलीफ नहीं है तो उसको खुद को बयानात कलम बन्द करने चाहिये। जिस तरह से इस बात का उल्लंघन हो रहा है हम हाई कोर्ट के नोटिस में लायेंगे कि इस तरह की शिकायतें आई हैं।

मेरे मित्र ने यह बात कही कि न्याय सस्ता होना चाहिये उसके लिये मैंने कहा न्याय सस्ता तो नहीं कर सकते। जल्दी के लिये यह किया गया है कि ओल्ड केसेज वे माने जायेंगे जो तीन साल से पुराने हो इसके बारे में बराबर इन्स्ट्रक्शन्स दिये जाते हैं कि जज तीन साल में मामले को कम्पलीट करके भेजे। मन्थली प्रोफॉर्मा भेजना पड़ता है कितने केसेज डिसपोज आफ किये। इसके बारे में हाई कोर्ट को और भी सजेशन देंगे।

श्री रामनारायण : तीन वर्ष का भी समय ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८७,२८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१, न्याय प्रशासन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८५,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सबन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,८८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७·२० बजे दिनांक २६—३—६८ के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ की सूची)

प्रत्युतर तालिका

क्र० सं०	नाम तहसील	अक्टूबर सन् १९६३ क्षतिग्रस्त क्षेत्र	जून सन् १९६४ क्षतिग्रस्त क्षेत्र	जून सन् १९६५ क्षतिग्रस्त क्षेत्र	जून सन् १९६६ क्षतिग्रस्त क्षेत्र	जून सन् १९६७ क्षतिग्रस्त क्षेत्र
१	२	३	४	५	६	७
१.	बूंदी	१५३४० एकड़	५१४१ एकड़	२१४८० एकड़	३४६० एकड़	२३० एकड़
२.	पाटन	५४०० „	४००० „	१०५०० „	३३८० „	—
३.	लाडपुरा	६४८० „	१४१० „	८२५० „	२३४० „	२२२० „
४.	दीगोद	१०८० „	४७० „	१५० „	३६० „	४४० „
५.	मांगरोल	८१० „	४७० „	१५० „	१३० „	११० „
६.	पीपल्दा	५४० „	—	—	—	—
	योग	२९,६५० „	१७८११ „	४८५३० „	९००० „	३००० „

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ की सूची)

रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र सन् १९६८

सहकारी समितियों को शक्कर व खाद्यान्न वितरण करने हेतु नियुक्त

क्र. सं०	नाम सहकारी समिति	ग्राम पं० क्षेत्र	किनका कोटा मंसुख किया	किसके द्वारा
१	२	३	४	५
१.	ग्राम सेवा स० स०	करमावास	—	—
२.	,, ,,	सैंदड़ा	जिलाधीश पाली द्वारा, चुनाव बाद स्पर्शता	
३.	,, ,,	लिलाम्बा	—	—
४.	,, ,,	भूंठा	—	—
५.	,, ,,	रामपुरा	तह० द्वारा सरपंच की मांग पर व आर्थिक स्थिति ठीक न होना	
६.	,, ,,	कुशालपुरा	जिलाधीश पाली द्वारा, कार्य संतोषजनक न होना	
७.	,, ,,	सुमेल	तह० द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक न होने से	
८.	,, ,,	बर	—	—
९.	,, ,,	बिराठियां खुर्द	—	--
१०.	,, ,,	बिराठियां कलां	—	—
११.	,, ,,	अमरपुरा	—	—

१	२	३	४	५
१२.	,, ,,	कनूजा	तहसील द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक न होने से	
१३.	,, ,,	मोहरा कलां	—	—
१४.	,, ,,	कलालिया	—	—
१५.	,, ,,	रायपुर	—	—
१६.	,, ,,	लवेचा	—	—
१७.	प्रेम उपभोक्ता भंडार	पिपलिया	—	—
१८.	ग्राम सेवा स० स०	कोट किराणा	तह० द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक न होने से	

—

रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र १९६७

में सहकारी समितियों को शक्कर व खाद्यान्न वितरण करने हेतु नियुक्त

क्र. सं०	नाम सहकारी समिति	ग्राम पं० क्षेत्र	किनका कोटा मंसुख किया	किसके द्वारा
१	२	३	४	५
१.	ग्राम सेवा स० स०	रायपुर	—	—
२.	,, ,,	लिलाम्बा	—	—
३.	,, ,,	भूंठा	—	—
४.	,, ,,	सिंगला	—	—
५.	,, ,,	नोख	—	—
६.	,, ,,	कुशालपुरा	जनवरी ६८ से	—जिलाधीश पाली के आदेश द्वारा
७.	,, ,,	मोहरा	—	—
८.	,, ,,	करमावास	—	—
९.	,, ,,	बर	—	—
१०.	,, ,,	कानूजा	—	—
११.	,, ,,	गिरी	—	—
१२.	,, ,,	पचानपुरा	—	—
१३.	,, ,,	बिराठियां खुर्द	—	—
१४.	,, ,,	बिराठियां कलां	—	—

१	२	३	४	५
१५. ,,	,,	लवैचा	—	—
१६. ,,	,,	सबलपुरा	—	—
१७. ,,	,,	बुटीवास	—	—
१८. ,,	,,	मेंखिया	—	—
१९. ,,	,,	रैलड़ा	—	—
२०. ,,	,,	नानणा	—	—
२१. ,,	,,	अमरपुरा	—	—
२२. ,,	,,	कलालिया	—	—
२३. ,,	,,	सैंदड़ा	दिसम्बर ६७ से जिलाधीश पाली द्वारा नियुक्त	
२४. ,,	प्रेम उपभोक्ता भंडार	पिपीलिया	—	—

———

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ८२८ की सूची)

S.No.	Name & address of applicant.	Date of receipt of application	Purpose of Loan/aid	amount required
1	2	3	4	5
1.	Ex. Regulating Petty Officer. Inder Singh c/o Central Store Div. Suratgarh Jn.	24-7-67	Loan for purchase of Land and fix tube well.	20,000/-
2.	Smt. Jamna Devi w/o Late No. 619 Sep., Sultan Singh, Vill. Kher, Pokher Teh. Behror, Distt. Alwar.	19-10-67	Aid for construction of house.	Not mentioned.
3.	Ex. Major Vikram Singh, Tigers & Tigers Jindal & Co., Tholia Circle, Jaipur.	1-12-57	Loan for starting Scheme for Shikar out fillers concern.	90 000/-
4.	Ex, P. O, Kr. Padan Singh P. O. Gopalgarh, Bharatpur.	28-12-67	Loan for starting small Scale Industry.	10,000/-

1	2	3	4	5
5.	Ex. Nk, Nathu Singh Village Amarpura PO Kala Anandpur Distt. Pali.	4-1-1968	Loan for purchase Tractor.	25,000/-
6.	Maj. Kesari Singh (Retd) c/o Distt. S. S. & A's Board, Udaipur.	14-2-68	Loan or aid construction of a land	20,000/-
7.	Ex. Ris. Behron Singh Vill & PO Babra	14-2-68	Loan for purchase of a tractor.	25,000/-
8.	Maj. Sahiram 116 Inf. Bn (TA) Deelald.	14-2-68	Loan for purchase of land.	20,000/-
9.	Ex. Hav. Karan Singh Vill & PO Devrana Teh. Sri Madhopur Distt. Sikar.	20-2-68	Loan for purchase of land.	2,000/-
10.	Ex. Hav/Clk. Prahlad Singh Vill. Kalua PO Kalua Distt. Nagaur.	24-2-68	Loan for purchase of Tractor	20,000/-
			Total	2,32 000/-

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ की सूची)

नेहरू अवार्ड के बौन्डस की सूची जो तहसीलों में वितरण करने हेतु भेजे गये ।

जिला–नागौर

क्र०	नाम तहसील	व्यक्तियों की संख्या	50	100	200	500	1000	5000	बौंडस का मूल्य	विशेष बिवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नागौर	1624	1162	935	501	140	81	1	407800)	
2	जायल	1257	786	1038	296	42	1	—	224300)	
3	मेडता	1460	826	598	446	108	1	—	245300)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	डेगाना	1917	1093	909	556	63	1	—	289250)	
5	डीडवाना	1347	735	460	352	69	2	—	189650)	
6	लाडनूं	1199	776	544	243	56	2	—	171800)	
7	परबतसर	3221	2033	1873	900	173	2	—	496950)	
8	नावा	1741	1141	1005	475	96	6	—	306550)	
	योग :	13766	8542	7362	3469	747	96	1	2331600)	

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ की सूची)

पंचायत अकलेरा को यात्री टैक्स से हुई आय व्यय का विवरण :

	आय		व्यय	
क्रमांक	माह व वर्ष	रकम	माह व वर्ष	रकम
१	२	३	४	५
१.	मार्च ६१	११७)३८	मार्च १९६१	४४३)०८
२.	अप्रेल	७४३)५२	अप्रेल	६५७)२८
३.	मई	४०३)००	मई	१२००)०६
४.	जून	३६०)५६	जून	३०६)६०
५.	जौलाई	१३४)८६	जौलाई	१२१९)५४
६.	अगस्त	१७७)३८	अगस्त	४७६)०३
७.	सितम्बर	७७)१३	सितम्बर	९०)००
८.	अक्टूम्बर	१७७)२६	अक्टूम्बर	८)३५
९.	नवम्बर	१७२)८६	नवम्बर	१०४)६८
१०.	दिसम्बर	१३२)०१	दिसम्बर	११४७)७९

१	२	३	४	५
११.	जनवरी ६२	७८)३२	जनवरी ६२	५८५)९७
१२.	मई ६२	५९)३४	अप्रेल ६२	७९४)२२
			मई ६२	४)८०
			जून ६२	३३८)०९
			जुलाई ६२	१६२)७५
			सितम्बर	१२०)४४
		२६३३)६२		७६५९)९८

———

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ की सूची)

श्रीमती चांद कंवरी पत्नी स्व० श्री सुखराज मेहता ने जो प्रार्थना पत्र जिलाधीश को प्रस्तुत किये तथा उन पर जो कार्यवाही हुई उसका विवरण:—

प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक	कार्यवाही जो की गई
३–८–६५	महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सेवा अभिलेख के लिये पत्र सं. ३५८३ दिनांक ६–८–६५ को लिखा गया व प्रतिलिपि निबन्धक, राजस्व मण्डल व प्रार्थी को भी दी गई जरिये क्रमांक ३५८४ व ३५८५ दिनांक ६–८–६५.
२६–८–६७ २३–१०–६७ २०–११–६७ १६–१२–६७ ३–१–६८ ११–१–६८	जिलाधीश कार्यालय से राजस्व मण्डल अजमेर को सेवा पुस्तिका भेजने हेतु समय समय पर खतो-किताबत करते रहे परन्तु उनकी सेवा पुस्तिका के अभाव में यह निश्चय करने में कठिनता आ रही थी कि आया श्री सुखराज मेहता तहसीलदार देसूरी ने पारिवारिक पेन्शन का चयन किया था अथवा नहीं। वैसे ये सी. पी. एफ. के सदस्य थे।

प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक	कार्यवाही जो की गई
	अब महालेखाकार ने उनके कार्यालय में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर यह सूचित किया है कि श्री मेहता ने पेंशन के लिये कोई आपशन नहीं दिया था, अत: ये पेन्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इनको वारिशान को सी. पी. एफ. की देय राशि के भुगतान करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

———

परिशिष्ट ७

(तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ की सूची)

जिन जिन लोगों के मकान सूकड़ी नदी बहाकर ले गई, उनकी सूची

क्र० सं०	नाम व पिता का नाम	जाति
१.	मागीया पूना	मेणा
२.	लखमां कुम्पा	मेणा
३.	रूपा मेरा	मेणा
४.	दुदिया नरसा	मेणा
५.	किकला बेना	मेणा
६.	धनिया टिमा	मेणा
७.	गिरदा बेना	मेणा
८.	लादिया कुम्पा	मेणा
९.	मांगीया लीखमा	कूम्हार

———

जिन जिन लोगों को सूकड़ी नदी से नुकसान हुआ, उनको दी गई आर्थिक सहायता की सूचि

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	गांव	राशि दी गई	क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	गांव	राशि दी गई
१.	रतीयानाथ कुम्हार	गुढ़ा एंदला	३०	२.	मोठिया मूला मांबी	,,	१५
३.	डुगरूपुरी लालपुरी गोस्वामी	,,	१५	४.	फूलपुरी लालपुरी	,,	२०
५.	हुजा बेवा मेवा ब्राह्मण	,,	२०	६.	अचला जवान नाई	,,	१०
७.	रूपमी बेवा नाइ	,,	१०	८.	भूरा माना सीरवी	,,	१५
९.	प्रताप तुलसा धोबी	,,	१०	१०.	जवाना देवा मेणा	,,	२०
११.	देवा पीरा मैणा	,,	१५	१२.	देवा किशना मेणा	,,	१५
१३.	बाबु सोबा मेणा	,,	१०	१४.	दिया सोबा मेणा	,,	३०
१५.	केसा खुसाल मेणा	,,	२०	१६.	मनिया खेका मेणा	,,	२०
१७.	पुना खेका मेणा	,,	१०	१८.	उम्मेद जवान हरिजन	,,	८
१९.	जमीन बेवानरसा मेणा	,,	८	२०.	नबीया जेठा मेणा	,,	१५
२१.	समरथा आदा मेणा	,,	१२	२२.	सतरा दुर्गा बावरी	,,	१०
२३.	मुला दर्गा बावरी	,,	२५	२४.	मेरा किशना बावरी	,,	१०
२५.	धापु बेवा नेना ढोली	,,	१०	२६.	रखुतरण चतरू बेवा नरीग मांबी	,,	१५
२७.	हीरका आशा मांबी	,,	१५	२८.	लाला सेरा मांबी	,,	२०
२९.	केशन हेमा मांबी	,,	१०	३०.	गलिया हजारी मांबी	,,	१५

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	नाम	राशि दी गई	क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	गांव	राशि दी गई
३१.	मगिया हेमा मांबी	,,	१२	३२.	मोठिया भूरा मांबी	,,	१५
३३.	पकीया माना मेणा	,,	१५	३४.	गंगा वेवा नर्सा मेणा	,,	१५
३५.	हिमता केशा मेणा	,,	१०	३६.	राधा बेवा दरजा मेणा	,,	२५
३७.	घाबु बेवाहिरा मेणा	,,	१५	३८.	पकिया माला मेणा	,,	२८
३६.	मूरा मोती मेणा	,,	२०	४०.	सूजीया चोला मेणा	,,	२०
४१.	जेरा किशना मेणा	,,	१०	४२.	पृथ्वीसिंह लालसिंह राजपूत	,,	२०
४३.	सुखलाल धुलाजी ब्राह्मण	,,	३०	४४.	मागिया पुना मेणा	,,	१००
४५.	लखमा कूम्पा मेणा	,,	१००	४६.	रूपा भेरा मेणा	,,	१००
४७.	दुदिया नरसा मेणा	,,	१००	४८.	विकला बेना मेणा	,,	१००
४६.	घनियम टिमा मेणा	,,	१००	५०.	गिरदा बेना मेणा	,,	१००
५१.	लादिया कुम्मा मेणा	,,	१००	५२.	मांगिया लिखमा कुम्हार	,,	१००
५३.	बरदा घना मेणा	,,	५०	५४.	छोगा आशा मेणा	,,	५०
५५.	नेका मलला मेणा	,,	५०	५६.	मीलाडूंगा काला मेणा	,,	५०

———

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ की सूची)

जयपुर के पास की पंचायतों द्वारा दिये गये रिक्शा लाईसेन्स का विवरण

क.सं.	पंचायत समिति	पंचायत	सं० रिक्शा लाईसेंस
१	२	३	४
१.	जयपुर (झोटवाड़ा)	हीरापुरा	७५
२.	,, ,,	रामपुरा रूपा	७४
३.	,, ,,	जामडोली	५६
४.	सांगानेर ,,	दुर्गापुरा	१०१
५.	,, ,,	खोनागोरियान	५०

—०—

परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ की सूची)

सूची–

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम सेवक हैड क्वार्टरस	
१.	छीपाबडोद	१.	छीपाबड़ोद
		२.	टाचा
		३.	फूलबडोदा
		४.	मगचाना
		५.	अजनाबर
		६.	मोखमपुरा
		७.	राई
		८.	गोरधनपुरा
		९.	सारथल
		१०.	नारेड़ा
		११.	हरनावदा शाहजी
		१२.	बंजारी
		१३.	झनझनी
		१४.	बिखेन्डी
		१५.	अमलावदा खरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम सेवक हैडक्वाटर्स	
२.	छबड़ा	१.	दीलोद
		२.	हलगना
		३.	कडैयाबन
		४.	चाचोड़ा
		५.	भुवाखेड़ी
		६.	जैयला
		७.	बापचा
		८.	गोंडियामेहर
		९.	कडैयाहाट
		१०.	पाली
		११.	हान्याहेडी
		१२.	पचपाड़ा
		१३.	निपानिया
		१४.	मूंडक्या
		१५.	कडैयानोहर

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० की सूची)

पंचायत समिति दूदू में विभिन्न व्यक्तियों को सन् १९६० से १९६७ तक किये गये ऋण का विवरण

क्रमांक १	नाम २	कार्य ३	राशि ४	भुगतान की तारीख ५
१.	श्री कल्याणदत्त शर्मा सरपंच सेवा	पंपिग सैट	२५००)	५—२—६३
२.	,, बंशीलाल शर्मा सरपंच शादूलपुरा	गायें क्रय करने हेतु	२०००)	२१—३—६३
३.	,, गोविन्द बाबू सरपंच काबरोदा	,,	२०००)	१५—३—६३
४.	,, ,, ,,	बगीचा लगाने हेतु	६००)	१८—३—६२
५.	,, ,, ,,	विद्युत पंपिग सैट	१०००)	१४—१—६६
६.	,, भंवरलाल शर्मा सरपंच रोजड़ी	भवन निर्माण हेतु	२८५०)	—
७.	,, मांगीलाल शर्मा सरपंच ढाणी बोराज	पंपिग सैट हेतु	३०००)	३—६—६४

१	२	३	४	५
८. ,,	सूरजमल जैन सरपंच बीराज	नल कूप निर्माण हेतु	१०००)	७—४—६४
			१०००)	२२—६—६५
९. ,,	हनुमान प्रसाद शर्मा सरपंच बिचून	अड़वानी बनाने हेतु	५००)	१७—६—६३
			५००)	६—१२—६३

नोट:—सभी कार्य हो गये हैं। श्री भंवरलाल शर्मा सरपंच रोजड़ी को तीसरी किश्त देना शेष है।

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४३४ की सूची)

आबकारी विभाग में अधिकारियों की सूची

क्रम सं०	पद	संख्या	
१.	आबकारी आयुक्त	१	
२.	उपायुक्त आबकारी प्रशासन	१	
३.	उपयुक्त आबकारी प्रिवेन्टिव फोर्स	१	
४.	सहायक आयुक्त आबकारी	१	
५.	प्रशासन अधिकारी	१	
६.	लेखाधिकारी	१	
७.	सहायक आयुक्त (प्रक्योरमेन्ट)	१	पद समाप्त किया गया है।
८.	रसायन विश्लेषक	१	पद समाप्त किया गया है।
९.	जिला आबकारी अधिकारी	१०	
१०.	सहायक आबकारी अधिकारी	३३	

—०—

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४३५ की सूची)

श्री आईदान सिंह, सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न सं० १२६
वि० म० के भाग (२) का वर्णित सूचना

योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थीक संकेत (Economic) जिलेवार १९६१-६२ से १९६४-६५ तक निम्न आइटमों के लिये संकलित किये गये थे:—

१) कुल जनसंख्या व जनसंख्या की प्रति किलोमीटर सघनता ।

२) कृषि में लगे हुए श्रमिकों की संख्या, कुल श्रमिकों की संख्या के अनुपात में ।

३) प्रति कार्मिक पर जोत योग्य क्षेत्रफल

४) प्रति कृषि कार्मिक पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

५) कुल सिंचित क्षेत्र का समस्त बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत

६) एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोयें गये क्षेत्रफल से प्रतिशत ।

७) प्रति व्यक्ति ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार कृषि उत्पादन का कुल मूल्य

८) फैक्टरियों में नियोजित कार्मिकों की संख्या प्रति लाख जन संख्या के अनुपात में ।

९) एक हजार वर्गमील में सड़कों की लम्बाई

१०) प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार सड़कों की लम्बाई ।

११) जिला पंजीकृत व्यापारिक गाड़ियों की संख्या

१२) १९६१ की जनसंख्या में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत ।

१३) शिक्षण सस्थाओं में जा रहे बच्चों का प्रतिशत (लड़के)

—०—

१४) शिक्षण संस्थाओं में जा रहे बच्चों का प्रतिशत (लड़कियां)

१५) तकनीकी प्रशिक्षण में प्रति दस लाख जनसंख्या पर स्थानों (सीटों) की संख्या

१६) प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों में रोगी शैय्यायें ?

योजना आयोग द्वारा बतायी गई प्रणाली से इन आईटमों के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले के पिछड़ेपन की जांच की गई जिसके फलस्वरूप जिला जालौर कुल मिलाकार (ove. all) सबसे पिछड़ा पाया गया ।

—०—

परिशिष्ट १३

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ की सूची)

बीकानेर जिले में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों की सूची 'अ'

इस विभाग द्वारा बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित ४ राजकीय छात्रावास बनाये जा रहे हैं:—

१. बीकानेर : लड़कों के लिये

२. बीकानेर : लड़कियों के लिये

३. हयरगढ़

४. पुंगल

इसके अतिरिक्त २ अनुदानित छात्रावास अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर चलाये जा रहे हैं:—

१. नोखा

२. कोलायतनी

—०—

शुद्धि पत्र

(सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६८)

क्र० सं० १	स्कम्भ सं० २	अशुद्ध ३	शुद्ध ४
२	१०	क्पा	क्या
३	शीर्ष	आगरा	आगरो
३	७	बन्दोवस्त	बन्दोबस्त
४	३	वीघोड़ी	बीघोड़ी
,,	१०, २०	ईर्रीगेशन	इर्रिगेशन
५	१	कर	करें
८	अन्तिस से ८	आँथोरिटि	आॅथोरिटी
९	शीर्ष	लढ़ढा	लड्ढा
१०	१७	प्राजेक्ट्स	प्रोजेक्ट्स
१५	शीर्षक	माच	मार्च
,,	१०	नोटिफिरेशन	नोटीफिकेशन
,,	अन्तिम से ८	का	को

१	२	३	४
,,	,, ७	साच	सोचे
१६	११, १३, १८	सैचुरी	सैंक्चुरी
,,	अन्तिम से ५	,,	,,
१७	७	,,	,,
,,	६	लीये	लिये
२१	अन्तिम से ११	व्यवस्था	व्यवस्था
२२	अन्तिम से ६	प्रश्नकता	प्रश्नकर्ता
,,	,, २	श्री प्रद्यु्म्न सिह	श्री प्रद्यु्म्नसिंह
२७	शीषंक	मार्च १९६८	मार्च, १९६८
२८	४	लोंगिग	लॉगिंग
२९	शीषंक	माचं	मार्च
,,	शीर्ष	(श्रीकृष्णकुमार गोयल	(श्रीकृष्णकुमार गोयल)
३०	६	जलग्रस्त	जलोत्सारण
,,	८	मर्वा या	मवरिया
,,	१४	सीत पुरा	सीतापुरा
३४	अन्तिम से ५	अक्तूबर की	अक्टूर में
३५	,, १०	इसका	इसको

१	२	३	४
,,	अन्तिम	कोम्प्रह्ेन्सिव	कोम्प्रहेन्सिव
३६	अन्तिम से ७	खच	खर्च
३६	२	सवे	सर्वे
,,	अन्तिम से ७	डिस्टिब्यूटरी	डिस्ट्रीव्यूटरी
,,	,, ६	माइन	माइनर
४३	,, ७	परं	पर
४४	३	सुनया	सुनाया
४६	१	(हिदी)	(हिन्दी)
,,	१६	यथाथ	यथार्थ
४७	८	श्री लादूराम सुलातनिया	श्री लादूराम सुलानिया
४६	८, ११, १२, १४, १७ व २१	टैण्डर	टेडन्र
,,	१४	प्रोपर	प्रॉपर
५१	३	टन्डर	टेन्डर
५८	१	गाव	गांव
,,	४	श्री दुर्गालाल वाढ़दार: (हवामहल, जयपुर)	श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर):
,,	८	रीवीजनल	रिवीजनल

१	२	३	४
६०	६	जी हा	जी हां
,,	१०	परिवतन	परिवर्तन
,,	१५	क्ता	का
६१	२	द्वरा	द्वारा
,,	अन्तिम से ७	(३)	(३ व ४)
६२	१२	बीर्जों	बीड़ों
६४	शीषक	१९६४	१९६८
६६	१४	पचायती	पंचायती
,,	अन्तिम से ४	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :	महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह (डूंगरपुर) :
६७	१	शो उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
६८	अन्तिम से ५	मसूख	मंसूख
,,	,, ३	सलग्न	संलग्न
७१	अन्तिम से ७	सी. एन. सी. सी.	सी. एन. सी.
७७	४	वित्त	वित्त
७८	४	मुनि श्री जिनविजेजी	मुनि श्री जिनविजयजी
८०	३	खूंटे	खूंट
८३	अन्तिम से ६, ६	मगवाये	मंगवाये

१	२	३	४
८५	शीर्षक	प्रस्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१२	मत्री	मंत्री
८७	१२	जगलात	जंगलात
९३	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	,,	अदर	अन्दर
,,	अन्तिम से ५	दुघटना	दुर्घटना
९५	४ ५	श्री श्रीदीपचन्द छंगाणी	श्री दीपचन्द छंगाणी
९८	१३	कार्यवाही करने करने	कार्यवाही करने
,,	अन्तिम से २	जहिर	जाहिर
,,	अन्तिम	हाता	होता
९९	अन्तिम से ११	लेप्प	लेप्स
,,	,, १०	दती	देती
,,	,, ३	ए	एक
१००	१६	कलक	कलर्क
,,	१७	एटेक्शन	अट्रेक्शन
१०१	६	लिथे	लिये
१०३	३	एक्सपीडइट	एक्सपीडाइट
१०४	अन्तिम से १३	मशा	मंशा

६

१	२	३	४
,,	,, १२	f ये।	किये
,,	,, १०	म	मैं
१०७	शीर्ष	(श्री मूलचन्द डागा)	—
१०६	,,	(श्री देवीदत्त गड़िया)	—
,,	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
१११,११२	१	उत्तर	उत्तर
११२	१२	मडार	भंडार
११३	शीर्ष	(श्री हरलालसिह खर्रा)	(खाद्य मंत्री)
,,	शीर्षक	२५ मार्क	२५ मार्च
११६	शीर्षक	२५ माच	,, ,,
१२०	३	उत्तर	उत्तर
१२५	शीर्षक	२५ ग्रार्च	२५ मार्च
१२६	७	श्री हसराज ग्राय	श्री हंसराज ग्रार्य
१३०	शीर्षक	तांराकति	तारांकित
१३१ व १३७	शीर्ष	(श्री सिचाई मंत्री)	(सिंचाई मंत्री)
१३४	,,	हग्रा	हुग्रा
१३७	ग्रन्तिम से ४	कुांग्र	कुंग्रा
,,	,, २	दा	दी

१	२	३	४
१४२	शीर्षक	अतारांकिन	अतारांकित
१४६	अन्तिम से ७	टेकेदार	ठेकेदार
१५०	शीपक	अध्यक्षाय	अध्यक्षीय
१६७	शीर्ष	(श्री रामानदन्द अग्रवाल)	(श्री रामानग्द अग्रवाल)
१७५	,,	(श्री सतीशचन्द्र अग्रठाल)	(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल
		(श्री सतीशचन्द्र अंग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	५	एजर्नमेंट	एडजोर्नमेन्ट
१७६	१८	सि	पुलिस
१८०	अन्तिम से ७	फंज	फर्ज
१८७	शीर्षक	उषस्थापन	उपस्थापन
,,	,,	एत्रं	एवं
,,	,,	जत्ने	जाने
१८८	,,	यस्ताव	प्रस्ताव
१९६	,,	स्थन	स्थगन
१९८ २०० २०२	,,	स्थान	स्थगन
२०३	,,	व्क्तव्य २५ मार्च, स्थान	वक्तव्य-२५ मार्च १९६८ स्थगन

१	२	३	४
२०५	„	व्क्तव्य-२१ मार्च, १९६८ स्थान	वक्तव्य-२५ मार्च १९६८ स्थगन
२०७	„	व्क्तव्य-२१ मार्च १९६८ स्थान प्र. २२	„ „ „ स्थगन प्र. प्र२
२१०	„	स्थान	स्थगन
२११	„	ध्यानातर्षण	ध्यानाकर्षण
२१२ व २१४	„	स्थान	स्थगन
२१६	शीर्षक	-पर विचार विमर्स	-का उपस्थापन
२१६	८	लेने लिये	लेने के लिये
२१७	२	म	मैं
२१७ से २५२	शीर्षक	-पर विचार विमर्श	-पर कटौती प्रस्ताव
२२९	शीर्ष	(श्री दौलत सारण)	(श्री दौलत राम सारण)
२३५	„	श्री केशरिसिंह हाड़ा)	—
२३९	„	(श्री मूक्षचन्द डागा)	(श्री मूलचन्द डागा)
२४७	„	(श्रीरामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
२५७	१७	के	का

१	२	३	४
२५८	१२	कीये	करिये
,,	१५	गाकुल चंदजी	गोकुल चन्द जी
२५९	अन्तिमसे ११	ता	तो
२६०	,, १३	ती	तो
,,	,, ४	धता	धधा
२६१	२	मत्म्य	मत्स्य
२६३	७	अज	आज्
२६५	५	निलने	मिलने
,,	६	गमी	गर्मी
,,	अन्तिम से ६	कुसस्कार	कुसंस्कार
२६६	१०	जा	जो
२६७	१५	गंगानगर	गंगानगर
२६८	१८	चाज	चीज्
२७०	१६	ट्रान्सकर	ट्रान्सफर्
,,	अन्तिम से ११	लाग	लोग
,,	,, ८	तनी	इतनी
,,	,, ५	आपन	आपने
२७२	७	हल्का	हल्फा

१	२	३	४
२७४	३, १०, १४	डिक्री	डिग्री
२७६	२	डिककस	डिसकस
२८३	१५	मि	कि
२८४	अन्तिम से ११	दिथे	दिये
२८५	६	घपला	घपला
,,	१०	चर्जे	चीजें
,,	१८	अर्घ	अर्थ
२८८	अन्तिम	सिन्सियर्येरिटि	सिन्सियरिटी
२८९	१६, २०	एक्सट्रेक्ट	एब्सट्रेक्ट
२९०	६	इप्लीमेंट	इम्पलीमेंट
२९३	अन्तिम से १०	असफरों	अफसरों
३०१	,, ७	एडमिनिस्ट्रोटव	एडमिनिस्ट्रेटिव
,,	,, ३	आफिसस	आफिसर्स
३०२	अन्तिम से ९	पसन्स	परसन्स
३०३	२	राशस्थान	राजस्थान
३०४	१९	मिशाल	मिसाल
३०५	१७	मुकाधले	मुकाबले
३०६	अन्तिम से ११	कते	करते

१	२	३	४
३१७	,, ११	ताकि वे वहां	ताकि वहां
३१८	१६	श्री रामचन्द्र आय	श्री रामचन्द्र आर्य
३२३	१६	व्यथ	व्यर्थ
,,	अन्तिम से ६	महदय	महोदय
३२९	,, १०	प्रार	प्रकार
३३६	६	करा	करो
३३९	१५,२३	मत्री-मंडल	मंत्रिमंडल
३४३	१, २	,,	,,
,,	अंतिम से ४	चड़े	चढे
३४४	,, ६	वले	वाले
३४७	३	एलीगेशन	एलीगेशन
,,	१७	लाकतन्त्र	लोकतन्त्र
३५२	३	नेक्लेक्ट	नेडलेक्ट
३५२	८	ससार	ससार
३५४	अंतिम से ५	नक्की झील हैं	नक्की झील
३६२	,, १२	घान सेंक्चुरी	घाना सेंक्चुरी
३६३	१२	मार्डन आर्ड	माडर्न आर्ट
३७०	अंतिम से २	मान्यता होगी कि	मान्यता

१	२	३	४
३७२	,, १०	महोदय	महोदया
३७४	७	जुडियियल	जुडिशियल
,,	अंतिम से ६	सरकार ने	सरकार
३७६	१२	सरकारें तक	सदियों तक
३८०	अंतिम से ६	सेशस	सेशन्स
३८२	८	,,	,,
३८४	७	उसको	को
३८५	८	गाघी	गांधी
,,	१४	स्थित	स्थिति
३८७	अंतिम से ६	को वे	को
३८९	,, ११,१२	मडल	मेडल
३९२	२	मेल	माल
,,	७	दूसरी	दूसरे
,,	१४	प्रोमशन	प्रमोशन
३९३	अंतिम से १३	मत्रो जी	मन्त्री जी
३९४	,, १३	बैठया	बैठाया
३९७	२	सोचने की	सोचने की हैं।

१	२	३	४
४०?	१२	राजस्थान स्थान	राजस्थान
४०७	अंतिम से ३	सबध	सम्बन्ध
४०८	१४	सबग्रोडीनेट	सबोर्डिनेट
४१३	अंतिम से ४	बाह्	बार
४२७	१२	वाल	वाला
४३०	११	श्री रामचन्द्र आय	श्री रामचन्द्र आर्य
४३३	अंतिम से ११	रहा	रही
४३५	१२, १७, २१	श्री बरक्कतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
४३६	५	थे	थी
४४०	अंतिम से १३	रिपोट	रिपोर्ट
४४४	,, १२	जुडीश्यरी हमेज	जुडिश्यरी का इमेज
४५३-४६३ शीर्षक		—पर विचार	—की स्वीकृति